राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का 56वां दिवस [संख्या 32

बुधवार

दिनांक 24 मई, 1972

विधान सभा की बैठक म. पू. 11·00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, विद्युत्, पंचायत, विकास, सार्वजनिक निर्माण, समाज कल्याण, उपनिवेशन, राजस्व, श्रम, चिकित्सा विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न

प्रश्न संख्या 730

श्री नाथूराम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

बांदीकुई पंचायत समिति क्षेत्र के गांवों में बिजली

731. **श्री विश्वम्भरनाथ जोशी:** (बांदीकुई): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बांदीकुई पंचायत समिति क्षेत्र में राजस्थान राज्य की बिजली सन् 1962 में पहुंच चुकी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि सन् 1962 से अब तक के दस वर्षों में बांदीकुई पंचायत समिति क्षेत्र के बीस ग्रामों का भी विद्युतिकरण नहीं हो पाया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1970-71 में राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने जयपुर जिले के विधायकों व जन-प्रतिनिधियों को वर्तमान मुख्य मंत्री तथा राज्य मंत्री-मन्डल के कतिपय अन्य मंत्रियों व मुख्य सचिव इत्यादि की मौजूदगी में बांदीकुई सहित जयपुर जिले के अन्य समस्त क्षेत्रों में एक निश्चित योजना के आधार पर तथा एक निश्चित धनराशि के आवंटन द्वारा विद्युतिकरण की रफ्तार को तेज करने का आश्वासन दिया था किन्तु इसे अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ?

(4) क्या सरकार तत्कालीन मुख्य मंत्री के उस आश्वासन को पूरा करने के दायित्व को स्वीकार करती है ?

(5) क्या सरकार शीघ्र ही बांदीकुई पंचायत समिति क्षेत्र तथा जयपुर जिले के अन्य समस्त क्षेत्रों के विद्युतिकरण को उचित प्राथमिकता देते हुए एक व्यापक योजना के आधार पर इस क्षेत्र के विद्युतिकरण की

(श्री विश्वम्भर नाथ जोशी)
रफ्तार को तेज करने के लिए कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ?

विद्युत् मंत्री (श्रीहरिदेव जोशी) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां, इस योजना के बाद अब तक जयपुर जिले में करीब 312 लाख रुपये की अनुमानित लागत के ग्रामीण विद्युतिकरण कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं और 321 ग्रामों के विद्युतिकरण को स्वीकृति दी जा चुकी है।

(4) जी हां, इसे ध्यान में रखते हुए इस जिले में समुचित कार्य किया गया है ?

(5) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल राज्य भर में ग्रामीण विद्युतिकरण की गति तेज करने और अधिक से अधिक गांवों का विद्युतिकरण करने के लिए तत्पर है। लेकिन मुख्य बाधा आवश्यक मात्रा में धन-राशि की उपलब्धि है। वैसे जयपुर जिले के लिये कोई विशेष व्यापक योजना अभी तैयार नहीं है। गत दो सालों में इस जिले में 117 व 53 ग्रामों के विद्युतिकरण की दो ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की सघन योजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं।

श्री **विश्वम्भरनाथ जोशी** : पंचायत समिति बांदीकुई और जिला परिषद् द्वारा सिफारिश की हुई तीन लाइनें हैं जिनका काम अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पाया है, क्या यह सही है ?

श्री **हरिदेव जोशी** : मैं किसी पर्टीकुलर लाइन की बात नहीं कह सकता लेकिन जयपुर जिला राजस्थान के उन फार्चुनेट जिलों में से है जिसके 21 परसेन्ट गांव इलेक्ट्रिफाई हो चुके हैं।

श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : ग्रामीण विद्युतिकरण के संबंध में राज्य-सरकार की क्या नीति है ? इसके संबंध में कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ?

श्री **हरिदेव जोशी** : अलग प्रश्न है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

Issue

ग्राम पंचायत अजबपुरा के सरपंच के विरुद्ध गबन का मामला

732. श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, अजबपुरा, तहसील थानागाजी, जिला अलवर के सरपंच के खिलाफ गबन की शिकायत करीब एक साल पहले अलवर जिला उप-विकास अधिकारी के पास की गई ?

(2) क्या यह सही है कि इन शिकायतों की जांच कराई गई और उसकी रिपोर्ट से उक्त सरपंच के खिलाफ गबन के आरोप दफा 408, 406, 420 ताजीरात हिन्द साबित पाये गये ? यदि हां तो जांच को रिपोर्ट कब प्राप्त हुई ?

(3) क्या यह सही है कि जांच के आधार पर सरपंच को चार्जशीट दी गई और उसका जवाब तलब किया गया ? कृपया चार्जशीट की नकल सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि करीब छः माह से शिकायत के कागजात पर कोई

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)
कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां तो इसका क्या कारण है और कौन अधिकारी इसका जिम्मेदार है ?

(5) क्या यह सही है कि अलवर कलेक्टर को भी इस संबंध में कई बार शिकायत की गई कि सरपंच के खिलाफ कार्यवाही की जावे ?

(6) क्या सरकार अब गबन के आरोप की जांच पुलिस द्वारा करायेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री ओंकारलाल) : (1) जी हां, शिकायत दिनांक 29-6-71 को प्राप्त हुई।

(2) शिकायत में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई गई थी। जांच से शिकायत में तथ्य होना पाया गया। रिपोर्ट दिनांक 6-11-71 को प्राप्त हुई।

(3) जी अभी नहीं। अत: जांच की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां।

(6) प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि 6-11-71 को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तो गबन के मामले में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओंकारलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यों ही रिपोर्ट प्राप्त हुई यहां से कलेक्टर साहब को लिखा गया व डिप्टी डी. डी. ओ. को जांच के लिए तुरन्त आदेश कर दिये और आशा करता हूँ कि जांच तुरन्त हो जायेगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : 6 महीने से ये कागजात ज्यों के त्यों रखे हुए हैं। किसी आफिसर को लगा दें, गबन का मामला है और साबित है।

श्री ओंकार लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है यहां से किसी अधिकारी को भेज दिया जायेगा जिससे की जल्दी ही जांच की जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत !

गोपालपुरा खवासजी के बांध से सिंचाई

733. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधी नगर जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या देवरी स्थित गोपालपुरा खवासजी के बांध की तलहटी में करीबन 60 काश्तकार आबाद हैं और वे वहां पर काश्तकारी करते हैं ?

(2) क्या इन काश्तकारों को इस बांध से काश्त के लिए पानी दिया जाता है ?

(3) क्या इस बांध की मोरियां बन्द कर दी गई हैं जिससे इन काश्तकारों के खेतों में पानी भरा रहता है और वे खेती

Page No. 4

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
बाड़ी नहीं कर सकते हैं ?

(4) क्या यह सही है कि इस बांध की तीन चौथाई जमीन सरकारी है और एक चौथाई जमीन राजमहल जयपुर की है ?

(5) क्या इस बांध की मोरियां न खोले जाने के संबंध में किन्हीं की ओर से राज्य सरकार पर दबाव डाला जा रहा है ?

(6) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बांध की मोरियां खोलेंगी, ताकि किसानों को खेतीवाड़ी करने में नुकसान नहीं हो ?

(7) क्या सरकार इस बांध को सिंचाई बांध में परिवर्तित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(8) क्या सरकार यहां के काश्तकारों को दूसरी जगह खेती की जमीन देने को तैयार है ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : यह बांध इस विभाग के अधीन नहीं है इसलिए वांछित सूचना देना सम्भव नहीं है ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह बांध किस के अन्तर्गत है ? यह सरकार ने नहीं बताया कि यह बांध किस के अन्तर्गत आता है । लेकिन प्रश्न यह है कि गोपालपुरा बांध जो कि जयपुर नगर परिषद् में आता है और राजमहल बांध से जुड़ा हुआ है और इस बांध में पानी बन्द कर दिया जाता है और उससे पानी भर जाता है और गरीब काश्तकार निकाल नहीं पाते हैं और गांवों के रास्ते बन्द हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में राज्य सरकार क्या कर रही है ? किस के अन्तर्गत आता है ?

श्री मूलचन्द : सिंचाई विभाग के अन्तर्गत 50 एकड़ से अधिक सिंचित होने वाले तालाबों को ही लिया जाता है । ऐसी स्थिति में यह सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहीं है ।

श्री रोशनलाल शर्मा : क्या यह म्युनिसिपेल्टी के अन्तर्गत आता है ?

श्री मूलचन्द : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रोशनलाल शर्मा : कौन देगा ?

श्री मूलचन्द : प्रश्नकर्ता के नोटिस में है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : सामान्य ज्ञान के आधार पर पूछना चाहते हैं कि कहां आता है ?

श्री मूलचन्द : सामान्य ज्ञान का प्रश्न इससे संबंध नहीं रखता है क्योंकि पर्टीकुलर इस जगह के लिए पूछा है यह माननीय सदस्य के नोटिस में है कि यह जगह कहां है और किस के अन्तर्गत है ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जब बांध में सिंचाई के लिए पानी आता है तो मोरियों से पानी निकालते हैं और खेती के लिए काश्तकार पानी लेते हैं उसको राजमहल में महारानी

(श्री जर्नादनसिंह गहलोत)
गायत्री देवी द्वारा उस पानी को बन्द कर दिया जाता है तो आखिर उसके बारे में सरकार को कुछ तो सोचना पड़ेगा ।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा लगता है कि जब सिंचाई विभाग के तहत नहीं है तो या तो पंचायत समिति के तहत हो सकता है या म्युनिसिपैलिटी के तहत हो सकता है । जो भी होगा इसके संबंध में जानकारी करके आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल भाई ।

पौष्टाहार कार्य-क्रम के अन्तर्गत दी गई राशि

734. **विट्ठल भाई** (पीपल खूंट) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाड़ा जिले की पंचायत समितियों में से किस किस पंचायत को पोष्टाहार कार्य-क्रम के अंतर्गत कितनी कितनी रकम दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि जिन पंचायतों को उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत रकम दी गई है उन्होंने उसे उसी कार्यक्रम में खर्च न करके भूमि एलॉट करवाई है और शाला भवन एवं कुआ खुदवाया है ? यदि हां, तो जब यह रकम उन्हें बच्चों को अच्छी खुराक आदि के लिए दी गई, तो उन्होंने इसे उस कार्य पर क्यों नहीं खर्च किया ?

विकास मंत्री : (श्री ओंकार लाल) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

प्रश्न संख्या 735

श्री रामानंद अग्रवाल ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 736

श्री राम रघुनाथ :

श्री जेठमल बरबड :

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

बेसहाय महिलाओं को सुविधायें

737. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवामहल जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ओवर एज विडो महिलायें, जो अपने पति की असमय मृत्यु होने या अन्य कारणों से कोई धंधा, नौकरी आदि करना चाहे, तो सरकार ऐसी बेसहाय महिलाओं को क्या राहत व सुविधायें देती हैं ? ऐसी महिलाओं को कोई गुजारा भत्ता आदि देने के प्रश्न पर सरकार क्या विचार रखती है ?

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(2) क्या यह सही है कि इस गरीबी आदि के कारण बहुत से गरीब बच्चे नौकरी करने को मजबूर हो रहे हैं और कम वेतन पर ज्यादा समय मेहनत का काम करते देखे गये हैं? यदि हां तो सरकार द्वारा इस समस्या को कैसे दूर किया जावेगा।

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल) : (1) फिलहाल ऐसी महिलाओं के लिए कोई विशेष लाभ अथवा सुविधा देने का प्रावधान नहीं है।

(2) ऐसी कोई योजना इस विभाग द्वारा नहीं चलाई जाती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पहले प्रश्न का उत्तर दिया है इसमें 'नहीं' शब्द आपने अपनी ओर से जोड़ा है।

श्री ओंकारलाल : मेरे ख्याल से टाईप मिस्टेक रह गया था?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या इस प्रकार की सुविधा है।

श्री ओंकारलाल : जी नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या अन्य कोई सुविधायें हैं अपाहिजों को, ओल्ड एज और ऐसे बच्चों को सहायता देने की? क्या कोई योजना है राज्य सरकार के पास?

श्री ओंकारलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, ओल्ड एज के लिए पेन्शन का प्रावधान है उसके अन्तर्गत उसमें सुविधा दी जा सकती है। जहां तक बच्चों का प्रश्न है उसके लिए आब्जर्वेशन होम, चिल्ड्रन होम आदि संस्थाओं द्वारा राहत पहुंचाई जाती है। जहां तक प्रश्न संख्या एक का सवाल है ऐसी कोई योजना अभी सरकार के पास नहीं है। मैं महसूस करता हूँ कि इस प्रकार के केसेज काफी होते हैं इसको देखते हुए इस पंचवर्षीय योजना में तो यह कार्य नहीं बैठेगा लेकिन पंचम पंचवर्षीय योजना में इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : समाज कल्याण विभाग बहुत ही व्यापक है और ओल्ड एज, अपाहिज और ऐसे लड़के, जिनके मां बाप नहीं हैं, यह समाज कल्याण के अन्तर्गत आते हैं तो क्या दूसरे मन्त्रियों के अधीनस्थ यह स्थितियां पड़ी हुई हैं पेन्शन की। वह आप अपने अधिकार में लेकर उसको कन्सोलीडेट नहीं कर सकते क्या?

श्री ओंकारलाल : मैं सम्बन्धित मंत्री महोदयों को इस संबन्ध में निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के केसेज पड़े हैं तो जल्दी निपटायें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओल्ड एज पेन्शन है, अपाहिजों को पेन्शन है, महिलाओं को नौकरी का सवाल है, यह समाज कल्याण विभाग का काम है। दूसरे मंत्रियों के अन्तर्गत यह आता है तो इसमें लेकर इसको केन्द्रित कर लीजिए जो कि अभी तक विकेंद्रित पड़ा हुआ है।

श्री ओंकारलाल : मैं सम्बन्धित मंत्री महोदयों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की चीज मेरे पास भिजवा दें ताकि समाज कल्याण की मार्फत उनको राहत दिलाई जा सके।

(श्री ओंकार लाल चौहान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे प्रश्न का पहला भाग है ओवर एज विडो महिलायें जो अपने पति की असमय मृत्यु होने या अन्य कारणों से कोई धन्धा, नौकरी आदि करना चाहें तो सरकार ऐसी बेसहाय महिलाओं को क्या राहत व सुविधायें देती हैं। तो नौकरी जो करना चाहें तो आप नौकरी तो दिलवा सकते हैं। दूसरा यह है गुजारा भत्ता। एक तो बेसहाय महिलाओं को नौकरी देने का है और दूसरा गुजारा भत्ते का है, तो दोनों ही योजनायें नहीं हैं या दोनों को पंचवर्षीय योजना का नाम लेकर सरकार टालना चाहती है।

श्री ओंकारलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, टालने का तो प्रश्न ही नहीं है। समस्या जटिल है जैसा कि माननीय सदस्य भी सहमत होंगे कि इस प्रकार की काफी चीजें हैं लेकिन अभी तक राज्य सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री राम लाल

बाड़ी—सरमथुरा वाया करौली सड़क

738. **श्री रामलाल (बाड़ी) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि बाड़ी से सरमथुरा वाया करौली जाने वाली सड़क का टुकड़ा बीस मील है और वह काफी दिनों से कच्चा रोड़ है और उस पर आवागमन का रास्ता काफी खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार का इस सड़क को पक्का बनाने का कोई इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : बाड़ी से सरमथुरा रोड़ वाया करौली सड़क 18 मील डामर तथा 24 मील मेटलरोड़ बनी हुई है। मेटलरोड़ का कुछ भाग खराब है। जी हां, अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री रामलाल : ऐसा है साहब कि बाड़ी से लेकर सर मथुरा वाया करौली जो सड़क जाती है उसका 20 मील का टुकड़ा बहुत खराब हालत में पड़ा हुआ है और आने जाने में बहुत असुविधा होती है, इसलिए महान् कृपा करके इसको पक्का बनवा दीजिए।

श्री हरिदेव जोशी : इस वर्ष तो कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं हूं, अगले वर्ष में ध्यान रखा जाएगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : महान् कृपा कहा है तो इसका भी ख्याल करके किसी तरह एडजेस्टमैंट करके करिए।

प्र. सं. 739

श्री अध्यक्ष : श्री मुंशीलाल (अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)।

प्र. सं. 740

श्री गोपीलाल : (अनुपस्थित कृपया आगे देखिए।

प्र. सं. 741

श्री गोपाल जोशी : (अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

प्र. सं. 742

श्री भंवरलाल भदादा : (अनुपस्थित कृपया आगे देखिए):

प्र. सं. 743

श्री रामचरण : (अनुपस्थित कृपया आगे देखिए।

श्री जयकिशनलाल।

फागी तहसील में भूमिहीन किसानों को आवंटित भूमि

744. श्री जयकिशनलाल तोसावडा (फागी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फागी तहसील में सन् 1967 से आज तक कितने भूमिहीन किसानों को कितनी-कितनी भूमि अलाट की गई। ग्राम पचायतवार किसानों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या यह सही है कि नाबालिगों को भी भूमि अलाट की गई है? यदि हां, तो क्या इनके अलाटमेंट निरस्त कर कब्जा हटा दिया गया? यदि नहीं, तो सरकार अब उक्त भूमि का कब तक कब्जा ग्रहण कर लेगी?

(3) क्या भूमि आवंटन में हुई अनियमितताओं के कारण आवंटन की शिकायतें हुई हैं? यदि हां, तो किस किस आवंटन की? सूची सदन की मेज पर पंचायतवार) रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सत्य है कि प्राप्त शिकायतों की अभी पूर्णतया जांच भी नहीं हो पाई है? यदि हां, तो जांच में कहां-कहां विलम्ब हुआ और उसमें दोषी कौन-कौन पाये गये तथा विलम्ब के क्या कारण हैं? यदि जांच पूर्ण हो गई तो क्या सरकार ने उक्त भूमि का कब्जा ग्रहण कर लिया हो? यदि हां, तो क्यों और भूमि कब तक ग्रहण कर लेगी?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री रमेश्वरलाल।

नावां तहसील के गांवों में बिजली की सुविधा

745. श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत सरकार बिजली की सुविधा सभी गांवों में शीघ्रातिशीघ्र देना चाहती है? यदि हां, तो क्या बिजली कृत गांवों से 1 या 2 मील के घेरे में स्थित गांवों में 72-73 में बिजली पहुंच सकेगी?

(श्री रामेश्वर लाल चौधरी)

(2) नावां तहसील के किन-किन गांवों में 72–73 में बिजली की सुविधा प्राप्त होने वाली है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

विद्युत मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) साधन उपलब्ध होने पर इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश की जावेगी। 72–73 तक यह सम्भव न होगा।

(2) अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है। अतः निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी: अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों के अन्दर से बिजली के खम्भे गए हैं वे गांव इलेक्ट्रिफाईड नहीं हैं। उन गांवों को सरकार इलेक्ट्रिफाइड करेगी?

श्री हरिदेव जोशी: जी, हां।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी: मैं निवेदन करूं कि गुढ़ा गांव में 20 साल पहले से बिजली गई है परन्तु फिर भी काश्तकारों को बिजली नहीं दी जा रही है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उस गांवों को इलेक्ट्रिफाईड किया जाएगा क्या?

श्री हरिदेव जोशी: यहां बैठकर तो उसका फैसला नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्य से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस सत्र के दर्मियान मेरे साथ में बैठ जायें और डिस्कस करके फैसला कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान सहाय।

तहसीलों का पुनर्गठन

746. श्री हनुमान सहाय (बैराठ): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार तहसीलों के क्षेत्रों का पुनर्गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और किस आधार से?

(2) क्या यह सच है कि बैराठ तहसील के ग्राम धवली के उप ग्राम नयावास एवं ग्राम किशनगढ़ के उप ग्राम गोनपुरा (डागयावाली) को पृथक से रैवेन्यू ग्राम कायम किए जाने हेतु वर्ष 64–65 से जनता एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा सरकार से निवेदन किया गया है? यदि हां, तो इस पर सरकार कब तक अन्तिम निर्णय एवं स्वीकृति देने का विचार रखती है?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) इस समय ऐसा कोई प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां, ग्राम धवली के उप ग्राम नयावास के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा चुका है कि यह पृथक से ग्राम नहीं बनाया जा सकता एवं दूसरा मामला राज्य के विचाराधीन है।

प्र. सं. 747

श्री अध्यक्ष: श्री फारूक हसन।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री केसरीमल।

पावरलूम की फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले मजदूर

748. **श्री केसरीमल** (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ में करीब 1500 पावरलूम लगे हुए हैं और इसकी सैंकडों फैक्ट्रियां हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों से 12-12 घण्टे लगातार काम लिया जाता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों को कोई साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलता ?

(4) क्या इस सम्बन्ध में अजमेर जिला बुनकर कर्मचारी यूनियन ने श्रम विभाग से शिकायत की है ? यदि हां, तो श्रम विभाग ने इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की ?

श्रम मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) :

(1) किशनगढ़ में लगभग 1900 पावरलूम लगे हुए हैं तथा कुल 400 फैक्ट्रियां हैं।

(2) जी हां, जो फैक्ट्रियां फैक्ट्रीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं, उनमें 12-12 घण्टे काम लिया जाता है।

(3) जी हां, साप्ताहिक अवकाश भी नहीं दिया जाता है।

(4) पावर लूम फैक्ट्रियों को फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत लाने तथा इस उद्योग को न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत परिशिष्ट में शामिल करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। इस सम्वन्ध में श्रम विभाग तथा उद्योग विभाग के अधिकारियों ने इन कारखानों का संयुक्त निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है। इस पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

श्री केसरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह आपके सामने कब से विचाराधीन है ? यह शिकायत लम्बे अर्से से पेंडिंग चली आ रही है। कब तक आप इसे न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत लाना चाहते हैं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष, मैंने निवेदन किया है कि यह योजना इस तरह की राज्य सरकार के विचाराधीन है। मैं भी चिंतित हूं, मैं चाहता हूं और राज्य सरकार भी चाहती है कि इस जिले में मिनिमम वेजेज एक्ट जल्दी से जल्दी लागू किया जाय। इस प्रक्रिया में, माननीय सदस्य स्वयं समझ सकते हैं कि समय लगना स्वाभाविक है। फिर मैं समझता हूं कि छः महीने के अन्दर इसकी व्यवस्था करा दूंगा कि यहां पर मिनिमम वेजेज एक्ट लागू हो जाय।

श्री केसरीमल : क्या यह सही है कि एक-एक फैक्ट्री में 10-10, 15-15 पावर लूम लगे हुए हैं और वहां पर बीस-बीस मजदूर काम कर रहे हैं वहां पर भी फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : फैक्ट्री एक्ट लागू करने का प्रश्न आया था लेकिन उसको

(श्री ओंकार लाल चौहान)
लागू नहीं किया गया है। क्योंकि माननीय सदस्य स्वयं लेवर के बीच में काम करते हैं, वे जान सकते हैं कि फैक्ट्री एक्ट के लागू करने से लेवर को राहत नहीं मिल सकती। मैं समझता हूं और मेरा विचार है कि मिनिमम वेजेज एक्ट लागू कर देना अधिक उचित होगा। मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत ज्यादा राहत लेवर को मिल सकेगी।

श्री कसरी मल : जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, तो इसलिए टाला जा रहा है कि जो वहां पर फैक्ट्री इंस्पेक्टर हैं उन्होंने कुछ धन्धा बैठा रखा है और जिसकी वजह से न तो साप्ताहिक छुट्टी देते हैं और न कोई वीकली किसी प्रकार का अवकाश देते हैं और इन लोगों की साठ-गांठ से उन पार्टीज को बरी कर रखा है?

श्री ओंकारलाल चौहान : बरी करने का प्रश्न नहीं है। वहां पर फैक्ट्री एक्ट लागू ही नहीं है।

श्री केसरीमल : क्या यह सही है कि 20-20 आदमी वहां पर काम कर रहे हैं फिर भी फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं है? इतने मजदूरों के काम करने पर भी मालिकों को मजबूर नहीं करते कि उनको साप्ताहिक अवकाश दें। न इस बारे में कोई चालान किए गए हैं। अगर अभी तक कोई चालान नहीं किए गए हैं तो क्यों नहीं किए गए?

श्री चिमनसिंह भाटी (भीम) : क्या फैक्ट्रीज पंजीकृत किए बिना भी चल सकती हैं या नहीं?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैंने निवेदन किया है अपने उत्तर के भाग (4) में कि इस सम्बन्ध में श्रम विभाग और उद्योग विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी है जो विचाराधीन चल रही है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : मंत्री महोदय, इन फैक्ट्रियों में लेबर से 12-12 घण्टे तक काम लिया जा रहा है और बीस-बीस मजदूर तक काम करते हैं...

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : फैक्ट्री एक्ट के बिना दस आदमियों से ज्यादा नहीं रख सकते।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उनके खिलाफ कार्यवाही गवर्नमेंट करती है या नहीं...

श्री चिमनसिंह भाटी : की है या नहीं?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अभी तक कार्यवाही की गई या नहीं। जो कानून की खिलाफवर्जी करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की गई या नहीं?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं निवेदन करूं कि जैसा मैंने अपना उत्तर दिया है कि अब तक कार्यवाही की गई या नहीं, मेरे पास इस वक्त तो निश्चित इत्तला है नहीं, लेकिन जो निरीक्षण हुआ और जो कठिनाई सामने आयी और इस प्रकार की

(श्री ओंकार लाल चौहान)
बातें देखी गई कि 12-12 घण्टे तक काम लेते हैं और पंजीकृत नहीं किए गए हैं उसके सम्बन्ध में निरीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आ चुकी है और उस पर नियमानुसार क्या कार्यवाही की जा सकती है वह कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

श्री केसरीमल : अजमेर जिला बुनकर कर्मचारी यूनियन ने चिट्ठी लिख कर शिकायत की है इस तरह का मामला इन फैक्ट्रीज में चल रहा है। आप कह रहे हैं कि मामला विचाराधीन है। यह मामला लम्बे अर्से से विचाराधीन चल रहा है तो अब तक श्रम विभाग ने कार्यवाही क्यों नहीं की। आप कह रहे हैं कि फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं है जब कि वहां पर बीस-बीस मशीनें लगा रखी हैं और बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अभी तक भी इसको फैक्ट्री एक्ट में नहीं लाकर वहां पूंजीपतियों को सहूलितें दे रखी हैं। इसमें निश्चित रूप से अधिकारियों की सांठ गांठ है।

श्री ओंकारलाल चौहान : अधिकारियों की सांठ गांठ है तो इसकी जांच करके कार्यवाही की जावेगी। कोई कमी अगर अधिकारियों के सम्बन्ध में पाई गई तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ये फैक्ट्रियां अन-रजिस्टर्ड कब से चल रही हैं। इस बारे में कोई लॉ है भी या नहीं कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो नहीं चल सकती। इस बारे में क्या कोई लॉ भी है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मेरे पास सूचना नहीं है कि कब से अन रजिस्टर्ड चल रही हैं।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : कब से चल रही हैं ?

श्री ओंकार लाल : यह मेरे पास सूचना नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री केसरीमल : वहां फैक्ट्रियों में बीस-बीस मशीनें, 40-40 मशीनें और 30-30 मशीनें लगी हैं लेकिन उनको फैक्ट्री एक्ट में नहीं लिया जा रहा है। वहां के मालिकों ने यह कर रखा है कि एक एक मशीन का एक एक मजदूर मालिक बना रखा है और इस तरह से फैक्ट्री इंस्पेक्टरों की मिलीभगत से मालिकों को सहयोग दिया जा रहा है और श्रम विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर।

कारखाना खोलने के लिये भूमि

749. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि किसी बेरोजगार इंजीनियर ने ट्रैक्टर रिपेयर का भीलवाड़ा में कारखाना खोलने के लिए राज्य सरकार से जमीन की मांग की ? यदि हां, तो आवेदन-पत्र किस तारीख को दिया ? तथा वह जमीन उसे कब दी गई तथा इसका नाप क्या है ?

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

(2) उस जमीन का क्या किराया तय हुआ? और इसमें हुए विलम्ब के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां, आवेदन-पत्र दिनांक 23–7–71 को दिया एवं जमीन उसे 1-3-72 को सुपुर्द कर दी गई। आवेदक का नाम श्री बालकृष्ण मूंदड़ा है?

(2) उस जमीन का किराया रियायतन रु0 250) प्रति माह तय किया गया है। मामले में कोई विलम्ब नहीं हुआ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : क्या यह सही है कि यह बेरोजगार इंजीनियर है?

श्री परसराम मदेरणा; पहले था।

श्री यशवन्त सिंह नाहर; अब तो रोजगार दे दिया है?

श्री परसराम मदेरणा : उनको अपना सर्विस स्टेशन खोलने के लिए जमीन दे दी है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : 250) रु. किराया देकर क्या कोई इंजीनीयर जिन्दा रह सकेगा। आप इसको देखिए तो सही। आज तो आपके पास राजस्व और यू. आई. टी. दोनों विभाग हैं तो कृपा करके इस पर कार्यवाही कीजिए। कोई भी इंजीनियर 250)रु. मासिक जमीन का किराया देकर बेरोजगार इंजीनियर कोई व्यवसाय कर सकेगा?

श्री परसराम मदेरणा : श्री बालकृष्ण मूंदड़ा जो अनएम्पलायड इंजीनियर हैं उनको मैंने हालांकि इण्डस्ट्रियल एरिया नहीं होते हुए भी और बालकृष्ण को भीलवाड़ा में जो जमीन दी गई है वह इण्डस्ट्रियल एरिया में नहीं होते हुए भी 2 लाख 27 हजार की जमीन उन्हें दी गई है। पहले उनका प्रपोजल टर्नडाउन हो चुका था लेकिन जनवरी 72 में मैंने यह निर्णय दिया कि चूंकि ये अनएम्पलाइड इंजीनियर हैं और अपना सर्विस स्टेशन खोलना चाहते हैं इसलिए इस जमीन को अलाट किया जाना चाहिए। यह जमीन एक बीघा और एक बिस्वा है। रेंट तय करने का मामला कलेक्टर पर छोड़ दिया गया। कलेक्टर उसकी सिचुएशन देखकर रेंट के बारे में निर्णय ले लें। जो जमीन 2 लाख 27 हजार की थी उसका 5 परसेंट के हिसाब से अरबन असेसमेंट ही 11 हजार रुपया होता है और 11 हजार के अरबन असेसमेंट का किराया एक हजार रुपया मासिक बनता है, लेकिन चूंकि यह बेकार इंजीनियर थे इसलिए 250) रु. मासिक किराया रखा गया है। इसके बाद में कलेक्टर ही चेयरमैन बन गये यू.आई.टी.के। माननीय सदस्य ने एक अप्लीकेशन मुझे दी है। मैंने कलेक्टर को लिखा है कि यह बेरोजगार इंजीनियर है और सर्विस स्टेशन स्थापित करने में खर्चा किया है...

उन लोगों के पास किराये पर जो जमीन है। इस सम्बन्ध में मैं कलक्टर के रिप्लाइ का वेट कर रहा हूँ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : 12–1–72 को एक रुपया एक पैसे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जमीन 85 वर्ग फीट दी गई है और इसको मेरे पास में सर्टीफाइड कोपी है और फिर आप देखें कि एक इन्जीनीयर

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
को दो वर्षा से जमीन नहीं मिल रही है। इसमें देरी का क्या कारण है? फर्मा दीजिये ताकि वह साफ हो जायेगा। उसको यह जमीन अभी तक नहीं दी गई है और वह भीलवाड़ा में बैठा हुआ है। मुझे डर है कि कहीं वह आत्महत्या न कर ले। वह तो वहां पर आपके भरोसे पर बैठा है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके क्या कारण है, वह फर्मा दें। सात महीने तक जमीन न मिलने के क्या कारण है? अभी तक जमीन नहीं मिल पायी है। केवल अलाटमेन्ट हुआ है।

श्री सम्पतराम (खैरथल) : मंत्री महोदय उसको परमानेंटली अलाट कर दें ताकि उसकी बेरोजगारी दूर हो जाये।

श्री मोहनलाल छंगानी (फलौदी) : बुनियादी प्रश्न यह कि बड़े कारखानों को 50/– रुपया साल प्रति एकड़ के हिसाब से कारखानों को आप जमीन देते हैं और कहीं-कहीं तो यह 30/– रुपया ही हैं। मंत्री महोदय ने एक बेरोजगार इन्जीनियर को जिस तत्परता से जमीन एलाट की है वह शोभनीय है, एक अच्छी चीज है। परन्तु हमें बेरोजगार इन्जीनियरों के बारे में एक निश्चित नीति बनानी चाहिये। एक तरफ 50 रुपया सालाना फी एकड़ का किराया बड़े कारखानों से सरकार ले रही है जमीन का और दूसरी तरफ जो बेरोजगार इन्जीनियर हैं उनसे आप 250/–रुपया ले रहे हैं तो बेरोजगार इन्जीनियरों की तरफ आपकी यह गलत नीति है। वेल्यूएशन का सिद्धान्त भी बेरोजगार इन्जीनियरों के सिलसिले में लागू होना चाहिये। इसके बारे में सरकार को कोई न कोई नीति निर्धारित करनी चाहिये और कम से कम किराया लेना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा इन्डस्ट्रीयल एरिया में भूमि उपलब्ध थी। उनको बार-बार यह कहा गया था कि इन्डस्ट्रीयल एरिया में आपको भूमि एलाट कर देते हैं। परन्तु उनका यह तर्क था कि इन्डस्ट्रीयल एरिया दूर पड़ता है और वहां वे उनका स्टेशन नहीं चला सकते हैं इसलिए उनको जमीन स्टेशन के पास में दी जाये। देरी क्यों हुई? 23-7-71 को एप्लीकेशन दी गई। उसके बाद इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट से बात की। 3-11-71 को मना कर दिया और कहा कि जमीन लेना है तो जो उपलब्ध है इन्डस्ट्रीयल एरिया में वह ले लें। एक एरिया घोषित कर दिया गया है वहीं पर दिया जा सकता है। इसके अलावा बाहर कोई भूखण्ड उद्योग क्षेत्र में घोषित करने के लिए टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट एग्री नहीं कर रहा है। इसलिए आप वहीं पर जमीन ले लें। उन्होंने कहा कि वहां पर मेरा धन्धा नहीं चल सकता है। ट्रान्सपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा लगेगा और वह चल नहीं सकेगा। इसके बाद उन्होंने मुझे यह एप्लीकेशन दी और उस पर विचार करके जमीन ऐलाट कर दी है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : एक प्रश्न...

श्री अध्यक्ष : यह इन्डीविजुअल क्वेश्चन है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह कोई इन्डी-

Page No. 15

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

बिल्कुल प्रश्न नहीं है । एक बेरोजगार इन्जीनियर है या तो फिर वह नौकरी करे या आपसे 250) रुपये लेकर बैठ जाये। मेरा इससे सम्बन्ध रहा है। वैसे मेरा वह कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि मेवाड़ फर्टीलाइजर को एक सेपरेट पीस आफ लेन्ड इन्डस्ट्रीयल एरिया में कन्वर्ट करके दी गई है। क्या यह सही है? आप क्या कहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसके कारण क्या हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

अस्पतालों में अव्यवस्था

750. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी-बाजार, जयपुर)—क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार अवकाश प्राप्त डाक्टरों, जनता व विधान सभा के सदस्यों को विभिन्न अस्पतालों में विजिटर्स की हैसियत से मुकर्रर करने को सोच रही है?

(2) क्या राज्य के अस्पतालों की हालत सुधारने के लिये सरकार कोई कमेटी बनाने को तैयार है?

(3) क्या यह सही है कि कुछ डाक्टर सही समय पर अस्पताल में नहीं पहुँचते तथा प्राइवेट प्रेक्टिस में लगे रहते हैं?

(4) क्या यह सही है कि रोगियों को कई घण्टे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है?

(5) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल व जनाना अस्पताल जयपुर शहर के लिये नाकाफी है जबकि जयपुर शहर की जनसंख्या 7 लाख है? क्या सरकार यहां और अस्पताल खोलने का विचार कर रही है?

(6) क्या यह सही है कि सीनियर डाक्टर अपने टर्न पर फुल टाइम आउट डोर में रोगियों को अटेन्ड नहीं करते जिससे कि गरीब बीमार उनसे फायदा उठाने से महरूम रहते हैं?

(7) क्या डायरेक्टर मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज के पास इतना कम काम है कि उनसे क्लिनिक वर्क भी कराया जाता है? क्या यह भी सत्य है कि इससे प्रशासन में कई खराबियां होना सम्भव है?

(8) क्या यह सही है कि ऑर्थोपेडिक विभाग में वर्कशाप का स्टाफ तो है पर उसके सामान के लिए कोई बजट नहीं है जिससे जरूरत मन्दों को शहर में सामान खरीदने के लिये भटकना पड़ता है और ज्यादा दाम लगते हैं और समय भी व्यर्थ होता है?

(9) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह अस्पताल की इमरजेन्सी सेवा से जनता को बेहद असन्तोष है और इससे बीमारों को इलाज में बहुत जोखम उठाना पड़ रहा है?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री : (श्री हरि-

Page No. 16

देव जोशी)

(1) प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

(2) जी हां।

(3) ऐसा हो सकता है पर मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

(4) ऐसी सूचना नहीं है।

(5) जी हां।

(6) जी हां। क्योंकि उनको वार्ड में रोगियों को भी संभालना पड़ता है।

(7) एक हफ्ते के अन्दर इसकी अन्य व्यवस्था कर दी जायेगी।

(8) जी हां।

(9) उपलब्ध तथा सीमित साधनों के अन्तर्गत आपत्कालीन विभाग में आने वाले रोगियों को यथासंभव पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध हैं तथा किसी प्रकार की जोखिम उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जो वर्कशॉप है उसका बजट नहीं है। इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई आर्गनाइजेशन नो प्राफिट नो लास पर सामान मुहैय्या करे तो आप उसको असेप्ट करने को तैयार हैं?

श्री हरिदेव जोशी : इसके बारे में डिटेल्स में डिसकसन करने की बात है। आपके पास में ऐसे कोई प्रपोजल्स हैं तो आप आइये आपके साथ बैठकर तय कर लेंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वस्तु स्थिति तो यह है कि सेक्रेटेरियेट में आकर वह फंस जाता है।

श्री हरिदेव जोशी : आप मेरे पास आइये। मैं आपके इन्टरेस्ट को एप्रीशियेट करता हूं। मेरी दिक्कत यह है कि मैं इसका जवाब इस वक्त नहीं दे सकता हूं बगैर प्रपोजल्स को देखे हुए। आप मेरे पास तशरीफ लाइये। आपसे अस्पताल को इम्प्रूव करने में मदद मिल सकती है तो मैं उसका वेलकम करूंगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जनाना अस्पताल की इमारत बनाने का प्रश्न है....

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मंत्री महोदय का व्यापक दृष्टिकोण है और आपको जानकारी भी व्यापक है।

श्री हरिदेव जोशी : जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसी का उत्तर दिया जा रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या यह सही है कि जनाना अस्पताल की बिल्डिंग के निर्माण के लिए कोई अलग से योजना हुई थी और उस योजना के अन्तर्गत क्या किसी व्यवसाय ने कुछ रकम अलग से देने का प्रस्ताव किया था और वह रकम जमा करा दी गई है या उस रकम को अलग से इमारत बनाकर न लगाकर दूसरी बिल्डिंग में लगाया जा रहा है?

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग से प्रश्न है और मैं इसका जवाब अभी नहीं दे सकता हूं।

Page No. 17

श्री श्रीराम गोटेवाला : (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है⋯

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : पहले कम्बल वाले का⋯

श्री अध्यक्ष : श्री हाजी जान मोहम्मद

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा एक प्रश्न है, एक जरूरी बात पूछना है।

श्री अध्यक्ष : कोई बेजरूरी पूछते है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : रिलेटिव प्रश्न है⋯

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा यह प्रश्न था, प्रश्न संख्या 9 का जवाब था, इस सम्बन्ध में यह पूछना है कि क्या ईमरजेन्सी में बड़े डाक्टरों को रखने की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे आम जनता को राहत मिल सके। क्या ऐसी टीम को आर्गेनाईज कर रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : स्पेशल रेअर-टीम बनाई जा रही है और इसको रिआर्गेनाइज कर रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कब तक बना दी जायेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : असेम्बली से जैसे ही छुट्टी मिली वैसे ही।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती जमुना सोलंकी।

श्री जानमोहम्मद (पिडावा) : आप मुझे तो भूल ही जाते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप तो ध्यान रखते हैं। श्री जानमोहम्मद।

बान्या खेड़ी बांध

751. **श्री जानमोहम्मद** (पिडावा) : **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बान्याखेड़ी बांध (एनीकट) पंचायत समिति पिडावा, जिला झालावाड का कार्य पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो इस पर कितनी लागत कब कब लगी है ?

(2) क्या यह सही है कि इस बांध में दरार पड़ गई थी और दो बार इसकी मरम्मत भी हो चुकी है ? यदि हां तो इस पर कितना खर्चा लगा ?

(3) इस बांध से कितनी सिंचाई होती है और कब से ? अगर सिंचाई नहीं होती है तो क्यों ? तथा यह बांध किस प्रयोजन से बनाया गया ?

(4) इस बांध की प्लानिंग किस विभाग द्वारा कब की गई और स्वीकृति कब हुई ?

(5) क्या यह सही है कि गत विधान सभा के सत्र में इस बांध की जांच किये जाने का आश्वासन मंत्री महोदय ने दिया था ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) जी हां। इस पर वर्षवार खर्चा इस प्रकार हुआ:–

Page No. 18

(राज्य मंत्री)

वर्ष	खर्चा
1969–70	40633.00(अकालराहत)
1970–71	40815.00
1971–72	19120.00
योग :	100568.00

(2) जी नहीं।

(3) इस बांध से सीधी सिंचाई का प्रावधान नहीं था। इसका उद्देश्य आस-पास के कुओं के पानी का स्तर ऊंचा करना एवं वर्तमान लिफ्ट योजनाओं की अनुपूर्ति करना था।

(4) वर्ष 1969–70 में जिला अकाल सहायता समिति, झालावाड ने इस काम की सिफारिश की एवं इसकी स्वीकृति सहायता आयुक्त एवं शासन सचिव द्वारा 15-4-69 को दी गई।

(5) जी हां, जांच से पाया गया कि एनीकट के बनाने का उद्देश्य पूरा हुआ है।

श्री जान मोहम्मद : सदरे मोअज़्ज़िम यह जवाब पता नहीं किस किस्म के आते हैं पहले भी एक सवाल पूछा था उसका जवाब सही नहीं आया। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि यह बांध क्यों बनाया गया? उसकी वजह क्या थी?

श्री मूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि इस एनीकट को बनाने का उद्देश्य आस-पास के कुओं का जल-स्तर ऊंचा करना और लिफ्ट के द्वारा सिंचाई किये जाने का था।

श्री जान मोहम्मद: मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इतने कुए उसके आसपास कि जिससे बांध के बनाये जाने की जरूरत थी?

श्री मूलचन्द : इस बारे में विभाग से सूचना मंगाकर आपको सूचित किया जा सकता है।

श्री जान मोहम्मद : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि भूतपूर्व मंत्रीजी ने यह आश्वासन दिलाया था कि इसकी जांच की जायेगी? उसको काफी टाइम हो गया है।

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : इसकी जांच का आश्वासन भूतपूर्व मंत्री द्वारा इस सदन में दिया गया था तो जांच की जा चुकी है और जांच करने पर हीं यह पाया गया है कि जिस उद्देश्य से इस योजना को हाथ में लिया गया था वह उद्देश्य पूरा हो गया है।

श्री जान मोहम्मद : मैं, सदरे मोअज़्ज़िम यह अर्ज करना चाहता हूं कि बड़ी मुश्किल से तो सवाल पूछने का हमारा नम्बर आता है तो मैं चाहता हूं कि उसका सही जवाब आना चाहिये ताकि समझ में आजाय। जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब किस किस्म का है। मंत्रीजी ने कोई जवाब नहीं दिया है। एनीकट के पास में जो बिल्डिंग बनाई गई है वह सब फर्जी काम है उसमें दरारें पड़ गई है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर आस पास में कोई कुए नहीं हैं तो क्या वजह है इसको बनवाने की? क्या किसी खास व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की

(श्री जान मोहम्मद)
गरज से यह बनाया गया है ? मैं इसका जवाब चाहता हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य के ध्यान में एक ही व्यक्ति है उसको लेकर ही वह क्वेश्चन शिक्षा मंत्रीजी से पहले पूछा था और आज इरिगेशन मिनिस्टर से यह प्रश्न पूछ रहे हैं । जैसा कि मैंने निवेदन किया कि प्रश्न को सभी तरीकों से सूचना दे दी है । मुझे सिंचाई विभाग से सूचना जो मिली है वहां पर निश्चित तौर पर पानी का स्तर ऊंचा हुआ है और बिजली की लाइन भी पहुंच गई है, और ऐसी सम्भावना है कि और ज्यादा कुए खुदेंगे और उनमें पंपिंग सेट लगाकर उससे सिंचाई होगी ।

श्री जान मोहम्मद : मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस पर कितना खर्च हुआ है।

श्री परसराम मदेरणा : वह जवाब में बता दिया गया है ।

श्री हाजी जान मोहम्मद : मैंने पहले भी इस बात को कहा था उसका जवाब नहीं दिया कि इसकी दीवार में जो दरार पड़ गई है उसका जिम्मेदार कौन है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : जवाब भेज चुके हैं।

श्री परसराम मदेरणा : क्वेश्चन के पार्ट 2 में इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (गांधीनगर) : मंत्री महोदय ने जो क्वेश्चन नं. 2 का उत्तर दिया हैं 'जी नहीं' तो क्या इसके अन्दर दरार नहीं पडी है ।

श्री परसराम मदेरणा : पार्ट (2) में उत्तर दिया जा चुका है, 'जी नहीं ।'

श्री अध्यक्ष : श्रीमती जमुना सोलंकी।

श्री जान मोहम्मद : सदरे मोअसरिम लाखों रुपया खर्च कर दिया गया है और यहां पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। यह कितने अफसोस की बात है। जितना खर्चा हुआ है उसका लाभ नहीं पहुंचा है जनता को। लगातार उसमें पैसा बरबाद हो रहा है। बारिश के मौसम में सारे बान्ध में दरारें पड गई हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जनता से पूछ लें। उनकी व्यक्तिगत राय ली जाय कि कुओं में पानी ऊपर आया है क्या...

श्री निरंजन नाथ आचार्य : पठान और जाट की टक्कर है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती जमुना सोलंकी।

श्री परसराम मदेरणा : व्यक्तिगत रूप से किसी को लाभ पहुंचाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है...

श्री अध्यक्ष : Next question has been taken up.

केकड़ी तहसील की सड़कें

752. **श्रीमती जमुना सोलंकी** (केकड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्रीमती जमना सोलंकी)

(1) क्या यह सही है कि केकड़ी तहसील में सड़कों की दुर्दशा है ? यदि हां, तो अब तक मरम्मत करने के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(2) क्या केकड़ी से कादेड़ा, केकड़ी से बघेरा और केकड़ी से सावर सड़कों की दशा भी अत्यंत शोचनीय है ?

(3) क्या सरकार उनको दुरुस्त कराने की योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) सड़कों की दशा साधारण है। वर्ष 71-72 में 3,42,600 रुपये का प्रावधान किया गया था ?

(2) केकड़ी से कादेड़ा तथा केकड़ी से सावर रोड़ का कार्य प्रगति पर है। केकड़ी से बघेरा रोड विभाग की मरम्मत सूची में नहीं है, क्योंकि फेमीन के अन्तर्गत बनी थी।

(3) जी नहीं। अर्थाभाव।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा।

सैनिकों को भूमि का आवंटन

753. **श्री नन्दलाल बैरवा** (केशोराय पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार द्वारा सन् 1970 से 72 तक कितने सैनिकों को कितनी भूमि राजस्थान कैनाल अथवा चम्बल नहर और अनकमाण्ड भूमि आवंटित की गई है, जिलेवार मय रकबा दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या जिन सैनिकों को भूमि अब तक आवंटित की है उन्हें समय पर कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) जिन सैनिकों को अब तक भूमि आवंटित नहीं की गई है क्या राज्य सरकार उन्हें भी भूमि देने का इरादा रखती है, यदि हां, तो कहां-कहां कितनी-कितनी भूमि का प्रावधान रखा है ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : माननीय अध्यक्ष जी इसकी सूचना एकत्रित नहीं हो सकी है इसलिए निवेदन है कि इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। श्री रामसिंह कुड़ी।

नागौर अस्पताल में निर्माण कार्य

754. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला अस्पताल नागौर में 100 अतिरिक्त शैयाओं के लिए भवन निर्माण हेतु रु. 5,15,000) की स्वीकृति है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक करा दिया जावेगा एवं अब तक कितनी शैयाओं का भवन-निर्माण इस राशि में से करा दिया गया है ? स्वीकृति आदेश पत्र संख्या एफ. 29 (18) एम. पी. एच./70 दिनांक 11-1-71 की प्रतिलिपि

(श्री रामसिंह कुड़ी)
सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : प्रारम्भ में दिनांक 11-1-71 को 5-15 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी किन्तु उस वर्ष वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया था और यह स्वीकृति निरस्त कर दी गई थी अतः निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। आदेश संख्या 29 (18) एम.पी. एच. 70 दिनांक 11-1-71 की प्रति प्रस्तुत है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रामसिंह कुड़ी : क्या यह अस्पताल का निर्माण कार्य नहीं होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : जरूर होगा अगर वहां की जनता का सहयोग प्राप्त हो जाय तो ?

श्री रामसिंह कुड़ी : क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि अगर जनता का सहयोग उपलब्ध अब हो जाय तो इस वर्ष में प्रावधान हो सकता है ?

श्री हरिदेव जोशी : इस वर्ष की मैं नहीं कह सकता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जन-आन्दोलन का प्रावधान रख लिया जाय तो।

श्री हरिदेव जोशी : हो सकता है उससे आपसे प्रश्न पूछा जायगा मुझसे नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पलिलवाल।

ग्राम पंचायत छोटी उदई को आवंटित भूमि

755. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत छोटी उदई (गंगापुर) को जो 15 बीघा भूमि का आवंटित हुआ था, वह भूमि काश्त का बिल है और उस भूमि पर सरपंच तथा उसके साथियों द्वारा काश्त की जाकर उसका मुनाफा खाया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उससे जो आमदनी हो रही है वह पंचायत की केश बुक मे दर्ज नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस पंचायत के सम्बन्ध में 1964 से 1971 तक जो आडिट आब्जेक्शन हैं उनकी पूर्ति अभी तक नहीं हुई है ?

पंचायत मंत्री (श्री ओंकारलाल) : (1) ग्राम पंचायत छोटी उदई को जो 14 बीघा 16 बिस्वा भूमि वर्ष 1965 में आवंटित हुई वह काश्त के काबिल है। उस भूमि पर कौन काश्त कर रहा है इसकी जांच जिलाधीश सवाई माधोपुर से कराई जा रही है।

(2) जी हां।

(3) आडिट में किये गये आक्षेपों की पूर्ति कराई जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरिश्चन्द्र पलिलवाल : क्या इस भूमि पर काश्त की गई है ?

श्री ओंकारलाल : मैंने उत्तर में

(श्री ओंकारलाल)
निवेदन किया है कि काश्त की गई है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लिवाल : आप यह मानते हैं कि भूमि पर काश्त की गई है तो क्या बगैर सरपंच की सहमति के ही काश्त की गई है।

श्री ओंकार लाल : मैं नहीं कह सकता कि सरपंच की सहमति थी या नहीं। जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि इस भूमि पर काश्त की गई है और 65 में ही सरपंच स्वयं द्वारा ही इस भूमि को किसी व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया गया था।

श्री मीठा लाल (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, विकास अधिकारी जो गंगपुर के हैं इनके खिलाफ गबन और अनियमितताओं के बारे में कई केसेज हैं और जो आरोप लगाये गये हैं। वे जांच में सही पाये गये हैं उनके खिलाफ......

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस पक्ष) : इसमें विकास अधिकारी का प्रश्न ही कहां आता है? पंचायत को एलाट की गई 15 बीघा जमीन का मामला है।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लिवाल : ग्राम पंचायत छोटी उदई है उसमें छोटी उदई पंचायत में कई बार एमेंडमेंट हो चुका है। यह वही पंचायत है कि जहां पर पहले तीन पंच मर गये हैं और उन स्थानों की तीन-तीन साल से पूर्ति नहीं हुई और उनको रिक्त स्थान घोषित नहीं किया गया है। इस पंचायत के सरपंच की विकास अधिकारी और प्रधान दोनों से मिली भगत है, और उनके साथ मिल कर गबन हुआ है।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : श्री लूणाराम।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : बड़ी रहस्यमय पंचायत है।

श्री डूंगरगढ़–नागौर–जोधपुर को मिलाने वाली सड़क

756. **श्री लूणाराम (डूंगरगढ़)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ द्वारा श्री डूंगरगढ़ से नागौर व जोधपुर को मिलाने के लिए श्री डूंगरगढ़ से बीदासर सड़क के ग्राम बाना से कातर तक वाया ऊपनी, कल्याणसर पुराना, कल्याणसर नया, बापेऊ, रोजड़ू होने का प्रस्ताव जिलाधीश चूरू व अधीक्षक अभियन्ता बीकानेर व विभाग को भेजा गया? यदि हां, तो उस पर विभाग द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या सरकार यह महसूस करती है कि आइटम नम्बर 1 में वर्णित सड़क जो 18 मील होगी के बनने से बम्बई से वाया जोधपुर, नागौर, लालगढ़ श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर, गंगानगर जिले व पंजाब तथा हरियाणा की मण्डियों से एवं जोधपुर से इमारती पत्थर की पट्टियां आदि लाने में बड़ी सुविधाजनक होगी?

(3) क्या सरकार उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में ही

(श्री लूणाराम)
उक्त कार्य योजना में शामिल कर कार्यवाही करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) विभाग को प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(2) जी हां।

(3) अर्थाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अर्थाभाव ... वाकी इसकी आवश्यकता को तो मन्त्री महोदय भी महसूस करते हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से जो इसकी आवश्यकता को महसूस किया गया है तो वह जो बीकानेर होकर आने से 87 मील का चक्कर पड़ता है, तो अगर यह 18 मील का टुकड़ा इसी वर्ष में शामिल कर लिया जाय तो पंजाब से नागौर होते हुए जोधपुर होते हुए बम्बई तक बहुत सीधा रास्ता हो जाएगा और आजकल किसानों को गांवों में जोधपुर की पाटियां महंगी पड़ती हैं वह भी उनको सुलभ हो जायगी।

श्री हरिदेव जोशी : मेरी पूर्ण सहानुभूति है।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

तहसील नदबई में सेटलमेंट का कार्य

767. श्री नत्थीसिंह (नदबई) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नदबई तहसील में सेटलमेंट ओपरेशन किस सन् में प्रारम्भ किया गया था और यह बन्दोबस्त कब तक समाप्त होगा ?

(2) क्या इस तहसील में लगान की नई रेट निर्धारित कर दी गई ? यदि हां, तो कितनी तथा निर्धारित करने का सिद्धान्त क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि सेटलमेंट का कार्य समाप्त नहीं होने से किसानों को दाखिल खारिज कराने व बैंकों से ऋण लेने में बड़ी भारी परेशानी हो रही है ?

कृषि मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) सन् 1965 से सेटलमेंट आपरेशन प्रारम्भ किए गये थे। शीघ्र ही बन्दोबस्त समाप्त होने की सम्भावना है।

(2) जी हां। रेट्स राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अध्याय (8) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती है। रैट्स की सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट–2 देखिए)

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सन् 65 से लेकर आज तक बन्दोबस्त खत्म नहीं हुआ है। वहां के काश्तकारों को बैंक से कर्जा लेने में परेशानी होती है।

श्री परसराम मदेरणा : रिवाइज्ड रेण्ट रेट राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं। और ऐसी उम्मीद की जाती है कि वितरण जून तक हो जायेगा।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री

(श्री नत्थीसिंह)

महोदय ने नदवई तहसील में लगान की रेट्स कायम की हैं। और जिलों में की गई हैं। और तहसीलों में भी की गई हैं।

श्री परसराम मदेरणा : री-सैटिलमेंट होने के बाद जो बढ़ोतरी की गई है, वह 25 प्रतिशत से अधिक नहीं की गई है। यह जनरल डिसीजन राज्य सरकार का है।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया।

भूमि विकास बैंक रामगंज मण्डी के भवन पर नाजायज कब्जा

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बूंदी) : क्या पंचायत एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री शुक्ला विकास अधिकारी पंचायत-समिति चेचट मुख्यालय खैराबाद ने गत एक वर्ष से भूमि विकास बैंक रामगंज मण्डी के भवन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। यदि हां, तो अब तक राज्य सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बैंक भवन के खाली न करने से वहां की जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक खाली करवा देगी ?

विकास एवं पंचायत मन्त्री (श्री ओंकार लाल) : (1) जी, नहीं। अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(2) जी, नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर स्पष्ट रूप से गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उत्तर देने के लिए मुख्यमन्त्री को बुलाया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : अब भी वह उसी मकान में रहते हैं।

श्री ओंकारलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा ध्यान है। पूरा मकान बैंक का है। यह समझ में नहीं आता है कि बी. डी. ओ. साहब का परिवार मकान में रहता है तो माननीय सदस्य को क्या आपत्ति है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : यह जन्तर मन्तर कार्यालय पर कब्जा की तरह तो नहीं है ?

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : भूमि का विकास आवश्यक है। लेकिन मन्त्री महोदय, इस प्रकार का उत्तर दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। जो सप्लीमेण्टरी मैंने किया है, उसका सन्तोषजनक उत्तर नहीं आया है। मेरे प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर आना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अभी औरों के प्रश्न भी शेष हैं।

श्री ओंकारलाल : माननीय अध्यक्ष

(श्री ओंकारलाल)

महोदय, मैंने निवेदन किया है : मेरा उत्तर साफ है। विकास अधिकारी अपने किराये के मकान में रहते हैं। बैंक नीचे चलता है। मकान के ऊपरवाली मंजिल में रहते हैं। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नरेन्द्र बाला।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : अध्यक्ष महोदय, जो बैंक के अधिकारी हैं, उन सब को आपत्ति है। बिना किराये के जबर्दस्ती रहते हैं। सरकारी काम में अड़चन होती है। सरकार क्या कदम उठायेगी इसके लिए मन्त्री महोदय ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सदस्य के ऊपर वाली मंजिल भी खाली है। (हंसी)

एक माननीय सदस्य : वह आपको दे दी है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नरेन्द्र बाला।

नहरों के कारण खराब रास्ते

759. **श्रीमती नरेन्द्र बाला** (दीगोद): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि कोटा जिले के चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में नहरों के कारण गांवों के रास्ते बिल्कुल खराब हो गये है ? यदि हां, तो सरकार इनके सुधार की क्या योजना बना रही है ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : जी नहीं, चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में रास्ते खराब होने का कारण काश्तकारों द्वारा आवश्यकता से अधिक पानी लेना, खोलों को ठीक प्रकार से मैंण्टेन न करना, रात के समय पानी न लेकर नालों को काट देना, आदि है। यदि काश्तकार पानी का उपयोग सही ढंग से करे तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है।

श्रीमती नरेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न साफ है, रास्ते खराब हैं या नहीं ?

श्री मूलचन्द : मेरे उत्तर से स्पष्ट हो चुका है। रास्ते के खराब होने का कारण पानी का अधिक लेना है।

श्रीमती नरेन्द्र बाला : अपनी जिम्मेदारी किसानों पर डालें या नहीं। लेकिन वहां रास्ते इतने खराब हैं कि किसान अपना अनाज और उत्पादन मण्डियों में नहीं ले जा सकता है। वहां के रास्ते इतने खराब हैं। कभी मन्त्री महोदय स्वयं चलकर देखें। बड़ी विकट समस्या है विभाग के जो अधिकारी है, वह ध्यान नहीं देते है। यह किसानों पर डालने से चलेगा नहीं।

एक माननीय सदस्य : रास्ता इतना खराब है, फिर वहां मंत्री महोदय भी नहीं जा सकेंगे।

श्री मूलचन्द : माननीय सदस्या ने जो फरमाया है, उसके लिए 10 करोड़ की योजना बनाई जा चुकी है। वह अभी स्वीकृत नहीं हुई है।

श्रीमती नरेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, कितनी जल्दी इस काम को करवा देंगे। यह आश्वासन देना किसानों को बहुत आवश्यक है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वाटर लोगिंग की समस्या है कोटा और बून्दी क्षेत्र में। वहां एक कम्प्रीहैंसिव स्कीम बनाकर 10 करोड़ की, इसको किया जा रहा है। इसके साथ क्राप का पेटर्न चेंज करने के लिए हमें काम करना है। यह वाटर लोगिंग का प्रश्न है। रास्तों की जो समस्या है, उसमें यह है कि नहर के किनारे वाली सड़कें ऊंची बनी हुई है। गांवों में यह समस्या है कि वहां पर जो खाले बनाने वाले है, वह खाले बना लेते हैं। बैलगाड़ी निकलती है तो खाले टूट जाते हैं। अगर उनको काश्तकार विद्इन 10 मिनिट बन्द नहीं करता है, तो पानी भर जायेगा। बैलगाड़ी निकलने से तालाब सा बन जायेगा। यह एक जगह की ही नहीं है। जितना भी कैनाल इर्रीगेशन सिस्टम है, वहां पर है। यह राज्य सरकार के लिए सम्भव नहीं है कि हर खाले पर बी. डी. वर्क बनायें। डिस्टीब्यूटरी या कैनाल है, उस कारण अगर रास्ता टूट गया है तो हम माननीय सदस्य को कह सकते हैं। लेकिन यह वाटर लोगिंग की समस्या जुड़ी हुई है। अगर वह हालत होगी तो राज्य सरकार के सी स्कीम हाथ में ली हुई है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : प्रश्न यह है, मंत्री महोदय, वाटर लोगिंग तो एक रेकरिंग प्रोग्राम है। इसके लिए तो अलग से प्रोगाम बनाना पड़ेगा। कई तरीके हैं। लेकिन जो रास्तों की प्राब्लम है, क्या यह भी वाटर लोगिंग के साथ होती जायेगी। प्रापर रोड्स नहीं बनायेंगे। तो, कैसे काम चलेगा। इसको हल करना चाहिए। माननीय सदस्या ने जो कहा है, उसके महत्व को समझें।

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न भी अलग है। अर्थ से सम्बन्ध है। अर्थ का अभाव है। राज्य सरकार की मजबूरी है।

प्रश्न संख्या 760

श्री अध्यक्ष : श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री हरिसिंह : उन्होंने मुझे अधिकृत किया है, मौखिक रूप से।

श्री अध्यक्ष : मौखिक का लाभ नहीं मिलेगा, जब तक कि लिखित में न हो।

श्री रमेशचन्द्र।

ग्राम बून्दी का गोठड़ा तथा ग्राम उमर में नहर से सिंचित भूमि

761. **श्री रमेशचन्द्र (हिण्डोली)** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि हिण्डोली तहसील के ग्राम बून्दी का गोठडा और ग्राम उमर की सम्पूर्ण भूमि नहर से सींची जाती है? यदि हां, तो कब से तथा खसरा नम्बर सहित कुल सिंचित भूमि का रकबा कितना है?

(2) यदि वास्तव में सम्पूर्ण भूमि नहर द्वारा सिंचित नहीं है तो ऐसी भूमि को अब तक पुनः कमाण्ड घोषित क्यों नहीं की गई?

(श्री रमेशचन्द्र)

(3) पुराने ट्रैंस पासर्स को विनियमन करने के लिए इस प्रकार की भूमि को जिन जिन ग्रामों में है कब तक अनकमाण्ड घोषित की जाएगी ?

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) जी नहीं। सिंचाई सन् 1958 में आरम्भ हुई थी। कुल सिंचित क्षेत्र की खसरा नम्बर सहित सूची 'अ' संलग्न है।

(2) गोठड़ा ग्राम की जो भूमि सिंचित नहीं होती, वह राजस्थान राजपत्र दिनांक 15-2-68 में अनकमाण्ड घोषित हो चुकी है। ग्राम उमरा की भूमि अनकमाण्ड घोषित करने के लिए सूची प्रकाशन हेतु सरकार के पास आ चुकी है। सूची 'ब' संलग्न है।

(3) भूमि को अनकमाण्ड घोषित करने का ट्रैंस-पासिंग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट-3 देखिये)

आटोमोबाइल वर्कशाप में कार्य करने वाले श्रमिक

762. **श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (सूरतगढ़) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह-सत्य है कि राजस्थान में आटोमोबाइल वर्कशाप में कार्य करने वाले श्रमिकों पर न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 लागू नहीं है ?

(2) क्या इस उद्योग के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के शिड्यूल में सम्मिलित कर इन्हें भी न्यूनतम वेतन प्राप्त करने के अधिकार उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय लिया है ?

(4) क्या यह बात सही है कि राजस्थान में दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम के अधीन दुकानों के कर्मचारियों के लिए प्रदत्त सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए इन्सपेक्टर्स नियुक्त हैं ?

(5) क्या यह बात सही है कि उक्त अधिनियम के पालनार्थ उद्योग विभाग को अधिकार दिया गया है।

(6) क्या यह सही है कि एक लम्बे अर्से से श्रमिक संगठनों द्वारा इस अधिनियम के पालन कराने की जिम्मेदारी श्रम विभाग को दिए जाने की मांग की जाती रही है ?

(7) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाये ?

श्रम मंत्री (श्री ओंकारलाल) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(6) जी हां।

(श्री ओंकारलाल)

(7) जी नहीं। यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है तथा इस पर निर्णय होना बाकी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, स्थिति बड़ी स्पष्ट है, सब कुछ मानने के बाद भी आप कुछ करना नहीं चाहते। यह कहने के लिए रास्ता रह जाता है, कोई आश्वासन दे डालिये आप।

श्री ओंकारलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : श्री जगमोहन सिंह !

श्री ओंकारलाल : मैं इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं कि इस तरह के संस्थानों में मिनिमम वेजेज को लागू करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। मैं समझता हूं, छः महिने की अवधि में काम कर लिया जायगा जिससे श्रमिकों को राहत मिल सकेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आश्वासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।

तहसील छबड़ा में ट्रेसपासर्स के मामले

763. **श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील छबड़ा में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के भूमिहीन लोगों के ट्रेसपासर्स के कितने केसेज सरकार हैं तथा ऐसे कितने लोगों पर तहसीलदार छबड़ा द्वारा लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत कितना जुर्माना किया गया है और इसमें से कितना वसूल हो चुका है और कितना बाकी है।

(2) क्या यह जुर्माने लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के अन्तर्गत तहसीलदार छबड़ा द्वारा राज्य सरकार की घोषित नीति रेगुलराईजेशन आफ सच ट्रेसपासर्स के विरुद्ध किये गए हैं। यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई एवं इन भूमिहीन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही अमल में ला रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) तहसील छबड़ा में अनुसूचित जाति के 289 एवं अनुसूचित जन जाति के 221 कुल 510 लोगों के ट्रेसपासर्स के केस जेरकार हैं तथा वैसे 228 लोगों पर तहसीलदार छबड़ा द्वारा लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत 9156.65 जुर्माना किया गया है। उक्त जुर्माना अभी वसूल नहीं हुआ है।

(2) तहसीलदार छबड़ा द्वारा राज्य सरकार की घोषित रेगुलराइजेशन की नीति के अनुसार उपरोक्त जुर्माना ट्रेसपासर्स के विरुद्ध किये गए हैं इसलिए किसी के भी खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगमोहनसिंह : इसमें मेरा निवेदन यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों से जमीन वसूल की गई, उसके लिए नियम यह है कि उसको रेगुलेराइज करके लगान में एडजस्ट कर दिया जायगा। यह किया नहीं है। उसके बारे में तहसीलदार ने कार्यवाही की है

Page No. 29

(श्री जगमोहनसिंह)

दूसरे आपकी जो नीति भूमिहीन लोगों के बारे में है उसका पालन किया गया है या नहीं ? अगर नहीं किया गया है तो तहसीलदार के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं और भूमिहीनों के लिए क्या कार्य वाही करना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : दफा 91 के तहत इंडीविजुअल केसेज में कार्यवाही होती है; यह जुडिसियल मैटर है, इसमें कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है तो वह अपील कर सकता है कलेक्टर के पास। एक बात। दूसरे जिन मामलों में जुर्माना किया जा चुका है, वह ऐसा मानकर चलते हैं, वे ऐसे मामले होंगे जो रेगुलेराइज के मामले नहीं हों। रेगुलेराइजेशन कुछ कन्डीशन्स पर होता है, यह नहीं हैं कि हर आदमी का हो जाय। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का यह तय किया गया है रेगुलेराइज करने में कि पहले की मिलाकर कुल भूमि पन्द्रह बीघा से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि पर्टीक्यूलर डेट पर वह व्यक्ति काबिज था। इस सम्बन्ध में डिटेल्ड इन्सट्रक्शन दिये हुए हैं। अगर कोई एग्रीव्ड है तो वह अपील कर सकता है।

श्री जगमोहन सिंह : यह सारे केसेज हैं इनमें मोस्टली ऐसे हैं जो राजस्थान सरकार की रेगुलेराइजेशन की नीति के अन्दर आते हैं, फिर भी जुर्माना किया गया है और उनको रेगुलेराइज नहीं किया जा रहा है, और मनमाने रूप से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। मैं इन सब अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं जो बात निवेदन कर रहा हूँ, यह तथ्य है, सही है, इसलिए राज्य सरकार इसके अन्दर कार्यवाही करे और भूमिहीनों को हैरेसमेंट से बचाये और उनको रेगुलेराइज करके जमीन दी जाय।

श्री परसराम मदेरणा : तहसीलदार छबड़ा के पास में 510 लोगों के मामले पेंडिंग थे, उनमें से 228 के अन्दर फैसला दे दिया है। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, कौन जिम्मेदार है तो दफा 91 के तहत कार्यवाही जुडिसियल मैटर है, इसलिए इसमें गवर्नमेंट इण्टरफिअर नहीं कर सकती। गवर्नमेंट उस मामले में इण्टरफिअर कर सकती है जो नॉन-जुडिसियल मैटर हो। यह भी देखिये, हाई कोर्ट राजस्थान और रेवेन्यू बोर्ड ने दो तीन मामलात में माना है कि दफा 91 के तहत कार्यवाही जुडिसियल मैटर है। तो भी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 228 केसेज हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के केसेज हैं, उन केसेज को रेगुलेराइजेशन के लिये लिया जाय, तो मैं इसकी जांच करा लूंगा और अगर होंगे तो राजस्थान सरकार आदेश देगी सीनियर आफिसर को और रेगुलेराइज करने की कार्यवाही करेगी।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : क्या सरकार को यह आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, रेगुलेराइजेशन के केसेज जहां पर बहुत बढ़ गये हों वहां पर एक्स्ट्रा जुडिसियल आफिसर अपाइन्ट करके केसेज को डिस्पोज आफ कर दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : यह मामला जुडिसियल है।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं जुडिशियल आफिसर ही कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : सिविल कोर्ट को यह केसेज डिस्पोज आफ करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेसपासर्स के केसेज को रैगुलेराइज करने के लिए जहां आवश्यकता हुई है वहां पर राजस्थान सरकार ने एडीशनल तहसीलदार लगाये हैं, दूसरे आफिसर लगाये हैं, एस. डी. ओ. वगैरह ताकि जहां केसेज ज्यादा रहे है वह डिस्पोज आफ हो जायं। मेरे पास अभी फिगर नहीं हैं, लेकिन आफिसर्स की संख्या बढ़ने के बाद में, जो काफी बढ़ी है, रेगुलेराइजेशन के मामलों का काफी निबटारा हुआ है। इस पर्टीक्यूलर मामले में जो तहसीलदार हैं उन तहसीलदारों को अण्डर द एक्ट यह पावर है। जब तक सदन इस एक्ट में तरमीम न करे तब तक दूसरे अधिकारी इस मामले में काग्नीजेंस नहीं ले सकते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : कोई एडीशनल प्राविजन कर सकती है। मेरे ख्याल में कानूनी दृष्टि से कोई न्यूनता नहीं आ सकती। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड के सिद्धान्त पर मैं समझता हूं, रेगुलेराइजेशन के केसेज के डिस्पोजल के सम्बन्ध में सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि यह सदन स्वयं जानता है, रेगुलेराइजेशन के मामले में पहले जब जुर्माना हुआ तो वह एक करोड़ के आसपास था, लेकिन सब्सीक्यूएंटली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, 70 में आदेश दिये रैगुलेराइजेशन करने के लिए, 1967 का जो आर्डर था, वह बहुत स्ट्रिक्ट था, उसको काफी लिबरल कर के रेगुलेराइजेशन की नीति अख्तियार की गई, जिनकी अनइकानामिक होल्डिंग है, यह गरीब लोग हैं, इन्होंने पन्द्रह बीघा तक ट्रेसपास किया है तो रेगुलेराइज कर देना चाहिए। यह आदेश संशोधित करके जो एक करोड़ का जुर्माना वसूल किया गया, उसके लिए आदेश दिये गये कि इसको एडजस्ट लैंड रैवेन्यू में कर दिया जाय। रेगुलेराइजेशन में अब चार्ज नहीं कर रहे हैं, पहले चार्ज कर लिया, पहले कुछ टाइम रखा था और 221 आफ लैंड रैवेन्यू लिया है, वह राइट आफ कर दिया। 228 पर्सन के रह गये हैं तो जहां कहीं भी तहसीलदार के पास में ज्यादा केसेज हुये हैं वहां पर एडीशनल तहसीलदार दिया गया है, पूरे राजस्थान में जब जब रैवेन्यू बोर्ड से कोई प्रस्ताव आया, एडीशनल तहसीलदार, एडीशनल एस. डी. ओ. भेजे हैं। रैवेन्यू बोर्ड की बात मानी गयी है। पर्टीक्यूलर मामले में और कहीं भी होगी तो राजस्थान सरकार तत्परता के साथ में नई पोस्ट क्रियेट करेगी और आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री जगमोहन सिंह : जैसा मंत्री जी ने बताया, लोगों पर जुर्माना कर दिया गया जिनके मामले रेगुलेराइज करने के काबिल हैं तो पहले के को जमीन के लगान के अन्दर एडजस्ट करने के आदेश दे दिये गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिन लोगों पर जुर्माना कर दिया गया, उनके केसेज रेगुलेराइजेशन की नीति में आते हैं तो क्या राजस्थान सरकार उस वसूल किये हुये जुर्माने को, जबकि राज्य सरकार की जुर्माने को लगान में एडजस्ट करने की नीति है,

(श्री जगमोहनसिंह)

लगान में एडजस्ट करने की कार्यवाही करेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रश्न हाइपोथेटिकल है। मैंने निवेदन किया, जिन केसेज में लगान कई गुना रेगुलाइजेशन फीस के रूप में वसूल किया जा रहा है वह 1970 के आर्डर में नहीं किया जा रहा है, इसमें डिस्टिंक्शन नहीं किया जाय, जो मामले 91 में डिसाइड हो गये और जिनको ट्रेसपासर माना गया, ऐसे केसेज के सम्बन्ध में नहीं कह सकता, यह पालिसी मैटर है, लेकिन जिन मामलात में फैसला हो गया 91 में, जैसा आप कह रहे हैं, उसमें सब व्यक्ति शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं तो इन केसेज को दुबारा दिखवा लूंगा।

एक माननीय सदस्य : मेरा प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बजाज सागर बांध

730. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर बन रहे "बजाज सागर बांध" की योजना आयोजना विभाग द्वारा स्वीकृत होकर कब आई ? इस बांध का निर्माण कब तक हो जाने की सम्भावना है और उस पर अनुमानित व्यय कितना आंका गया है ? बांध की ऊंचाई उससे सिंचित होने वाले क्षेत्र, नहरों की लम्बाई आदि क्या होगी ?

(2) इस बांध की डूब में कुल कितना क्षेत्र आएगा–उसमें कितनी कृषि भूमि, कितनी वन सम्पदा, घर आदि होंगे, कितनी जनसंख्या प्रभावित होगी ? क्या उसके मुआवजे के लिये समुचित व्यवस्था करली गई है ? प्रभावित आबादी को बसाने के लिये क्या योजना बनाई गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सत्य है कि "बजाज सागर" गुजरात में बन रहे "कडाना डेम" के रिजर्वेयर का कार्य करेगा ? इस सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच हुये इकरारनामे की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या गुजरात सरकार इस डेम के निमित्त होने वाले व्यय को अनुमानित रूप में वहन करेगी ? यदि हां, तो कितना और अब तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

(5) क्या बजाज सागर योजना में पहले विद्युत उत्पादन कार्यक्रम भी सम्मिलित था और बाद में उसे हटा लिया गया ? यदि हां, तो किस तिथि से और क्यों ?

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

उत्तर

(1) माही नदी पर बन रहे बजाज सागर बांध की योजना आयोजना विभाग द्वारा 2 (45)/67–68 दिनांक 12-11-1971 को स्वीकृत की गई। इस बांध का

(सिंचाई मंत्री)
निर्माण कार्य सन् 73 तक पूरा होने की सम्भावना है।

इस पर कुल 31–36 करोड़ रु. व्यय होने का अनुमान है। बांध की अधिकतम ऊंचाई 64–14 मीटर होगी इससे सिंचित होने वाला कुल क्षेत्र 44,882 हैक्टर (सी. सी. ए.) होगा।

दांई मुख्य नहर की लम्बाई 82–20 कि.मी. होगी व बांई मुख्य नहर की लम्बाई 44–80 कि.मी. होगी।

(2) इस बांध की डूब में आने वाली कुल भूमि 30,529 एकड़ है, जिसमें कृषि भूमि 20,425 एकड़ एवं वन सम्पदा 1,125 एकड़ और कृषि अयोग्य भूमि 8,979 एकड़, मकान 4,240 है। प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 30,000 है। प्रभावित होने वाले क्षेत्र, मकान आदि का विस्तृत विवरण तथा मूल्यांकन अभी प्रगति पर है। प्रभावित जनसंख्या को मुआवजा के लिए भूमि अवाप्ति कानून के अन्तर्गत अभी नोटिस नहीं दिये गये हैं। उनके पुनर्वास सम्बन्धित योजना भी अभी नहीं बनाई गई है। अतः सूची रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां, इस सम्बन्ध में हुए इकरारनामे की प्रति सलग्न है।

(4) जी हां, 1966 के समझौते के अनुसार डेम की लागत में पावर का हिस्सा हटा कर गुजरात व राजस्थान का हिस्सा 40:9 के अनुपात में होगा। सन् 1971-72 में गुजरात सरकार से कुल 56 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है।

(5) जी हां। 1966 के समझौते के अनुसार बजाज सागर पर विद्युत उत्पादन की योजना थी। बाद में कडाना डेम से डूब में जाने वाले क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुये व बिजली उत्पादन को कीमत को ध्यान में रखते हुये मंत्री मण्डल ने सन् 1969 में तय किया कि बजाज सागर बांध से बिजली उत्पादन का काम हटा लिया जाये। पर राजस्थान के इस निर्णय से गुजरात सरकार अभी तक सहमत नहीं है। कोशिश जारी है।

लेखाकार का मामला

735. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री ओंकार सरन, लेखाकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भरतपुर यूनिट) की वरिष्ठता, वेतन शृंखला एवं एकीकरण का मामला जो कि वर्तमान सरकार को, भूतपूर्व मत्स्य सरकार से पैन्डिंग विषय के रूप में मिला था वह सन् 1949 से अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन है?

(2) क्या यह भी सही है कि सम्बन्धित राज्य कर्मचारी के 23 वर्षों से लगातार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद, राज्य सरकार ने उसे किसी भी निर्णय से सूचित नहीं किया है?

(3) क्या यह भी सही है कि इस विषय में भूतपूर्व मत्स्य सरकार एवं वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा लिये गये निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया है? इस

Page No. 33

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सम्बन्ध में जो जो निर्णय समय समय पर लिये गये हैं उसकी प्रतिलिपियां सदन को मेज पर रखें।

(4) क्या राज्य सरकार का इतनी लम्बी अवधि बीत जाने के पश्चात अब इस विषय को निपटाने का इरादा है? अगर हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) यह सत्य नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) चूंकि मामले को बहुत लम्बे समय पहिले ही मत्स्य राज्य के समय ही निपटाया जा चुका है अतः अब निपटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भकरी बांध में दरार

736. श्री राम रघुनाथ (डेगाना) :

श्री जेठमल बरवड (परवतसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) नागौर जिले के भकरी बांध में क्या पिछले वर्ष दरार आ गई थी और गांव खेड़ी के बहने की सम्भावना पैदा हो गई थी?

(2) क्या यह सही है कि बांध की चादर को तोड़ कर पानी निकाला गया था? अगर हां, तो सरकार इस बांध के लिये क्या विचार कर रही है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बांध की चादर बनाते समय यह ध्यान में नहीं रखा गया था कि अतिवृष्टि से बांध भर जाने से जो पानी चादर पर से बहेगा उससे गांव को खतरा हो सकता है?

(4) यदि हां, तो गांव खेड़ी को बहने से बचाने के लिये सरकार क्या कर रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, कभी कभी अतिवृष्टि होने पर और बांधों को खतरा पैदा होने पर ऐसा किया जाता है। इस बांध के लिए सरकार को कोई अलग से खास विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) गांव को बचाने के लिए एक गाइड बन्ध पहले से ही बना हुआ है।

कानोता बांध

739. श्री मुंशीलाल महावर (बस्सी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि कानोता बांध का (ढूंढ नदी को रोक कर निर्माण करने के लिये) सर्वे हुआ है? यदि हां, तो इसके लिये कितनी राशि स्वीकृत हुई है?

(2) क्या राज्य सरकार इस बांध के निर्माण का इसी वर्ष कार्य चालू कराने का इरादा रखती है? क्या इस कार्य को

(श्री मुन्शीलाल)
क्षमता से जयपुर नगर निगम बन जाने के पश्चात् पेय जल व क्षेत्रीय सिंचाई साधनों में सहयोगी होगा ?

उत्तर

(1) जी हां, सर्वेक्षण करके तखमीना बनाया जा चुका है लेकिन अभी इसकी स्वीकृति नहीं हुई है। योजना की अनुमानित लागत लगभग 34–50 लाख रुपये है।

(2) (अ) जी नहीं।

(ब) इस योजना का तखमीना केवल सिंचाई के उद्देश्य से ही बनाया गया है।

नायब तहसील इन्द्रगढ़ के ग्रामों को बिजली

740. श्री गोपीलाल (पीपल्दा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नायब तहसील इन्द्रगढ़ के कितने ग्रामों को बिजली दे दी गई है और कितने ग्रामों को इस वर्ष बिजली देने का प्रावधान है ?

(2) ग्रामों में बिजली देने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या क्राईटेरिया निश्चित किया हुआ है ?

उत्तर

(1) नायब तहसील इन्द्रगढ़ के अधीन गांवों की सूची विद्युत् मण्डल में उपलब्ध नहीं है। इन्द्रगढ़, पीपल्दा तहसील, जिला कोटा के अन्तर्गत है। तहसील पीपल्दा के 5 गांवों को अब तक बिजली दी जा चुकी है। इस वर्ष में गांवों को बिजली देने की योजना अभी तैयार नहीं है।

(2) गांवों को बिजली देने के लिए मुख्य आधार प्रस्तावित गांव की विद्यमान उप–प्रसारण प्रणाली से निकटता, कृषि सम्बन्धी भार में समृद्धि/प्रचुरता व जिला कृषि उत्पादन समिति की सिफारिशें हैं। उपर्युक्त बातों का ध्यान रखते हुए गांवों का सर्वे किया जाकर स्कीम रिपोर्ट बनाई जाती है। यदि स्कीम आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद व तकनीकी दृष्टि से साध्य हो तो धनराशि की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए उसे विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत कर दिया जाता है।

पौंग डैम के विस्थापितों को मुआवजा

741. श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : क्या उपनिवेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पौंग डैम के विस्थापितों को उनकी जमीन का मुआवजा मिल चुका है ? यदि हां, तो मुआवजा किस दर से दिया गया है और इस निमित्त राज्य सरकार को कुल कितनी राशि देनी पड़ी है ?

(2) क्या मुआवजा देने के बाद भी पौंग डैम के विस्थापितों को राजस्थान नहर क्षेत्र में राज्य सरकार को रिजर्व कीमत पर जमीन देनी पड़ी है ?

(3) क्या यह सही है कि शुरू की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार पौंग डैम के विस्थापितों की जमीन व मकानों के लिए जो मुआवजा दिया जाना तय था उससे कई गुना अधिक मुआवजा दिया जा चुका है और दिनों दिन इस मुआवजे का अनु-

(श्री गोपाल जोशी)

मान बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) शुरू में मुआवजे का अनुमान कितना था और अब कितना हो गया ?

उत्तर

(1) प्राप्त सूचना के अनुसार भूमि अवाप्ति अधिकारी हिमाचल राज्य द्वारा कुछ एक क्षतिपूर्ति इनाम (Award of (Compensation)परन्तु इनके फलस्वरूप विस्थापितों को कितना मुआवजा मिल चुका है इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। व्यास प्रोजेक्ट के पास से मंगानी पड़ेगी।

हिमाचल राज्य द्वारा संशोधित दरें (1967) के आधार पर तैयार किये गये तखमीने के अनुसार मुआवजे के लिए भूमि की दर प्रति एकड़ 2374 रुपये से लेकर रु. 6857 तक अनुमानित की गई है।

उक्त दर के आधार पर कुल 45.63 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जिसमें से राजस्थान राज्य को 58.5 प्रतिशत के हिसाब से अपने हिस्से के अनुमानतः 26.69 करोड़ रुपये वहन करना होगा।

(2) मुआवजा देने के बाद भी पौंग डैम के विस्थापितों को राजस्थान नहर क्षेत्र में राज्य सरकार को रिजर्व कीमत पर जमीन देने का निश्चय मुख्य मन्त्रियों की बैठक में किया गया है। उनके निर्णयों के अनुसार ही राज्य सरकार जमीन देने की कार्यवाही करने के लिए बाध्य है।

(3) जी हां। मुआवजे की राशि संशोधित तखमीने के अनुसार 18.53 करोड़ से बढ़कर 45.63 करोड़ हो गई है। इस वृद्धि का मूल कारण हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय दी गई हिदायतों के अनुसार भूमि अवाप्ति की दरों में वृद्धि कर देना है।

(4) प्रारम्भ में मुआवजे की राशि 6.71 करोड़ रुपये प्रस्तावित थी। यह रकम 1966 में बढ़कर 18.53 करोड़ हुई और फिर संशोधित तखमीना 1967 में निर्धारित की गई दरों के अनुसार 45.63 हो गई।

भीलवाड़ा जिले की सड़कों पर होने वाला व्यय

742. श्री **भंवरलाल भदादा** (भीलवाड़ा) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चालू वर्ष में भीलवाड़ा जिले में ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र से जोड़ने के लिए सड़कों पर कितना व्यय होगा तथा उसके अन्तर्गत कौन कौन से गांव आयेंगे।

(2) उक्त जिले में बरसात के मौसम में पूर्ण रूप से पृथक हो जाने वाले कौन कौन से गांव हैं और उनको नगरीय क्षेत्र से जोड़ने का क्या कोई प्रावधान किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) सूची (अ) संलग्न है।

(2) ग्रामों की सूची (ब) संलग्न है। इसमें से कुछ गांव ऐसे हैं जो स्वीकृत

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
सड़कों के रूट पर पड़ते हैं, उनके लिये अलग प्रावधान करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

बरला तालाब से सिंचाई

743. **श्री रामचरण (अटरु)**: क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, अटरू में बरला तालाब से सिंचाई होती है? यदि हां, तो कितने बीघा की व किस-किस किसान के खेतों में इस तालाब के पानी का उपयोग होता है?

(2) क्या यह सही है कि इस तलाव से जो सिंचाई होती है वह पंचायत के अधीन है और पंचायत समिति ही इसकी वसूली करती है?

उत्तर

(1) जी, हां। अभी तक एक व्यक्ति के खेत में पानी का उपयोग हुआ है 1967-68 में श्री नन्दलाल पुत्र श्री मांगीलाल बरला ने 40 बीघा में सिंचाई की।

(2) जी, नहीं। यह तालाव पंचायत समिति के अधीन है और पंचायत समिति इसकी वसूली करती है।

सवाई माधोपुर तहसील की सड़कें

747. **श्री फारूकहसन** (सवाई माधोपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) सवाई माधोपुर तहसील में गत दस वर्षों से अब तक कितनी सड़कें योजना में और कितनी गैर योजना में ली गई हैं? और इन सड़कों से कितने गांव के लोगों को सुविधा मिली हैं तथा ये सड़कें कौन कौन सी थीं?

(2) तहसील सवाई माधोपुर में भविष्य में कब और कौनसी सड़कों का निर्माण होने जा रहा है?

उत्तर

(1) सड़क योजना तहसीलवार नहीं बनाई जाती है। तहसील सवाई माधोपुर में बनी अब तक की सड़कों की तथा गांवों की सूची (अ) संलग्न प्रस्तुत है।

(2) नवीन सड़कों के निर्माण की अभी कोई योजना नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

चित्तौड़गढ़ जिले में गाडोलिया लौहारों के लिये भूमि

760. **श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावतः** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कितने गाडोलिया लोहारों को बसाया गया?

(2) कितने गाडोलिया लोहारों को भूमि दी गई? कृपया नाम के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बसाये गये सभी लोहार खेती कर रहे हैं?

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

(4) इन व्यक्तियों को खेती का विकास करने के लिए राज्य सरकार क्या सहायता दे रही है ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में गाडोलिया लुहारों को बसाने के लिये गत वर्षों में कोई अनुदान मकान बनाने हेतु स्वीकृत नहीं किया। इस जिले में गाडोलिया लुहार के परिवारों को मकान सहायता हेतु जो अनुदान स्वीकृत किया गया उसका विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	परिवार	दर	कुल राशि
1956–57	31	350)	10850)
1957–58	3	350)	1050)
1657–58	पंचायत घर, पानी पीने के कुए एंव गांव का विकास हेतु	–	12000)
1958–59	अतिरिक्त सहायता 25 परिवार	200)	5000)

(2) गाडोलिया लुहारों के 25 परिवारों को मकान बनाने हेतु भूमि दी गई जिसकी सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। केवल 4 परिवारों को 60 बीघा भूमि आवंटित हुई वे भी खेती नहीं कर रहे हैं।

(4) राज्य सरकार ने 8600 रुपये का ऋण कुआ खुदवाने खाद्य, बीज गाड़ी व बैल क्रय करने हेतु 8 परिवारों को ऋण दिया गया।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

महात्मा गांधी. छात्रावास, जायल

284. **श्री रामसिंह कुडी :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में जायल तहसील मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी छात्रावास के वर्ष 1971–72 में कौन कौन छात्र किस किस कक्षा में पढ़ने वाले किस किस जाति के भर्ती हैं एवं वे किस किस पाठशाला में इस सत्र में किस किस तारीख से पढ़ रहे हैं ? किस किस छात्र ने इस सत्र में कब कब से पढ़ाई छोड़ी है ?

(2) जायल में महात्मा गांधी छात्रावास, किस भवन में चलता है एवं उसका क्या क्या किराया है ?

(3) क्या महात्मा गांधी छात्रावास, जायल में कोई व्यवस्थापक है ? यदि हां, तो उन्हें क्या मासिक वेतन मिलता है ? उनका नाम, वल्दियत, सकूनत व कौमियत व शैक्षणिक योग्यता का विवरण दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या महात्मा गांधी छात्रावास, जायल को राज्य सरकार से कोई अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो किस किस साल में कितना कितना रुपया किस किस प्रकार के व्यय हेतु ?

उत्तर

(1) महात्मा गांधी छात्रावास जायल में वर्ष 1970–71 में 20 छात्रों को प्रवेश दिया गया। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) यह छात्रावास खीचियों के महल नामक भवन में चलाया जा रहा है जिसका मासिक किराया 50|-रु. है।

(3) व्यवस्थापक के पद पर श्री पुखराज पुत्र श्री गोरधनराम जाति मेघवाल उम्र 22 वर्ष निवासी मेघवाल का वास जायल दिनांक 4-7-71 से कार्य कर रहे हैं जिनको 60|-रु. प्रति माह वेतन दिया जाता है तथा इनकी योग्यता मैट्रिक है। सूची संलग्न है (परिशिष्ट 'स')।

(4) वर्ष 1964-65 से 71-72 तक का विवरण विभाग द्वारा स्वीकृत अनुदान का ब्यौरा एवं खर्च का विवरण परिशिष्ठ 'व' पर है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार

285. **श्री महेन्द्र कुमार** (पाड़वा):- क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने के बारे में भारत सरकार द्वारा निर्देश दिये गये हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं और राज्य में दूसरे प्रान्तों के व्यक्ति अवसर पा रहे हैं व स्थानीय व्यक्ति बेरोजगार हैं ? यदि नहीं, तो राज्य में बड़े-बड़े उद्योगों व प्रोजेक्ट्स में इस श्रेणी के कितने-कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनमें कितने स्थानीय, व्यक्ति हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। सरकार स्थानीय व्यक्तियों के हितों के लिये क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार को भारत सरकार के ऐसे कोई निर्देश नहीं मिले हैं।

(2) जी नहीं। जिन व्यक्तियों ने यहां पंजीकरण करा रखा है उनमें नाम नियोजन कार्यालय के द्वारा आने पर कार्यवाही की जाती है।

इसका सम्बन्ध उद्योग विभाग से है।

सरकार इस दिशा में जागरुक है।

बीकानेर जिले में बेरोजगारों की संख्या

286. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) बीकानेर जिले में पिछले पांच वर्षों में बेरोजगारों की संख्या कितनी बढ़ी है ?

(2) इन पांच वर्षों में इस जिले के कितने बेरोजगारों को काम दिलाया जा चुका है और कितने बेरोजगार अभी तक पंजीकृत हैं ?

(3) पंजीकृत बेरोजगारों में कितने इन्जीनियरिंग एवं चिकित्सा क्षेत्र के हैं ?

(4) इनमें से कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जायगा ?

उत्तर

(1) पिछले पांच साल में यान 31-12-66 से 31-12-71 की अवधि में बीकानेर नियोजन कार्यालय में रोजगार सहायता के लिये उपलब्ध आशार्थियों की संख्या में 3975 की वृद्धि हुई है।

(2) इन पांच वर्षों में नियोजन कार्यालय बीकानेर द्वारा 4362 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया।

6923 बेरोजगार 31-12-71 को पंजीकृत थे।

(3) इंजीनियर 12

एम. बी. बी. एस. 16

बी. वी. एस. सी. (पशु चिकित्सक) 2

(4) इसका सम्बन्ध आयोजना विभाग से है।

दांता के सरपंच को ऋण

287. **श्री गोरधन सिंह** (सीकर):- क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सरपंच दांता को कई तरह के लोन व अनुदान दिये गये हैं ? अगर हां, तो कितना लोन कब कब दिया गया है ? क्या जिस कार्य हेतु लोन व अनुदान दिया गया वह कार्य हो चुका ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां। जो अनुदान व ऋण दिया गया है उसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। सदन की मेज पर रखी गई सूचना में यह भी उल्लेख कर दिया गया है कि कौन सा कार्य हो चुका है व कौन सा कार्य अधूरा है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बम्बई की कम्पनी को दवाओं का आर्डर

288. **श्री मोहनलाल छंगानी** (फलोदी): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स ओपिल बम्बई को संचालक, चिकित्सा विभाग, जयपुर ने दवाइयां सप्लाई करने का कोई आर्डर सन् 1971 में दिया था ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(2) क्या यह सही है कि संचालक चिकित्सा विभाग, जयपुर द्वारा कुछ समय बाद आर्डर कैन्सिल कर दिया गया ? यदि हां, तो आर्डर कैन्सिल किस आधार पर किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी, नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम सारसर में कुओं पर बिजली

289. **श्री रावत राम** (छापर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सारसर तहसील सरदार शहर जिला चूरू के निवासी मालूराम पुत्र सागरराम माली तथा गोमाराम पुत्र देवाराम ने सिचाई के

(श्री रावतराम)
कुओं पर कनेक्शन लेने के लिये सम्बन्धित विभाग को दरख्वास्त दी थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त किसानों के कुओं पर बिजली के कनेक्शन मिल गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री मालूराम दिनांक 20–5–69 को व श्री गोमाराम ने दिनांक 31–5–69 को प्रार्थना-पत्र दिए थे।

(2) जी नहीं। इन दोनों कृषकों को 25–9–69 की डिमाण्ड नोटिस जारी किये गये थे जिसकी राशि जमा नहीं हुई। अतः यह प्रार्थना पत्र कैंसिल कर दिए गए जिसकी सूचना उनको दिनांक 20–11–69 को दे दी गई थी।

नागौर जिले की सडकों की मरम्मत के लिये धन-राशि

290. **श्री रामरघुनाथ** (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नागौर जिले की सड़कों की मरम्मत हेतु प्रति वर्ष कितनी धन राशि मिलती है ? पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत की गई ? राशि के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में 1971–72 में किस सड़क की मरम्मत पर कितनी धनराशि व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सडकों की मरम्मत के लिये स्वीकृत धनराशि सिर्फ सड़कों की मरम्मत के कार्य में ही लगी अथवा मेट व गैंगमैन की तनख्वाह में भी ? अगर दोनों के लिये, तो अलग अलग ब्यौरा दें।

(4) नागौर जिले में इस कार्य के लिये कितने ओवरसियर हैं तथा कहां कहां उनके कार्यालय हैं ? हर ओवरसियर के पास कितने कितने गैंगमैन हैं ? कृपया मेटों की वार्षिक तनख्वाह, भत्ता व गैंगमैन का वार्षिक तनख्वाह भत्ता का ब्यौरा दें।

(5) क्या मरम्मत की धनराशि से कोई ग्रेवल, मेटल या डामर की कोई नई सड़क बनाई गई ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में नागौर जिले की सड़कों की मरम्मत हेतु निम्न प्रकार धनराशि स्वीकृत की गई।

वर्ष	स्वीकृत धनराशि
1969–70	13,00,000
1970–71	14,00,000
1971–72	9,60,000

(2) सूची (ब) संलग्न है।

(3) वर्ष 1971–72 में स्वीकृत धनराशि में से सड़कों की मरम्मत मेट व गैंगमैन मिस्त्री आदि के वेतन पर क्रमशः 4,98,453/– तथा 57,347/– व्यय हुआ है।

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

(4) वांछित सूचना सूची (अ) में अंकित कर दी गई है।

(5) जी नहीं। केवल सड़कों की मरम्मत की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

बेरोजगार डाक्टर

291. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

राज्य में कितने डाक्टर बेरोजगार हैं और उनके रोजगार के लिये सरकार क्या कर रही है?

उत्तर

राज्य में अभी तक 625 बेरोजगार डाक्टरों ने सी0 ए0 एस0 के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है। राज्य सरकार ने बेरोजगार डाक्टरों को प्राईवेट प्रेक्टिस करने के लिये रुपये 250) प्रतिमाह स्टाईपेण्ड तथा रु0 5000) का ऋण साज समान के लिए स्वीकृत किया है केवल 80 डाक्टरों को इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृति दी जा चुकी है शेष डाक्टरों ने अभी तक इस सुविधा का लाभ उठाने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं।

रानीवाडा—सांचोर एवं सांचोर—मवातड़ा चलने वाली बसें

292. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाडा सांचोर एवं सांचोर मवातड़ा चलने वाली यात्री बसें अभी तक ग्राम गलीफा एवं ग्राम गुंदाऊ तक नहीं चलाई जा रही हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम गलीफा एवं गुंदाऊ की जनता बसें चलाने के लिये काफी अर्से से मांग कर रही हैं? अगर हां, तो अब तक उपरोक्त ग्रामों तक बसें चलाना क्यों नहीं शुरू किया गया है?

(3) क्या यह भी सत्य है कि बस परमिट्स में ग्राम गलीफा एवं ग्राम गुंदाऊ अभी तक नहीं जोड़े गये हैं? अगर हां, तो जनता की सुविधा हेतु उपरोक्त ग्राम बस परमिटों में कब तक जोड़ दिये जावेंगे? निश्चित अवधि बताने का कष्ट करें। क्या यह भी सत्य है कि ग्राम गलीफा की सरहद में होकर बसें जाती हैं परन्तु अभी तक बस स्टैण्ड कायम नहीं किया गया है? अगर हां, तो क्यों? अब ग्राम गलीफा में बस स्टैण्ड कब तक कायम कर दिया जावेगा?

(4) क्या यह भी सही है कि भीनमाल-झाब बस सर्विसों के परमिट झाब से आगे ग्राम सेवाडा तक बढ़ा दिये गये हैं अगर हां, तो कब से?

(5) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त बसें वास्तव में झाब से आगे ग्राम सेवाडा तक अभी तक नहीं चलाई जा रही है अगर हां, तो क्यों? और बस मालिकों के विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी और झाब से सेवाडा तक बस सर्विस कब तक चालू करवादी जावेगी?

(यातायात मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्रश्न आर0टी0ए0 के समक्ष शीघ्र ही विचारार्थ रखा जायेगा।

(3) इस विषय में रिपोर्ट शीघ्र भेजने हेतु स्मरण पत्र निरीक्षक जालोर को दिनांक 4–5–72 को दिया गया है और उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचारार्थ आगामी मीटिंग में रखा जायेगा। प्रादेशिक परिवहन अधिकरण, जोधपुर के निर्णय के बाद ही यह बस स्टेन्ड कायम हो सकेगा।

(4) पूर्व में 30-6-71 तक परीक्षण के तौर पर आर. टी. ए. द्वारा मौजूदा वाहनों के परमिट अस्थाई तौर पर भाब से सेवाड़ा बढ़ाये गये थे ? परन्तु बस चालकों द्वारा वृद्धिकरण स्वीकार नहीं किया। अतः प्रादेशिक परिवहन अधिकरण जोधपुर द्वारा वृद्धिकरण नहीं किया गया व निश्चय किया कि मौजूदा ओपरेटर जो मोनमा-भाब रूट के परमिट होल्डर हैं उन्हें अलग नया रूट भीनमाल से सेवाडा पर स्कोप निर्धारित करने की कार्यवाही की जाये और रूट की हालत वगैरह की जांच की जायं। इस प्रकार नया स्कोप नये रूट भीनमाल से सिवाडा पर कायम किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही को जा रही है। और निरीक्षक जालोर की सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर आर. टी. ए. के समक्ष स्कोप हेतु मामला आगामी बैठक में रखा जायेगा और उसके पश्चात् स्कोप फिक्स कर नये परमिट दिये जाने की कार्यवाही की जायेगी। उसके पश्चात् ही सिवाड़ा तक बसें उपलब्ध की जा सकेंगी।

(5) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न सं. 4 के उत्तर के अनुसार ही है।

सीकर जिले के औषधालयों को दवाइयों के लिये राशि

293. **श्री गोरधन सिंह** (सीकर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सीकर जिले के समस्त आयुर्वेद औषधालयों को वित्तीय वर्ष 1971-72 में निर्धारित बजट के अनुसार दवाइयों की राशि सरकार द्वारा दे दी गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) किन किन औषधालयों को गत वित्तीय वर्ष 1971-72 में दवाइयों हेतु बजट के मुताबिक राशि का कम भुगतान हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) औषधालय के बजट को ध्यान में रखते हुये वैद्य इन्चार्ज की मांग अनुसार सीकर जिले के औषधालयों को औषध सप्लाई की गई।

(2) जिन जिन औषधालयों को बजट से कम औषध सप्लाई हुई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। औषध कम सप्लाई करने का कारण गांव की जनसंख्या कम होने से वैद्य इन्चार्ज द्वारा औषध की मांग कम करना था।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

गंगानगर-रायसिंहनगर सड़क

294. **श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगानगर—रायसिंह नगर सड़क जो पदमपुर होकर जाती है, 23 मील से 24 मील के दरमियान कम चौडी होने के कारण किसानों को मन्डी में माल लाने में असुविधा होती है ?

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त सड़क चौडी करने के टेण्डर मन्जूर हो चुके हैं ?

(ग) ये टेण्डर कब मन्जूर हुए ? किस ठेकेदार ने ठेका लिया कितनी पेशगी दी जा चुकी है और आज तक सड़क न बनाए जाने के क्या कारण हैं और यह कब तक बनाई जाएगी ?

उत्तर

(क) सड़क की चौड़ाई 10 फीट है सड़क के दोनों ओर दुकानें वर्कशाप पेट्रोल पम्प आदि से यातायात को कठिनाई होती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत विभाग द्वारा पत्र, पत्रिकाओं तथा स्मारिकाओं को विज्ञापन

295. **श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली):** क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1971-72 व 1972-73 में पत्र-पत्रिका, स्मारिका आदि कार्यों के लिये कितना कितना और कब कब एवं किस किस मूल्य का विज्ञापन किन किन को दिया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) यह विज्ञापन किस किस पत्र, पत्रिका एवं स्मारिका आदि में किन किन तारीखों पर प्रकाशित हुए हैं ?

(3) इन विज्ञापनों के लिये कब और कितना कितना किस किस को भुगतान किया गया है ? और कितना कितना शेष है ?

(4) उपरोक्त विज्ञापनों के सम्बन्ध में उक्त पत्र-पत्रिका व स्मारिका के व्यवस्थापकों व अन्य सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा किस किस को व कब कब आवेदन-पत्र दिए गये थे और उन पर किस अधिकारी और मंत्री द्वारा कितने कितने रुपयों का विज्ञापन देने का निर्देश एवं आदेश दिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि विज्ञापन का भुगतान करने से पूर्व न तो कोई पत्र-पत्रिका एवं स्मारिकाओं का प्रकाशन ही हुआ और ना ही ऐसे विज्ञापन सहित, प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं एवं स्मारिकाओं की प्रतियां विभागों के पास पहुँची ? यदि हां, तो इस प्रकार का भुगतान किन किन को और कब कब किया और किन अधिकारों के अन्तर्गत ?

(स्थगित किया गया)

म्यूटेशन के मामले

296. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा-महल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालोर जिले की किस किस तहसील में कितने कितने म्यूटेशन के मामले 1 जनवरी, 1970 से आज तक विचाराधीन हैं और उन्हें स्वीकार न करने के क्या क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि म्यूटेशन भरते वक्त उत्तराधिकारी के प्रश्न पर तहसीलदार बिना उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र हासिल किये स्वयं उत्तराधिकारी के प्रश्न को तय कर देते हैं ? यदि हां, तो क्या यह नियमों के विरुद्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के गैर कानूनी म्यूटेशन भरने की प्रणाली को बन्द करने के लिये प्रयत्न कर रही है ?

उत्तर

(1) जालोर जिले में विचाराधीन म्यूटेशन मामलों का ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

यह मामले पंचायतों द्वारा तय करने हैं कि जिनमें विलम्ब हुआ है।

(2) जी हां, उत्तराधिकारी का प्रश्न म्यूटेशन द्वारा लैन्ड रिकार्ड्स रूल्स, 1957 के तहत फैसला किया जाता है नियमों के अन्तर्गत उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना जरूरी नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

टोंक तहसील में ज्यादा पिवत की वसूली

397. **श्री अजीतसिंह** (टोंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील टोंक में ज्यादा पिवत वसूली होती है ? यदि हां, तो 971 और 1972 में कितना रुपया वसूल हुआ ?

उत्तर

जी नहीं।

नहरों से सिंचित भूमि

298. **श्री गुरदयाल सिंह संधु** (करण-पुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में नहरों से कितनी भूमि की सिंचाई होती है ? पिछले पांच सालों में रबी व खरीफ में अलग अलग कितनी फसल बोई गई, कितनी पुख्ता हुई और फसलवार क्या क्या सिंचाई की दर वसूल की गई ये आंकड़े नहरवार देने की कृपा करें।

उत्तर

सूची संलग्न है

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

ग्राम रायसिस का बांध

299. **श्री नत्थासिंह** (नदबई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम रायसिस, तहसील नदबई में स्थित बांध को ऊंचा करने व बढ़ाने के लिये कोई एस्टीमेट बनाया गया है

(श्री नत्थासिंह)

(2) अगर कोई एस्टीमेट स्वीकार हुआ है, तो काम कब तक प्रारम्भ किया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) एस्टीमेट अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। ऐस्टीमेट की स्वीकृति एवं आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर इस काम को कराया जा सकेगा।

ग्राम दुगारी का तालाब

300. **श्री रमेशचन्द्र** (हिन्डोली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की नैनवा तहसील के ग्राम दुगारी में बना स्टेट के समय का तालाब सिंचाई के उपयोग के लिये राजस्थान सरकार को मिल चुका है?

(2) यदि हां, तो इसका सर्वे कब हुआ था तथा उस पर कितनी पूंजी खर्च करने का प्रावधान है और इससे कितनी भूमि सिंचित होगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस तालाब के जीर्णोद्धार के लिए सर्वे 1970-71 में कराई गई है और जीर्णोद्धार के लिये तखमीना 6.05 लाख रु. का बनाया गया है। इस तालाब से औसतन वार्षिक सिंचाई 385 एकड़ होगी।

गंगानगर में नहरों के साथ ट्यूब वैल

301. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर के गंग नहर क्षेत्र में नहरों के साथ साथ किसानों द्वारा जो ट्यूबवैल लगाये जा रहे थे उन्हें भविष्य में लगाये जाने की आज्ञा नहीं दिये जाने का क्या कारण है?

(2) क्या यह सही है कि ट्यूब वैल लगाने से किसानों की उपज में जो बढ़ोतरी होने की आशा थी उसमें कमी आई है?

(3) क्या सरकार इस पर दुबारा विचार करके किसानों को नहरों के साथ साथ ट्यूब वैल लगाने की आज्ञा देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गंग नहर क्षेत्र में नहरों के साथ की सरकारी जमीन में किसान ट्यूब वेल लगाते थे। यह सरकारी जमीन नहरों की मरम्मत के लिये जरूरत की मिट्टी के लेने, सर्विस रोड बनाने व नहरी पेड लगाने के लिये रखी जाती है उसमें ट्यूब वैलों को पक्का (Permanent structure) होना ठीक नहीं है किसान ऐसी जमीनों को एक सालाना लीज पर लेते थे जो अवधि (Permanent structure) के लिये बहुत कम है कुछ किसान ऐसे ट्यूब वैलों का पानी नहरों में डालकर कुछ मीलों बाद अपने डिस्टीब्यूटरी व माईनर के लोगों से

(सिंचाई मंत्री)

लेते हैं जिसमें पानी का हिसाब ठीक नहीं रहता व पानी की चोरी होने का अंदेशा रहता है।

यह भी सही है कि नहरों के साथ साथ लगने वाले ट्यूब वेल नहरों का ही पानी खींचते हैं न कि भूतल जल को। नहर के साथ की सरकारी जमीन में न लगा कर अपने खुद की जमीन में कोई किसान ट्यूब-वेल लगावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) नहरों के साथ की सरकारी जमीन में ट्यूब वेल लगाने देने का कोई विचार नहीं है।

टोडाभीम एवं नादौती तहसीलों के ग्राम में भूमि का आवंटन

302. **श्री चेतराम (टोडाभीम) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) टोडाभीम, नादौती तहसीलों (जिला सवाई माधोपुर) में गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी भूमि भूमिहीनों को वितरण करने की योजना है ?

(2) इस योजना के अन्तर्गत कितनी भूमि का आवण्टन किया जा चुका है, तथा शेष भूमि कब तक आवन्टित की जावेगी ?

(3) आवंन्टित भूमि में से कितनी भूमि पर कब्जा नहीं दिया जा चुका और जिस पर कब्जा नहीं दिया गया है, उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिहीनों को भूमि वितरण की कोई योजना नहीं है। अलबत्ता भूमिहीनों को भूमि साधारण आवंटन नियमों के अन्तर्गत आवन्टन की जाती है।

(2) साधारण आवण्टन नियमों के अन्तर्गत जो भूमि आवण्टन की गई है, उसका विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(3) सभी आवंटितियों को कब्जा दिया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

प्रतापसागर बान्ध

303. **श्री रामरघुनाथ (डेगाना) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले के अन्तर्गत हरसोर ग्राम के पास क्या प्रताप सागर नाम का बांध बनाया गया था ? अगर हां, तो कब बना ? तथा इस पर कितनी लागत लगी ?

(2) इस बांध से कुल कितनी एकड़ जमीन सिंचित होने की क्षमता है ?

(3) अब तक प्रति वर्ष कितनी एकड़ जमीन सिंचित होती रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह एक पुराना तालाब है। इसके जीर्णोद्धार पर सन् 1969-70

(सिंचाई मंत्री)

और 1,970–71 में अकाल राहत कार्य-क्रम के अन्तर्गत 1,90,359/–रु0 खर्च किये गये।

(2) 68 हैक्टर।

(3) इस बांध से अभी तक कोई सिंचाई नहीं हुई है क्योंकि नहरों का काम पूरा नहीं हुआ है।

बैराठ तहसील के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थान

304. **श्री मालीराम** (नीम का थाना): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या बैराठ तहसील में ऐतिहासिक पाण्डव स्थान, भीमसेन के स्थान के मन्दिर तथा अन्य पुराने अवशेषों आदि के विकास हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या बैराठ तहसील में मेड़ पंचायत में स्थित ऐतिहासिक बाणगंगा एवं मन्दिर के विकास एवं संरक्षण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या?

(3) क्या बैराठ तहसील के शाहपुरा के नजदीक त्रिवेणी स्थान में शाहपुरा के विकास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या?

(4) कौन कौन से ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों को पंजीकृत कर विभाग द्वारा क्रमशः नीम का थाना, कोटपूतली एवं बैराठ तहसीलों में किया गया है? एवं अब तक उनके संरक्षण के लिये सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

(1) इस विभाग में इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है।

(2) इस विभाग में इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है।

(3) इस विभाग में इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं है।

(4) नीमकाथाना कोटपुतली एवं बैराठ तहसील में से केवल मन्दिर श्री नृसिंह जी महाराज नीमकाथाना जिला सीकर का पंजीकरण किया गया है। तहसील बैराठ एवं कोटपुतली में किसी भी संस्था का पंजीकरण नहीं हुआ है। मन्दिर श्री नृसिंह जी महाराज की देखरेख राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, सदस्य विधान सभा ने अलवर शहर में केडलगंज व्यापार समिति और स्थानीय ट्रक एसोसियेशन के परस्पर विरोध से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय पर राज्य

(श्री अध्यक्ष)
सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान पटवार संघ द्वारा आगामी 1 जून, 1972 से सरकारी वसूली की रकम को हाथ न लगाने के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थान प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रस्ताव पूर्व आशा में प्रस्तुत किया गया है, अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने प्री-मैडिकल टेस्ट के लिये 36 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत अंक निर्धारित करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में रखी गई शर्त को निरस्त कर दिया है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री केसरीमल, सदस्य विधान सभा ने सवाई मानसिंह अस्पताल में दिनांक 16 मई, 1972 को इमरजेन्सी वार्ड में एक बच्चे की मृत्यु के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

मंत्री द्वारा वक्तव्यः जो आज मंत्री जो द्वारा वक्तव्य दिया जाने वाला था, वह आज न दिया जाकर 27 तारीख को दिया जायगा।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र

श्री हरिदेव जोशी (सार्वजनिक निर्माण-मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग के अठारहवें वार्षिक प्रतिवेदन (1-4-67 से 31-3-68) को, आयोग के परामर्श की अस्वीकृति से संबंधित कारणों को व्यवस्था के ज्ञापन सहित . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा आधे घन्टे की चर्चा का प्रस्ताव आज के लिए रखा था।

अध्यक्ष : यह नहीं होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने लिखित में भेजा है कि 24 तारीख को लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : वह चेम्बर में होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: लिखित में आपने दिया है। अलग से चेम्बर की कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यहां नहीं होगा।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग के अठारहवें वार्षिक प्रतिवेदन (1-4-67 से 31-3-68) को, आयोग के परामर्श की अस्वीकृति से संबंधित कारणों की व्याख्या के ज्ञापन सहित, सदन की मेज पर रखता हूं।

पुरः स्थापित होने वाले विधेयक राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1972

श्री अध्यक्ष: विधेयक का पुरःस्थापन।

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरीय संपत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1972, को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री परसराम मदेरणा: मैं राजस्थान नगरीय सम्पत्ति (अधिकतम सीमा) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

शासकीय संकल्प

वन्य प्राणियों और पक्षियों की रक्षार्थ संसद द्वारा विधि विनियमन सम्बन्धी

श्री परसराम मदेरणा (वन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। मैं सदन की सलाह चाहता हूं कि आज तीन विषय हैं। एक तो यह प्रस्ताव है, दूसरा है रैटीफिकेशन आफ अमेंडमेंट्स टू दी कान्सटीट्यूशन, तीसरा है यूनिवर्सिटीज बिल्स। इन तीनों में समय विभाजन करना है। आपकी राय क्या है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): चलने दीजिये। समय अधिक नहीं लगेगा, जैसे जैसे एक एक समाप्त होता जाए, उसके अनुसार चलने दिया जाए। जो क्रम आपने रखा है, ठीक है।

श्री अध्यक्ष: निश्चित नहीं करें ? समय के लिए क्या राय है, सदन की ?

श्री लक्ष्मणसिंह: ये तीनों विषय आज समाप्त हो जायेंगे। पहले एक विषय को देख लिया जाए। अगर विशेष समय लगता है तो आप फिर समय निर्धारण कर लें आपका निर्णय सर्वमान्य होगा।

श्री परसराम मदेरणा: यतः यह विधान सभा वन्य प्राणियों और पक्षियों की रक्षा के लिए तथा उससे संसक्त या अनुषंगिक और प्रासंगिक सब मामलों के लिये भारत भर में एकरूप विधि होना वांछनीय समझती है,

और यतः उक्त विधि की विषय वस्तु मुख्यतः भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 20 (वन्य प्राणियों और पक्षियों की रक्षा) से संबंधित है,

और यतः संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में उपबंधित रीति के अतिरिक्त संसद को पूर्वोक्त मामलों के बारे में विधियां बनाने की शक्ति नहीं है,

और यतः इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि राजस्थान

(श्री परसराम मदेरणा)
राज्य में पूर्वोक्त मामले संसद से विधि द्वारा, विनियमित किए जाने चाहिये,

(12.5.म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में यह विधान सभा एतद्द्वारा संकल्प करती है कि वन्य प्राणियों और पक्षियों की रक्षा तथा उससे संसक्त या अनुषंगी और प्रासंगिक सब मामले राजस्थान राज्य में संसद से विधि द्वारा विनियमित किए जावें चाहिये।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं। यह सत्य है कि वन्य जन्तु और वन्य पक्षियों की संख्या सारे विश्व में निरन्तर कम होती जा रही है। खास तौर से एशिया में यह प्रक्रिया विशेष दृष्टिगोचर हो रही है। क्या इंडोचीन, क्या बर्मा, क्या सीलोन, अफगानिस्तान, ईरान, रश्या, चेना सब जगह वन्य जन्तुओं की संख्या कम हुई है। इसके साथ साथ भारतवर्ष में भी बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए वन्य जन्तुओं की संख्या कम होना आश्चर्यजनक नहीं है। किन्तु मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बहस का सारांश भी भारत सरकार को पहुंचाने का कष्ट करें। जहां तक इस महत्वपूर्ण विषय का सम्बन्ध राजस्थान से है, मैं समझता हूं राजस्थान में वन्य जन्तुओं की क्षति अपार हुई है। सरकार अगर इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहती तो बहुत कुछ कर सकती। राजस्थान के वन्य जन्तु पूर्वी भाग में कुछ और हैं और पश्चिमी भाग में कुछ और हैं। पूर्वी भाग के वन्य जन्तुओं के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि सांबर, चीतल, शेर, टाइगर, पैंथर और चौसिंगा, इनको प्रोटेक्शन देना परमावश्यक है। चीतल जैसा जानवर सारे विश्व के अन्दर नहीं होगा। जितना सुन्दर जानवर स्टेंग स्पेसिज में सारे विश्व के अन्दर अद्वितीय यह एन्टीलोप है, चौसिंगा, वैसा कहीं नहीं होगा। विश्व में किसी भी एन्टेलोप को 4 सींग हों, ऐसा कहीं भी नहीं सुना। फोर हार्न्ड एनटेलोप जिसको दक्षिणी राजस्थान में बूटार उत्तरी राजस्थान में भेंटारी कहते हैं। एक छोटा सा जानवर हार्मलेस जानवर है, किसी का वह नुकसान नहीं करता लेकिन उसका मांस स्वादिष्ट होने से लोग उसके पीछे पड़कर उसे मारते हैं। उसके सींग बड़ी कीमत पर चोरी के जरिए विदेशों में जाते हैं। उसे संरक्षण देना सरकार का परम कर्तव्य मैं समझता हूं। सिरसिका सेंक्चूएरी में यह जानवर पाया जाता है, कोटा और बूंदी जिलों में यह जानवर है और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में भी है। यह तो मैं नहीं कह सकता कि इसके लिए सेंक्चूएरी कहां निर्धारित की जाए, यह तो सरकार का काम है। लेकिन मैं यह निवेदन करना परमावश्यक समझता हूं कि सरकार कहीं भी सेंक्चूएरी निर्धारित करे, सरकार की अभी तक नीति खामी से भरपूर रही है और वह यह कि सेंक्चूएरी के अन्दर आप आबादी भी रखते हैं, वहां पर चराई भी करते हैं तो ये चीजें समानान्तर रूप से नहीं रह सकतीं। इससे अव्यवस्था होती है, कन्फ्यूजन बढ़े

(श्री लक्ष्मणसिंह)

कन्फाऊंडेड होता है और आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। मैं सरकार को पुरजोर से निवेदन करूंगा कि सभी बातों को एक साथ नहीं मिलावें। इससे। आपको आपत्ति होगी और जैसा कि हमारे यहां कहावत है कि एक साधे सब सधे; सब साधे सब जाय। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अब आप क्वांन्टिटी पर न जायं बल्कि क्वालिटी पर ही जायं। चूंकि अब वो आज से बीस वर्षों पहले वाली बात नहीं है अब तो इनमें सिर्फ क्वालिटी ही रह गयी है। अब आपको इन सैन्च्यूरीज में सिर्फ क्वालिटी ही मिलेगी। जो हमारे यहां हजारों की तादाद में जानवर थे उन्हें मार दिया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब आप इनको प्रोटेक्शन दीजिये। दूसरे हमारी सरकार के पास इतनी स्पेस भी नहीं है, इतना क्षेत्र भी नहीं है कि जिस प्रकार रूस से साईबेरिया में पांच हजार स्क्वायर मील के अन्दर नेशनल पार्क इन वन्य पशुओं के लिये बनाये हुये हैं, एक बहुत बड़ी सैन्क्यूरी कायम की हुई है। इसी प्रकार नैरोबी में नेशनल पार्क वहां की गवर्नमेन्ट द्वारा कायम किये हुए हैं आज अफ्रीकी देशों में, यूगान्डा में बहुत बड़ी सैन्क्यूरीज इन वन्य पशुओं के लिये बनायी हुई है। इसी प्रकार आज तन्जानिया में भी वाइल्ड लाइफ सैन्च्यूरीज बनी हुई हैं। लेकिन हमारे यहां पर न तो इतनी जमीन है और न अब इतने जानवर ही रह गये हैं। लेकिन इसके लिये मैं कहूंगा कि जहां जहां भी अब हमारे यहां पर शेर या चीतल या साम्भर हैं उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्त्तव्य है। और उस क्षेत्र में चारों ओर दिवार बनादी जाय। लेकिन अगर आप आबादी के बीच में सेन्क्यूरीज कायम करना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन कर दूं यह आपका स्वप्न साकार होने वाला नहीं है और इस प्रकार आप आबादी के बीच में सैन्क्यूरीज कायम करके अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। और आज जो हमारे यहां पर जनतन्त्र पर आधारित सरकार है और आप तरह तरह से जबर्दस्ती जनता का लाखों रुपया बरबाद कर रहे हैं। तो इसके लिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि इन्हें प्रोटेक्ट करे। इस वाइल्ड लाईफ को प्रिजर्व किया जाय। राज्य सरकार को चाहिये कि इसके लिये खास जगहें कायम की जायं। ऐसे निर्णय लिये जाने चाहिये। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने इन बातों पर विचार नहीं किया जिससे आज राजस्थान की वाइल्ड लाइफ खतम होने जा रही है। आज राजस्थान में आपने जयसमन्द में सैन्क्यूरी कायम की वहां पर ऐसी स्थिति है कि बाड ही खेत खा रही है। आज वहां पर जो जंगल में जो चीतल, साम्भर वगैरह जानवर थे उन्हें वहां के मैं नाम तो नहीं लेना चाहता कि कौन कौन थे जो सरकारी अधिकारी थे उन्होंने शिकार कर के मार डाला। इसके अलावा वहां के जो सरकारी अधिकारी थे उन्होंने जीपों में शिकार किये हुए जानवर को डालकर उदयपुर के बाजारों में उनकी खालों को बेच दिया। इस तरह से जो हमारे यहां की वाइल्ड लाइफ थी और जो चीतल और साम्भर थे, जो कि बहुत ही अद्वितीय थी

(श्री लक्ष्मणसिंह)

उनकी नस्ल को खतम किया जा रहा है। आज वहां पर ऐसी स्थिति है कि उस सैन्क्चूरी में पूरा स्टाफ नहीं है और न ही पूरी मशीनरी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिये। तो अगर इस प्रकार से आप वन्य पशुओं को संरक्षण देने की बात कहते हैं और जो आप अपनी योजनायें बताते हैं अगर उनका इसी तरह संचालन होता रहा तो मैं समझता हूं कि आप अपनी इन योजनाओं में सफल नहीं हो सकेंगे और आप अवश्य ही असफल होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज जो भारत सरकार इस सम्बन्ध में नीति अपना रही है उसकी सराहना करता हूं। जो प्रोत्साहन भारत सरकार इन वन्य पशुओं को संरक्षण देने की नीति अपना रही है उसकी मैं कद्र करता हूं। इसके लिये मैं अपने भारत के दो प्रधान मन्त्रियों की प्रसशंसा किये बिना नहीं रहूंगा। पहले तो स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू व दूसरे हमारे वर्तमान भारतवर्ष की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्द्रा गांधी इन दोनों ही प्रधान मन्त्रियों ने जो प्रयास किये हैं वह प्रशंसनीय हैं। उन्होंने कहा है कि वन्य पशुओं को संरक्षण दिया जाय। राजस्थान में इस सम्बन्ध में आज तक कुछ नहीं किया जा सका। आज राजस्थान में आपने सिरस्का गेम्स सेन्क्चूरी बनायी वह आबादी के बीच में है और लोगों को आना जाना तथा मवेशियों को चराना भी उस क्षेत्र में रहता है। यह मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि आबादो के अन्दर गैम्स सेन्क्चूरी रखना आपत्तिजनक है। इसके लिये राज्य सरकार को चाहिये सिरस्का में सीमा का निर्धारण होना चाहिये। इसके बारे में राज्य सरकार को अच्छी तरह से विचार करना चाहिये और आज इसके डीलिमिटेशन की जरूरत है। आपको चाहिये कि उसके चारदिवारी बनायी जाय ताकि वहां पर जो साम्भर या चीतल और इसमें शेर भी हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके। आज जो आपने उसे आबादी के बीच में सेन्क्चूरी बना रखी है उसमें चेन्जेज किया जाना चाहिए। वहां पर जो चीतल और दूसरे जानवर हैं वे रेअर स्पेशीज हैं। इसके लिये मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि जय समन्द और सिरस्का में जहां पर कि साम्भर, चीतल और शेर भी हैं उनके बारे में आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अब सीलिंग लागू हो रही है और उससे सभी पर असर पड़ेगा, मेरे ऊपर भी पड़ेगा। मुझे इसका खेद नहीं है लेकिन मैंने डूंगरपुर के अन्दर मेरे पास पिछले 20–22 वर्षों से चीतल वगैराह कुछ जानवर पाल रखे हैं। मैं कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करूं इसका सवाल नहीं है। उन चीतल और साम्भर वगैरह हैं उनको मैंने उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बच्चों की माफिक अवेरा हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन चीतल और जो वन्य पशु हैं जिन्हें मैंने पाला है उन्हें मैं राज्य सरकार को सौंप दूंगा लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन्हें 15 दिन के अन्दर अन्दर मार दिया जायेगा और उनका मांस आपको बाजार में मिलेगा क्योंकि उन चीतल्स का मास बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैंने उन जानवरों को जहां पर डूंगरपुर में रखा है उसमें उनके

(श्री लक्ष्मणसिंह)

दो तरफ तो सिटी की दीवाल आ गयी है और बाकी के क्षेत्र में भी मैंने पक्का इन्तजाम कर रखा है। वहां पर 100 चीतल हैं और कुछ साम्भर हैं उन्हें राज्य सरकार चाहे तो ले सकती है। पर उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए। आज भारत सरकार की ओर से ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स भी हैं कि अगर फोटो भी ली जाय उनकी तो 15 फीट की दूरी से ली जाय तो मेरा निवेदन है कि आप इनकी तरफ गम्भीरता से विचार करें ताकि इनकी रक्षा हो सके। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अन्दर बहुत ही महत्वपूर्ण जिस तरह चीतल व साम्भर होते हैं उसी तरह एक काला हिरन पाया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह काला हिरन जिसे कि लोग ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड कहते हैं बहुत ही पाया जाता था। मैं आपसे निवेदन करूं कि उपाध्यक्ष महोदय, यह दुनियां में अद्वितीय है। इसको संरक्षण मिलना चाहिए था लेकिन इस ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड को जिसे कृष्ण मृग कहते हैं, यह बहुत ही सुन्दर मृग हैं इसे एन्टीलोप किया जाना चाहिये। आज यह कृष्ण मृग आपको न तो अफ्रीका में मिलेगा और मैं तो कहता हूं कि यह विश्व में कहीं नहीं मिलता। उपाध्यक्ष महोदय, इन काले हिरन की हमारे शास्त्रों में और पुराणों में बड़ी महिमा मानी गयी है। हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग उस पर बैठकर तपस्या करते थे। उसको इस बुरी तरह से मारा जा रहा है कि अब यह बहुत ही कम मात्रा में रह गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस काले हिरण की खाल की बाहर विदेशों में भी बहुत ही पूछ है। मेरा निवेदन है कि इसे प्रोटेक्ट किया जाय। इसके अलावा आज काले हिरण की खालें, शेर की खालें और तेन्दुओं की खालें आपको बम्बई के बाजार में मेन बाजार की गलियों से पीछे बहुत मिलेंगी। वहां पर एक खाल हजारों रुपये में बिकती है। वहां से यह विदेशों में भी जाती है तो इसके लिये मेरा निवेदन है कि एक कोडीफाइड लॉ बनाया जाना चाहिये जिससे कि इन रेअर स्पेसीज को बचाया जा सके। सरकार को चाहिये कि जहां–जहां पर इन जानवरों की खालें मिलती हैं वहां जब्त किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं जिस शेर की खाल को लोग डेढ़ सौ रुपये में और दो सौ रुपये में खरीदते थे वे आज पांच हजार रुपये में बिक रही हैं। इसकी इतनी मांग है विदेशों में कि एक अमेरिकन ने मुझे कहा कि आप मुझे एक शेर की खाल दें तो मैं आपको दस हजार रुपये दे सकता हूं। मैंने उस अमेरिकन से कहा कि मैं बेचता नहीं हूं। मैंने खुदने उस शेर को मारा था कई बरसों पहले। अब तो मैंने शिकार करना बन्द कर दिया है और पिछले 12–13 साल में मैं हिन्दुस्तान में तो शिकार करता ही नहीं हूं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कितनी मांग है आज विदेशों में इन पशुओं के खाल की। तो मेरा निवेदन है कि इन काले हिरण को प्रोटेक्शन दिया जाय। क्योंकि आज ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके पास जो जानवर हैं उन्हें आप म्यूजियम में देंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : ये तो जैसी कानूनी व्यवस्था होगी उस तरह हो जायेगा। चाहे म्यूजियम में रखें तो मुझे आपत्ति नहीं। मैं तो यह चाहता हूं कि इन्हें प्रोटेक्शन दिया जाय। जो लोग इनकी खालों का व्यापार कर रहे हैं उन्हें समाप्त किया जाना चाहिये। आज हमारे यहां यह जानवर बहुत ही कम रह गये है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और निवेदन कर दूं, उपाध्यक्ष महोदय कि आज न केवल खालें ही बल्कि आज जो शेर के शक्ल के होते हैं जिन्हें कि पहले कोई नहीं लेता था उन्हें भी लोग खरीद रहे हैं। इसके लिए ऐसा कहते हैं कि शेर के शक्ल की जियोलोजिकल वेल्यू अधिक होती है। उसकी विज्ञान में बहुत जरूरत रहती है उसके लिये मेरा निवेदन है कि उसे बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में रखा जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सरकार को इस बारे में कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिये। यह चोरी छिपे हमारे वन्य जन्तुओं की खालें और सिर बाहर जावें और विदेशी मुद्रा वे लोग प्राप्त करें और सरकार को कुछ नहीं मिलता।

काले हिरन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा पवित्र समझे जाने वाले इस पशु को जनता द्वारा संरक्षण प्राप्त था और आज भी इसी कारण वह एरिया है जहां कि काला हिरन पाया जाता है। वहीं पर इनको संरक्षण मिला है अन्यथा कहीं इनको संरक्षण नहीं मिला है। चाहे बीकानेर हो, जैसलमेर हो, आस पास पांच मील का क्षेत्र सेन्चुअरी में कन्वर्ट किया जाय, वहां सेन्चुअरी स्थापित की जाय और वहां ग्रेट इन्डियन बस्टर्ड को संरक्षण दिया जाय, काले हिरन चिंकारा को संरक्षण दिया जाय, तो विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकेंगे, पर्यटक आवेंगे। जोधपुर और जैसलमेर में ऐसे स्थान हैं जहां ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ इस संकल्प का मैं स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनम चन्द विश्नोई (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है भारत सरकार और राजस्थान सरकार का ध्यान पिछले कुछ वर्षों में जंगली पशु और पक्षियों की रक्षा की तरफ गया है और पिछले पांच सात साल से एक दिन इसको मनाया जाता है जिस दिन इन पशुओं और पक्षियों के बारे में पोस्टर छापे जाते हैं, विचार गोष्ठियां आयोजित की जाती है और देश के बड़े-बड़े अखबारों में भी इस बात की चर्चा उठायी जाती है और इसके महत्व को जनता के सामने लाया गया है।

आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय समाज में इस तरह के प्राणियों के जीवन रक्षा की ओर हमेशा ध्यान दिया गया है चाहे मोर हो, हिरन हों और दूसरे पशु और पक्षी हों। उनके लिये दाने और पानी की भी व्यवस्था की जाती थी। लेकिन हमारे ये पशु पक्षी एक तरह से समाप्त होते जा रहे हैं और कानून को जिस प्रकार से संरक्षण देना चाहिये नहीं दे पा रहा है इसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में ये जानवर जहां पाये जाते हैं वहां करीब करीब समाप्त हो गये हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी बहुत बड़ी संख्या में

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

जंगली जानवर और पक्षी पाये जाते हैं और परम्परा के अनुसार वहां गोली चलाना शिकार करना और किसी पक्षी या पशु की हत्या करना वर्जित है। लेकिन आज सड़कें हैं, मोटरें हैं और अच्छे से अच्छे हथियार हैं इस कारण और मांस खाने की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण जगह जगह नाजायज तरीके से शिकार करते हैं और रक्षा करने वालों को कानून भी मदद नहीं कर सकता है।

इसलिये मेरा पहला सुझाव तो यह है कि जो कोई भी कानून बनाया जाय वह कानून कांग्नीजिबल आफेन्स होना चाहिये और उसके लिये कड़ी से कड़ी सजा रखी जानी चाहिये, कम से कम पांच साल की। पांच साल की सजा तजवीज करते हैं तो पशु पक्षियों की हत्या कम हो जावेगी और जो पशु पक्षियों की रक्षा करने वाले लोग हैं उनका भी होंसला बढ़ेगा। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस तरह की पशु पक्षियों की हत्या को रोकने के लिये कम से कम 30 हत्यायें लोगों की हो चुकी हैं इस मामले को लेकर। सवाल यह उठता है किस कानून के तहत उनको सजा दी जाय। बीच में गये और शिकारी की गोली लग गयी। शिकारी ने गोली मार दी। मिलिट्री वालों के पास अच्छे हथियार हैं हैलिकोप्टर से भी शिकार करते हैं। यदि ये कठिनाइयां दूर हों तो अभी भी जो जंगली जानवर बचे हैं उनको बचाया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि जैसा महारावल सोहब ने कहा गेम सैन्चुरीज बनानी चाहिए और कुछ जानवरों के लिये गेम सैन्चुअरीज बनाना जरूरी है। कुछ जंगली जानवर ऐसे हैं जहां गेम सैन्चअरीज की जरूरत नहीं है। जिन गांवों में शिकार वर्जित है वहां पर चौकीदार रख कर व्यवस्था कर सकते हैं पानी आदि की तो वे लोग एतराज नहीं करेंगे गेम सैन्चुअरीज बना दिया। गेम सैन्चुअरीज बनायी जाती हैं तो लोग एतराज करते हैं कि हमारी फसल को जानवर खराब करेंगे। जोधपुर बीकानेर, जैसलमेर में आज भी जंगली जानवर रहते हैं और दिक्कत किसी को नहीं आती है। उन जंगली जानवरों को एक मील दूर से देखेंगे तो वह भाग जावेंगे लेकिन घरों में आकर पानी पीकर चले जाते हैं और कुछ लोगों के कारण पशु और पक्षी बचे हुए हैं। इस प्रकार कुछ लोगों को भेज कर व्यवस्था करनी चाहिये और मांस खाने वालों को बधाई देता हूं कि जीवों की रक्षा उनके द्वारा हुई और न कि जीव रक्षकों के द्वारा। जीव भक्षकों ने रक्षा की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इरादा यह है कि क्या कुछ अर्से बंद करके फिर खुली छूट मिल जाय।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : नेचर अपने आप काम करती है। हिरण रहेंगे तो भेड़िये भी रहेंगे। एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। कुदरत का काम होता जावेगा। शिकार वाले और मांस खाने वालों का आन्दोलन नहीं होना चाहिये। वाइल्ड लाइफ बोर्ड बना हुआ है। जितने सदस्य हैं सब के सब शिकारी हैं। दूसरी तरफ हम लोग हैं जो शिकारी नहीं हैं। हमारे गांव में दूसरों को मांस

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
नहीं खाने देते और जानवर को मारने नहीं देते। वे जानवरों की रक्षा करते हैं। कई लोग मारते हैं और मारे जाते हैं। बादशाही जमाने में भी रक्षा होती थी। कानून अच्छी तरह से प्रोटेक्शन दे देता है तो बहुत से जानवरों को बचा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामानन्दजी अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, यह सकल्प जो राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है यह एक अजीब कन्ट्रास्ट हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। एक तरफ इस संकल्प की मंशा है कि वन्य जन्तुओं और पक्षियों की संख्या बढ़े, किस प्रकार उनको प्रोटेक्शन दिया जाय उनकी आबादी की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से और इसी दौरान में बड़े जोर शोर से फेमीन प्लानिंग का केम्पेन चल रहा है कि मनुष्य जाति को घटाया जाय, इसकी संख्या को कम किया जाय, इस तरीके के आन्दोलन सारे देश के पैमाने पर बहुत बड़े खर्चे से चलाया जा रहा है। मनुष्यों की ओर से इस प्रकार का संकल्प है हमारी संख्या घटायी जाय और पशु पक्षियों की संख्या बढ़ायी जाय, यह बड़ा अजीब लगता है। वैसे यह बात सही है कि मनुष्यों ने इस शांति पूर्ण दुनियां को बहुत अशांतिपूर्ण बना दिया है जिसके लिए हम पशु और पक्षियों को दोषी नहीं बना सकते क्योंकि न तो उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाये हैं और न ही उन्होंने वियतनाम पर बम्बारी की हैं और यह मनुष्य जो इस प्रकार से कर रहे हैं तो यह कन्ट्रास्ट मेरे दिमाग में आया कि जो संकल्प प्रस्तुत कर रहे है उसको, मौलिक तौर से हम किस दिशा में जा रहे हैं, यह बड़ा सोचने का विषय है।

दूसरे यह भी कन्ट्रास्ट सामने आया कि इसी दौरान में हम जमीन पर सीलिंग लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जमीनें जिन लोगों के पास हैं उन लोगों से जमीनें लेकर भूमिहीन लोगों को मिले, छोटी छोटी जमीनें हैं उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ सेन्चुरीज के जरिये कुछ मील जमीन छोड़ दी जाये पशुओं के लिए तो कोई कहता है कि शेरों को रखा जाये तो शेर का हलका तो 24 कोस तक होता है। 24 कोस पूर्व में, 24 कोस पश्चिम में, 24 कोस उत्तर में और 24 कोस दक्षिण में जगह छोड़ी जानी चाहिए तब खुलकर विचर सकता है और तब वह आजादी के साथ पल सकता है। तो इस हिन्दुस्तान में जहां एक तरफ बहुत जोर शोर सीलिंग कायम करने का है वहां दूसरी ओर उसी के मुकाबले में 24 कोस चारों तरफ याने 24 स्क्वायर मील इतनी जमीन सेंचुरीज के अन्दर छोड़ने के लिये वन्य पशुओं के लिए छोड़ने की बात भी कुछ लोगों के दिमाग में है। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, यह संकल्प जो प्रस्तुत है मैं स्वयं यह महसूस करता हूं, चाहता हूं बहुत से पक्षी हैं, बहुत से ऐसे वन्य पशु भी हैं जो इन्सान के दोस्त हैं, किसान के दोस्त हैं, आम मनुष्यों के भक्षक नहीं हैं बल्कि उनके सहयोगी है। उनको खेती में मदद करते हैं, खेती में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यदि कीटाणु आ जाय तो उनको खाकर उनकी मदद करते हैं या उनकी खेती की रखवाली करके उनको मदद करते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे पशु, ऐसी पक्षी हमारी प्रोटेक्शन चाहते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए लेकिन जो इस प्रकार के जन्तु हैं जो इस श्रेणी में नहीं आते जो कि इन्सानों के जीवन के लिए खतरा हैं, मैं समझता हूं कि उनके प्रोटेक्शन की बात केवल वह लोग ही कर सकते हैं। वही लोग कर सकते हैं कि जो शौक के लिए इनको देखते हैं, जिनके पास प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़े बड़े साधन हैं या हथियार हैं या स्किल है जिससे वे अपने आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनको देखना नाटक की तरह, सिनेमा की तरह हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह संकल्प सामने आया तो मुझे बहुत विचार करना पड़ा कि मै इसको सपोर्ट करूं या इसका विरोध करूं क्योंकि मैं ऐसी कान्सटीट्यूएन्सी से आता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, जहां एक सेन्चुरी कायम है, सिरेस्का सेन्चुरी जिसका अभी डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया और यदि मैं यह कहूँ कि पिछले चार चुनाव मै उसी क्षेत्र से लड़ चुका हूँ और हर चुनावों में वहां की जनता की, किसानों की, आम लोगों की मांग आती है वह यही आती है कि इस सेन्चुरी को यहां से हटवाया जाये। मुझे एक भी आदमी उस क्षेत्र का नहीं मिला है जिसने कहा हो कि सेन्चुरी को कायम रखा जाना चाहिए और प्रोटेक्शन देकर इसको बढ़ाया जाना चाहिए। बल्कि बारबार इस बात की मांग पाई है कि इस सेन्चुरी को हटाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात से वाकिफ हैं कि जब अलवर राज्य था उस समय कोई सेन्चुरी सरिस्का सेन्चुरी के नाम से नहीं थी और यह केवल राजस्थान के इन्टीग्रेशन के बाद राजस्थान सरकार ने वहां पर एक एरिया निर्धारित करके जो कि बहुत बड़ा एरिया है, जिसके लिए सब माननीय सदस्य जानते हैं कि थानागाजी से निकलकर करीब 3 फर्लांग आगे निकल जाये तो वहां से वह एरिया शुरू होता है और उसके बाद उन तमाम पहाड़ों से निकलकर बारां पर आ जायें वहां उसका एरिया खतम होता है। तो यह इधर 15 और उधर 23 यानी 8 मील पूरे इस सड़क से 8 मील तक इस सेन्चुरी का एरिया है और जो दूसरा साइड है 52 गांव इसमें बसे हुए हैं और जिनमें इसको सेन्चुरी डिक्लेयर किया गया। उस समय यह गांव मौजूद थे जिस समय इसको सेन्चुरी डिक्लेयर किया गया। किसान वहां पर काश्त करते थे, उनके घर बसे हुए हैं और सैकड़ों वर्षों से वहां पर उनकी फसलें होती हैं। उसके बावजूद उस एरिया को सेन्चुरी डिक्लेयर कर दिया गया। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस समय राजाओं का राज्य था उनको शिकार का शौक था और यह भी सही है कि राजाओं ने कितने ही गांव उजाड़कर वहां अपनी शिकारगाह कायम कर दी। गांव के गांव उजाड़कर कह दिया कि यहां से चले जाओ और आज भी लोग बसे हुए हैं जिनको उजाड़ दिया गया था और मवेशी चराते हुए गूजर लोग आपको मिलेंगे गुवाड़े बनाकर रहते हैं और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
उनकी जमीन छीन ली गयी थी। अभी कुछ लोगों को बसाने की कोशिश की गयी लेकिन उस जमाने में राजाओं को शिकार का शौक था और उन्होंने शिकारगाह बना ली थी लेकिन सेन्चुरी इस प्रकार से कायम नहीं की गयी कि जिस तरीके से उसके अन्दर ग्रामजनसंख्या जो उसी के बीच में आ गया और उसके अन्दर उन वन्य जन्तुओं को जिस तरह से छूट दी गयी उस तरह से उसको नहीं किया गया।

आज उस सेन्चुरी की वजह से उपाध्यक्ष महोदय, क्या स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि इतने बड़े क्षेत्र के अन्दर 52 गांवों की जनसंख्या का अन्दाजा लगा सकते हैं कि और छोटे बड़े गांवों को मिलाकर 500 या 300 की आबादी एक गांव की भी आप लेकर चलें तो 15–20 हजार लोग उस क्षेत्र के अन्दर बसते हैं। अब उस क्षेत्र के अन्दर किसानों के खेत भी हैं, उस क्षेत्र के अन्दर हर साल कितनी ही दुर्घटनायें होती हैं जिसके अन्दर किसान के मवेशियों को शेर, बघेरे और रीछ ले जाते हैं। किसानों के बच्चों को, खुद किसानों को मार देते हैं। कितनी ही दुर्घटनायें हर साल होती हैं। अगर गवर्नमेन्ट अपने फोरेस्ट डिपार्टमेंट से इस बात की जानकारी प्राप्त करें, मैं समझता हूं कि पूरी जानकारी यदि मंत्री जी के पास है इस बात की तो मालूम होगा कि इसमें इतने वर्षों में कितने ही लोग मारे गये। बहुत प्रेशश लाइफ उनकी चली गयी। एक बार तो एक बैल ठेला थानागाजी जा रहा था अलवर से और उसमें कुछ मजदूर बैठे हुए जा रहे थे। रात को मजदूर सो गये तो सड़क के ऊपर चलते हुए ठेले में से एक मजदूर को उठाकर ले गये और उसको मार दिया। अभी ट्रैफिक कुछ ज्यादा हो गया है और इस तरह शेरों की घटनायें सड़क के नजदीक कम है लेकिन लोग अपने आपको सेफ महसूस नहीं करते हैं। आप इस कानून को बनाकर वापिस ठेलें से उठाने वाली स्थिति पैदा करना चाहते हो क्या? इस बात को बहुत गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर रोज मरा यह समस्या आती है कि किसान अपने खेतों में जब रखवाली करते हैं, परिन्दा उनके खेतों में उनकी बालों में से अनाज को खाए नहीं इसलिए वह कोई गोलियां चलाते हैं या छोटी बन्दूक रखते हैं, उसको चला कर उनको उड़ाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही इस बन्दूक को उन्होंने चलाया फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ कर उसका चालान कर दिया। फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने उठा कर चालान कर दिया कि तुम शिकार कर रहे थे तुम शिकार कर रहे थे बाहर आकर खेतों से। यह बात सही है कि खेतों में चलाना, इस आन्दोलन के बाद वहां वर्जित नहीं है यह क्राइम नहीं है, गवर्नमेंट ने भी कानून में चेंज कर दिया है, लेकिन इसका इम्पप्लीमेंटेशन करने वहां मैं और आप तो खड़े होंगे नहीं, वही साधारण नागरिक की तरह से मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होकर शपथपूर्वक कहना पड़ेगा। लेकिन वहां पर फोरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उनको खेतों में भी रोक देते हैं और उनके ऊपर चालान होता है। फिर आप यह खयाल कीजिए कि ये वन्य जन्तु किसानों की फसलों में एक्चुअली

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एण्टर हो जाते हैं और एण्टर हो जाने पर किसान ने उसको मार दिया तो बस उसका क्राइम बन गया और क्राइम बनाकर कह दिया कि तुमने तो खेत से बाहर आकर मारा है जिसका तुमको अधिकार नहीं है। इस प्रकार के शिकार के जुर्म में किसानों को मारा मारा फिरना पड़ता है। तो मैं यह मानकर चलता हूं कि वन्य जीवों की सैंचुरी उन स्थानों पर नहीं होनी चाहिए जहां पर कि कोई आबादी हो, जहां किसान की फसलें हों, उस जगह पर सेंचुरी नहीं होनी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे सिरिस्का में तो यहां तक किया गया कि गवर्नमेंट की जो सिवाय चक लैंड है, हमने अलाटमेंट कमेटी के जरिये 1963 में अलाटमेंट किया और फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ने एक साधारण सा रेजोल्यूशन मूव करके और टेम्पोरेरिली इस सैंचुरी के एरिया में जो भी रेवेन्यू की सिवाय चक जमीन है जो कि अलाटेबल है, कल्चरेबल है उन जमीनों की भी अलाटमेंट पर पाबन्दी लगा दी और उसका नतीजा यह है वन मंत्रीजी कि आपकी इस पाबन्दी की वजह से लोगों के ऊपर पेनल्टीज के केसेज चल रहे हैं। लोगों की खड़ी काश्त को उजाड़ा जा रहा है, उनको अटैच किया जा रहा है, कुर्क किया जा रहा है और इस तरह जो हम एक पूरा कम्पेन चला रहे हैं कि भूमिहीनों को जमीन मिले, उस जमीन से उनको वंचित किया जा रहा है। आज ही शाम को 4 बजे एक मीटिंग है। मैं समझता हूं कि उसमें फोरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बुलाया गया है जिसमें कि इन समस्याओं पर और सिरिस्का की सेंचूरी पर विचार किया जा रहा है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन दिक्कतों के कारण आज फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट, इस सेंचुरी की वजह से वहां के रहने वाले लोगों के आज भी वही पुराने बाबा आदम के जमाने का कानून और उसी तरह का प्रशासन है और किसान इससे बुरी तरह परेशान है और इसी लिए वहां पर एक एक आदमी की यह मांग है कि सेंचूरी को हटा दिया जाय, यहां पर सेंचुरी को न रख कर खत्म कर दिया जाय।

पिछले दो वर्ष पहले, उपाध्यक्ष महोदय, जब बड़ा आन्दोलन चला था तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी मुकर्रर की थी। जिस कमेटी के कृषि मन्त्री श्री शोभाराम जी अध्यक्ष थे और फोरेस्ट मन्त्री भी उस कमेटी में थे, मैं भी एज ए एम. एल. ए. उस कमेटी में था और दूसरे सम्बन्धित एम. एल. ए. थानागाजी और राजगढ के एम. एल. ए. भी उस कमेटी में थे। और कमेटी में यह निर्णय लिया था कि सिरिस्का सेंचुरी को पूरी तरह से समाप्त करने की बात न हो सके तो कम से कम इसको डिमार्टमेंटल करने की बात तो की जाय और कम से कम बारां से लेकर इस सेंचुरी को बारां से लेकर भर्तहरि के तिराहे तक जहां से पुल है और उस पुल पर होकर गुजरते हैं उस एरिया को तो सेंचुरी से निकाल दिया जाय क्योंकि यह पूरी तरह से पोपुलेटेड है। यहां की सारी जमीन किसानों के अधिकार में हो लेकिन उन किसानों को जमीन नहीं दी गई और बड़े बड़े लोगों ने उसे काश्त कर लिया। मुझे खेद है कि अभी तक भी उस फैसले को भी अमली रूप नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दिया गया। यह कहा गया था रेवेन्यू सेक्रेट्री के द्वारा कि इस डिसिजन को इम्पलीमेंट करने के लिए केबिनेट में. डिसिजन लेना पड़ेगा। लेकिन केबिनेट में यह मामला अभी तक आया नहीं। मैं माननीय वन मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस प्रश्न को अहमियत देकर और उस डिमार्केशन के डिसीजन को उस हद तक इम्पली-मेंट करायें। मुझे उसमें कोई एतराज नहीं होगा अगर जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसा एरिया रखें जहां पर आबादी नहीं हो और उसको चारों तरफ से फेंसिंग कर सकें जिससे कोई आदमी उसमें एण्टर नहीं हो सके, इस प्रकार की जगह निर्धारित हो सके तो फिर उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

इसलिए मैं इस बिल का विरोधी नहीं हूं और यह मानता हूं कि इस प्रकार की सेंचूरी कायम करने की कोशिश की जाय। यह बात मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमें चाहे कितनी ही मोहब्बत हो वन्य जन्तुओं से और पक्षियों से, इंसान के मुकाबले में इनको प्रायरिटि नहीं देता। अगर मेरे सामने यह सवाल हो कि इन्सान के बजाय शेर को बचाया जाय तो I will opt for the protection of the man and not for the lion.

मुझे खेद है कि आज सरकार लायन को प्रिफर कर रही है, शेरों को प्रिफर कर रही है और इन्सान को उसकी कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। मैं यह मानता हूं कि यह न्यायपूर्ण बात नहीं है। यह दुरुस्त नहीं है। इस बात को दुरुस्त किया जाना चाहिए। और इस डिबेट के जरिये भारत सरकार को यह बात पहुँचा देनी चाहिए कि कोई भी कानून बनाया जाय उस कानून के अन्दर इन बातों का ध्यान रखा जाय जिसके अन्दर इन्सान की जरूरत, इन्सान का डवलपमेंट और किसानों की मुश्किलातों का ध्यान रखा जाय और इस प्रकार के वन्य जन्तुओं और पक्षियों का सर्वेक्षण करवा कर सेंचुरी आदि का इन्तजाम किया जाय। इन्हीं रिजर्वेशन के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदार।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो चार बातें इसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय से पूछनी हैं। एक तो यह कि सेंटर में आलरेडी एक प्रिवेंशन आफ क्रुअल्टी टू एनीमल्स एक्ट है। यह एक्ट आलरेडी एक्जिस्ट करता है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कौन सा ?

श्री केदारनाथ : प्रिवेंशन आफ क्रुअल्टी टू एनीमल्स एक्ट....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह दूसरा है। इसकी मंशा दूसरी है।

श्री केदारनाथ : सन् 50 में प्रिवेंशन आफ सरटन एनीमल्स एक्ट पास किया गया। मैं समझता हूं कि यह सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट है। रिजीडुअरी और कांस्टीट्यूशनली दोनों तरह से यह स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट का सब्जेक्ट होते हुए भी आप सेंटर को पावर डेलीगेट करने जा रहे हैं केवल इसलिए कि यूनिफार्मिटी बनी

(श्री केदार नाथ)

रहे तो सेंटर कोई मोडिफाइड बिल ला सकता है जिसमें सब कुछ कवर हो जाय लेकिन इसे सेंटर ही वहीं बनाए जबकि यह स्टेट के पावर में हैं। इसके लिए अगर आप चाहें तो मोडल ड्राफ्ट बिल बना कर उनसे राय ले सकते हैं। लेकिन केवल इस बात के लिए कि यूनिफार्मिटी बनी रहे स्टेट सब्जेक्ट की पावर आप सेंट्रल को डेलीगेट करदें तो यह ट्रेंड खतरनाक होगा। तभी आज सेंटर और स्टेट्स के को-रिलेशन की बात खड़ी हो रही है और इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। जो पावर्स आपके खुद के हैं, रिजीडुअरी पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करने में आपका क्या बिगड़ता है। हमें मालूम है कि राजस्थान बनने से पहले कितने ऐसे एनीमल थे जिनको आज भी प्रिजर्व किया जाना चाहिए था लेकिन जहां ह्यूमन लाइफ की कोस्ट पर एनीमल्स को प्रिजर्व करें यह बड़ी खतरनाक बात है। तो मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि यह जो सेन्ट्रलाइजेशन आफ पावर का ट्रेंड है इसको आप बन्द करें, किसी स्टेज पर कर्ब करें। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि यह बात यहां तक ही नहीं है। यह पावर देने के बाद पार्लियामेन्ट का इनेक्टमेंट हो जाने के बाद इसमें पार्लियामेन्ट की पावर हो जायेगी, इसमें किसी प्रकार का अमेंडमेंट करना होगा तो भी वही करेंगी, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारी पावर्स सेंट्रल को डेलीगेट करने के बाद अगर ऐसी हालत पैदा हो जाय कि आप उसमें अमेंडमेंट करना चाहें तो नहीं कर सकेंगे। पार्लियामेंट अगर अमेंड करना चाहेगी तो उनके सामने मोर देन स्टेट्स का सवाल आएगा। आप जो बात करवाना चाहेंगे वह दूसरी स्टेट से मेल नहीं खायेगी तो फिर इसमें दिक्कत सामने आएगी। पार्लियामेंट को अण्डर आर्टिकल 252 के तहत अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करना पड़ेगा और ऐसी हालत में जो बात आप आज कराना चाहते हैं उसके लिए आपको छः माह तक वेट करना पड़ेगा। कहीं रिपील करने की, अमेंड करने की पावर्स आपको नहीं रहेगी। तो मैं इस रिज्योल्यूशन का इसलिए विरोध करना चाहता हूं कि यह स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट को ही अपने लेजिस्लेशन से कवर करना चाहिए और सेंटर को इसकी पावर डेलीगेट नहीं करना चाहिये। स्टेट का सब्जेक्ट होने से उसका खुद का अधिकार है, वह खुद कोम्पीटेंट है कि अमेन्डमेंट करे, इनेक्टमेंट करें। अगर राय लेने की जरूरत हो तो दूसरी स्टेट से राय ले सकते हैं लेकिन जो रिजिडुअरी पावर्स आपके अन्दर है वह सेंटर में वेस्ट करना चाहते है मैं इसको खतरनाक ट्रेंड महसूस करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जो वन्य पक्षियों और वन्य जन्तुओं को रक्षा के लिये भारत भर में एक रूप से कानून बने इस संकल्प के लिये यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है ....

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आपको लाउड स्पीकर की क्या आवश्यकता है। यह तो बेकार की चीज है आपके और मेरे लिये....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन करना यह है कि यह बात सही है कि वन्य पक्षियों और जन्तुओं से अधिक संख्या मनुष्यों की है और यह बात भी सही है कि यह संख्या अधिक भारत में न बढ़े, उसके लिये सरकार ने परिवार नियोजन आन्दोलन पर लाखों रुपया खर्च किया और मैं तो कहूंगा कि पानी में बहाकर और साथ ही साथ अश्लील प्रचार के साथ, विभाग द्वारा एक पोस्टर निकाला गया है, जिसमें पति और पत्नि अग्नि की वेदी के चारों ओर फिर रहे हैं, उस पोस्टर में कहा जाता है कि परिवार नियोजन का पालन करें। लोग तो वर वधू को यह आशीर्वाद देते है तुम्हारे सन्तान पैदा हो और उसी पोस्टर में यह प्रचार हो, तो इस पर राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैंने तो प्रारम्भ में ही निवेदन किया था कि जितना राज्य सरकार परिवार नियोजन के अश्लील प्रचार पर व्यय करती है, वह व्यर्थ है और इसका हमारे छोटे-छोटे बच्चों और स्कूल कालेजों में पढ़ने वाली मुन्नियों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इस सम्बन्ध में जो शब्द प्रयुक्त किये गये है उनका मैं यहां पर प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जिस समय बहस हो रही थी उस समय मैंने कहा था कि इस प्रचार को उपयुक्त ढंग से किया जाना चाहिये लेकिन यह जो बिल है यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि आज पक्षी हमारे राष्ट्रीय चिम्ह हैं। ईगल आज अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है इसी प्रकार से हमारी ये संस्कृति के आधार हैं और उससे ये पशु पक्षी जुड़े हुए है और आज पक्षी हमारे शिक्षक भी हैं। दत्तात्रेय ऋषि के 24 पक्षी शिक्षक थे। इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज हमारे सामने जो बिल आया है, तो हमारे पूर्वज भी, मनुष्यों के पूर्वज भी वन्दर थे। आज के लोगों की पूंछ घिस गई और वह मनुष्य बन गया। तो आज हमें हमारे पूर्वजों के बारे में विचार करना है....

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : हमें अफसोस है कि आपकी पूंछ का संरक्षण नहीं हो पाया।

श्री उपाध्यक्ष : यहां भी आपकी पूंछ का अफसोस कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष जी कि जो वन्य जन्तु हैं वे हमारी मदद भी करते हैं और जिसके बारे में मैं जिक्र करूं वह विष्णु भगवान का वाहन है, लक्ष्मी की सवारी है। दूसरे रूप में आप देखते है कि कई बार बुरे नाम से भी सम्बोधित करते हैं, उसका नाम उल्लू है। हंस सरस्वती की सवारी है। मेरी आपसे प्रार्थना करना है कि ये सारे पक्षी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये हमारे पूर्वज भी हैं इसलिये हमें इनके बारे में जो विधेयक है, उस पर विचार गम्भीरता से नहीं करेंगे तो उनके प्रति अन्याय होगा।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : उल्लू का प्रोमोशन कब हो गया लक्ष्मी के लिये ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उल्लू लक्ष्मी जी की सवारी है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उल्लू का संरक्षण तो बहुत आवश्यक है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं यह निवेदन कर रहा था...

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम 6 विभिन्न प्रकार के उल्लू हैं। कितनी ही वेराइटीज हैं उल्लू की शायद वे दूसरे देशों में नहीं हैं। यह सत्य में निवेदन कर रहा हूं और बहुत सुन्दर सुन्दर उल्लू हैं। छोटे और बड़े तरह तरह के जो दिन में भी घूमते हैं और रात को भी घूमते हैं और तरह तरह का आहार छिपकली, चूहे, मेंढक ये भी खाते हैं और साथ ही साथ मकानों के अन्दर आकर छोटे-छोटे बच्चों को बोलकर डराते हैं।

श्री गुमानमल लोढा : हर साख पर उल्लू बैठा हैं अन्जामे गुलिस्तां क्या होगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक ही उल्लू काफी था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरे विचार से उल्लू बढ़ रहे हैं कम नहीं हो रहे हैं। इनको संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह विचार है कि हमारा जो इतिहास बना है वह वन्य जन्तुओं की मदद से बना है। रामायण का किस्सा लें तो हनुमानजी क्या थे। इसी प्रकार से हनुमान जी की मदद से उनके बन्दरों की सहायता से रावण को पराजित किया गया था और वही आज हमारा इतिहास है। वह वन्य जन्तुओं से भरा हुआ है। मैं इनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष जी आज वन उजड़ रहे हैं। वनों की रक्षा होनी चाहिये थी वह रक्षा नहीं हो रही है। यदि वनों की रक्षा नहीं होगी तो ये जो जन्तु, पक्षी हमारी राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं, जिनका एक इतिहास बन गया है, जिनको हम सम्मान की दृष्टि से हमारे पूर्वज होने के कारण देखते हैं, ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा। आज वनों से लकड़ी काटी जा रही है, बिना इजाजत के लोग लकड़ी काट रहे हैं। इसके कटने से वनों की रक्षा नहीं हो रही है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वनों से जो बिना इजाजत के लकड़ी कटती है उसकी रक्षा करें और फिर एक प्रकार से हर साल में एक वृक्ष उगाने का आन्दोलन चलता है। वृक्ष लगा दिये गये। एक बार मैं कानपुर गया तो वहां पर एक वृक्ष लगाया गया था, जहां वृक्ष लगाया गया था उसके खम्भे पर लिखा हुआ है पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा यहां पर वृक्षारोपण अमुक तारीख को किया गया। पेड़ बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, ऐसा बड़ा हो गया कि मुझे झुक कर उसको देखना पड़ा, तो देखता हूं कि वहां से पेड़ गायब है। मेरा निवेदन करना है कि जो वृक्षारोपण का अभियान चलता है, वह वृक्षारोपण का कार्यक्रम ठीक प्रकार से चलना चाहिये। जो लगाये जायें उनको मेन्टेन किया जाना चाहिये। जो हमारे राजनेता हैं, वे इस प्रकार का वृक्षारोपण करते हैं कि उनके जाने के बाद ही वृक्ष वहां से गायब हो जाते हैं। यह शोचनीय स्थिति है।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ राजपूत लोग भी शिकार खेलते हैं, राजा महाराजा शिकार खेलते हैं, कुछ बाहर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

से आने वाले अतिथियों को शिकार खिलवाने के लिये लाया जाता है। महारानी एलिजाबेथ जब आयी थीं तो सवाई माधोपुर में एक बड़ा मंच बना कर शिकार खिलाने का इन्तजाम राज्य सरकार की ओर से किया गया था। मेरा निवेदन करना यह है कि शिकार खेलने के लिये भी कोई निश्चित स्थान होने चाहिये और उन निश्चित स्थान पर ही शिकार खेलने की इजाजत दी जानी चाहिये। जो लोग शिकार खेलते हैं उस पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिये। जो स्थान आप मुकर्रर करें उन्हीं स्थानों पर शिकार को खेलने की इजाजत आप दें। आप उन स्थानों को फेंसिंग कर दें और उन स्थानों का उत्थान भी करें, उनका विकास भी करें और उनके पूरे देख-भाल करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार को वनों को मेन्टेन करना चाहिये ताकि हमारे वन्य जन्तु और पक्षी भरोसे के साथ रह सकें। वे जीव जन्तु बिलकुल मौन रहते हैं, मनुष्य तो बोल भी लेता है, वे अपनी बात नहीं कह सकते हैं। राज्य सरकार उनकी व्यवस्था करेगी तो वे सरकार को आशीर्वाद देंगे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में वन बारेठा, पांडू पौल, सिरसका, सिलीसेढ़, और आमेर के पास में एक खोड़ा बना हुआ है, वहां पर लोग रात को विश्राम करते हैं। यह एक पिकनिक का स्थान है। और वहां पर भी एक शेर रात को पानी पीने के लिए आता है। उसके लिए हौदी बनी हुई है और उस हौदी पर लोग रात को रहते हैं। शेर वहां पर आता है और शेर के दर्शन लोग करते हैं। रामगढ़ का बन्धा है वहां पर अब तो नहीं कह सकता वर्ना कुछ दिन पहले तक वह शिकार का स्थान था। रात को शेर पानी पीने के लिए बन्धे पर आता था, और लोग रात को वहां पर इसलिए रहते थे और वाटर वर्क्स ने इसीलिए वहां पर कमरे बना रखे हैं।

इसी प्रकार से कोटा में है, रणथम्भोर, सवाई माधोपुर में है, झालावाड़ में सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर हम दूसरे लोगों को ले जाते हैं और शिकार की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, और वहां के जो वन हैं उनके बारे मे भी आपको विचार करने के लिए व्यवस्था करना चाहिए।

मैं माननीय मंत्रीजी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज शेर की खाल को लोग मामूली समझते होंगे लेकिन बिना रंगी हुई खाल की कीमत 3-3 हजार रुपये है। यदि वह बाहर जाती है तो बिना रंगी हुई तो उस खाल के 8-8 हजार रुपया देते हैं। वन विभाग में शिकार के नाते शेर पालने के लिए राज्य सरकार ने कुछ व्यवस्था अलग कर रखी है। वह पाड़े को बान्धते हैं। वह पाड़ा भी गायब हो जाता है। यह पाड़ा वन विभाग द्वारा इनको मैंन्टेन करने के लिये रखा जाता है। शिकार के स्थान पर कि शेर वहां पर आये तो उसके लिए पाड़ा वहां रखते हैं। उसमें भी घोटाला है। अधिकारी लोग पाड़ा रखते हैं या नहीं? वह पाड़ा गायब हो जाता है। उस पाड़े का रेकार्ड वहां पर नहीं रखा जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के जो स्थान हैं वहां की व्यवस्था करें। पाड़े वगैरह जो रखे जाते हैं उनका सारा हिसाब भली प्रकार से देखें।

(गिरधारीलाल भार्गव)

सीलिंग के कानून के बारे में अभी माननीय सदस्यों ने निवेदन किया और वह यह है कि यदि एरिया छोटा हो जायगा तो जानवर कहां पर रहेंगे ? फिर छोटे छोटे स्थानों पर खेती करना पड़ेगा । इस प्रकार से सीलिंग में कम क्षेत्रफल लाने वाली बात है तो इसके आधार पर यह सीलिंग का कानून जो संकल्प भारत सरकार को भेजा जा रहा है उसके विपरीत होगा ।

तो मैं आपसे अन्त में यही निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो कानून बना हुआ है जानवरों की रक्षा के लिए, यह बात सही है कि इसको पालना बड़ा मुश्किल से होती है यदि एक आदमी को जान से मार दे तो उसकी जमानत हो जायगी, लेकिन एक व्यक्ति एक गाय के बछड़े पर लाठी चला दे और वह बछड़ा मर जाय तो वह नानबेलेबल आफेन्स है । उसकी बेल भी नहीं होती है । उसकी बेल जाकर कोर्ट में होगी । इस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार ने कर रखी है तो मैं एक तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो वन हैं उनकी रक्षा की जानी चाहिए । राजस्थान में जो सीलिंग का कानून लाया जा रहा है वह कानून इसके विपरीत है । इन सारी बातों पर विचार करके वन विभाग में जो गड़बड़ी होती है, लोग जो लकड़ी काटकर ले जाते हैं, लोग जो जानवरों को मार देते हैं, बिना इजाजत के शिकार कर जाते हैं उन लोगों पर पाबन्दी लगाना चाहिए, और जो लोग बिना इजाजत के शिकार कर जाते हैं उनको दण्डित करने के लिए हमको एक कानून बनाना चाहिये ।

फिर मैं अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो अधिकार हम भारत सरकार को देना चाहते हैं वह अधिकार मेरी इस प्रकार की मान्यता है कि यदि राज्य सरकार उसे अपने हाथ में रखे और अपने हाथ में रखकर राजस्थान के लिए इस प्रकार से सुन्दर कानून बनाकर विधान सभा में पारित कराकर भारत सरकार की स्वीकृति के लिए भेजें । भारत सरकार को इस प्रकार के नये सुझाव भेजे जायें उनका समावेश करके राज्य सरकार अलग से इसको वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए कानून बनाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : नाहर साहब ।

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्यों के विचारों की पुष्टि करना चाहता हूं । प्रश्न यह है कि हमारे यहां ...

श्री उपाध्यक्ष : संकल्प आपका विषय नहीं है संविधान का...

श्री यशवन्त सिंह नाहर : संविधान की दृष्टि से सदन को अवगत करा दूं कि हम कहां खड़े हैं । इस वक्त जब फिर आटोनामीका क्वेश्चन हमारे यहां पर सारे देश में चल रहा है । तामिलनाडू ने प्रश्न उठाया है । आटोनामी की विचारधारा आर्टिकल 52 के अधीन हम पार्लियामेंट को अधिकृत करना चाहते हैं । उसके तहत क्या पार्लियामेंट इस कानून को बना सकेगी अगर कोई एक स्टेट भी इन्कार करती है तो ।

Page No. 66

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

लेकिन यह कहता है आर्टिकल 252 की अगर एक भी स्टेट इन्कार करती है तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर कोई कानून नहीं बना सकती है। ऐसी अवस्था में जब यह कान्स्टिट्यूशन बना . . .

श्री परसराम मदेरणा : आप जानवरों के मामले में संविधान की इतनी बड़ी बात कहां ले आये? कोई एक कानून बनता है तो अच्छा काम है।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : आप वहां बैठे किस लिए हैं। आपके सबजेक्ट पर कोई क्यों कानून बनाये।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसे केसेज में कोई कानून आयेगा तो आप मदद दें।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : यह प्रश्न इसलिए है कि यहां पर जो जंगलों के बारे में डिबेट की है वह बेकार हो जायगी अगर एक स्टेट ने भी इन्कार कर दिया तो पार्लियामेंट कानून नहीं बनायेगी। इसको नहीं भूलना चाहिए। एक चीज तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं।

दूसरी चीज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश भर में यह चल रहा है कि इन लिस्टों को एमेंड किया जाय और शिक्षा को केन्द्रीय सूची में लाया जाय क्योंकि सबसे बड़ा काम जो है वह मनुष्य को शिक्षित करने का है उसको हम उसमें ले जाने की बात सोच रहे हैं तो स्टेट इन्कम्पीटेन्ट हैं कि वह अपने सिटीजन्स को पूरी तरह से शिक्षित नहीं कर सकें शिक्षा को एक सेन्टर सब्जेक्ट बना दिया जाय लेकिन उसको नहीं बनाया, और यह भी कहा कि कानून बनाने के लिये पार्लियामेंट को अधिकार दिया जाय तो वह नहीं हुआ।

अभी एक प्रश्न आया था और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक स्टेटमेंट दिया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह शहरी संपत्ति के सम्बन्ध में कानून बनाया जाय। इसके अन्दर आर्टिकल 49 के तहत पार्लियामेंट को हम अधिकृत करते हैं कि वह एक युनिफार्म ला सारे देश के लिए बना दें। वह भी चूंकि हमारा सब्जेक्ट था फिर भी कानून आपके सामने आ गया। कोई कठिनाई है क्या? जैसा कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया उस कानून को इस दृष्टि से नहीं मानते। इसका उदाहरण जो कान्करेन्ट सब्जेक्ट उन पर सेन्ट्रल एक्ट बना हुआ है। मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह इतना पेचीदा है, इतना कठिन है, कि वह हमारी स्टेट के लिए कठिन है। एक परमिट इश्यू कराने के लिए हाई कोर्ट में लेकर जाते हैं और वर्षोतक परमिट नहीं मिल पाते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि उस चीज को अच्छे रूप में, ज्यादा अच्छी तरह से कर सकें। इसलिये कॉन्स्टीट्यूशन में इन सब को स्टेट सबजेक्ट में दिया है और यह हमारा अधिकार है कि इन पर अपने कानून बनायें और आर्टिकल 49 के तहत आपको पार्लियामेंट को अधिकृत नहीं करना चाहिये।

दूसरी चीज अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक अजीब बात बताई।

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)
इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ह्यूमन जानवर से बड़ा है। वह बुद्धिमान है और आज तक वह जगह जगह भगवान बन रहा है, लेकिन यह पृथ्वी जब से बनी है यह वाइल्ड एनीमल भी रहे है और मनुष्य भी रहा है मैं भूल नहीं जाता हूं तो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य का आपकी मारफत में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दक्षिण अफ्रीका में एक जैकाल था विशेष टाईप के जेकाल होते थे और उसके एक विशेष भाग से एक इन्जेक्शन तैयार होता था। तो इन्जेक्शन्स तैयार करने के कारण वह सारे जैकाल ही खत्म हो गये और उसकी स्पेसी बाकी ही नहीं रही। उसके कारण से आज वैज्ञानिक लोग यह बताते हैं वहां पर पकने वाली जो फसल थी वह समाप्त हो गई। वह किस प्रकार से हुई या क्यों हो गई मैं विज्ञान का विद्यार्थी तो नहीं हूं कि आपको बता सकूं। मैं एक चीज निवेदन करना चाहता हूं कि राजा-रईसों का वक्त था वाइल्ड एनीमल्स को हमें पालना पड़ेगा। विज्ञान में वह दिन दूर नहीं है कि यह वाइल्ड एनीमल्स जो आदमी का भक्षण कर सकता है वह यह भूल जायेगा और जैसे एक आदमी टेम किया हो और अपना साथी और शिष्य बना लिया हो वह एक मनुष्य जीवन के लिये अत्यन्त आवश्यक हो जायगा। मानव-जीवन के लिये उसकी सुरक्षा के लिये आवश्यक हो जायेगा। उसके बिना मनुष्य जिन्दा नहीं रह सकेगा।

इस पृथ्वी पर कोई चीज बिना काम की नहीं है। यह मैं मानता हूं कि विज्ञान के इतने बड़े प्रादुर्भाव के बाद हर चीज मनुष्य ने खोज निकाली है। वन्य पशु भी मानव जीवन के लिये बहुत आवश्यक हैं। आप टाइगर को ही लें। इसको रहने के लिये 5 हण्डरैड यार्ड से कम नहीं बनाना चाहिये। मैं मानता हूं कि 5 हण्डरेड से कम नहीं रहना चाहिये। इनके लिए अच्छी प्रकार की सेन्च्युरीज बनानी चाहिये ताकि लोग देखने के लिये जायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमें कोई खास शौक नहीं है, सेन्च्युरी देखने का।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प पर पशुओं के बारे में काफी चर्चा हो गई। पक्षियों के बारे में और जल पक्षियों के बारे में व्यवस्था काफी अस्त व्यस्त हो गई है। ये पक्षी स्पेन और रूस से आते हैं। सर्दियों में यहां आकर शरण लेते हैं। इसलिये इन सेन्च्यूरीज को जो राज्य के टाईम में थी, जयपुर स्टेट के टाइम में थी, उनके लिये अच्छी जगह तलाश की जायें। जैसे पशु सेन्च्युरीज की व्यवस्था कर रखी है तो उनके लिये भी की जाये। यह पक्षी बहुत शानदार होते हैं। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। बाहर से आने वाले पक्षियों के लिये भी हो जाये और अपने लिये भी हो जाये। इसलिये मेरा निवेदन है, कि उनके लिये भी राजस्थान में 10-5 जगह डवलप की जाये। तो अच्छा हो।

श्री बजेन्द्रपालसिंह (करौली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प रखा गया है इसके समर्थन में निवेदन करना चाहूंगा। यह संकल्प सरकार ने रखा है, यह तो पहले ही आजाना चाहिये

Page No. 68

(श्री बृजेन्द्रपाल सिंह)

था। स्थिति वहां तक पहुंच गई है, आज जंगलों में पशु रहे ही नहीं हैं। फिर भी अगर हम उनकी रक्षा के लिये प्रयत्न करें तो प्रसन्नता की बात है। यदि वास्तविक रूप से हम उनको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो हमें उनके लिये कार्य करना चाहिये। होता यह है कि उनको निर्दयतापूर्वक मारा जाता है। मार कर उन जानवरों को बेचा जाता है। तो हमको इस पर भी विचार करना होगा। इस बारे में मैं निवेदन करूं कि हमारे जो लाज हैं, वह इतने डिफेक्टिव हैं, उनको ठीक करना चाहिये ताकि हम चोरी को पकड़ सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को निवेदन करूं, भारत में ऐसे ऐसे पक्षी और जानवर हैं, जैसे किसी कण्ट्रीज में नहीं हैं। मैं उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं जैसे चकोर एक ऐसा पक्षी है जो काश्मीर में पाया जाता है। आज स्थिति यह है कि चकोर यहां से लगभग समाप्त हो गया है। विदेशी लोग चकोर ले गये हैं। उन्होंने उसकी वहां पर ब्रीडिंग की है। स्थिति यह है कि वहां पर 50 हजार रु. में चकोर बेचे जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि वन्य पशु पक्षियों का संरक्षण हो। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अधिक समय नहीं लूंगा। जो वन्य पशुओं के संरक्षण का प्रश्न है, इनमें वे जानवर भी हैं तो शान्ति के प्रतीक हैं और वे भी हैं, जो खूंख्वार हैं। डक और कबूतर विशेष रूप से शान्ति के प्रतीक हैं। मोर हमने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में दो राय नहीं हो सकती हैं कि आदमी या मनुष्य का स्थान इन सब से ऊपर है। लेकिन पशुओं की समस्या बड़ी विकट है। घास खाने वाले पशु हैं और मांस खाने वाले पशु हैं। कई पक्षी हमारे देश में माइग्रेट होते हैं। जैसे बस्टर्ड बर्ड है। 700-800 मील से साइबेरिया से रास्ता तय करके जोधपुर और जैसलमेर के एरिया में निकलती है। बस्टर बर्ड का 4 महीने पहले एक मेरे मित्र ने शिकार किया था। तो उसके गले में एक परची मिली जिसमें लिखा हुआ था कि मैं समाप्त होती जा रही हूं। आप मुझे क्षमा दान दें। उपाध्यक्ष महोदय, इन पक्षियों में कई प्रकार के पक्षी हैं। कुछ पक्षी किसानों के लिए बड़े उपयोगी हैं जैसे, तीतर है। वह किसानों का दोस्त है। तीतर का मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है। जिस खेत में तीतर होते हैं, उसमें दीमक नहीं लगती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से अनेक पक्षी किसानों के मित्र हैं तो नुकसान नहीं करते हैं। उनकी रक्षा के लिए कानूनी बन्दिश करनी चाहिए। उनको नहीं मारा जाये। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के सांप होते हैं। बहुत से सुनहरे सांप होते हैं, उनको मारा जाता है। एक दो मुंही सांप होता है जो कि चूहे खाता है। बहुत से सांप जहरीले नहीं होते हैं आदमी भय के कारण उनको मार डालता है। दो मुंही सांप चूहों को खाता है। दिल्ली कारपोरेशन ने तो 4 आना कीमत भी एक चूहे को मारने की रखी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चूहा तो गणेश जी का वाहन है।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : वह खाता खूब है। गणेशजी का वाहन है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से हिरन हैं। काले हिरन आज समाप्त होते जा रहे हैं। डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा था। विश्नोई लोगों की हिरन के बारे में धार्मिक भावना है। उन्होंने धार्मिक भावना के नाते उनकी रक्षा की है। इस प्रकार के पशुओं और पक्षियों की रक्षा होनी चाहिए। जो खूंख्वार शेर, चीते वगैरह होते हैं, इस प्रकार के कई ऐसे हैं जो कि दुनियां के किसी भी देश में नहीं मिलते हैं। उनको मार कर लोग खालें बेच रहे हैं। आज इन खालों से विदेशी मुद्रा की बहुत बड़ी हानि हो रही है। सारी खालों का एक्सपोर्ट होता है और उससे काफी विदेशी मुद्रा की हमारे देश को हानि हो रही है। मैं समझता हूं ऐसे जो वन्य पशु हैं, हमारे भारतवर्ष में ऐसे स्थानों की कमी नहीं है जहां पर इन पशुओं को रखा जा सके, जैसे कि आपके चम्बल के रेविन्स हैं, जहां डाकू प्राटेक्शन लेते हैं, जहां कोई प्रकार की खेती नहीं होती, वहां पर इस प्रकार की गुफायें, केव्स हैं जहां डाकुओं के दल छिपे रहते हैं, जहां किसी प्रकार की खेती होने की सम्भावना नहीं है, किसी प्रकार मनुष्य को हानि होने की सम्भावना नहीं है। यह किसी प्रकार से सही नहीं है, तर्कसंगत नहीं है कि 52 गांवों को उजाड़ करके सिरिस्का में आप सैंचुरी बनायें। मेरी समझ में नहीं आता जब धौलपुर में रेविन्स मौजूद हैं, कोटा, चम्बल में रेविन्स मौजूद हैं जहां पर आप गेम सैंचुरी बना सकते हैं और बिना पशुओं की हानि किये आप वहां सैंचुरी बना सकते हैं और उनको वहां पर प्रोटेक्शन दे सकते हैं, इस प्रकार के स्थान राजस्थान में हैं जहां खेती नहीं हो सकती है, जैसे जैसलमेर का इलाका है, बीकानेर की इस प्रकार की बैल्ट है जहां टीबे हैं, जहां पर आप पाश्चर लैंड बना सकते हैं, और जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा करें तो केटल ब्रीडिंग का धन्धा कर सकते हैं– उन टीबों पर आप खेती करने की कल्पना करें तो यह सम्भव नहीं हो सकता है, न वह टीबे कमाण्ड हो सकते हैं, न इन क्षेत्रों में इतनी बारिस होती है कि उन टीबों पर आप किसी प्रकार से खेती कर सकें। इसलिए इस प्रकार के जो स्थान हैं, वहां पर सैंचुरी के लिये योजना बनाई जाय ताकि वहां पर आप वन्य पशुओं को संरक्षण खूब अच्छी तरह से दे सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, पशुओं का मनुष्य के जीवन से अपना एक विशेष सम्बन्ध है। डक्स हैं जो सारे यूरोपियन कन्ट्रीज से हमारे देश के अन्दर आती हैं, भरतपुर की डीग लेक के अन्दर आती हैं, यू. पी. से कई लेक्स में आती हैं, इसी प्रकार साउथ की कई लेक तक यह डक्स जाती हैं टेम्प्रेचर के हिसाब से। इन सारे पशुओं के सम्बन्ध में स्टेट के ला हों, सारे देश के इन्टीग्रेटेड ला इन पशुओं के सम्बन्ध में होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप चीते को ले लीजिये, राजस्थान का चीता और आसाम का चीता–अलग अलग हैं तो इन पशुओं की अलग-अलग स्पेसीज हैं, अलग अलग वेराइटी हैं। अब मैं इतना ही कहूंगा ज्यादा समय न लेते हुए कि आज

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

में हैं। लोग मोर मार कर खा जाते हैं मोर के छोटे छोटे बच्चों को खा जाते हैं, उनको कोई संरक्षण नहीं है। जिस पक्षी को राष्ट्र का प्रतीक बना लिया है उसको संरक्षण किसी प्रकार की नहीं है, आज मोर कम होता चला जा रहा है, देखने को नहीं मिलता है, मोर सांप खाता है, विशेष कर काला सांप खाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मोर राष्ट्र का सुन्दरता के कारण सिम्बल है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार के यह निरीह पशु हैं, जिससे मनुष्यों को कोई हानि नहीं है और इससे भावनात्मक सम्बन्ध भी है, मनुष्य का। मनुष्य सुबह उठता है, पक्षियों की चहचहाट सुनता है, सुबह होने का प्रतीक मुर्गा है, मनुष्य उसकी आवाज से जागता है। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग पक्षी आते हैं, जिनका मनुष्य के जीवन से गहरा तालमेल है। मनुष्य केवल मशीन नहीं है, आप मनुष्य को आज मशीन बनाना चाहें, वह वैसे ही बेरोजगारी की चक्की में पिस रहा है, आज का मनुष्य हर प्रकार के आर्थिक संकट में से गुजर रहा है, यह पूंजीवादी व्यवस्था आज के मनुष्य के जीवन में संकट बन गया है, उसमें काम्प-लेक्स है, पशुओं का उसके जीवन में अपना स्थान है, अपनात्मक स्थान है, इसलिये पशुओं को प्रोटेक्शन देना चाहिये। मैं समझता हूं कि मनुष्य की कोस्ट पर इन पशुओं को प्रोटेक्शन न देकर ऐसे स्थान आपको चुनने चाहिये सैंचुरी के लिए जहां पर खेती नहीं हो सकती और मनुष्य का कोई नुकसान नहीं हो सकता हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (वन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो रिजोल्यूशन कान्स्टी-ट्यूशन के आर्टिकल 252 के अन्तर्गत सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है उस रिजोल्यूशन को पारित करने के सम्बन्ध में अभी तक तो जो माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे हैं, उसमें कोई मतभेद नहीं है लेकिन किस प्रकार से वन्य प्राणियों को, वन्य पशुओं को संरक्षण दिया जाय–इस सम्बन्ध में थोड़ा सा मतभेद है। आज के वैज्ञानिक युग में मनुष्य के पास में इतने आधुनिक साधन हैं कि वह वाइल्ड लाइफ को जब चाहे तब खत्म कर सकता है, लेकिन यह प्रकृति की ऐसी अमुल्य धरोहर है कि इसको प्रोटेक्शन और संरक्षण अवश्य दिया जाना चाहिये, और इसको प्रोटेक्शन इसलिये दिया जाना चाहिये कि यदि प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ी केवल अन्दाज और अनुमान लगायेगी कि इस प्रकार के वन्य प्राणी पैदा हुआ करते थे। मनुष्य को केवल अपने को ही प्रोटेक्शन नहीं देना है, लेकिन जो दूसरे प्राणी हैं, पक्षी हैं, जो नहीं बोलने वाले हैं, अनबोले हैं इसलिए मनुष्य के ऊपर उत्तरदायित्व है, इस प्रकार की स्पेसीज को संरक्षण दिया जाय, एक्सटिंक्शन से बचाया जाय। यह प्रश्न सरकार के सामने कुछ अर्से पहले से विचाराधीन है, वाइल्ड लाइफ बर्ड और दूसरे दुनियां की अन्य संस्थाओं ने भारत को समय-समय पर लिखा है, इस प्रकार की वाइल्ड लाइफ की स्पेसीज हैं हिन्दुस्तान के अन्दर, उनका धीरे धीरे विनाश होता जा रहा है, कम होती जा रही हैं, एक्स-टिंक्शन की पासिबिलिटी हैं, इसलिए देखा जाय तो पूरे हिन्दुस्तान भर में वाइल्ड

(श्री परसराम मदेरणा)

लाइफ के प्राटेक्शन के लिए दो तीन स्थान बने हुए हैं, जिनके अन्तर्गत प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन दूसरी स्टेट्स ने कानून नहीं बना रखे हैं, जिसका अन्ततोगत्वा यह नतीजा होता है, कभी एक स्कीम को ले लिया जाय, कभी दूसरे जानवर की स्कीम ले ली जाय। राजस्थान के स्टेट में रुकावट इसलिए नहीं है कि यूनिफार्म ला नहीं है, फिर भी एक्सपोर्ट होता है उस पर पाबन्दी लगाई गई है कानून भी है स्टाक को देखना और सीज करना। लेकिन दूसरी स्टेट्स में राज्य सरकार नहीं कर सकती। इसलिए यह सोचा गया कि यूनीफार्म ला हो। तो गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य का जो एप्रीहेंशन था कि आर्टिकल 252 के के अन्दर रिजोल्यूशन पास करके भारत सरकार को अधिकार देते हुए चले जा रहे हैं। कान्स्टीट्यूशन में हमको जिन आइटम्स के ऊपर सेवन्थ शिड्यूल के अन्दर लेजिस्लेचर करने का अधिकार है उस अधिकार से अपने आपको वंचित नहीं करना चाहिए, वह अधिकार रखना चाहिए। यह यूनीफार्म बिल भारत सरकार के बनाने के बाद राज्य में भी एडाप्ट हो जायेगा। मेरा इतना ही निवेदन है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर भारत सरकार ने एक पत्र में लिखा है, राज्य सरकार का अगर यह एप्रीहेंशन है कि उनकी पावर्स करटेल करने जा रहे हैं तो यह तथ्य नहीं है, हम ज्यादा पावर्स दे रहे हैं, वह इस प्रकार दे रहे हैं कि जिससे स्टेट में वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर सकें। इसके साथ थ्रू आउट कंट्री सेंचुरी गवर्नमेंट आफ इंडिया के लेने की बात है। गवर्नमेंट की सहमति पर क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उन स्पेसीज को बचाने में असमर्थ है अर्थाभाव के कारण उसकी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेने में असमर्थ हैं। इसलिए पावर को कर्टेल करने वाली बात नहीं है, पावर अपग्रेड करने की बात सोच रहे हैं स्टेट के बारे में, इसलिए मैं सोचता हूं कि एक यूनीफार्म बिल इस सम्बन्ध में बनाया जाना आवश्यक है। भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अभी हाल ही में 12 अप्रेल को एक पत्र राज्य के मुख्य मंत्री बरकतुल्ला खां साहब को लिखा है, उस पत्र को मैं यहां पढ़ना चाहता हूं:

"Dear Barkatulla Sahib,

I have written to you in the past about wild life conservation and management. Although there is now greater consciousness about this problem than a few years ago, we have not been able to significantly arrest the continuing decline of our fauna, including many endangered species. Poaching is on the increase and we continue to receive reports of lucrative trade in the furs and pelts of even those animals like the tiger whose shooting sini law prohibited throughout the country. Regretably, some State emporia are also involved in this business.

My colleague, the Agriculture Minister, has already written to you about the difficulties of controlling trade and texidermy

(श्री परसराम मदेरणा)
in the absence of a uniform central law applicable to the entire country. Experts are unanimous that only an integrated and countrywide policy of wild life conservation and management can arrest the present precipicious decline. I have also received several urgent appeals from the World Wild Life Fund.

It is for these reasons that we now seek your cooperation to enact Central legislation on wild life conservation and management. A new Bill incorporating the most recent thinking on wild life management has been prepared. The Bill also provides specific remedies in the Indian context which will make it possible for the Central and State Governments to deal effectively with the more insidious threats to our fauna.

This is not a political issue. It concerns the survival of our famous natural heritage. It is hard to think of an India devoid of its magnificent animals, of the hard pressed tiger for instance going the way of the now extinct Indian Cheetah. Past experience reveals the limitations of the regional approach, with State laws frequently at variance with one another and all the attendant difficulties of implementation. The Centre and the States must now act in concert on the basis of common legislation which should be strictly enforced.

I, therefore, request you to get a resolution passed in your Legislature in accordance with clause 1 of Article 252 of the Constitution as early as possible.

Yours faithfully,
Indira Gandhi."

प्रधान मंत्री के इस परामर्श के बाद यह प्रस्ताव सदन में लाया गया ।

श्री केदारनाथ : श्रीमती गायत्री देवी ने भी पत्र लिखा था ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सभी सदस्यों को आया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार को भी आया होगा ।

श्री परसराम मदेरणा : आया होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसे पत्र से आप ज्यादा प्रभावित हुए ।

श्री **परसराम मदेरणा** : तो प्रधान मंत्री की लेविल पर कानून लाने की आवश्यकता महसूस की गई । अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने पहले भी 10 तारीख को सदन में जब फारेस्ट की डिमांड पर चर्चा की थी, उन्होंने यह प्रश्न उठाया था । माननीय सदस्य का ऐतराज

Page No. 73

(श्री परसराम मदेरणा)

यह है कि सिरसिका सैंक्चूएरी में 52 ग्राम बीच में बसे हुए हैं और इन ग्रामों में रहने वाले जो निवासी हैं उनको सैंक्चूएरी की वजह से बड़ी कठिनाई है खास तौर से वाइल्ड लाइफ से उनकी जान को खतरा बना हुआ है। जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, इनसान अपनी जगह पर है और शेर अपनी जगह पर है। राज्य सरकार यह कभी भी नहीं चाहती कि जो जंगली पशु हैं, वे इन्सानों को मारते चले जायं और राज्य सरकार कुछ नहीं करे। आपने देखा होगा कई शेर मैन ईटर्स होते हैं लेकिन उस पर रिसर्च भी हुआ है और हमारे यहां वन विभाग में श्री सामला टाइगर पर रिसर्च कर रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं। तो मुझसे गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि कितनी संख्या वाइल्ड लाइफ की है। सब आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन चर्चा का विषय यह जरूर बना था। जो रिसर्च कर रहे थे उससे मुझे डिस्कशन करने का अवसर मिला। तो उन्होंने कहा कि टाइगरों की सैंक्चूएरी में संख्या जहां पहले 10 थी, अब तो वह भी कम हो गई। गुजरात में और दूसरी जगह 30-40 है। राजस्थान में भी अनुमान किया जाता है कि कुल टाइगर्स की संख्या 30-40-50 के बीच में है। पहले 300-400 थी। इसलिये जरूरी है कि वाइल्ड लाइफ के अलावा दूसरे जो जानवर हैं, जो खतरनाक नहीं हैं, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने काले हिरन के बारे में एक बात कही कि उसको संरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए राज्य सरकार ने एक सैंक्चूएरी खोल रखी है जहां 400 हिरन हैं। थोड़े दिन पहले सैंक्चूएरी को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कई लोग तो वहां चराई के बहाने शिकार कर भाग जाते हैं। उसके साथ साथ मवेशियों को चराते हैं, हिरनों को बाहर निकालते हैं सैंक्चूएरी से, उसके बाद उनको शिकार का अवसर मिलता है। इसलिये चारों तरफ से एन्क्लोजर बनाया जाना चाहिये. इस प्रकार के आदेश मैंने विभाग को दिये हैं। मैं समझता हूं, सभी प्रकार के वन्य प्राणी चाहे खतरनाक हैं, चाहे नहीं हैं, उनको संरक्षण मिले। यह भी आवश्यक है प्राकृतिक बेलेन्स रखने के लिए। बहुत से जानवर ऐसे होते हैं और बहुत से पशु पक्षी होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाने का काम करते हैं। अगर न करें तो प्राकृतिक इम्बेलेन्स हो सकता है। प्राणी विज्ञान के जो लोग एक्सपर्ट हैं और साइन्टिस्ट्स हैं उनका भी ऐसा मानना है। इसलिए मुझे इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना है कि माननीय सदस्यों का यह एप्रीहेन्शन कि इससे राज्य सरकार की पावर्स कर्टेल हो जायगी राज्य सरकार ऐसा नहीं मानती है।

जहां तक स्किन और दूसरी चीजों की ब्लेक का सम्बन्ध है इसको रोकने के लिये सीजर और पनिशमेन्ट ज्यादा हो, तो नया बिल का प्रारूप भारत सरकार तैयार कर रही है जैसे कृषि मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि पावर्स को एन्हांस कर रहे हैं और उसमें पनिशमेंट ज्यादा देने का प्रावधान है। भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह काग्नीजेबल आफेंस होना चाहिये। इसके लिये मैं नहीं कह

(श्री परसराम मदेरणा)

सकता लेकिन स्ट्रीजेन्ट पनिशमेंट का प्रावधान उस बिल में रखा जा रहा है । इन्हीं शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि जो रेजोल्यूशन मैंने सदन के समक्ष रखा है उसको पास करने के बाद में भारत सरकार को अधिकार दे रहे हैं कि इसका यूनीफार्म कानून बनाये ताकि वाइल्ड लाइफ के संबंध में प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन के संबंध में एकरूपता लाई जा सके ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प वन मंत्री ने वन्य प्राणियों और पक्षियों की रक्षा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया ।

संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक, 1971 का अनुसमर्थन

श्री **केदारनाथ** : इस संकल्प को पेश करने में मुझे आपत्ति है । आपत्ति यह है कि ये संविधान की धारा 368 के तहत रिजोल्यूशन मूव कर रहे हैं जबकि राष्ट्रपति की असेंट आ गई और ला की शक्ल ले ली, फिर रेटीफिकेशन की क्या जरूरत है? इसमें यह होता है कि जब लोकसभा में पास हो जाए और राज्य सभा में पास हो जाय तो हाफ आफ दी स्टेट्स मिनिमम नम्बर रखा है कि वे रेटीफिकेशन का रेजोल्यूशन पास करती हैं तो जब राष्ट्रपति की असेंट आ गई, ला की शक्ल ले ली तो इसको पेश करने की जरूरत नहीं है ।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : सुपरफ्लूअस-

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा । जब 25वां कान्स्टीट्यूशनल एमेन्डमेन्ट बिल की संवैधनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो चुकी है और संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेज से यह विधेयक पास हो चुका है, इसके साथ और भी कई स्टेट्स ने इसे पास कर दिया है और जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं, एसेण्ट हो गयी है राष्ट्रपति की इस बिल पर, तो यह बिल भी नहीं रहा और एक्ट बन चुका है फिर इसके अनुसमर्थन करने की क्या जरूरत आन पड़ी है? जब बन चुका है और पूरे भारतवर्ष में लागू होगया है तब राजस्थान विधान सभा द्वारा इस पर बहस करना मैं तो निरर्थक समझता हूं । यह तो केन्द्रीय सरकार को जबरदस्ती अपना अपनत्व बताना है । मैं राज्य सरकार का इस प्रकार के कार्य को जनता के समक्ष एक्सरसाइज इन फ्यूटीलिटी समझता हूं । जब इसको भारतवर्ष के दोनों हाउसेज से मत मतान्तर से अनुसमर्थन प्राप्त हो चुका है और जब एक्ट बन गया है जिससे कि आपका मकसद पूरा हो जायेगा फिर ये भेड़ चाल वाली स्थिति पैदा की जा रही है । और आज जब कोई भी इसका विरोध करना नहीं चाहता है तब इसको हाउस में लाया जा रहा है । विरोध करने की स्थिति भी थी जब विरोधी पक्ष में 90-91 सदस्य इसी सदन में मौजूद थे । वैसे जहां तक विरोध करने वाले की बात है मैजोरिटी और माईनरिटी

(श्री लक्ष्मण सिंह)

कोई भी वक्त नहीं रखता। यह तो व्यक्तिगत बात है कोई भी सदस्य बहस में भाग ले सकता है लेकिन तब बिना बहस के राज्य सरकार को उसका समर्थन मिल रहा है तब इस प्रकार बहस सदन में होने में एक्सरसाइज इन फ्यूटीलिटी समझता हूं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब 25वां कान्स्टीट्यूशनल एमेन्डमेन्ट बिल ही नहीं रहा तो आप इस पर क्यों बहस कर रहे हैं। क्योंकि यह तो एक्ट बन चुका है। तो मेरा सुझाव है कि इस पर सदन में बहस करना अनावश्यक होगा।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, प्रश्न यह है कि क्या इस सदन के अन्दर उस बिल के ऊपर विचार किया जाय जैसी कि स्थिति अभी माननीय सदस्य ने बतायी कि जब आज से बहुत अर्से से पहले एक बिल दोनों हाउसेज से पास हो चुका है एक बिल राज्य सभा और लोकसभा दोनों से ही पास हो गया है तथा दूसरी स्टेट्स से जितनी स्टेट्स को उस बिल को पास करना जरूरी था वह पास कर चुकी है और इसके बाद राष्ट्रपति की उस बिल पर एसेन्ट हो चुकी है। तब मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल नहीं रहा हैं। वह तो अब एक्ट बन चुका है और उसके अनुसार जो संवैधानिक कार्यवाहियां होनी चाहिये थी वह भी हो चुकी हैं। तब उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस एक्ट पर जो कि सारे भारतवर्ष में लागू हो गया है इस सदन में बहस करना, उसको बिल मानकर चलना कहां तक न्यायसंगत है मैं समझता हूं कि यह तो सदन का समय जाया करने के सिवाय कुछ भी नहीं होगा और राज्य सरकार इसमें फ्यूटाईल एक्सरसाइज कर रही है। मेरा विचार है कि इस बिल को पारित नहीं किया जाय। क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। गोलकनाथ के फैसले के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं रहती। क्योंकि कान्स्टीट्यूशनल बिल भी पास होकर एक्ट बन चुका है इसलिये मेरा निवेदन है कि संवैधानिक दृष्टि से इस प्रश्न पर सदन में विचार नहीं किया जा सकता जहां तक औपचारिक प्रश्न का सवाल है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि बिल संवैधानिक रीति से जब एक्ट बन जाता है उसके बाद में सदन में इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस 25वें कान्स्टीट्यूशनल एमेन्डमेन्ट बिल पर सदन में बहस नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य :

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि अभी जिन माननीय समस्य ने संवैधानिक आधार पर जो आपत्ति उठायी है और विश्लेषण इस संशोधन प्रस्ताव के बारे में किया है उसके अनुसार अब इस पर सदन में बहस होना न्यायसंगत नहीं है। आप एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे हैं जिस पर कि राष्ट्रपति की एसेन्ट हो चुकी है। अब ऐसा कोई प्रश्न विधान सभा के समक्ष नहीं रखा जा सकता और न इस पर औपचारिक रूप से बहस करने की

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
आवश्यकता हो है। क्योंकि यह बिल एक्ट बन चुका है और इस प्रकार संवैधानिक दृष्टिकोण से जो कार्यवाही होनी चाहिये वह हो चुकी है। इसलिये राज्य सरकार चाहे तो कोई प्रस्ताव पास करके उसे केन्द्रीय सरकार के पास भेज दे इस आशय का। जो माननीय सदस्य ने आपत्ति उठायी है वह सही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सदन का समय इसमें व्यर्थ जाया होगा और उसका अर्थ भी नहीं निकलेगा। अच्छा होगा राज्य सरकार सदन की अपनी भावनाओं के संदर्भ इस विषय को वापिस ले ले। और जो अवशेष समय रहे उसको विश्वविद्यालय से संबंधित जो बिल है उस पर विचार करने में लगाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हम बहुत चाहते थे कि 25वां कान्स्टीटयूशनल एमेन्डमेंट बिल इस सदन में आये। और इस पर माननीय सदस्यों को अपने अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिले। उपाध्यक्ष महोदय, यह हिन्दुस्तान के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण आगे का कदम है। पर जिस स्टेज पर अब यहां इसे सदन में जिस रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है और उसमें जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपत्ति उठायी है उसको मैं दुरुस्त मानता हूं। इस बिल को यहां पर एक संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और इसमें कान्स्टीटयूशनल 25वें एमेन्डमेन्ट बिल, 1971 पर इस सदन की स्वीकृति रैक्टीफिकेशन के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है। अब उपाध्यक्ष महोदय, यह एमेन्डमेंट बिल नहीं रहा यह एक्ट बन चुका है और हिन्दुस्तान की आधी से अधिक स्टेट्स ने इसका रैक्टीफिकेशन कर दिया है। दोनों हाउसेज आफ पार्लियामेंट ने इसे मेजोरिटी से पास कर दिया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति हो चुकी है। इसकी संवैधानिक पूर्ति भी हो चुकी है। और इसके बाद में इसका संविधान में समावेश भी हो चुका है। इसलिये अब कोई बिल जिसको कि यहां प्रस्तुत किया जा रहा है यह बिल नहीं है यह एक ऐतिहासिक एक्ट बन चुका है। यह बिल नहीं स्टेचूट बन चुका है। चूंकि यह बिल पार्लियामेन्ट के सामने पेश हुआ, वहीं पर पार्लियामेन्ट में पास हुआ और उसके बाद में एक्ट बना। ऐसी स्थिति में इस सदन में इस एक्ट को बिल कह कर पुकारना मैं समझता हूं कि वस्तुस्थिति के खिलाफ है। जिसे हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 368 के बहुत कान्स्टीट्यूशन में शामिल किया है और उस के लिये जितनी विधान सभाओं द्वारा रैक्टीफिकेशन करना चाहिये था कर लिया गया है। इसलिये यह बिल न रहकर एक्ट बन गया है इसलिये इसके रैक्टीफिकेशन की जरूरत नहीं है। अलबत्ता मैं इस विचार से असहमत नहीं हूं कि इस सदन को ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो कि सारे हिन्दुस्तान में एक प्रोग्रेसिव कदम है। जैसा कि मैं मानता हूं कि इससे सोसियो इकोनौमिक चैन्ज के लिये लेजिसलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वास्तव में जो गरीबी हटाओ जनता को नारा दिया है। उसको मूर्त रूप देने के लिये एक तारीखी कदम आगे कह सकते हैं। और इस सदन को ऐसे प्रश्न पर अपने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विचार व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिये। जिससे वास्तव में जो वेस्टेड इन्टरेस्ट की कटेगरीज के लोगों की पूरी तरह से नकाब जनता के सामने आ सके। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं चाहूंगा कि एक संकल्प के जरिये सरकार को यह अधिकार है कि वह इस सदन में रूल 119 के तहत उसके एक सब्सटेन्टिव मोशन न होकर मैं समझता हूं कि एक संकल्प रखें। जिसे हम स्वीकार करके पास कर सकते हैं। ताकि उस संकल्प पर हम अपने विचार व्यक्त कर सकें। पार्लियामेन्ट में जब यह बिल लाया जा रहा उस वक्त जब तक कि यह पास नहीं हुआ और जब तक संविधान में संशोधन नहीं हुआ तब तक लोगों ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस लेजिसलेशन को रोकने के लिये काफी प्रयास किये कि ऐसा कोई रास्ता नहीं खुले। जहां तक डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को मूर्त रूप देने का है यह स्वागत योग्य कदम है। मैं चाहूंगा कि उसको मूर्त रूप मिले। यह अब हमारे कानूनी तरीके के अनुरूप नहीं है और इसलिये मैं चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि 119 के तहत संकल्प होना चाहिये। गवर्नमेन्ट उसको स्वीकार करे तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है :

The resolution is:—

"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (25th Amendment) Bill, 1971, as passed by the two Houses of Parliament."

Now that Bill has already been made an Act. It is no more a Bill. I would now refer to Article 368, proviso :—

"Provided that if such amendment seeks to make any change in....the amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States by Resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill making provision for such amendment is presented to the President for assent."

Now it has already been presented to the President for assent and it has also received his assent.

इसलिए प्रश्न तो यह रहता नहीं है लेकिन जैसा सदन के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये भूले भटके मैं भी उन्हीं विचारों को अमली रूप देने का प्रयत्न करूंगा। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी बता दिया। इससे काया पलट जावेगी, मैं इसको नहीं मानता। कान्स्टीट्यूशनल अमेन्डमेन्ट आया यह आना चाहिये

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

था। एक ऐतराज और भी आया, स्वतन्त्र पार्टी की ओर से आया। आपकी मर्जी आये ैसा कानून बना दें कम्पन्सेशन को लेकर। इस फैक्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता और उसके बाद भी जो आने वाला कानून है, जैसे जागीर रिजम्पशन एक्ट के तहत बना रहे हैं। जागीरदार के पास जमीन है, पानी का बीस रुपया बीघा जमीन का ले रहे हैं। फोर टाइम्स कम्पन्सेशन देने का प्रश्न आवेगा। जयपुर का अलग बना देंगे। दूसरे का अलग। वह का वह प्रिन्सिपल में रख दिया जावे कि मार्केट वेल्यू रख दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कांग्रेस दल में भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने विरोध किया है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : प्रश्न यह है कि सन् 50 में जमीन चार आने गज मिली थी आज 2।। रुपया पर स्क्वायर फीट है। मार्केट वेल्यू की आजादी दे दें।

श्री केदारनाथ : व्यवस्था के प्रश्न पर?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं भी वह विचार प्रकट करने जा रहा हूं। बहुत अच्छा ला है मैं यह नहीं मानता। कान्स्टीट्यूशनल अमेन्डमेन्ट परिस्थिति बदल दे मैं यह मानता हूं। पार्लियामेन्ट का ला बन गया हैं इसलिये विधि मंत्री से निवेदन करूंगा कि, यह भारतवर्ष के पत्रों में जा चुका है, आज रेटीफिकेशन के लिये बहस करें उचित नहीं होगा। आप इसको विद्ड्रा कर लें तो अच्छा होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): वह तो बन गया कानून, बिल है नहीं। विधान सभा के सदस्य बने थे ज्योंही सबसे पहले 25 वें संशोधन रैटीफिकेशन के लिये आया था। आज इतने विलम्ब से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया जब कि भारत के राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर हो गये हैं और एक कानुन बन चुका है। यह बड़ी ही खेदजनक बात है। सदन की कार्यवाही में इजाफा करना है और सदन को चलाना ही है ऐसा आभास मिलता है। मंत्री महोदय के वक्तव्य वाली बात भी टाल गये।

श्री उपाध्यक्ष : बहस कर रहे हैं आगे····। विधि मंत्री।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष जी, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अठारवें वार्षिक प्रतिवेदन (1-4-67 से 31-3-68) को आज क्यों रखा गया? आज क्या आवश्यकता थी? किस की जिम्मेदारी है? पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पड़ा रहा या राज्य सरकार के पास पड़ा रहा? आज यह राज्य सरकार के मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला था। 69 गया, 70 गया, 71 गया और सन् 72 वां चल रहा है। पुरानी चीज की फोर्मेलिटी पूरी कराने के लिये कौन दोषी है? इसको रखने की आवश्यकता नहीं थी और 25 वें संशोधन को भी रखने की आवश्यकता नहीं थी जो कि आलरेडी कानून बन चुका है। सदन की कार्यवाही के लिये फोर्मेलिटी को पूरा करने के लिये सदन को लम्बा चलाना हो तो दूसरी बात है उसके लिये इस प्रकार सदस्यों का समय खराब करने से क्या फायदा। कानून बन

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

चुका है और बिल नहीं है इसलिये इसको तो वापिस लेलें। लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन को चार साल बाद रखा है इससे बढ़ कर खेद जनक बात और क्या हो सकती है?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, कानूनी मुद्दा उठा है कि 25 वां संविधान संशोधन अब एक कानून बन चुका है, अब उसको बिल के रूप में पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रैटीफिकेशन की भी आवश्यकता नहीं है। कनूनी पोजीशन तो यह है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि कानून बन गया है फिर भी प्रस्ताव भेज देना चाहिये। वह रिजोल्यूशन के रूप में आना चाहिये था ताकि प्रस्ताव भेज दिया जाता। पहले एजेन्डा में था। पूर्व में 50 प्रतिशत स्टेट्स से जाना चाहिये था वह उसी रूप में आया था। यह फार्मेलिटी तो उस समय में पूरी की जा सकती थी। एजेन्डा एज इट इज आया। बिल को रैक्टीफाई कराने की बात नहीं है। और न ही उसकी कोई आवश्यकता है। मंत्री महोदय क्या पक्ष रखेंगे। कानूनी पोजीशन तो यह है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : राजस्थान विधि विभाग ने भी यही राय दी थी कि इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : विधि मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (विधि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी····

श्री केसरीमल : और नए पोइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पोइन्ट आफ ओर्डर तो हमने रखा ही है।

श्री केसरीमल : पान खा रहे हैं····

श्री निरंजननाथ आचार्य : अन्दर है पान।

श्री केदारनाथ : पान खाने के कारण आवाज साफ नहीं आती।

श्री केसरीमल : मंत्री महोदय बोलते हैं पान खाकर तो आवाज साफ नहीं आती है। मुंह तो पान से भरा रहता है। पान मुंह में रहता है तो आवाज साफ नहीं निकल सकती।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्याक्ष जी, अगर इस सदन में मेरी आवाज ही साफ नहीं है तो किसी को भी नहीं है····

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी आवाज बुलन्द जरूर है लेकिन साफ नहीं है इसलिए कि पान खाकर बोलते हैं

श्री परसराम मदेरणा : और मेरी आवाज माननीय सदस्यों को साफ सुनाई नहीं देती तो···

श्री केसरीमल : आवाज तेज है लेकिन पान खाने की वजह से साफ तौर से बाहर नहीं आती है।

श्री परसराम मदेरणा : कान साफ नहीं दीखते हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जो ऐतराज जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया कि यह जो बिल कान्सटीट्यूशन का 25वां संशोधन बिल है यह एक्ट बन चुका है और इस कारण अब इसे यहां लाने की आवश्यकता नहीं है। यह बात सही है कि यह एक्ट बन चुका है और हम यहां पर बिल को सर्टीफाई करने के लिए नहीं आये हैं। उस समय यह बिल आया हमारे पास में तो इन्टर सेशन पीरियड था जिसके कारण हम रैटीफाई नहीं कर सके और अब यह एक्ट बन गया है। जब यह एक्ट बन गया है तो इसको क्यों लाया जाये यह मुद्दा माननीय सदस्यों ने वैधानिकता का सदन में खड़ा किया। मेरा यह निवेदन है कि एक्ट बन भी गया और इस हाउस के रेटीफिकेशन के लिए बिल के रूप में आया था उस समय हम मीट नहीं हो सके और रैटीफाई नहीं कर सके। आज उस रैज्योल्यूशन को एक्ट बनाने के बाद भी अगर हम कोई प्रस्ताव बना देते हैं ऐसे प्रोग्रेसिव मैजर्स पर सोशियो इकानामिक जस्टिस लाने के लिये हैं उसका इम्पेक्ट क्या होगा, उनको एप्लाई करने के लिए या उनको प्राप्त करने के लिए संविधान में जो 25वां संशोधन हुआ है वह किस हद तक साबित होगा– बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को कुछ कम आशायें हैं। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हम सोशियो इकानामिक जस्टिस की तरफ जायेंगे और यह प्रोग्रेसिव अमेन्डमेन्ट है। माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसको नहीं रखा जाये तो मुझे इसको विथड्रा करने में ऐतराज नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह भी बता दें कि कैसे आ गया था ?

श्री केदारनाथ: बहुत धन्यवाद आपको।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप चाहते हैं कि डिसकशन करें तो आप सब्स्टेन्टिव मोशन ला सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमको बोलने का मौका मिले। आप रूल 119 के तहत मोशन बना दें।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार इस रैजोल्यूशन को इसलिए लाई थी कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कोई ठोस सुझाव देवें। जहां कहीं भी इस तरह से सोशियो इकानामिक आब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए कुछ क्लाज हैं वह चाहे किसी भी कानून के अन्तर्गत हो उसके लिए माननीय सदस्य की ओर से सुझाव आयेंगे. उस पर राज्य सरकार विचार करेगी। लेकिन आप डिसकस नहीं करना चाहते तो राज्य सरकार भी नहीं करना चाहती।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिसकस करना चाहते थे लेकिन कानूनी अड़चन है दूसरे तरीके से डिसकशन करवा लीजिए, डिसकशन हो जायेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : The motion has been put now.

आपत्ति का प्रश्न आया है वह राज्य सरकार ने स्वीकार किया इसलिए विथड्रा कर लिया गया।

श्री उपाध्यक्ष: मैंने मंत्री महोदय को संकेत किया था कि आप मोशन रखें लेकिन उसके पूर्व ही आपने आपत्ति उठाई थी इसलिए मोशन सदन के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं हुआ और न उसकी अनुमति थी।

श्री केदारनाथ : वह तो सरकुलेट हो गया हाउस में।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने मूव ही नहीं किया इसलिए विथड्रा का सवाल ही नहीं है। मैं मूव ही नहीं करता।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : You were not allowed to move.

श्री परसराम मदेरणा : Allowed or not allowed is not the question. I don't want to make it a prestige question.

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

विधायी कार्य

राजस्थान, जोधपुर व उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1972, विचारार्थ प्रस्तुत

श्री नारायण सिंह (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, तीनों विधेयक एक ही प्रकार के हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मुझे आज्ञा दी जाये कि मैं तीनों को एक साथ ही प्रस्तुत करूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि तीनों विधेयकों को एक साथ विचारार्थ प्रस्तुत किया जाये?

(स्वीकृत)

तीनों विधेयकों को एक साथ प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री नारायणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाये।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1972 को विचारार्थ लिया जावे।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

श्री नारायणसिंह : एक साथ ही इन पर विचार हो।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक विश्वविद्यालयों पर जो प्रस्तुत हुए हैं उनके संबंध में माननीय शिक्षा मंत्रीजी को एक बार पुन: पुरजोर शब्दों में कहना चाहूंगा कि इन विधेयकों पर पुनर्विचार किया जाये और पुनर्विचार इसलिए किया जाये कि आपने यह घोषणा पहले भी की है कि प्राथमिक शालाओं से लगाकर विश्वविद्यालयों तक हाई पावर कमेटी का गठन किया जायेगा सारी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। तो उस कमेटी का स्वरूप क्या है, क्या स्थिति है और विधेयक

Page No. 82

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
प्रस्तुत होने के पूर्व अगर वह कमेटी बनी है और यदि आपने कुछ और निर्णय उस कमेटी की रिपोर्ट पर लिये हैं तो फिर इस विधेयक पर संशोधन इस प्रांगण पर लाना पड़ेगा ।

आपका ध्यान एक और स्थिति की ओर आकर्षित करता हूं । माननीय मुख्य मंत्री ने जब विद्यार्थियों का स्ट्राईक नवम्बर में हुआ था तब उन्होंने यह घोषणा की थी कि विद्यार्थियों का रिप्रेजेन्टेशन भी विधेयक में होगा ।

(2.9 म. प.)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

मेरा खयाल है कि शिक्षा मंत्रीजी की स्मृति इस प्रश्न पर सजग होगा । ऐसा नवम्बर में 'रिप्रेजेन्टेशन आफ दी स्टुडेन्ट्स इन दी सिन्डीकेट' की घोषणा थी ।

मैं दूसरे तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस घोषणा होने के बाद जनाब नुरूल हसन केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्री यहां पर आये और उन्होंने इस घोषणा के सन्दर्भ में यह कहा कि सिंडीकेट में विद्यार्थियों का रिप्रेजेन्टेशन एक विवादग्रस्त प्रश्न है । और उन्होंने गजेन्द्र गडकर कमेटी के जो निर्णय हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए राजस्थान शिक्षा मंत्रीजी के, जिनके यहां उस रोज खाना था और शिक्षा मंत्री आये थे, उन्होंने यह बताया कि मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा उस समय कर दी जब कि गजेन्द्र गडकर की रिपोर्ट को, उसके निर्णयों को, रिकमन्डेशन्स को शिक्षा मन्त्रीजी ने भी नहीं देखा और न मुख्य मंत्रीजी ने देखा । यदि उसको देख लिया होता तो सिंडीकेट में विद्यार्थियों को रिप्रेजेन्टेशन जिसके संबंध में उसमें निर्णय दिया गया है, आधार दिया गया है और कारण दिये गये हैं–ऐसा स्टेटमेन्ट मुख्य मंत्रीजी की तरह से नहीं होता। तब यह प्रश्न थोड़ा सा विषम हो गया और चूंकि मुख्य मन्त्री ने यह ऐसा स्टेटमेन्ट दे दिया है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि उक्त आधार पर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रिप्रेजेन्टेशन सीनेट में नहीं चाहते हैं, वे तो सिन्डीकेट में चाहते हैं।··· और सिण्डीकेट में इसलिए चाहते हैं कि मुख्य मन्त्रीजी ने, जैसा मालूम हुआ है कि उन्होंने इस रिप्रजेण्टेशन को एज अगेंस्ट दी फाइडिंग्स आफ दी गजेन्द्रगड़कर समिति के उन्होंने मंजूर किया है किन्तु इसके विपरीत आपने इसमें संशोधन उनका रिप्रेजेण्टेशन सीनेट में मानकर किया है और विद्यार्थी का यह आग्रह है कि सिन्डीकेट में प्रतिनिधित्व हो । सिण्डीकेट वह बोडी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेती है, एग्जामिनेशन्स, एग्जामिनर्स और जितने सीक्रेट्स यूनिवर्सिटीज के हैं और जिनको गुप्त रखना होता है, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर सिण्डीकेट में निर्णय लिये जाते रहे हैं । अब विद्यार्थियों का कहना है कि सिन्डीकेट में उनका रिप्रेजेण्टेशन हो और सीनेट में न हो । यह बहुत बड़े विवाद को पैदा करेगा । मैं इस प्रश्न पर अपना मत नहीं देना चाहता हूं क्योंकि विद्यार्थियों में इस सम्बन्ध में उग्रता है । अगर हम पर विश्वास किया जाता है तो नोमीनेशन्स,

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

एग्जामिनेशन्स और जितने आंतरिक मामले हैं विश्वविद्यालयों के उनमें हमें बदस्तूर ओपन हाथ रखना चाहिये और विद्यार्थियों के रिप्रेजेन्टेशन के प्रश्न पर गजेन्द्रगडकर समिति ने उचित नहीं समझा है, उन्होंने कहा है विद्यार्थियों का प्रश्न सीनेट तक ही रहे। सिण्डीकेट निर्णय देने वाली बाडी है इसलिए रिपोर्ट की फाइंडिंग्स इस सम्बन्ध में अलग से हैं। मैं यह चाहता था कि इस प्रश्न का विश्लेषण आप फिर करें। इस आधार पर, एजूकेशन के आधार पर और साथ ही यह समझते हों कि गजेन्द्रगडकर कमेटी की रिपोर्ट और फाईडिंग्स इस बदलते हुए जमाने में बदले जाना है; क्योंकि कुछ वर्ष पहले की गई फाईडिंग्स आज के जमाने में बदल गई हैं उस सन्दर्भ में फाईडिंग्स उचित हैं या नहीं, इस सारे प्रश्न पर आप पुनः विचार करते तो, मेरा खयाल है कि सामयिक होता।

दूसरा आपसे मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर फैकल्टी में विद्यार्थियों का रिप्रेजेण्टेशन सम्भव है और आप विश्व-विद्यालयों के मामलों को गति देने वाले हैं इस संशोधन के साथ तो फैकल्टी के प्रश्न पर पुनः विचार करिए और देखिए कि विद्यार्थियों को चूंकि सन्तुष्ट करना है उनकी योग्यता के आधार पर उनकी मान्यताओं के आधार पर और उनको शक्ति के आधार पर यह आवश्यक हो गया है तो यदि आप फैकल्टी के प्रश्न पर उनका प्रतिनिधित्व स्वीकार कर सकें तो और भी हितकर होगा।

तीसरा प्रश्न शिक्षा मन्त्रीजी आपने अपने भाषण में शायद, शायद नहीं, निश्चय रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि इस यूनिवर्सिटी को हम रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में परिवर्तित करेंगे। उस इण्डीकेशन के आधार पर मेरी यह मान्यता है, मैंने आपके भाषण को भी पढ़ा है, अगर रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी आप इसको करते हैं तो और एक एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी अलग से कायम करनी होगी। कहीं पर भी तो उस सन्दर्भ में आप अमेंडमेंट को, संशोधन को देखिए। इस संशोधन से ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी के आधार पर और इस यूनिवर्सिटी हो। क्योंकि जो नम्बर आपने प्राध्यापकों के प्रतिनिधित्व के बताये हैं उन नम्बरों में कुछ तो इस यूनिवर्सिटी के और कुछ एफिलियेटिंग कालेजेज के हैं। इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन होता है। अन्ततोगत्वा आप रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कायम करने वाले हैं उस संदर्भ में आपका यह संशोधन आना चाहिए।

तीसरा पोइन्ट आपसे अर्ज करता था कि यह संशोधन आपका है।

"Fifteen persons elected by the teachers, other than Heads of University Departments, Directors, Deans Principals from amongst themselves. Out of this fifteen, five persons shall be elected separately by the said teachers in University teaching departments and constituent Colleges from amongst themselves and the rest ten separately by the said teachers of Affiliated

Page No. 84

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

Colleges from amongst themselves."

विधेयक में उल्लिखित यह कांस्टीट्यूएंट कालेजेज का क्या अर्थ है? यह मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए आप इस संशोधन में इस शब्द 'कांस्टीट्यूएंट कालेजेज' को रखते हैं इसके अन्दर और जिसकी कोई परिभाषा नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं तब तो आपको इस शब्द के अर्थ को समझाने के आधार पर इसका फिर संशोधन करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि आपका मतलब इस वाक्य से है कुछ कालेजेज से। जो इस यूनिवर्सिटी के हैं और जिनको यूनिवर्सिटी की विंग कहा जाता है। इन कालेजों से आपका अर्थ है तो यह शब्द गलत यहां इस्तेमाल किया गया है। कालेजेज आफ यूनिवर्सिटी विंग होना चाहिए। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है इसमें आपने एफिलियेटेड कालेजेज और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेन्ट इसमें ये दो भेद किये हैं, अन्ततोगत्वा एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के आधार पर कोई आप निर्णय लेंगे और फिर आपको संशोधन लाना पड़ेगा इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रश्न पर पुनः विचार करें, अपनी नीति बतायें और निर्णय लेकर इस संशोधन को आप लें।

तीसरा पोइन्ट मैं अर्ज करना चाहता था कि अभी हम यह कह रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व विश्वविद्यालय के कार्य संचालन में विद्यार्थियों का हो, शिक्षकों का हो तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि चांसलर को नोमीनेशन का अधिकार है। यह अधिकार अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है उस एक्ट में। अब यह अधिकार क्या अर्थ रखता है इस बदलते हुए जमाने में? मैं यह चाहता हूं कि इस प्रश्न को आप सोचें। गवर्नर आज कांस्टीट्यूशनल हैड है और वही यूनिवर्सिटीज का चांसलर है और वही किसी को नोमीनेट करता है। तो इसमें बड़ा घोटाला है। मैं यह चाहता हूं कि यह पावर्स आज नोमीनेशन की है आप चांसलर के हाथ में न रख कर इस प्रगतिशील जमाने में, समाजवादी जमाने में, प्रजातन्त्र के जमाने में यह पावर्स आप सिण्डीकेट को दे दीजिए। ट्रांसफर कर दीजिए सिण्डीकेट को ताकि सिण्डीकेट अगर मनोनयन करे या इलेक्ट करे तो किसी भी स्थिति में वह एजूकेशनिस्ट को नोमीनेट करे, ताकि आपके विश्वविद्यालयों की गतिविधि में फर्क आए। इसलिए यह बहुत पुराने जमाने का 'नोमीनेशन बाई दी चांसलर', जो प्रावधान चला आ रहा है इसको भी आप बदलिए।

इस संदर्भ में मैं इस पर अधिक न कहते हुए सिर्फ एक और निवेदन करूंगा कि टीचर्स के रिप्रेजेण्टेशन का आप एकेडेमिक कौंसिल और फैकल्टी दोनों में प्रावधान रखिए। मैं समझता हूं कि यह आपका जो संशोधन आया है प्रिमेच्योर है, परिपक्व नहीं है और आज ही आप इस पर विचार करके अधिक जो गतिशील व्यक्ति हैं, शिक्षाविद् और शिक्षा विशारद हैं, आपके वाईस चान्सलर्स हैं उनकी सम्मति लेकर के आप संशोधन दुबारा लायें तो आपको बारबार कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा संशोधन लाने के लिये। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः आग्रह करता हूं।

श्री सभापति : प्रो. केदारनाथ ।

राजस्थान, जोधपुर व उदयपुर–विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सभापति जी तीन यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल हमारे सामने पेश हुए हैं। मैं इसके बैकग्राउन्ड के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। पिछले पांच दस सालों से स्टूडेंट कम्यूनिटी से और टीचर्स कम्यनिटी से हमारी यूनिवर्सिटीज के एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट पार्टीसिपेशन हो, रिप्रेजेण्टेशन हो, यह आवाज चलती आ रही है। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में भी जोइन्ट पार्टीसिपेशन के रूप में प्रपोज किया है। उसके बाद गजेन्द्रगड़कर रिपोर्ट आई उसने केवल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट को हम फाइनल मान कर चलें तो उसके बाद डेढ़ दो सालों के अर्से के बाद काफी चेंजेज हुए हैं देश म और स्टूडेंट पार्टीसिपेशन इन प्रिंसिपल जब आपने मान लिया तो मैं समझता हूं कि केवल सीनेट तक सीमित करना, स्टूडेंट कम्यूनिटी के साथ मखौल करना है। जो बेसिस इसके पीछे है उसको डिफीट करना है।

सभापतिजी, यूनिवर्सिटीज का जैसा आज एडमिनिस्ट्रेशन है जो उसकी बाडीज काम कर रही हैं, एक सीनेट, एक सिण्डीकेट, फैकल्टी, एकेडेमिक कौंसिल और फाइनेंशियल बोडीज हुआ करती हैं। सीनेट जिसमें आप रिप्रजेण्टेशन देने जा रहे हैं, यह सुप्रीम बोडी मानी जा रही है। सीनेट तो एक कांस्टीट्यूएंट बाडी है, अगर उसको देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि केवल साल में दो बार सीटिंग होती हैं। एक बार तो जब कन्वोकेशन एड्रेस होता है जिसमें डिग्रियां पास होती हैं। एक तो वह सीटिंग होती है जिसे हम नार्मल सीटिंग कहते हैं। उसके बाद एक सीटिंग बजट और ऐनुअल रिपोर्ट पर बहस करने के लिये हुआ करती है। सभापति महोदय, सिन्डीकेट का कोई रिजोलूशन, एक्ट का प्रस्ताव हमारे पास में आता है तो केवल हम उस पर अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते हैं, उसमें अमेन्डमेंट नहीं कर सकते हैं। उसको रैफर कर सकते हैं, कि वापिस सिन्डीकेट में जाये। सभापति महोदय, इस सिन्डीकेट और सीनेट में हम रिप्रेजेन्टेशन देने जा रहे हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है, कोई मतलब नहीं है और आप ताज्जुब करेंगे, प्रश्न पूछने के लिये बीस दिन पहले नोटिस दिया जाता है। वाइस चान्सलर से उसकी सप्लीमेन्टरी पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता है। रिजोलूशन पास कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। केवल जवाब नहीं सुन सकते हैं। ऐसी सीनेट में ज्यादातर नामीनेशन के जरिये वहां पर नियुक्तियां होती हैं। यह वाइस चान्सलर का वन मेन शो होता है। यह हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वहां पर टीचर्स और स्टूडेन्ट्स का क्या रोल हो। इसमें तीन चीजें मुख्य हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी टीचर्स और तीसरे स्टूडेन्ट्स। वाइस चान्सलर के नीचे एक स्टाफ होता है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिये। यहां पर टीचर्स का अपना रोल है और स्टूडेन्ट्स का अपना रोल है। सभापति

(प्रो. श्री केदारनाथ)

महोदय, स्टूडेन्ट्स में सेन्स ग्राफ डिसीप्लीन ग्रौर रैस्ट्रेन्ट पैदा हो, यह बात चल रही है कि वे ग्रपने ग्रापको यूनिवर्सिटी लाइफ का एक पार्ट समझें, टीचर्स भी ग्रपने ग्रापको उसका पार्ट समझें, इसमें टीचर्स ग्रौर स्टूडेन्ट्स के क्या रोल हों, टीचर्स ग्रौर वाइस चान्सलर के क्या रिलेशन्स हों, सभापति महोदय, ये चीफ सेक्रेटरी ग्रौर केबिनेट पैटर्न पर नहीं चल सकते हैं। यूनिवर्सिटी की लाइफ में टीचर्स ग्रौर स्टूडेन्टस के ग्रापस में रिलेशन्स एक विशेष पैटर्न पर हुग्रा करते हैं। वहां पर वे नालेज क्रियेट करने जाते हैं, रिसर्च करने के लिये जाते हैं, नई वेल्यूज के बारे में, एप्रोच के बारे में नये बेसिक चेन्जेज पैदा करने के बारे में वे वहां पर जाते हैं। तो क्या ग्राप वहां पर कलक्टर ग्रौर पटवारी के रिलेशन चाहते हैं। इसको डेमोक्रेटाइज करना है, वहां ग्रापको गलतफहमी है। यहां पार्टीसिपेशन की बात ग्रापका बेस है, इसलिये कि गजेन्द्रगड्कर की रिर्पोट में लिख दिया गया है कि सिन्डीकेट में कुछ मेटर्स तय होते हैं, एग्जामिनेशन के बारे में, टीचर्स के बारे में, तो स्टूडेन्ट्स में इनके बारे में सेन्स ग्राफ रेस्पान्सीबिलिटी पैदा हो सेन्स ग्राफ रैस्ट्रेन्ट पैदा हो, उसके लिये ग्राप स्टूडेन्टस के नुमाइन्दे भेज रहे हैं ताकि उसमें जिम्मेदारी ग्रा जायेगी। स्टूडेन्ट पार्टिसिपेशन करेंगे तो जो उनमें लालेसनेस है, इनडिसीप्लीन है, वह रुक जायेगा। इसके कई कारण हो सकते हैं। सोशियो—इकोनॉमिक कारण हो सकते हैं। ग्राज हमारी बाहर की जो लीडरशिप है वह भी इसमें एक कारण हो सकती है। उनमें यह रिएक्शन पैदा हो रहा है कि उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। उनको यूनिवर्सिटी लाइफ का पार्ट नहीं माना जा रहा है, दस पन्द्रह साल वे वहां पर व्यतीत करते हैं ग्रौर उसके बाद वे वहां से बाहर ग्राते हैं, ग्रापके पास में ग्राते हैं। इस प्रकार उनको यूनिवर्सिटी लाइफ का पार्ट नहीं मानते हैं तो उससे उसमें एक इनडिसिप्लीन की भावना पैदा होती है, उसके ग्रन्दर रिवोल्ट पैदा होगा, रिएक्शन पैदा होगा कि मैं विद्या के मंदिर में पढ़ने जाता हूं उस नालेज मंदिर में उसका कोई स्थान नहीं है। तो इस पर रिएक्शन लाजमी तौर पर पैदा होता है। इसका जो बेसिक एप्रोच ग्रापके राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण में किया था, बजट स्पीच में किया था कि यूनिवर्सिटिज बोडिज में ग्राप उनका पार्टिसिपेशन लेंगे ग्रकेले सीनेट में नहीं। तो इसका कम्पोजिशन कब ग्राप बदलेंगे ? ग्राज जो सीनेट का कम्पोजिशन है, वहां बाई नामीनेशन होता है, बाई नामीनेशन ग्राप उसको फिल ग्रप करते हैं ग्रौर सारे ग्रादमी वाइस चान्सलर के होते हैं। वहां पर वाइस चान्सलर ग्रकेला पार्ट प्ले करता है। वीद ग्राल रेस्पेक्ट जो प्रिजेन्ट वाइस चान्सलर है, उनकी ग्रकेडेमिक क्वालिफिकेशन के बारे में, परसनिलिटी के बारे में मैं कन्ट्रोवरसी में नहीं पड़ना चाहता; परन्तु यह कहना चाहता हूं कि ग्राज सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके सबोर्डिनेशन में है। वह एक वन मेन शो है ग्रौर वे मेटर्स को ग्रोवर राइट करते हैं। तो यह बात कोई जंचने वाली नहीं है। इसलिए पहले जो ग्रापने एप्रोज की घोषणा की थी कि यूनिवर्सिटीज की बोडिज में भी पार्टि-

(प्रो. श्री केदारनाथ)

सिपेशन होगा, वही होना चाहिये। अमेन्डमेन्ट केवल सीनेट में करने का लाया गया है और वह है 15 प्रतिशत टीचर्स का और 10 प्रतिशत स्टूडेन्ट्स का। सभापति महोदय, सीनेट केवल एक बार, दो बार बैठती है। सेरेमनी में आप गाउन पहन कर जायें। जहां आप मेटर्स डिसकस होते हैं, स्टेडिज के बारे में डिसकसन होता है, सिस्टम के बारे में डिसकसन होता है, मोड आफ टीचिंग के बारे में डिसकसन होता है, स्टूडेन्टस अनरेस्ट के बारे में डिसकसन होता है, वहां पर आप स्टूडेन्ट को डिप्राइव करना चाहते हैं। वहां पर वे रोल अदा नहीं करेंगे। स्टूडेन्ट की लाइफ रेस्पान्सीबिल नहीं है। यही आरगुमेन्ट राजा और अंग्रेज हमारे बारे में किया करते थे कि हम राज्य करने के लिये हकदार नहीं हैं। बाहर से एज्युकेशनिस्ट आये और उन्होंने आपके यहां पर खाना खा लिया, एक अमेन्डेट दे दिया कि सिन्डीकेट में स्टूडेन्ट के नुमाइन्दे भेज दो, परन्तु यह काफी नहीं है। अगर स्टूडेन्ट्स ने इस अमेन्डमेन्ट के बाद इसका बायकाट कर दिया, इलेक्शन में शामिल नहीं हुए तो इसका क्या असर पड़ेगा, और इसका क्या हाल होगा? यह मानकर चलिये कि इसका एक रास्ता निकल सकता है और रास्ता यह हो सकता है जैसे जोधपुर में जो काउन्सिल है उसमें आपने स्टूडेन्ट को रखा है, उदयपुर में भी एक फैकल्टी के लिये अलग से कमेटी है और उसमें किसी न किसी ढंग से स्टूडेन्ट को अकोमेडेट किया है। तो मेरा यह कहना है कि ऐसी हो और दूसरी जो अकडेमिक और दूसरी बोडिज हैं उनमें आप स्टूडेन्ट को किसी न किसी ढंग से अकोमोडेट करो, उनका पार्टिसिपेशन कराओ। एक एक सीट आप सिन्डीकेट में दे दो कि जो स्टूडेन्ट 8/10 हजार के इलेक्ट्रोल पर, कालेजों के बीच में से डाइरेक्ट इलेक्शन में जीत कर आवे वह उसका नुमाइन्दा हो, उसको आप सिन्डीकेट का रिप्रजेन्टेटिव बना दो। मैं समझता हूं कि सेन्ट्रल यूनियन जो स्टूडेन्ट्स की है उसके डाइरेक्ट इलेक्शन में जो जीत कर आवे उसको आप सिन्डीकेट में रख दो। सिन्डीकेट में टीचर्स भी जायेंगे स्टूडेन्टस् को भी भेज देते हैं तो जो जिम्मेदारी आप लादना चाहते हैं, जो सेन्स आफ रेस्पोंसिबिलिटी पैदा करना चाहते हैं, जो यूनिवर्सिटी का पार्ट है उनको समझाना चाहिये वह इसको महसूस करेंगे और आइन्दा जो स्ट्राइक होगी उसमें भी तब्दीली जायेगी। मोड आफ स्ट्राइक बदलेगा। आज जो मौजूदा लीडरशिप है वह केवल छोटे मोटे स्टूडेन्ट्स के हाथ में है, वे पढ़ाई में कम रूचि लेते हैं और छोटी मोटी बातों पर झगड़ा करते हैं। यह जो आज लीडरशिप है वह बारगेन करती है और इससे रोजमर्रा झगड़े होते हैं। जो नयी लीडरशिप आवेगी उससे आपका सिरदर्द मिटेगा। आज इतने बड़े झगड़े हो रहे हैं, टीचर्स और स्टूडेन्ट्स में झगड़े हो रहे हैं, टीचर टीचर में झगड़े हो रहे हैं तो ये झगड़े इससे मिटेंगे और रिलेशन सुधरेंगे। इस सम्बन्ध में मैंने यह बात अर्ज की है और इन प्रिन्सिपल आप यह मान कर चलते हैं तो अमेन्डमेन्ट और लाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, एक शब्द और कहना चाहता हूं। जो इलेक्ट्रोल कालेज बनाये हैं वे गलत बनाए हैं उनमें जो प्रेसीडेन्ट सेन्ट्रल

Page No. 88

(प्रो. श्री केदारनाथ)

यूनियन का जीतकर आता है वह एक्स ओफिसो मेम्बर होना चाहिये सीन्डीकेट और सीनेट का। और आप देखें कि हमारे यहां से केवल दो एम. एल एज. स्पीकर भेजेंगे। उदयपुर, जोधपुर में एक एक एम. एल. ए.। आखिर इतना बड़ा जहां काम हो, एजूकेशन मैटर्स हमारी जिन्दगी पर रिफ्लेक्ट करते हैं आने वाली जेनरेशन को शेप करते हैं, उसके बारे में हमारे एम. एल. एज. का पार्टिसिपेशन न हो, वह ज्यादा होना चाहिये। सभापति महोदय, इस सारे एक्ट में, एमेंडिंग बिल में आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि प्राइवेट कालेजेज के एडमिनिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की ज्वाइन्ट कौन्सिल नाम की चीज हो। वहां पर स्टुडेन्ट्स क्या करेंगे? वहां पर टीचर्स क्या करेंगे? इस प्राइवेट कालेजेज के एडमिनिस्ट्रेशन को जो रन करती है मैनेजमेंट बोडी और उनमें किस ढंग से क्या क्या होता है वह आप और हम जानते हैं वेतनों के बारे में, फीस के बारे में, स्टूडेन्ट्स की भरती के बारे में, एक्जामिनेशन्स के बारे में, एक्जामिनेशन्स हाल के बारे में, पेपर्स के बारे में। उनको आप चैक बिल्कुल नहीं करना चाहते इस एमेंडिंग बिल की मारफत-कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा था कि ज्वाइन्ट कौन्सिल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर हो। यह प्रिन्सीपल आप लागू करना चाहते हैं तमाम राजस्थान में। माननीय उपाध्यक्ष, यह एमेंडिंग बिल दूसरी युनिवर्सिटीज में दूसरी स्टेट्स में साइट के लिए पेश होगा कि यह पार्टिसिपेशन का प्रिन्सीपल उन्होंने माना है और उस पर अमल किया है तो क्या कहेंगे कि केलस सीनेट में दिया है, प्राइवेट कालेजेज को छोड़ दिया है, और स्टूडेन्ट्स के जो इलेक्टोरल कालेज बनाये हैं उसका बेस गलत है। मैं सोचता हूं कि यह बात इन्ट्रोडेक्शन के स्टेज की बात नहीं है लेकिन जब क्लाज बाई क्लाज डिसकशन चलेंगे उस वक्त कहूं इसलिए जितनी भी बोडीज हैं आप उन बोडीज में इनका पार्टीसिपेशन कीजिये। इस प्रिन्सीपल को मानकर चलेंगे तो जो मकसद है वह पूरा होगा। केवल इसको ओर्नामेंटल रूप न दिया जाय कि नाम हो जाय कि इनको पार्टीसिपेशन दिया है और असल में कोई चीज न हो तो जो इफेक्ट स्टूडेन्ट्स की काम्युनिटी का जो मौजूदा मेन्टल स्थिति पर और स्टूडेन्ट्स की मौजूदा पर्सनेलिटी पर जो इफेक्ट क्रियेट करना चाहते हैं, वह इफेक्ट क्रियेट नहीं होगा।

इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेकर अन्त में यह बात कहना चाहता हूं कि मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन जो युनिवर्सिटीज का चल रहा है उसको आप चाहते हैं कि डेमोक्रेटाइज करें तो एक रिपोर्ट दे दें कि एक्जामिनेशन पेपर्स तय होंगे, कोर्स के बारे में बात होगी यह कान्फीडेन्शियल मेटर्स हैं और स्टूडेन्ट्स को इतना जिम्मेदार नहीं समझा जा सकता है, तो वह एक रिएक्शन वहां पर पैदा कर रहे है। तो समझता हूं कि क्लाज बाई क्लाज बोलने का मौका मिलेगा। सारे एमेंडमेंट पेश नहीं कर पाये हैं क्योंकि

(प्रो. श्री केदार नाथ)

यह बिल आपने लेट पेश किया था और यह कहा गया था कि एमेंडमेंट मूव किये जायेंगे देन एण्ड देअर तो उनको एक्सेप्ट कर उन पर विचार करने का मौका मिलेगा, इस विश्वास के साथ तीनों युनिवर्सिटियों के बारे में एमेंडिंग बिल है उसके बारे में यह है।

जिस दिन एज्यूकेशन की डिमाण्ड थी तो आपने इन्डीकेशन दिया था, सरकार ने इरादा पेश किया था कि मौजूदा युनिवर्सिटी राजस्थान की जो है जयपुर में तो इसकी जो एफिलियेटिंग विंग है उसको अलग कर देंगे। अगर आप इसको अलग करने वाले हैं तो सारा कम्प्लेक्शन इसकी सारी शेप बदल जायगी। इस बिल की शेप बदल जायगी। एफिलियेटिंग कालेजेज अलग होंगे और युनिवर्सिटी साइड अलग हो जायगी। सारा कैम्पस एक हो जायगा। वहां पर स्टूडेन्ट्स के नुमायन्दे अलग बनेंगे तो टीचर्स के अलग नुमायन्दे बनेंगे। मेरे खयाल से मैं इसलिए नहीं डिले करना चाहता हूं कि एक प्रोग्रेसिव मेजर में डिले हो जाय और इसका असर नलिफाई हो जाय। अगर आप यह चाहते हैं कि कम्प्रिहेन्सिव सारी इसमें चेंज लानी है––सिन्डीकेट में, स्टेट्यूट में, आर्डिनेन्सज में, वाइस चान्सलर के सिलेक्शन के बारे में, उसकी पावर्स के बारे में, रजिस्ट्रार की पावर्स के बारे में और लेजिटिमेट कम्प्रिहेन्सिव तब्दीली लाना चाहिए, तब जाकर प्रोग्रेसिव मेजर का कम्प्रिहेन्सिव इफेक्ट पैदा कर पायेंगे। बाकी सारे का सारा एडमिनिस्ट्रेशन वैसा ही, सारी बोडीज वैसी हो, वाइस चान्सलर के पावर्स भी वहीं, सिलेक्शन का तरीका भी गलत, और केवल स्टूडेन्ट्स को और टीचर्स को रिप्रेजेन्टेशन दे दें और यह मान लें कि सारा सुधार हो जायगा, सारा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलाइन्ड हो जायगा, यह फैलेसी है, यह इल्यूजन है। इन शब्दों के साथ में मैं अपना जनमत जानने का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध के अन्दर···

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभापति जी, यह जो तीन बिल आपके समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं इन तीन बिलों के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, हमको पसमञ्जर, बैकग्राउन्ड मालूम नहीं हो, उस वक्त तक कोई निश्चय करना सम्भव नहीं है।

स्टूडेन्ट्स में जो अनरेस्ट फैला हुआ है और रोज छोटी-छोटी बातों को, छोटे छोटे झगड़ों को लेकर स्ट्राइक चलती और है हमेशा इस किस्म की अप्रिय घटनाएं घटती हैं जो एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स के लिए शोभाजनक नहीं हैं तो उस वक्त जितने भी बुद्धिजीवी और हमारे कानून बनाने वाले हैं उनके दिमाग में यह खयाल पैदा हुआ कि अगर जो युनिवर्सिटीज का कान्स्टीट्यूशन है, जो कान्स्टीट्यूशन और आईन है उसमें अगर परिवर्तन किया जाय और इन स्टूडेन्ट्स को जो आये दिन स्ट्राइक करते हैं, झगड़ा करते हैं, इनको भी एडमिनिस्ट्रेशन में

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

शामिल किया जाय तो फिर इस स्थिति में सुधार हो सकता है। तो बैकग्राउन्ड असल में यह है कि केवल यह चीज तो नहीं है कि वह एडमिनिस्ट्रेशन के बीच नहीं हैं इसलिए स्ट्राइक होते हैं। असल में इस मसले के साथ में और भी बहुत से मसले शामिल हैं, मसलन यह है कि स्टूडेन्ट्स में अनरेस्ट का एक बहुत बड़ा सबब उनके भविष्य के बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में उनको चिन्ता है। वह एक बड़ी रकम खर्च करते हैं। बड़ी मेहनत करके अपनी जिन्दगी गुजारते हैं और जब टाइम आता है और विद्यार्थी दूसरी जिन्दगी के अन्दर दाखिल होता है तो बेरोजगारी उनका पीछा पकड़ लेती है। तो मुस्तकबिल का खयाल ही उनके दिमाग को हैरान करता है, परेशान करता है। तो सबसे पहले जो आईन में तब्दीली होना जरूरी है वह यह है कि अगर स्टूडेन्ट्स को उन बोडीज में, सीनेट में, सिन्डीकेट जितनी भी बोडीज हैं उनमें उनको शामिल करते हैं तो वह यह सोचेंगे कि हम अपने भविष्य के बारे में क्या फैसला लिवावें और क्या फैसला लें, तो हो सकता है कि जब वह जिन्दगी के साथ इस मसले पर गौर करें, अपने भविष्य के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में अपनी राय रखें तो उनकी राय उन हालात पर असर डाल सकती है कि जो आगे होने वाले हैं।

इस बिल के अन्दर जो आचार्यजी ने बात रखी है वह एक हद तक सही है कि अगर रेजिडेन्शियल युनिवर्सिटी बनाना है तो इसके कान्स्टीट्यूशन के जो अलफाज और जो एमेंडमेंट के अलफाज हैं उनमें परिवर्तन करना होगा। खैर, मैं यह गुजारिश करूंगा कि एक अर्से में चीज मिली तो जनमत के बहाने से इस बिल के ऊपर ज्यादा देर नहीं करना चाहिए इसलिए बार-बार इस बात की मांग रही है कि यह रिप्रेजेन्टेशन स्टूडेन्ट्स को दिया जाय हायर बोडी के अन्दर और अब इस मांग को ज्यादा देर तक टालना ठीक नहीं है। मैंने पब्लिक ओपीनीयन के लिए लिखा है, पर मैं यह चाहूंगा कि पब्लिक ओपीनियन में अगर नहीं भी जाय तो यह किसी कमेटी में, सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय जिससे कि देरी न हो, और जल्दी से जल्दी इस बिल को स्टेट्यूट की शकल दी जाय।

अब यह बैकग्राउण्ड आपके सामने पेश करने के बाद मैं यह अर्ज करूंगा कि इसमें कुछ मौलिक तब्दीली होने की जरूरत है। एक तो यह है कि जैसा कि अभी कई माननीय सदस्यों ने आप के सामने रखा है, सीनेट में 10% रिप्रेजेण्टेशन देने के कोई माने नहीं रखता है। इसके लिए एक तो तादाद कम और दूसरे सीनेट ऐसी कोई बाडी नहीं हैं जो असर डाल सके। इन तालीमी संस्थाओं पर। जिनको भाग देना चाहते हैं, इस तरह स्टूडेण्ट्स को सिण्डीकेट से महरूम करना है। इसमें गजेन्द्र गडकर रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। हम को इस ढांचे को दिखाया जाये। उससे एक तो यह होता है कि स्टूडेण्ट्स कम्युनिटी पर हम भरोसा नहीं रखते हैं। हम उनको ईमानदारी पर भरोसा करें और उनमें यह दिमाग पैदा करें ताकि वह अपने ऊपर भी भरोसा करें। मेरा सुझाव यह है कि जितनी भी बाडीज हैं यूनिवर्सिटी के अन्दर उनमें सब में उनका रिप्रेजेण्टेशन होना चाहिए।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
मैं समझता हूं कि 10% रिप्रेजेन्टेशन काफी नहीं है। अगर सम्भव हो तो 20% रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए। दूसरी चीज सिण्डीकेट में भी होना चाहिए और सीनेट में भी होना चाहिए।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि वह यह है कि आपने चुनाव का आधार रखा है। जितने अच्छे नम्बर मिले हों, यह आधार तो समझ में आ सकता है। लेकिन इण्डायरेक्ट में यह प्रणाली क्यों लागू करना चाहते हैं? आप की एक सूची होनी चाहिए जिसके आधार पर जो आ जायेगा केवल वही सीनेट और सिण्डकेट में शामिल होना चाहिए। मेरा कहना यह था कि हम उसूलन इस बात को मानते हैं। हर बाडी में स्टूडेण्ट का रिप्रेजेण्टेशन होना चाहिए। डायरेक्ट तरीका हो वह कम किया जाये। चुनाव का तरीका होना चाहिए। जो नामीनेट होकर आये, हो सकता है कि वह उतना उपयोगी सिद्ध नहीं हो सके। आज जो रोजाना टेण्डेंसी हमारी यूनिवर्सिटीज में परवरिश पा रही है। कभी किसी कालेज में हड़ताल होती है। आये दिन झगड़े होते हैं। यह इस सम्बन्ध में खत्म हो सकते हैं। जब हम तालिबे इल्म को यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेण्टेशन दें तो उनको चुने जाने का मौका दें। जब ये चीजें हो जायेंगी तो वह अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे। बहरहाल जब वह अपने प्रिन्सिपल के साथ बैठेंगे तो क्या लीडरशीप होनी चाहिए, किस तरीके की वह होनी चाहिए, इसके बारे में कोड आफ कन्डक्ट बनेंगे। आप का काम तरीके से चलाया जा सके। इस प्रकार भी सुधार होगा। मैं मुख्तसर तौर पर सुझाव दूंगा कि इस प्रकार करें। इसका मतलब यह है कि थोड़ी बहुत तब्दीली करके इसको लागू किया जाये। ताकि इसको नेक्स्ट सैशन से पहले ही इस पर अमल कर सकें।

श्री सभापति : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढा : सभापति महोदय...

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : सभापति महोदय...

श्री गुमानमल लोढा : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ यह एक धोखे बाजी है।

मैं बता दूं, सभापति जी, मैं जोधपुर विश्वविद्यालय के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, वहां इंजीनियरिंग संकाय और मेडिकल कालेज के छात्रों पर लगभग 50 मुकदमें चल रहें हैं। जिनके कारण विद्यार्थी प्रशिक्षण में नहीं जा रहे हैं। बार बार तारीख पड़ती हैं। वह मुकदमें फायल नहीं किये जाते हैं। विड्रा नहीं किये जाते हैं। जेल के सींखचों में उनको बन्द किया गया।

श्री शंकर लाल : सभापति महोदय, प्वाइण्ट आफ आर्डर।

सभापति महोदय, जब भी किसी बिल पर डिबेट करें तो वह उस बिल पर ही होनी चाहिए। जो कुछ भी माननीय सदस्य कह रहे हैं, क्या वह बिल पर कह रहे हैं?

(श्री शंकरलाल)
Can we speak on every point relating to students?

श्री सभापति : जो बिल से सम्बन्धित हो उसके बारे में ही विचार किया जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऑन ए प्वाइण्ट आफ आर्डर।

सभापति महोदय, यह डिबेट किसी तय शुदा कार्यक्रम के अनुसार चल रही है। पहले तो जनमत जानने के लिए था। प्रो. केदार और गफ्फार अली के थे उसके बाद तीसरे नंबर पर मेरा प्रस्ताव है। यह अचानक आप ने कैसे किया ? क्या कोई गुप्त मीटिंग हो गई है ? क्या कमेटी का कार्य-क्रम बदल दिया है ?

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा, सर्वप्रथम आचार्य जी बोलें। उसके बाद कोई भी दल का नेता बोलता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, ऐसा कोई फायदा नहीं है।

श्री सभापति : आचार्य जी बोले हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आचार्य जी बोले, उन्होंने तो प्वाइण्ट रेज किया था। तरीके से काम होना चाहिए। मेरा प्रस्ताव है। मेरा अधिकार है, मैं उसको लूंगा।

श्री सभापति : आप का अधिकार है। आप को मौका मिलेगा।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : मेरी जो संख्या है, वह दी जाये।

श्री सभापति: आप को अवसर मिलेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है।

श्री सभापति : नियम रेगुलेट करने का अधिकार है।

श्री केदारनाथ : इनके पश्चात् क्रम से कर दिया जाये।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : I protest, सभापति महोदय।

श्री गुमानमल लोढा : आचार्य जी ने कोई प्वाइण्ट आफ व्यू रेज नहीं किया था। बिल के ऊपर मुझे विचार व्यक्त करने का अधिकार है। उसी के अनुसार प्रो. केदार और दूसरे माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : प्रो. केदार का मोशन था जनमत जानने के लिए। आप कौन से नियम के अनुसार बोल रहे हैं ? जिनका मोशन हो उनको बोलने का अवसर मिलना चाहिये। नियमों को हवाला देकर रूलिंग दीजिये। किन नियमों के अनुसार रूलिंग दे रहे हैं ?

श्री गुमानमल लोढा: सभापति महोदय..

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आपने कोई मोशन नहीं दिया है। सभापति महोदय, मैं आपकी गरिमा को कम नहीं करना चाहता हूं। आप के आसन की गरिमा को रखना चाहता हूं। I refuse to surrender my right like this.

श्री गुमानमल लोढा : I am not yielding.

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आप जिस स्थिति में बैठे हैं, सभापति महोदय, आप न्याय नहीं कर रहे हैं। अपनी पार्टी के आदमी को लाभ दे रहे हैं। मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव है। इस मामले में पक्षपात नहीं होना चाहिये।

श्री सभापति : मैंने माननीय सदस्य से कहा, सर्व प्रथम आचार्य जी से आरम्भ हुआ था। कोई विचार प्रकट करना चाहता है, वह कर सकता है। यह रेग्युलेट करने चेयर का अधिकार है।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय सभापति महोदय···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किस नियम के तहत यह अधिकार है, आप बतायें, हाउस की कोई प्रक्रिया, कार्य संचालन का नियम तो होगा ?

श्री गुमानमल लोढा : "To Democratise and broad-base the administration of the University, it is proposed to introduce students' participation and teachers' representation in the University bodies."

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : आप मुझे प्रक्रिया व कार्य संचालन का नियम बतायें।

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री गुमानमल लोढा : "This is in line with the recommendations of the Gajendragadkar Report on the Governance of Universities and Colleges and is proposed to be effected by a 10 per cent students' representation in the Senate and a 15 per cent teachers' representation·····"

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : नहीं है तो प्रायोरिटी कैसे हो सकती है गुमान मल जी लोढ़ा की, सिवाय इसके कि आप अन्याय कर रहे हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं, इसके सिवाय और कोई दूसरा कारण नहीं है।

श्री गुमान मल लोढा : "··(except heads of departments, Deans and Principals of colleges who are already represented) in the Senate, as well as a two-teacher representation in the Syndicate."

श्री सभापति : माननीय सदस्य से निवेदन है, यह पक्षपात नहीं है। प्रारम्भ में आचार्य जो बोले थे जब कि उनका प्रस्ताव नहीं था।

वक्ताओं के क्रम संबंधी व्यवस्था प्रश्न

श्री सम्पतराम : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर !

श्री सभापति : बोलने दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : There is a point of order from this side.

श्री सम्पतराम : मेरा निवेदन है कि रूल्स आफ बिजनेस के मुताबिक जिन माननीय सदस्यों ने प्रपोजल पेश किया है, पहले उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिये। इस हाउस के जो रूल्स और और रेगुलेशन हैं

(श्री सम्पत राम)
उनको मेन्टेन करने का चेअर को अधिकार है और उनकी बड़ी मान्यता होती है इसलिए मेरा निवेदन है कि रूल्स-रेगुलेशन देखकर आप इस मान्यता को कायम रखेंगे और जो माननीय सदस्य प्रायोरिटी पाने के मुस्तहक हैं, उन माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति प्रदान करेंगे।

श्री गुमान मल लोढा - सभापति महोदय इस प्रकार भाषण को बीच में रोका जाना···

श्री शंकर लाल : पाइन्ट आफ आर्डर का जवाब आने दीजिये, आप सदन की व्यवस्था समझिये। पहले आसन से जो पाइन्ट आफ आर्डर है उसके बारे में निर्णय हो जाने दीजिये।

श्री गुमानमल लोढा : आप यह चाहते हैं कि···

श्री शंकर लाल : जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है, सभापति महोदय···

श्री सभापति : दो मिनट !

श्री शंकर लाल : उसके लिये आप व्यवस्था कीजिये।

श्री सभापति : व्यवस्था यह है, रूल्स आफ प्रासीजर के रूल 296 के अन्दर है

"The Speaker shall preserve order and shall have all powers necessary for the purpose of enforcing his decisions."

तो मैंने माननीय सदस्य को बोलने के लिए कह दिया है, वह बोल लें, उसके बाद फिर जो प्रक्रिया है उसके आधार पर माननीय योगेन्द्र नाथ हाण्डा को भी अवसर मिलेगा। एक बात और है, सर्वप्रथम श्री आचार्य बोले थे और वह कन्ट्रीब्यूशन था, वह बोले थे इसलिए जब एक दल के नेता बोलना चाहते हैं तो उनको अवसर दिया गया है। मैं समझता हूं, इस पर विवाद न करते हुए इनको कन्टीन्यू करने देंगे।

श्री गुमान मल लोढा : माननीय सभापति महोदय···

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सभापति महोदय, श्री गुमान मल क्या अधिकृत दल के नेता हैं ?

श्री सभापति : अभी आप विराजिये।

श्री गुमान मल लोढा : मैं निवेदन कर रहा था···

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : सभापति महोदय···

श्री गुमानमल लोढा : इस बिल के स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स को देखा जाय तो मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए इस···

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : माननीय सदस्य, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री गुमान मल लोढा : सभापति महोदय, इस तरह भाषण के बीच में इन्टरप्शन करते हैं···

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं···

श्री गुमानमल लोढा : यह सदन की परम्परा के विरुद्ध है।

श्री सभापति : जिस पाइन्ट पर व्यवस्था दी जा चुकी है उस पर दुबारा पाइन्ट आफ आर्डर रेज नहीं होता।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं दूसरा पाइन्ट आफ आर्डर उठा रहा हूं।

श्री सभापति : यह वही पाइन्ट है जिस पर डिसीजन हो गया। मेरा निवेदन है आप पाइन्ट आफ आर्डर रेज नहीं करें।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : आप अच्छी परम्परा नहीं डाल रहे हैं। माननीय आचार्य जी इस सदन के अध्यक्ष रह चुके हैं, उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं और उस नाते सदन ने स्वीकार कर लिया कि माननीय आचार्य जी बोलें, यह आदर की भावना से स्वीकार कर लिया। लेकिन आप स्वस्थ परम्परा नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद जो क्रम चल रहा है, उसके अनुसार मुझे बोलने देना चाहिए था। आपने अपनी पार्टी के नेता को बीच में लाकर अच्छी परम्परा स्थापित नहीं की है, सभापति महोदय, आचार्य जी किसी पार्टी से सम्बन्धित नहीं है, उस समय सारे सदन ने स्वीकार करके उस रूप में बोलने की स्वीकृति दे दी, मौन स्वीकृति दे दी। मैं समझता हूं, आप एक गरिमापूर्ण आसन पर बैठे हैं इसलिए इस समय निष्पक्ष होकर आप आसन की गरिमा को रखेंगे और मेरे आक्षेप को आप बड़ी गम्भीरता से लेंगे, उसे किसी प्रकार क्षुद्र करके विचार नहीं करेंगे।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय सभापति महोदय ...

श्री शंकर लाल : इसके साथ एक और बात है, जब माननीय आचार्य जी बोले थे उस वक्त मोशन मूव नहीं हुआ था, जनमत जानने के लिए जब मोशन मूव हो गया, प्रोफेसर केदार ने मूव कर दिया उसके बाद गफ्फार अली बोले और उसके बाद हाण्डा जी का नम्बर था। जिस समय आचार्य जी बोले थे उस वक्त जो जनमत जानने का मोशन है वह मूव नहीं हुआ था। इसलिए आप माननीय सदस्य को बोलने दें। और जो क्रम चलता है उसको तोड कर किसी अन्य माननीय सदस्य को न बोलने दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य को निवेदन करना है कि यह चेअर की डिस्क्रिशनरी पावर है. यह स्पष्ट लिखा है :

"277. Order of Speeches and right of reply.—(1) After the member who moves a motion has spoken, other members may speak to the motion in such order as the Speaker may call upon them."

यह स्पष्ट है, इस कारण से बोलने दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसको आप मानेंगे।

राजस्थान, जोधपुर व उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) 1972 को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार

श्री गुमानमल लोढा : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था विश्वविद्यालय के अन्दर स्टूडेंट्स के पार्टीसिपेशन की बात है, आज पिछले कई वर्षों से लगातार यह मांग चली आ रही है

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कि स्टूडेंट विश्वविद्यालय में पार्टीसिपेट करें। इसका अर्थ क्या होना चाहिये ? यूनीवर्सिटी के अन्दर सबसे प्रभावशाली जो संस्थान को निर्णय लेने का अधिकार है, मैं समझता हूं, वह विश्वविद्यालय का सिण्डीकेट है, उस सिण्डीकेट के अन्दर विद्यार्थियों का पार्टीसिपेशन न कराया जाकर केवल राजस्थान के लाखों असंतुष्ट विद्यार्थियों का आई वाश करने के लिये, धोखा देने के लिये, मुगालते में रखने के लिए, भुलावे में डालने के लिये, यह फ्रोड, यह बिल यहां पर लाया गया है जिसमें कहा गया है कि सीनेट के अन्दर पार्टीसिपेशन कराया जायगा। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, सीनेट में पार्टीसिपेशन कोई मायने नहीं रखता है । विश्वविद्यालय में सर्वविदित है, जो एक्जीक्यूटिव पावर है, जिसका इस बिल के अन्दर प्रावधान है, उस प्रावधान में उन्होंने लिखा है यह सिण्डीकेट के अन्दर है :

"The Syndicate shall be the executive body of the University and shall consist of the following persons, namely"......

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, उस सिण्डीकेट के अन्दर हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, राजस्थान सरकार ने एक भी विद्यार्थी को बैठने का अधिकार नहीं दिया है। क्या यह विद्यार्थियों के जीवन के साथ में, मानस के साथ में, उनकी आकांक्षाओं के साथ में, उनके बढ़ते हुए असंतोष के साथ में धोखा नहीं है। माननीय सभापति जी, इस सदन में घोषणायें की गईं बजट के समय कि इस सत्र के अन्दर हम शीघ्र ही विद्यार्थियों के पार्टीसिपेशन के लिये एक विधेयक लाने वाले हैं । उसकी उपेक्षा की है सरकार ने और गजेन्द्र गडकर कमेटी के नाम पर आज कहा जाता है कि सिण्डीकेट में इसलिये पार्टीसिपेशन नहीं कराना चाहते क्योंकि कमेटी की रिकमन्डेशन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से, क्या वह सारी कमेटी की रिकमन्डेशन को स्वीकार करती है ? जोहरी बाजार में 1967 में अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिये जो गोलीकाण्ड इस सरकार ने कराया था और उसमें लोग शहीद हुए थे उसकी जो बेरी आयोग ने जांच करके रिपोर्ट पेश की थी, उस को इस सरकार ने रद्दी की टोकरी में फैंक दिया। इस राज्य सरकार के जो अनुकूल रिपोर्ट होती है, उसके लिये तो कहती है, इसे अंगीकार किया जाय, स्वागत किया जाय, इसको शाष्टांग प्रणाम किया जाय, दण्डवत किया जाय, पुष्प पहनाये जायं और जो रिपोर्ट सरकार के विरोध में होती है, जो रिपोर्ट सरकार को बेनकाब करती है, जो रिपोर्ट सरकार के नापाक इरादों को खोलती है उसको इस सरकार द्वारा रद्दी की टोकरी में फैंक दिया जाता है। यह सरकार गोली और डण्डे के बल पर सरकार चलाना चाहती है। उदयपुर के अन्दर विश्वविद्यालय के प्रांगण में छात्राओं पर लाठी चार्ज किया गया, छात्राओं के साथ में असोभनीय व्यवहार किया गया। आज राजस्थान के विद्यार्थी इस बात के लिये दृढ संकल्प हैं कि लाठी और गोली की सरकार को वह नहीं चलने देंगे । विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुलिस ले जाकर, विश्वविद्यालय की पवित्रता को नष्ट करके,

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

विश्वविद्यालय को नापाक करके विद्यार्थियों पर डण्डे बरसाये जाकर उनका रक्त सावन भादों की बरसात के पानी की तरह बहा कर विश्वविद्यालय में, सरस्वति के मन्दिर में काम करना चाहते हैं, तो मैं, सभापति महोदय, आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो फ्रॉड है विद्यार्थियों के पार्टीसिपेशन का, इस फ्रॉड को जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिये। मेरा निवेदन है कि एक तो इसमें अमेन्डमेंट दे दिया जाय। आज यहां पर जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके प्रति मेरा बहुत आदर है, मैं कहना चाहूंगा, वह नोकरशाही और विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर के झांसे में नहीं आये। यह बिल उनके द्वारा तैयार किया गया है, जो विश्वविद्यालय के अन्दर छात्रों के सीने पर बैठ कर उनका शोषण करना चाहते हैं, छात्रों में गुट पैदा करना चाहते हैं, छात्रों को आपस में लडाना चाहते हैं ...

श्री **जनार्दनसिंह गहलोत** : सभापति महोदय, माननीय सदस्य किस पर बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता।

श्री गुमानमल लोढ़ा: सभापति महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री केवल आंसू पोंछने के लिये ऐसा विधेयक सदन में न रखें। सिंडोकेट में एकेडेमिक काउंसिल में फैकल्टीज में सब स्थानों पर हमारे विद्यार्थियों को पारटोसिपेशन का अधिकार मिलना चाहिये। ऐसे विधेयक को लेकर आयें। मैं जोधपुर विश्वविद्यालय का उदाहरण दूंगा। वहां सिण्डीकेट में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पारटिसिपेशन देना आवश्यक है। सन्स आफ दी सोइल जो राजस्थान की धर्ती पर जन्मे, पढ़े लिखे लोग हैं उनको वहां पारटीसिपेशन मिलना चाहिये टीचर्स की नियुक्ति में, नियुक्तियों की नीति तैयार करने में, किस नीति से उनका चयन होगा। इसमें विद्यार्थियों को सिंडीकेट में ले जाने का अधिकार नहीं मिलेगा तो उसका क्या नतीजा होगा? जोधपुर विश्वविद्यालय में 80 प्रतिशत प्रोफेसर्स, रीडर्स बाहर के हैं जबकि सन्स आफ दी सोइल राजस्थान की धरती पर जन्मे हुए, बेरोजगार घूम रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कुएं में डूब रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोग लाकर यहां बिठाए जाते हैं कई मद्रास से आए हैं यह क्यों हो रहा है? मैं इस लिए प्रार्थना करूंगा कि इस बिल पर विचार करने से पहले शिक्षा मन्त्री विद्यार्थियों की मूलभूत समस्या पर जागरूक हों और समस्याओं के समाधान के लिए खुले दिल से उनके साथ बैठें। मैं प्रस्ताव करता हूं और शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह राउंड टेबुल कान्फरेंस करें जिसमें विश्वविद्यालय के वर्तमान विद्यार्थी यूनियन के अध्यक्ष को रखें, दूसरे नेताओं को लेकर बैठें उनके साथ में विचार करें और उसके बाद ऐसा बिल लायें जिसमें वास्तव में स्टूडेंट्स पार्टीसिपेशन सैंडीकेट, सिनेट, एकेडेमिक काउंसिल, फैकल्टीज और सब स्थानों पर हो।

श्री **सभापति** : श्री योगेन्द्र नाथ हांडा।

श्री **सुरेन्द्र व्यास** : पहले मुझे बोलने दिया जाए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे आपत्ति नहीं लेकिन आपके बाद मुझे समय मिल जाना चाहिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हांडा जी को बाद में मौका दिया जाए।

श्री सभापति : अगर उनको आपत्ति नहीं है, तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के इस निर्णय का कि विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता देने की दिशा में, उनके ढांचे को और जनतांत्रिक बनाने की नीति का मैं स्वागत करता हूं लेकिन जिस तरह के विधेयक लाए गए हैं, उस तरीके से मैं मानता हूं कि बड़ी मुश्किल के अन्दर राज्य सरकार ने माननीय सदस्यों को डाल दिया है। सिनेट में रिप्रेजेन्टेशन टीचर्स को देकर और भी वह भी कोई तादाद एक दो तीन के हिसाब से नहीं, 10 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक कहकर, टीचर्स को 15 प्रतिशत प्रतिनिधित्व की बात कहकर, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि यह कहना कि इसको सिलेक्ट कमेटी को रैफर कर दिया जाए या जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, अगर कहा जाए कि सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाए तो रिप्रेजेन्टेशन जो विद्यार्थियों को जिस भी लेविल पर इस बिल के जरिए देना चाहते हैं उसका विरोध हम करना चाहते हैं, इस प्रकार की बातें यहां पर पैदा होती हैं।

प्रश्न इस बात का नहीं है कि सिर्फ सीनेट के अन्दर प्रतिनिधित्व दिया है। जैसे प्रोफेसर केदारनाथ ने कहा है यह सही है कि वाइस चांसलर अकाल नहीं है। पर इस विश्वविद्यालय के अधिनियम के पढ़ने के बाद इस बात का ज्ञान होता है कि पूरे हैड्स आफ डिपार्टमेंट्स सब तरह की बोडीज में डामीनेट करते हैं और वे हैड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ही विश्वविद्यालय को रूल करते हैं और उन्होंने जब जान लिया कि इस तरह विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं तो गजेन्द्रगडकर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस बिल को यहां पर प्रस्तुत किया गया और यह कहकर प्रस्तुत किया गया कि हम इसको डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं। सभापति महोदय, मैं समझता हूं या तो मंत्री महोदय ने इस एक्ट को स्वयं ने स्टडी नहीं किया है, इसलिए कि यह एक्ट पुराना है उनकी धाराओं पर और विश्वविद्यालय की विभिन्न बोडीज हैं उन पर भी प्रकाश डालना चाहूंगा। माननीय सदस्य भी इस बात को जानते होंगे कि यह सीनेट चीज क्या है, काम क्या करता है और एकडेमिक काउंसिल क्या करता है, सिंडीकेट और दूसरी बोडीज क्या काम करती हैं सीनेट और सिंडीकेट के जो फंक्शन्स दिए हुए हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सीनेट के लिए सेक्शन 20 में हैं:—

"Subject to the provisions of this Act, the Senate shall:—

(i) consider and pass resolutions on the annual report, the annual accounts and estimates of expenditure and shall perform such other functions as may be defined by this Act."

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

"Meetings of the Senate:— The Senate shall meet once a year at meeting called the annual meeting."

तो सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि साल में दो बैठकें बुलाई जाती हैं। मैं सदन के सामने जानकारी प्रस्तुत करना चाहता हूं कि साल भर में एक मीटिंग बुलाई जाती है और वह एक मीटिंग बुलाने का कारण यह कि इस एक्ट के अन्दर कोई ऐसा मैन्डेटरी प्रावधान नहीं है कि निश्चित रूप से दूसरी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता पड़े। उस मीटिंग में बजट सीनेट के सामने पेश होता है, अप्रेल में मीटिंग होती है, विद्यार्थियों की परीक्षायें होती हैं, वे यह मीटिंग अटेंड कर पायेंगे या नहीं, वहां क्या कन्ट्रीब्यूशन दे पायेंगे, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। मैं यह भी जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि आप सिंडीकेट के पावर्स को देख लें। जहां तक मैं समझ पाया हूं विश्वविद्यालय की सब पावर्स सिंडीकेट में वेस्ट करती हैं। सेक्शन 22 में प्रोवाइडेड (ए से लेकर एम तक) सब पावर्स दे रखी हैं विस्तृत रूप से इनको पढ़ना चाहिए। आर्डीनेन्स बनाने की कैंसिल करने की सबसे बड़ी पावर्स सिंडीकेट को है। सीनेट में बजट पास करना आवश्यक नहीं, बजट सीनेट के सामने पेश होता है, सीनेट उसको सिर्फ डिसकस कर सकता है आर्डीनेन्स कैंसिल करना चाहते हैं तो 2/3 बहुमत इस सीनेट में होना चाहिए। जहां पर सब हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स एक्स-आफिसियो सदस्य होते हैं तो मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए निवेदन करूंगा कि हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, फिजिक्स, इस प्रकार के विभागों को छोड़कर और कई विभाग सुपरफ्लूएस हैं जैसे एडल्ट एजूकेशन, लाइब्रेरी साइन्स। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से विरोध नहीं लेकिन हेड्स आफ डिपार्टमेंट्स करीब 25–30 एक्स आफिसियो सदस्य बनते हैं सीनेट के।

तो, सभापति महोदय सीनेट के इस प्रकार 25–30 हैड आफ डिपार्टमेन्ट्स एक्स आफिसियो मेम्बर्स होते हैं वे एकेडेमिक कोन्सिल के मेम्बर्स होते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर, रजिस्ट्रार, एक्स वाइस चान्सलर और वाइस चान्सलर्स आफ अदर यूनिवर्सिटीज के अलावा गवर्नमेन्ट के नोमीनीज भी होते हैं। तो मेरा निवेदन है कि गवर्नमेन्ट के नोमीनीज तो हमेशा गवर्नमेन्ट का इन्टरेस्ट देखेंगे। तो फिर इसमें स्टूडेन्ट्स के बारे में कौन विचार करेगा यह एक विचारणीय विषय है। अब जो आप इलेक्टेड 15 टीचर्स और 10 स्टूडेन्ट्स और चार रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स तो कुल मिलाकर 29 ऐसे आदमी हैं जो कि इलेक्टेड हैं। सभापति महोदय, इसमें 60 प्रतिशत से ऊपर तो लोग एक्स-आफिसियो हैं। उनके तो चुनाव होने का प्रश्न ही नहीं है। तो स्टूडेन्ट्स का क्या होगा। और जब कभी भी राज्य सरकार के सामने स्टूडेन्ट्स के बारे में चर्चा उठाते हैं तो रूटीन का जवाब मिल जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि स्टूडेन्ट्स को आप सिन्डीकेट में ज्यादा से ज्यादा रिप्रजेन्टेशन दीजिये। अभी जो सिन्डीकेट में यूनिवर्सिटी का कोन्स्टीट्यूशन है उसमें दिया है–

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

"Two members of the Senate being ex-teachers, elected by the Senate, one of whom shall be a registered graduate."

अब आपने दो वेकेन्सी रखीं। उसके लिये भी इलेक्शन का रखा है वो भी दो दो पोस्ट पर लड़कर आयेगा तो कौनसा स्टूडेन्ट चुनाव लड़कर आ सकेगा ? इसमें भी आपने एक तो रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के लिये रख दी। तो मेरा निवेदन है कि कौनसा स्टूडेन्ट उसमें आ सकेगा? स्टूडेन्ट्स की डिमान्ड को कौन रखेगा ? कौन रिप्रेजेन्ट करेगा स्टूडेन्ट्स के केस का क्योंकि इसमें जो दो स्टूडेन्ट्स आयेंगे वे वही दो स्टूडेन्ट्स जो कि हैड आफ डिपार्टमेंट के पेट स्टूडेन्ट्स होंगे, जो स्टूडेन्ट्स हैड आफ डिपार्टमेन्ट के आगे सरेन्डर कर देगा। इस प्रकार स्टूडेन्ट्स के इन्टरैस्ट को सरेण्डर कर वह ही आयेगा तो इस प्रकार वह स्टूडेन्ट उनके हाथ में एक पपेट की तरह रहेगा क्योंकि सिन्डीकेट मन्त्री हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट्स के नोमीनेटेड होते हैं। तो फिर स्टूडेन्टस कम्यूनिटी के इन्टरैस्ट को वाच कौन करेगा ? आज इस प्रकार की स्थिति चल रही है कि सिन्डीकेट के अन्दर--

"Three Deans to be nominated by the Vice Chancellor,

Three Professors,

Two members of the Syndicate.

Three Principals of colleges."

जितने भी सदस्य हैं सब लोग नोमीनेटेड हैं और अब जो स्टूडेन्ट्स इसके आधार पर अगर सिण्डीकेट में पहुंचेंगे तो वे क्या कर सकते हैं? वे तो इन्हीं नोमिनेटेड सिन्डीकेट के सदस्यों के चंगुल में रहेंगे और अगर वह निकलना चाहेंगे तो भी उनके चंगुल से निकल नहीं सकेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आप एक ऐसी व्यवस्था करावें इसमें, जिससे कि स्टूडेन्ट कम्यूनिटी के जो सदस्य हैं वह ज्यादा से ज्यादा स्टूडेण्ट्स कम्यूनिटी के हितों का प्रोटेक्शन कर सके। वरना वह लोग जो स्टूडेन्ट कम्यूनिटी के लिये वाजिब संघर्ष करना चाहें तो भी नहीं कर पायेंगे। यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। तो जो आपने यह एक्ट बना रखा है उसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

श्री सभापति : आपने जो संशोधन दिया है वह तो क्लाज 3 पर दिया है और संशोधन प्रस्ताव पर आप बोल नहीं रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : संशोधन प्रस्ताव पर तो बाद में बोलूंगा। अभी तो मैं जनरल डिबेट पर बोल रहा हूं। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। मैं यह भी निवेदन नहीं करता हूं, आप ज्यादा सिन्डीकेट में स्टूडेन्ट्स कम्यूनिटी को रिप्रेजेन्टेशन में ज्यादा रिप्रेजेन्टेशन न दें। पर आप सिन्डीकेट में चेन्ज कीजिए। सिन्डीकेट को डेमोक्रेटिक कीजिए आज आई. ए. एस. आफिसर्स जिनको हम ब्यूरोक्रेट्स मानते हैं, जिनकी सदन में चर्चा होती है, उनके ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हैं, उनको ट्रान्सफर करते हैं, उन्हें एक ही जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रहने देते तो क्या आप उन हैड ऑफ डिपार्ट

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मेन्ट्स के बारे में विचार नहीं करेंगे जो कि एक ही हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट की पोस्ट पर 15–15 या 20 साल तक रहते है। जो कि आज 15, 15 साल से जमे हुए, कब्जा किये हुए बैठे हैं उन्हें हटाने की बात भी हमें सोचनी चाहिये। इनके कारनामों की भी चर्चा होती है। सभापति महोदय, मैं आपको साबित कर सकता हूं कि कुछ हैड ऑफ डिपार्टमेंट्स काम नहीं करते। यह एकेडेमिक कौन्सिल, सीनेट, सिन्डीकेट सभी के नोमीनेटेड मेम्बर्स हैं। इस एक्ट को बदला जाय। अगर कोई एक बार हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट बन जाता है तो वह अपनी पावर का उपयोग करेगा ही, यह है एक स्वाभाविक इन्सान की कमजोरी और इस प्रकार फेवरेटिज्म बढ़ता है। मैं यह नहीं कहता कि आप इनको हटा दें। आप चाहे तो इन्हें प्रोटेक्ट कीजिये ये बहुत अच्छे स्कोलर होते हैं, काफी लरनेड, इन्टरनेशनल फेम के व्यक्ति होते हैं। सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि उनकी शैक्षणिक योग्यता बहुत अधिक है लेकिन आज वे वहां सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ही करते हैं। आप ऐसी व्यवस्था कीजिये कि वे स्टूडेन्ट्स को जो एम. ए. क्लासेज के हैं, जो बी. एस. सी. क्लासेज के हैं उन्हें पढ़ावें। उन्हें एम.ए., बी.ए. की क्लासेज के मिलनी चाहिये। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि यह हैड आफ डिपार्टमेंट कोई क्लासेज नहीं लेते। सिर्फ अपने विभागों का टाइम टेबिल बनाते हैं। आज हैड ऑफ डिपार्टमेंट्स के पास टाइम टेबल बनाने का काम है।

Now framing of a time table is an ordinary matter, unless one is personally interested to give certain periods to a particular man or not to give certain periods to a particular man.

तो मेरा निवेदन है कि इन हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट्स वाले लोगों से आपको पढ़ाने का काम लेना चाहिए और इसके अलावा एक मेरा सुझाव है कि कोई 10 साल तक लेक्चरर रह गया हो उसे हैड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया जावे क्योंकि 10 साल में काफी योग्यता उसे प्राप्त हो जाती है। इन्हें आप दो दो साल के लिए हैड आफ डिपार्टमेंट बनाइये। इससे उनको अनुभव बढ़ेगा उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पान्सिबिलीटीज बढ़ेगी। आप इस प्रकार इसे रोटेट करवाइये दो दो साल के लिए। मैं यह नहीं कहता कि आप नये लेक्चरर को हैड ऑफ डिपार्टमेंट बनाइये बल्कि मेरा निवेदन है कि जिसे मिनिमम टेन ईयर एक्सपीरियेन्स हो उसको बनाइये। इससे यह फायदा होगा कि कोई भी हैड आफ डिपार्टमेंट की कुर्सी पर जम नहीं पायेगा। दूसरे जो इन्टेलीजेन्ट व्यक्ति हैं उनकी टेलेन्ट का दुरुपयोग नहीं होगा। उनकी टेलेन्ट का का सभी को लाभ मिलेगा। विभाग को भी फायदा होगा। स्टूडेन्ट्स को लरनेड व्यक्तियों के पास पढ़ने का मौका मिलेगा। दूसरे इन हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट्स की जो मोनोपोली है, सीनेट, एकेडेमिक कौन्सिल में और सिन्डीकेट में जो मोनोपोली है वह भी टूट जायेगी। आज, सभापति महोदय, यह स्थिति है कि कोई वाइस चान्सलर चाहे कितना ही स्ट्रोंग क्यों नहीं हो, चाहे कितना ही इन्डोपेन्डेन्ट नेचर का क्यों नहीं हो वह वाइस चान्सलर इन्डोपेन्डेन्ट काम नहीं कर सकता और यही कारण है कि वाइस

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

चान्सलर इन्हीं हैड ऑफ डिपार्टमेन्टस् की वजह से यूनिवर्सिटी से जम नहीं पाता क्योंकि हैड आफ डिपार्टमेन्ट्स सभी जगह सीनेट में, एकेडेमिक कौन्सिल में, सिन्डीकेट में सभी जगह मेजोरिटी में हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था की जाय कि हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट की इस मोनोपोली पावर को तोड़ा जाय क्योंकि आज राजस्थान यूनिवर्सिटी का वाइस चान्सलर चाहे तो अपना रिजोल्यूशन सिन्डीकेट, सीनेट किसी में पास नहीं करा सकता है। और, सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि सीनेट के अन्दर रिप्रेजेन्टेशन हो, एकेडेमिक कौंसिल में रिप्रेजेन्टेशन हो, एक डिपार्टमेंट के रिप्रेजेन्टेशन की बात समझ में आने वाली है, हैड ऑफ डिपार्टमेंट रिप्रेजेन्टेशन दे और एकेडेमिक कौंसिल में एक्स ऑफिशियो नोमिनेट कराये, और टीचर्स के रिप्रेजन्टेशन का सवाल है, हैड आफ डिपार्टमेन्ट चुनाव न लड़े लेकिन वह कितना इन्फ्लूएन्स कर सकता है—यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 25 आदमी सीनेट में बैठे हुए हैं, 25 आदमी एकेडेमिक कौंसिल में बैठे हुए हैं, इन्फ्लूएन्स करें तो आधे से अधिक अपने आदमियों को ला सकते हैं। सिन्डीकेट में जाने के लालच से तोड़ कर रख लें। आज ऐसी स्थिति चल रही है। इसी मोनोपोली के कारण आज हम देख रहे हैं कि विभिन्न

(3. 21. म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

प्रश्न खड़े होते हैं और यहां सदन में भी गंभीर आरोप लगाये जाते हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। और जब तक आप यह सब कुछ नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं यह नहीं होगा The annual accounts and the financial estimates shall be considered by the Senate at its annual meetings and the Senate may pass resolutions with reference thereto and communicate the same to the Syndicate.

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर यह है कि यह सीनेट को सबमिट होता है। यह प्रश्न आया इस मीटिंग के अन्दर कि बजट को न लेकर पांच सात दिन के लिये एडजोर्न कर दिया जाय। एक सिन्डिकेट के मेम्बर थे उन्होंने कहा कि पांच सात दिन की क्या बात है दो महीने बन्द कर लेंगे। सीनेट के पास बजट पास करने का कुछ नहीं अधिकार रखा है। सिर्फ डिस्कस करती है और सिन्डीकेट को रेफर करती है। ज्यादा पावर्स दीजिये। हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स की मोनोपालीज को तोड़ने के लिये आप स्टूडेन्ट्स को एक मौका दीजिये। स्टूडेन्ट्स के लिये बेतिकलो मानते हैं कि उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिये। सीनेट में उनका रिप्रेजेन्टेशन हो और सिन्डीकेट में न हो यह बिल्कुल वाजिब बात नहीं है। क्योंकि कोई भी बात सिन्डीकेट में होती है तो यह कहा जाय कि स्टूडेन्ट्स रेस्पोन्सिबल नहीं है इसलिये उनको सिन्डीकेट में मौका नहीं दिया जा सकता, इसका मतलब यह है कि आप में मोरल करेज नहीं है, स्टूडेन्ट्स की स्ट्राइक से डरते हैं विधान सभा के सामने हजारों लड़के प्रदर्शन करे इसलिये डरते हैं और इसी कारण तोड़—फोड़ की

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कार्यवाही होती है। यह सब आप प्रिजुडिस होकर करते हैं। आप यह बात मन में समझते हैं कि स्टुडेन्ट्स इतने और जिम्मेदार हैं, इर्रेस्पोन्सबल हैं और आपका बस चले तो यूनियन न बन सके। यूनियन बना कर उनको हक देना गलत बात होगी और इस प्रकार एक गैर जिम्मेदार बात होगी, इस बात को आप लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आप सिद्धान्त रूप से स्वीकार करते हैं कि स्टुडेन्ट्स कम्युनिटी जिम्मेदार है और उस आधार पर उनको सीनेट में प्रतिनिधित्व देना चाहिये, उनकी यूनियन को लीगल तरीके से रिकाग्नाइज करते हैं, तो यह कोई आर्ग्युमेन्ट नहीं हो सकता है कि सिन्डीकेट में स्टुडेन्ट्स को रिप्रेजेन्टेशन नहीं देना चाहिये।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, टीचर्स के लिये आपने कहा कि टीचर्स चैनल से सिन्डीकेट में इलेक्ट मत करिये। उपाध्यक्ष महोदय, हम जो कुछ भावना व्यक्त कर रहे हैं राज्य सरकार उसका नोटिस लेगी। जो भी रिप्रेजेन्टेशन मिल रहा है, आज भी इन्तजार न करें, वही रिप्रेजेन्टेशन स्टुडेण्ट्स को मिले। न मैं जनमत जानने के लिये कह रहा हूं और न ही इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जनमत जानने और प्रवर समिति में भेजने के लिये ही यह बहस है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जनरल डिबेट है।

श्री उपाध्यक्ष : This is not generdl debate। आप प्रेस नहीं करना चाहते हैं, जनमत जानने के लिये और प्रवर समिति में भेजने के लिये भी प्रस्ताव नहीं।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : इन्ट्रोडक्शन पर है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दोनों के बीच बेस कर गये हैं बड़ी बारीकी से।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त करिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : समाप्त कर रहा हूं।

"One person, elected by the Senate from amongst teachers of University teaching departments and constituent colleges who are elected as other members of the Senate under clause (XXV) (a) of sub-section (1) of Section 18."

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके और कुछ नहीं करते हैं, राइट्स को भी प्रोटेक्ट नहीं करते हैं और हैड ऑफ डिपार्टमेंट्स की मोनोपोलीज को बनाये रखना चाहते हैं, तो बेशक रखिये, लेकिन टीचर्स को रिप्रेजेन्टेशन देना है तो उनको इस हालत में न लाइये कि वे हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट के टूल हो जायं और सिन्डीकेट में घुसना हो, सिनेट में आयेंगे तो उनको वापिस फोर्स करना चाहते हैं कि पर्सनल मामले में हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट्स के टूल हों।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिन्डीकेट में स्टूडेन्ट्स को रिप्रेजेन्टेशन और टीचर्स को रिप्रेजेन्टेशन देने के लिए सीनेट के लिये इस एक्ट को न बदलें तब तक के लिये इलेक्शन करवाइये

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर बहुत चर्चा होती है और सदन के दो माननीय सदस्य मनोनीत किये जाते हैं माननीय अध्यक्ष द्वारा सीनेट के अन्दर जब हमने यह एक्ट बनाया ऑटोनामी हमने दी हमारे दिमाग में यह सेन्क्टिटी थी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि युनिर्वसिटी की बात को लेकर चर्चा की जाय और चर्चा होकर उनकी ऑटोनोमी पर एनक्रोचमेन्ट किया जाय, उसको बन्द करने का एकमात्र तरीका यह है कि ऑटोनोमस बोडी को डेमोक्रेटाइज कीजिये और सदन का प्रतिनिधित्व मानकर दो माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष द्वारा नोमिनेट किये जायं। दो मेम्बर रहें। सदन के अन्दर खड़े होकर कोई एलीगेशन लगायें तो हाउस के मेम्बर होने के नाते डिनाई करें। यही स्थिति उदयपुर और जोधपुर विश्वविद्यालयों के है उनकी है। तीनों एक्ट्स में स्टूडेन्ट्स का रिप्रेजेन्टेशन सिन्डीकेट मे स्वीकार कीजिये। आवश्यक संशोधन करके स्वीकार करेंगे तो लाभ उसका स्टूडेन्ट्स कम्युनिटी को मिलने वाला है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमने इस सदन में तीनों विश्वविद्यालयों के कानून में एक परिवर्तन का कानून रखा है और इस दृष्टिकोण से कि विश्वविद्यालयों में और उनके एडमिनिस्ट्रेशन में शिक्षकों का और विद्यार्थियों का रिप्रेजेन्टेशन हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो-तीन सालों से लगातार विद्यार्थियों के आन्दोलन हो रहे हैं और उनकी विभिन्न यूनियनें, जो कि कैम्पस कालेज की यूनियन रूटा और एफीलियेटेड कालेज की मिली हुई यूनियनें जिसको आर० यू0 सी0 टी0 ए0 कहते हैं लगातार और दूसरी फैडरेशन्स और अन्य संस्थाओं के नेतृत्व में विद्यार्थियों के लगातार आन्दोलन होते रहे हैं। विद्यार्थियों के ये आन्दोलन एग्जामिनेशन सिस्टम में परिवर्तन के लिये, सिलेबस के सिस्टम में परिवर्तन के लिए हुए हैं और एक मांग यह भी रही है कि अब राजस्थान विश्वविद्यालय एक लाख विद्यार्थियों की परिक्षायें लेने में असमर्थ नहीं रहा है। यह एक टीचिंग-कम-एफीलियेटिंग यूनिर्वसिटी है इसका कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ गया है इसमें स्पेशेलाइजेशन कोर्स और अनुसंधान के जो विभिन्न संस्थान हैं उनका कार्यक्षेत्र बढ़ता जा रहा है। रिसर्च वर्क लगातार बढ़ता चला जा रहा है और सारे राजस्थान के 90 से अधिक एफीलियेटेड कालेजेज और फिर यूनिर्वसिटी कैम्पस के नीचे के 5 कालेजेज इन सबको यह राजस्थान यूनिर्वसिटी नहीं चला सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार ने दो बातों को सिद्धान्त रूप से माना है। एक तो इस बात को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है कि अब इस विश्वविद्यालय को केवल टीचिंग यूनिर्वसिटी रखना चाहते हैं और एफीलियेटिंग यूनिर्वसिटी हम कहीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

और बनायें । स्थान का प्रश्न अभी विचाराधीन है और अभी तक सरकार ने यह घोषित नहीं किया है कि यह एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी कहां बनेगी। और दूसरे इस सिद्धान्त को भी इस सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि विद्यार्थियों और टीचर्स को यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर रिप्रेजेन्टेशन देना है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो ढांचा इन दिनों विश्वविद्यालयों का करीब–करीब है वह प्राय: एक ही प्रकार का है। इसमें एक सिन्डीकेट है, एक सिनेट है, एक एकेडेमिक कौंसिल है, एक बोर्ड ऑफ स्टेडीज है, और एक फैकल्टी है । इनके अलग-अलग कार्यक्षेत्र हैं। यह तो स्पष्ट मेरे से पहले आने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन में प्रस्तुत कर दिया कि सिन्डीकेट सबसे शक्तिशाली बॉडी है जो कि अपने आपके अन्दर काफी शक्ति रखती है। प्राय: यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी मसलों के ऊपर उनकी विभिन्न कमेटीज में से गुजरने के बाद अपने तरीके से उसके ऊपर पूर्ण रूपेण निर्णय ले सकती है और ऐसी सबसे शक्तिशाली यही एक फंकशनिंग बाडी है। इसके बाद एकेडेमिक कौंसिल है या सिनेट है या बोर्ड ऑफ स्टडीज है या फैकल्टी है यह इतनी शक्तिशाली बॉडीज नहीं हैं। सीनेट तो एक महज दिखावा है उसके पास कोई शक्ति नहीं है। वाइस चांसलर जब चाहे उसकी मीटिंग बुलाकर और चाहे तो ना भी बुलाये उसमें प्रस्ताव पड़ा रहे और वाइस चांसलर बिना प्रस्ताव के राय जाने हुए अपना निर्णय दे सकता है और माननीय सदस्यों ने तो साल में दो दफा मिटिंग होते हुए बताई और एक माननीय सदस्य जो मावली से आते हैं और मेरे से पहले बोले। हैं वो तो कहते हैं कि एक दफा भी मीटिंग नहीं बुलाई जाती है। वह रिप्रेजेन्टेटिव हैं मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य लेकिन यह स्पष्ट है कि विद्यार्थियों की मांग के ऊपर सिमेस्टर सिस्टम लागू करने की बात राज्य सरकार ने सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ली, वाइस चान्सलर ने विद्यार्थियों के बहुत बड़े आन्दोलन के बाद समेस्टर सिस्टम को लागू करने की बात को स्वीकार करली और इसको एकेडेमिक कौंसिल ने एप्रूव कर दिया, सिन्डीकेट ने एप्रूव कर दिया लेकिन फैकल्टी ने इसको एप्रूव नहीं किया । यह ठीक है कि आज सिन्डीकेट के अन्दर यह शक्ति है कि फैकल्टी की मांग को ठुकराते हुए इसको दुबारा मन्जूर कर लें । तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता था कि जब आप बिल लाये थे तो जो सारी बातें राज्य सरकार ने स्वीकार की थी एफेलियेटिंग कालेजेज के संबन्ध में भी आप कुछ अमेन्डमेन्ट्स आज लाते इस बिल के अन्दर और बुनियादी तौर से जो कार्य करने में अन्तर एवं कमियां हैं सारी यूनीवर्सिटीज में उस संबंध में भी सारी छानबीन करके आप लाते और जो बिल आज लाये हैं मैं स्पष्ट कहता हूं कि यह एक दिखावा है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों के शक्तिशाली आन्दोलन के आगे झुककर, उससे भयभीत होकर आप यह बिल लाये हैं। आपने सिद्धान्त रूप से इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि विद्यार्थियों का और टीचर्स का एक यूनीवर्सिटी की हाइएस्ट बोडी के अन्दर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए। आपने दूसरी बात स्वीकार की थी कि आप इस यूनीवर्सिटी को केवल एक टीचिंग यूनीवर्सिटी रखेंगे और एफीलियेटिंग यूनीवर्सिटी दूसरी रखी जायेगी। आप इसको पहले स्वीकार करते हुए लाते तो इसकी रूपरेखा बिलकुल डिफरेन्ट होती। बल्कि दूसरी प्रकार से सारे अमेंडिंग बिल को लाना पड़ता।

आपने 15 परसेन्ट का रिप्रेजेन्टेशन टीचर्स को दिया है और उपाध्यक्ष महोदय इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो बात सरकार ने स्वीकार कर ली है उसके सिवाय कोई चारा नहीं है। 50 हजार स्टूडेन्ट्स एफीलियेटिंग कालेज के हैं जब कि कैम्पस कालेज के 7 हजार स्टुडेन्ट्स हैं और कैम्पस कालेज में केवल 300 टीचर्स हैं जब कि एफीलियटिंग कालेज में 3000 टीचर्स हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बडा कान्ट्रेडिक्शन है केम्पस कालेज के टीचर्स में एफीलियेटिंग कालेज के टीचर्स में, उनकी फैसेलिटीज के अन्दर, उनके फिक्सेशन के अन्दर, उनका ग्रेड्स वगैरह के अन्दर और उनके स्टेण्डर्ड के अन्दर। उनके संबंध में समाज के अन्दर उनकी स्थिति के संबंध में बड़ा कान्ट्रेडिक्शन है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कान्ट्रेडिक्शन समाप्त किया जाये और अगर आप बात स्वीकार कर लें शायद किसी क्षेत्रीयवाद के कारण और आप एफीलियेटिंग और टीचिंग यूनीवर्सिटी को अलग करके इस बिल को लाते तो ज्यादा भला करते, जो मांग आपने स्वीकार की है उसके संबंध में ज्यादा कारगर आपका कदम होता। लेकिन किन्हीं माननीय सदस्यों के दिमाग में है कि एफीलियेटिंग यूनीवर्सिटी अजमेर में बने, किन्हीं माननीय सदस्यों के दिमाग में है कि यह एफीलियेटिंग यूनीवर्सिटी अलवर में बने और किन्हीं माननीय सदस्यों के दिमागों में है कि यह एफीलियेटिंग यूनीवर्सिटी बीकानेर में बने। मेरे पास बीकानेर के कई शिक्षकों के और समाज के विभिन्न वर्गों के पत्र आये हैं जिनमें उन्होंने लिखा है कि इस एफीलियेटिंग यूनीवर्सिटी के लिए सबसे उचित स्थान है तो वह बीकानेर है। फिर उनका कहना है कि इस स्थान के अन्दर कमिटमेन्ट था कि एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी आज उदयपुर ले जाई जा रही है तो कोई भी अब एफीलियेटिंग यूनीवर्सिटी बने तो वह बीकानेर में बनाई जायेगी। इन क्षेत्रीयवाद के कारण भयभीत होकर कोई मान्यताओं के आधार पर, कोई क्राइटेरिया के आधार पर अपनी तरफ से कोई मजबूत निर्णय लेकर आज इस यूनीवर्सिटी को टीचिंग यूनीवर्सिटी बना देते और एफीलियेटिंग यूनीवर्सिटी बना देते उनके बाद रिप्रेजेन्टेशन का प्रश्न स्पष्ट होकर सामने आता है।

अब जो रिप्रेजेन्टेशन उपाध्यक्ष महोदय, आपने दिया उसमें आपने शिक्षकों को 15 परसेन्ट रिप्रेजेन्टेशन दिया और विद्यार्थियों को 10 परसेन्ट रिप्रेजेन्टेशन दिया और वह सारा का सारा रिप्रेजेन्टेशन आप उनको सीनेट में देना चाहते हैं। केवल दो शिक्षकों को सीनेट के मीडियम के द्वारा सिन्डीकेट में पहुंचाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बडी हास्यास्पद बात है कि सीनेट के पास शक्ति नहीं आखिर उसका लाभ क्या है,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आखिर वह वहां क्या कन्ट्रीब्यूशन करेंगे? आलरेडी 70 आदमियों की सीनेट है जिसमें ज्यादातर नॉमीनेटेड लोग हैं, ज्यादातर हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स हैं। सारा का सारा सीनेट हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स से डोमीनेटेड है। वहां आप केवल कुछ विद्यार्थियों को, दस विद्यार्थियों को और 15 शिक्षकों को 25 आदमियों को भेज रहे हैं तो आखिर वे करेंगे क्या? उनकी उपयोगिता क्या होगी। केवल आपने सिद्धान्त रूप में इस बात को स्वीकार किया है। आज का विद्यार्थी और आज का शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को उठा सकता है। आप इस माने में भी मोनोपोलिस्ट्स सिस्टम के शिकार हैं। आप यह समझते हैं कि कुछ चन्द लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज का एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते है जो यूनिवर्सिटीज के सिलेबस को बना सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हर एक का अलग-अलग क्षेत्र है। एक विशेषज्ञ है, एक रिसर्च स्कोलर है उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है। एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अपना क्षेत्र है। मैं यह नहीं कहता कि जहां रिसर्च स्कोलर या उसके सिलेबस का प्रश्न हो वहां पर एक शिक्षक और एक विद्यार्थी का इण्टरफियरेंस हो। वह अपने सब्जेक्ट का मास्टर है, वह अपने सब्जेक्ट का स्कोलर है, उस माने में उसका अपना दखल है। एक व्यक्ति जिसका समय बहुत मूल्यवान है, एक बौटेनी का स्कोलर है, एक साईकोलोजी का स्कोलर है, एक फिजिक्स का स्कोलर है, एक केमेस्ट्री का स्कोलर है, कोई किसी सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहा है, कोई पेस्टीसाइट पर रिसर्च कर रहा है तो वह उस सब्जेक्ट का बहुत बड़ा विशेषज्ञ है, उनको यह कहें कि वह एग्जामिनेशन्स का प्रोग्राम बनाए, या क्लासेज के पीरियेड का प्रोग्राम बनाये या बजट पास कराना, यह आदमी इस चीज के योग्य नहीं उसको आप राजनीति में न फंसाएं। अगर आप सही माने में शिक्षा देना चाहते हैं तो जो विशेषज्ञ हैं, जो स्कोलर और हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट हैं उनकी एनर्जीज को इस पोलिटिक्स के अन्दर मत प्रवेश कराइए। इससे देश की शक्ति क्षीण होती है। यह बहुत बड़ा देश की शक्ति का ह्रास है कि एक स्कालर का बहुमूल्य समय आप पोलिटिक्स धन्धे में लगा दें और तीनों यूनिवर्सिटीज का इतिहास पिछले पन्द्रह सालों से, 20 सालों से उपाध्यक्ष महोदय, यही रहा है। यहां टीचर्स के फिक्सेशन पर, टीचर्स की सीनियोरिटी पर, कम क्वालिफाइड को सीनियर पोस्ट देने के प्रश्न लगातार यहां आते रहे हैं और एक बार तो 12 माननीय सदस्यों को इस विधान सभा से सन 65 में इस प्रश्न के ऊपर माननीय गवर्नर द्वारा उठा कर बाहर फेंक दिया जब हम सदस्यों ने लिस्ट दी थी कि जाति-विशेष के प्रोफेसर्स को, टीचर्स को जो जोधपुर में प्रभुत्व हो गया और उस समय गवर्नर साहब के रिश्तेदार को वहां पर रजिस्ट्रार की हैसियत से रखा गया जब कि वहां पर नहीं रखा जाना चाहिए था। हमने पूरा संघर्ष किया। विधान सभा से 12 सदस्यों को निकाल दिया एक महीने के लिए सदन से बाहर कर दिया हमने हाई कोर्ट तक सारी बातों को लेकर संघर्ष

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

किया। यह सारी की सारी तीनों यूनिवर्सिटीज राजनीति का अखाड़ा बन गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज देश का जो विद्यार्थी है वह असंतुष्ट है वह आन्दोलन करता है। वह बेचैन है आज की पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीवादी राजनीति के कारण। इस भयंकर बेरोजगारी और इन्फ्लेशन ऑफ प्राईजेज के युग में इतने कोम्प्लीसेज का इम्पेक्ट है विद्यार्थियों के जीवन पर उसके मस्तिष्क पर सारी चीजों का प्रभाव है वह बेचैन है आज देश के नेता उसकी बेचैनी को उसकी शक्तियों को दिशा नहीं देते। आज टेक्निकल विद्यार्थी इंजीनियर का विद्यार्थी और जो डाक्टर है वह भी बेरोजगार है। यह देश का दुर्भाग्य है। यह इकोनोमिक्स की स्टेटिशियन्स की इन्तहा होती है जब कि हम टेक्निकल आदमी को देश के अन्दर नौकरी नहीं दे पायें। इसका मतलब है कि हमारा प्लानिंग देश के अन्दर धन्धा पैदा नहीं करता कि जिसमें टेक्निकल मैन को रोजगार मिल सके। आज विद्यार्थी में पर्याप्त मष्तिष्क हैं उस विद्यार्थी के अन्दर शक्ति है वह विद्यार्थी

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जिम्मेदारी से काम कर सकता हैं उसको दिशा देने की बजाय आप राज चलाने वाले लोग आपने समाजवाद की कसम ली है उस विद्यार्थी पर विश्वास नहीं रखते उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं रखते। आप उसको सही दिशा में डायरैक्ट कीजिए। उसको सिण्डीकेट के अन्दर रिप्रेजेण्टेशन दीजिए कि वह इफेक्टिवली वर्क कर सके। आप एफिलियेटेड कालेजेज के टीचर्स को कम करके मत चलिए। एक प्राईमरी टीचर का भी अपना महत्व है और मैं तो यह भी समझता हूं कि प्राईमरी स्कूल का टीचर एक स्कालर से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वह देश की बुनियाद रखता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यही कहूंगा कि संक्षिप्त रूप में इस बात को स्वीकार करते हुए आप सिण्डीकेट के अन्दर जो कि सबसे सशक्त कमेटी है उसके अन्दर विद्यार्थियों का और स्टाफ का रिप्रेजेण्टेशन कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

राजस्थान, जोधपुर व उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल जयपुर): माननीय उपाध्यक्षजी यह तीनों विश्वविद्यालयों के अमेंडमेंट के बिल, 1972 के सामने प्रस्तुत हैं। मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि सीनेट और सिण्डीकेट ये इस प्रकार की है कि ब्रिटेन में हाउस आफ लार्ड्स है जिसकी कोई शक्ति होती नहीं और जिसकी कि औपचारिक मीटिंग वर्ष भर में एक बार हो जाय तो हो जाय। उसी प्रकार विश्वविद्यालयों में आज सीनेट की स्थिति है सीनेट कोई शक्तिशाली स्थान नहीं रखता। किस प्रकार का काम वहां होता है। वर्ष भर में एक मीटिंग हो जाएगी, अप्रेल में बजट रखना चाहें तो रखें न रखना चाहें तो सीनेट के अधिकार में है। और राज्य

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सरकार ने उस समय जो विद्यार्थियों पर कृपा की है अध्यापकों पर जो कृपा की है वह सीनेट में नियुक्ति करने के नाते की है। सिण्डीकेट में उनकी नियुक्ति न हो इस प्रकार का राज्य सरकार ने इस बारे में सुझाव दिया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिण्डीकेट शक्तिशाली है। उसको आर्डीनेंस बनाने का अधिकार है। एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार है, नोमीनेशन और सब प्रकार की जांच करने का, हर प्रकार का अधिकार सिण्डीकेट को है। तो हमको वास्तव में पार्टीशिपेशन विद्यार्थियों को देना है तो विद्यार्थियों पर किसी प्रकार का शक शुबह नहीं करना चाहिए और विद्यार्थी अनुशासनहीन हैं, विद्यार्थी सिण्डीकेट में चले गए तो यूनिवर्सिटी का प्रशासन भ्रष्ट हो जाएगा, इस प्रकार की धारणा रखना यह राजस्थान सरकार के लिए उचित नहीं है। विद्यार्थी आज देश के नव निर्माता हैं और विद्यार्थियों में जब भाषण देने जाते हैं तो कहते हैं कि तुममें से ही कोई जवाहरलाल नेहरू बनेगा, छात्राओं में जाते हैं तो कहते है कि तुम में से ही कोई इन्दिरा गांधी बनने वाली है, तुम में से ही सुभाषचन्द्र बोस बनेंगे, तुम में से ही शिवाजी और महाराणा प्रताप बनेंगे, तो फिर इन विद्यार्थियों में जितना हाई स्वरूप देखते हैं, इतना बड़ा स्वरूप देखते हैं और दूसरी तरफ विद्यार्थियों पर इस प्रकार से अविश्वास करते हैं, केवल सिण्डीकेट जैसी मामूली चीज के अन्दर विद्यार्थियों का रिप्रजण्टेशन नहीं दे सकते तो फिर विद्यार्थियों के प्रति ये सम्मानजनक शब्द कहना राज्य सरकार को छोड़ देना चाहिए।

फिर भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज सिण्डीकेट में कौन व्यक्ति होंगे तो उसमें एक मेम्बर की नियुक्ति करने का अधिकार वाईस चांसलर (चांसलर) को है। वाईस चांसलर (चांसलर) होगा राजस्थान का राज्यपाल। राज्यपाल उस प्रदेश का आदमी है नहीं और यह भी नहीं हो सकता कि वह शिक्षा शास्त्री ही हो। हो सकता है कि राज्यपाल के स्थान पर, राजनैतिक दल के आधार पर और राजनैतिक भेदभाव के आधार पर हिन्दुस्तान में यह भी बात हो सकती है कि किसी अंगूठा छाप को भी राज्यपाल बना दिया जाय और चौमूं जैसे गांव के रहने वाले व्यक्ति को भी कहा जा सकता है कि तुम राज्यपाल बन सकते हो। तो वह शिक्षा शास्त्री होगा नहीं, किसी प्रकार के व्यक्ति के लिए कोई व्यवस्था है नहीं; जिसको चाहेंगे सिण्डीकेट में नोमीनेट कर दें, इसलिए मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आज इस समाजवादी युग में, इस प्रगतिशील युग में इस प्रकार का एक व्यक्ति जो कि शिक्षा शास्त्री है नहीं, उसको यह अधिकार नियुक्ति करने का नहीं होना चाहिए और यह अधिकार सिण्डीकेट को होना चाहिए।

अब मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह यूनिवर्सिटीज एक्ट है यह बहुत पुराना एक्ट है। इस एक्ट में हमको परिवर्तन करना चाहिए। फिर दूसरी मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि फेकल्टी में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

तीसरी मेरी आपसे प्रार्थना यह है कि जब आप राजस्थान विश्वविद्यालय को रेजीडेंस यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो फिर एफिलियेटेड कालेजेज का रिप्रेजेण्टेशन इस एक्ट के अनुसार किस प्रकार से होगा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को विचार करना चाहिये। इसके अलावा हम जब रेजीडेंट यूनिवर्सिटी अलग बनाने की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार का बिल लाने की किसी प्रकार की बात हमको नहीं करनी चाहिये इसलिए मेरी मांग है कि यह बिल डिफेक्टिव बिल है और माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने भी इस बिल पर विचार नहीं किया है, इसके क्या कोंसीक्यूएन्सेज होंगे, इसके क्या परिणाम होंगे, इसका विश्लेषण करके सारे बिल को नहीं देखा है, इसलिये मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि बिल तो उन्होंने रख दिये हैं, जो घोषणा उन्होंने यहां की थी उनकी पूर्ति करने के नाते ये तीन बिल रख दिये हैं, इनका पुनः निरीक्षण करना चाहिये······

उदयपुर को बात कहो। उदयपुर के बारे में जो बोर्ड आफ कन्ट्रोल बना हुआ था उसमें किस प्रकार, कहां पर किन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व रखने वाले हैं, उस पर विचार करना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी ने भगवान के मन्दिर के सामने, जो बात कही है उसको पूरा करना चाहिए। ख्वाजा साहब की दरगाह के सामने उन्होंने एक स्थान पर कहा था कि मैं 'हाई पावर कमेटी का गठन करना चाहता हूं। कमेटी का कोई गठन नहीं हुआ और उसके पहले ही यहां पर बिल पेश कर दिये गये हैं। कमेटी का कोई निर्माण नहीं हुआ, वह एग्जीस्टेन्स में नहीं आई है, उसके पहिले ही इस प्रकार का बिल रखना मैं समझता हूं कि जो ख्वाजा गरीब निवाज़ के सामने शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की थी उस घोषणा का अपमान है। उस मस्जिद के सामने जो घोषणा की गई है उसका अपमान है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गजेन्द्र गड़कर कमेटी की रिपोर्ट के संदर्भ में इस पर विचार नहीं किया गया है। सारी रिपोर्ट को मद्देनजर रख कर विचार किया जाये तो ये तीनों बिल ही बेकार हैं, उनको लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये उसके खिलाफ बिल है। गजेन्द्रगड़कर की जो रिपोर्ट आई है, मैं पूछना चाहता हूं कि जो यहां पर एम. एल. ए. चुनकर आये हैं, और यहां पर विधान सभा में बार-बार कहा जाता है कि फलां फलां रिपोर्ट हमारे सामने आवे, वे सदन के सामने नहीं आती हैं। इसी प्रकार से गजेन्द्र गड़कर की रिपोर्ट भी सदन के सामने नहीं रखी गई है। वह सदन के सामने आ जाती तो क्या गलत है, रिपोर्ट में क्या सही है उन सारी बातों पर मेम्बर लोग विचार कर लेते और गजेन्द्र गड़कर की रिपोर्ट आ जाने के बाद इस प्रकार का बिल लाया जाता तो उचित होता। संकल्प के रूप में बिल आता और विचार किया जाता तो मुनासिब होता। उपाध्यक्ष जी, मोहन सिंह जी मेहता की अध्यक्षता में भी एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें माथुर साहब और जगन्नाथसिंह जी भी थे। इन सारी रिपोर्ट के आधार पर संशोधन रखे जाने चाहिए थे। जो मोहनसिंह मेहता की रिपोर्ट है उसको ध्यान में नहीं रखा गया है। आज एक संशोधन आ जाये।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

फिर मेहता साहब की रिपोर्ट पर विचार होगा और दूसरा संशोधन लाया जायेगा। इस प्रकार बराबर संशोधन आ जायेंगे। मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि मैं इस बिल का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ आप विद्यार्थियों को सीनेट में प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि उनको प्रतिनिधित्व सिन्डीकेट में दिया जाये। केवल प्रश्न इतनासा है। यदि आप नहीं देंगे तो विद्यार्थी आपसे सहमत नहीं है। विद्यार्थी परेशान हैं और विद्यार्थियों के अन्दर राज्य सरकार की कोई अच्छी धारणा नहीं है। राज्य सरकार उनकी मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। इससे विद्यार्थियों में असन्तोष है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिल्कुल ही बुजुर्गों के विचार करने वाला बिल है और बाबा आदम के तरीके से चल रहे हैं। हमारे शिक्षा मंत्री बुजुर्ग हैं, वे स्वयं बूढ़े हैं और यहां पर भी उन्होंने एक बूढ़े को लाकर बिठा दिया है। यह जो बिल आप लाये है, यह कोई समाजवादी बिल नहीं है। यह कोई प्रगतिशील बिल नहीं है। मैं शिक्षा मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज संसार बदल रहा है, समाज बदल रहा है, लोग धरातल में न जाकर चन्द्रलोक जाने की तैयारी कर कर रहे हैं और उन हालत के अन्दर आप यह दकियानूसी बिल पेशकर रहे हैं पहले गजेन्द्र गडकर की रिपोर्ट पर विचार होना चाहिए, मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया और सीनेट को क्या अधिकार है, सिन्डीकेट को क्या अधिकार है, सीनेट हाउस आफ लार्ड है, राजाओं के बैठने का एक स्थान मात्र है, जैसे राजा महाराजा एक वर्ष में मिल लिया करते थे, मिल लिये तो मिल लिए, मीटिंग हुई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक। बजट रखा तो ठीक, नहीं रखा तो ठीक। इसमें शक्तिशाली तो सिन्डीकेट है। मेरा राज्य सरकार से नम्र निवेदन है कि इन सारी बातों पर विचार करने के लिये, मैं इसके लिये जनमत जानने हेतु परिचालित करने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो यह चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सामने भेजा जाये। प्रवर समिति गजेन्द्र गड़कर की क्या रिपोर्ट है, मेहता कमेटी की क्या रिपोर्ट है, उस पर विचार करे और सीनेट के क्या अधिकार है, सिन्डीकेट के क्या अधिकार हैं, उन पर विचार करें और विचार करने के बाद हिन्दुस्तान में बहुत सारे विश्व विद्यालय हैं, उनसे खतो खिताबत करे, असेम्बली की छुट्टी हो रही है, समिति के सदस्य घूम भी सकते हैं, घूम भी आयेगी और अध्ययन भी कर आयेगी और उसके विचार करने के बाद सदन के सभी प्रवर समितियों की रिपोर्ट आ जायेगी इससे विद्यार्थियों का हित भी होगा, समाजवाद साकार होगा, सिन्डीकेट में प्रतिनिधित्व दे इन सारी बातों पर विचार करके सदन के समक्ष रिपोर्ट आ जायेगी। मेरे इन संशोधनों, सुझावों के साथ ये तीनों जो विधेयक जयपुर, जोधपुर और आपके उदयपुर विश्वविद्यालयों के बारे में अमेन्डमेंट का रखा गया है, उनको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल (पाली)।

श्री शंकर लाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय और जोधपुर विश्वविद्यालय, इन तीनों विधेयकों को मैंने प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा है। उपाध्यक्ष महोदय कोई भी संशोधन बिलों में आवे उसको प्रवर समिति को सौंपने का आधार यह होता है कि संशोधनों पर कोई गहरा विचार करना है डीप थिन्किंग करना है तो सिलेक्ट कमेटी के मारफत डीप थिंकिंग आ जाये और उसके बाद बिल के उपर सदन के अन्दर विचार किया जाये। देखना यह है कि इन तीनों बिलों के ऊपर गूढ़ विचार करने की आवश्यकता है या नहीं। वैसे तो उपाध्यक्ष महोदय जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस एण्ड रीजन्स गवर्नमेंट ने इन बिलों के बारे में दिया है उससे यह प्रतीत होता है कि सरकार इनमें सुधार करना चाहती है। अपने शिक्षा मंत्री जी ने कहा है—

"To democratise and broad-base the administration of the University, it is proposed to introduce students 'participation and teachers' representation in the University bodies."

उपाध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह ब्राड बेस्ड हो, वह डेमोक्रेटाइज जब होता है जब कि एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली जो संस्था या बोडी है उसमें विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व हो। अगर एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली जो संस्था है, बोडी है जैसा कि इस एक्ट के अन्दर बताया गया है, एक्जीक्यूटिव बोडीज, जिसके चार्ज के अन्दर एडमिनिस्ट्रेशन है वह है सिन्डीकेट। अगर सिन्डीकेट के हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है और सिन्डीकेट के अन्दर विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर आप विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा मंत्रीजी ने जो ध्येय और उद्देश्य यहां पर बताये हैं यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर वे विद्यार्थियों को रिप्रेजेन्टेशन देना चाहते हैं, यह उनके खुद के उद्देश्यों से विपरीत हो जाता है। वे अपने उद्देश्यों और कारणों, जो अमेन्डमेन्ट लाने के बारे में बिल के अन्दर बताये हैं कि वे प्रशासन के अन्दर विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, इसमें सरकार की जो भावना प्रतीत होती है, वैसा मालूम नहीं होता। सरकार की यह भावना दर्शाई गई है कि प्रशासन में विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व हो। प्रतिनिधित्व सीनेट के अन्दर हो या नहीं होना चाहिये, या प्रतिनिधित्व सिन्डीकेट के अन्दर होना चाहिये और वह प्रतिनिधित्व कितना हो, एक विद्यार्थी का हो, या सेन्ट्रल यूनियन जो स्टूडेन्ट्स की है उसके सभापति का हो, इस चीज पर वास्तव के अन्दर हमें सिलेक्ट कमेटी के अन्दर विचार करना चाहिये। सिलेक्ट कमेटी में इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि यह कहा जाता है कि गजेन्द्र गड़कर रिपोर्ट, उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि मैंने उसको पढ़ा नहीं है और न वह रिपोर्ट हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, ऐसा कहा गया है और माननीय शिक्षा मन्त्रीजी ने इस बात को कहा है कि गजेन्द्र गड़कर रिपोर्ट के अन्दर सिन्डीकेट के अन्दर विद्यार्थियों को रिप्रेजेन्टेशन देने की सिफारिश नहीं है।

(श्री शंकर लाल)

उपाध्यक्ष महोदय, वह सिफारिश नहीं है, और आप एडमिनिस्टेशन के अन्दर आपका यह उद्देश्य है कि आप विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं तो इन दोनों बातों के ऊपर कैसे विचार किया जाय, और कौन सा रास्ता निकाला जाय, यह बात सिलेक्ट कमेटी के अन्दर ही रेफर करने से बिल पर विचार हो सकता है, और वहां पर सिलेक्ट कमेटी में विचार करके किसी निर्णय पर पहुँच सकते हैं कि सिन्डीकेट में रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिए या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, सिन्डीकेट और सीनेट की बात देखकर मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो यह यूनीवर्सिटी बिल के अन्दर यह शब्द रखे गये हैं 'सीनेट' और 'सिन्डीकेट' यह पाश्चात्य देशों से ली हुई आटोक्रेसी को डिनोट करता है। उपाध्यक्ष महोदय, 'सिन्डीकेट' का जब नाम आता है तो लोग इस बारे में चमकते हैं। जब कांग्रेस में सिन्डीकेट और इन्डीकेट शब्दों का प्रयोग हुआ तो सिन्डीकेट के लोग उन लोगों को माना गया जो दकियानूसी, केपिटेलिस्ट समर्थक और रिएक्शनरीज थे उनको सिन्डीकेट के वर्ड से डिनाट करते हैं। यह वड 'सिन्डीकेट' आजकल हिन्दुस्तान के अन्दर एक ऐसा शब्द बन गया है कि नोबोडी विल लाइक टू यूज दिस वर्ड फार हिम। कोई भी यह नहीं चाहेगा कि 'सिन्डीकेट' वर्ड का प्रयोग किया जाय। किसी अच्छी चीज के लिए यह 'सिन्डीकेट' वर्ड जो हमारे सामने आया है बिल के अन्दर वह 'सिन्डीकेट' शब्द को पसन्द करेंगे। इसके लिए दूसरा शब्द . . .

श्री केदारनाथ : एक्जीक्यूटिव बोडी रख दें।

श्री शंकरलाल : एक्जीक्यूटिव बोडी रखें, लेकिन यह 'सिन्डीकेट' शब्द बिलकुल ऐसा शब्द है जो कि आज के जमाने के अन्दर उपयुक्त नहीं है। यह बात सिलेक्ट कमेटी में देखने की है कि इसकी जगह पर कौनसा शब्द ठीक बैठता है।

इसी तरह से 'सीनेट' शब्द है वहां पर उस वक्त में जो लोगों की सीनेट हुआ करती थी उन लोगों के लिए लिखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय मौजूदा हालात के अन्दर जब इस बात को मान्यता देते हैं कि शिक्षा के जगत के अन्दर जो यूनीवर्सिटी में स्टूडेन्ट्स हैं वह आगे जाकर होनहार बनने वाले नागरिक हैं और उनकी जो डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स हों तो वहां पर अच्छी परम्परा के लिए इन दो चीजों को बेस मानते हैं। तो इनको बेस मानते हुए हमको इसे डीप थिंकिंग देना पड़ेगा, और डीप थिंकिंग अगर करना हो तो वह बिना बिल को सिलेक्ट कमेटी में गुजारे हुए डीप थिंकिंग नहीं होगा।

अगर आप जल्दी पास करायेंगे तो जिन उद्देश्यों से पास करा रहे हैं जैसा कि कहा गया है, और, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी विद्यार्थी संस्थाओं के प्रतिनिधि मिले हैं, और उन्होंने कहा कि सरकार यह जो बिल ला रही है उससे हम सन्तुष्ट नहीं हैं। एक तरफ तो आप इस बात से सन्तोष देना चाहते हैं विद्यार्थियों को कि यूनीवर्सिटी में विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व हम प्रशासन और दूसरी संस्थाओं में देना चाहते हैं

(श्री शंकर लाल)

और अगर आप सिन्डीकेट में प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं और सीनेट में देते हैं तो यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी और उनके अध्यक्ष उससे सेटिस्फाइड नहीं हों, उनको सन्तोष नहीं हो, तो उल्टे वह एक असन्तोष फैलाने वाली बात हो जायगी। यह बात ठीक है कि सिलेक्ट कमेटी के लिए हमारे सदन के माननीय सदस्य बैठेंगे, लेकिन हम अगर स्टूडेन्ट्स यूनियन जो एफिलियेटड हैं तीनों युनीवर्सिटाज की यूनियन्स के जो प्रेसीडेन्ट्स हैं, अगर उनको कान्फीडेन्स में लें, तो मैं समझता हूं कि क्या बुरी बात है। सिलेक्ट कमेटी में बिल जाय और सिलेक्ट कमेटी जो है उन स्टूडेन्ट्स.....

श्री लूणाराम : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(गण अभाव सूचक घंटी)

(गण पूर्ति के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के आने पर) आप प्रारम्भ करिये।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन संस्थाओं के अन्दर विद्यार्थियों को और अध्यापकों को प्रतिनिधित्व देते हैं तो हमारा यह भी एक मकसद है कि उनके अन्दर एक अनरेस्ट फैला हुआ है, उस अनरेस्ट, को भी समाप्त किया जाय और वह लोग जो हैं अपने शिक्षा जगत के अन्दर जो आज प्रतिक्रियावादी तत्व घुस गये हैं उनकी तरफ न जायं, और दूसरा उनका कोई रिएक्शन नहीं हो। अगर इन मकसदों को पूरा करना है तो जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि स्टूडेन्ट्स यूनियन के प्रेसीडेन्ट्स को कान्फीडेन्स में लिया जाय और वे सिलेक्ट कमेटी के सामने अपने विचार प्रकट करें, अगर सिलेक्शन कमेटी इन अध्यक्षों को बुलाकर इस पर विचार विमर्श करें, ताकि यह विधेयक जब पास हो जाय तो बाद में यह बात विद्यार्थियों में आपत्तिजनक नहीं होगी कि यह जो बिल लाया गया है वह उनकी भावनाओं के अनुकूल नहीं है। ऐसी भावनाएं उनमें जागृत नहीं होंगी।

दूसरी, उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल बात है जैसा कि माननीय मन्त्रीजी कह सकते हैं कि सिण्डीकेट के अन्दर एक्जामिनेशन की बात है, दूसरी बातें आती हैं और गजेन्द्र गड़कर की रिपोर्ट के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व ठीक नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने निवेदन किया डीप थिंकिंग सिलेक्ट कमेटी करेगी, लेकिन यह एक बात सुनिश्चित है कि किसी विद्यार्थी के ऊपर किसी व्यक्ति के ऊपर आप जिम्मेवारी डालेंगे तो जितना वह अपोजिशन करता है, जितना वह आपका विरोध करता है, वह विरोध आपका कम होगा। एक भी विद्यार्थी को प्रतिनिधित्व सिण्डीकेट में मिल जाता है तो सिण्डीकेट मे जितने निर्णय होते हैं; और उन निर्णयों के विरोध में जितनी विद्यार्थियों में असन्तोष फैलने की प्रक्रिया होती है, और विरोध में प्रदर्शन करने की जो प्रक्रिया होती है, उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि उनका प्रतिनिधित्व होने के बाद यह विरोध की प्रक्रिया और प्रदर्शन बन्द हो जायेंगे, क्योंकि उन को मालूम है कि हमारा प्रतिनिधित्व सिण्डी-

(श्री शंकर लाल)

केट के अन्दर है, हमारा उसमें शेयर है, और यह नहीं कह सकते हैं कि विद्यार्थियो को बिल्कुल कन्सल्ट नहीं किया गया है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो नम्र निवेदन करूंगा माननीय मन्त्रीजी से कि अभी जल्दी भी नहीं है। वह यह कहेंगे कि जनमत जानने के लिए प्रसारित करने में टाइम लगेगा इसीलिए मैंने जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव नहीं रखा है। मैंने सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव रखा है इसलिए मानलें कि कुछ समय भी लगे, लेकिन समय लगने के बाद ऐसा विधेयक पास हो जाय, (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) जिसके अन्दर अपना मकसद पूरा हो जाय जैसा कि माननीय मन्त्रीजो ने कहा कि थोड़ी सी विद्यार्थियों के अन्दर असन्तोष की भावना मिट जाय और विद्यार्थियों में इस बात के लिए अनुकूल वातावरण बने कि हमको कन्सल्ट करके सिलेक्ट कमेटी में विचार करके यह बिल लाया गया है। वर्ना जल्दी में बिल लायेंगे और उसको पास करेंगे तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है और विद्यार्थी असन्तोष का प्रदर्शन करते हैं तो सरकार का मकसद जो माननीय मन्त्रीजी ने अभी बताया वह पूरा नहीं हो सकता है, जैसी कि उनकी भावना है कि एडमिनिस्ट्रेशन आफ यूनीवर्सिटीज के अन्दर विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व देना चाहते है तो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं तो सीनेट में अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा और सिण्डीकेट में ही प्रतिनिधित्व होगा जैसा कि स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में किया गया है तो वह मकसद पूरा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जो हो सके तो इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मन्त्रीजी।

श्री नारायण सिंह (शिक्षा मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इन तीनों बिलों के ऊपर सामान्य वाद-विवाद होते हुए काफी बातें कही गई। माननीय आचार्य जी ने कहा कि जब एक हायर कमेटी बनाने का विचार है तो कुछ समय के लिए क्यों न स्थगित कर दिया जाय। स्थगित रखने की बात कही। जो हायर पावर कमेटी बनाने की बात है वह यूनीवर्सिटी की स्टेज और सेकेण्डरी स्टेज की और प्राइमरी स्टेज की सभी जगहों के विषय के अन्दर सलाहकार समिति के रूप में बनाने की है और उनका करीक्यूलम क्या हो और पाठ्यक्रम किस प्रकार का हो और किस प्रकार से उन्नति की जाय, उन सभी बातों पर वह अपनी राय देगी। उस कमेटी को इन बातों में डालना उचित नहीं होगा क्योंकि एक अति आवश्यक बात है कि हम जितना जल्दी स्टूडेन्टस और टीचर्स की मांग को देखते हुए उनको प्रतिनिधित्व आगामी सत्र तक दे सकते हों उतना हम दे दें। कई और दूसरे भी इस प्रकार के प्रस्ताव आये हैं तो जनमत जानने के लिए कहा गया। कुछ यह भी कहा गया है कि आगामी सत्र के अन्दर सारे ही बिल को आमूल चूल देखकर इसको लाया जाये। मैं भी यह मानता हूं कि जो मेरे सामने हैं यह गजेन्द्र गडकर की और दूसरी रिपोर्ट है। तो आज समय का यह तकाजा है कि उनको देखते हुए हमें बदलने की आवश्यकता

(श्री नारायणसिंह)

है। स्टुडेण्ट्स को और भी कन्सेशन देने की आवश्यकता है। परन्तु यह जो कदम उठाया गया है, स्टूडेण्ट्स और टीचर्स के प्रतिनिधित्व की मांग है वह भी एक समय की मांग है। उनको देने के बाद क्या प्रक्रिया रहती है। यह भी एक देखने की बात है। मैं दूसरी बात यह भी एक निवेदन कर दूं कि राजस्थान ऐसी दूसरी स्टेट है जो कि टीचर्स और स्टूडेण्ट्स को रिप्रजेण्टेशन दे रही है. केरला में केवल 3 स्टूडेण्ट्स को प्रतिनिधित्व दिया गया है। जहां गजेन्द्र गड़कर की पूरी रिपोर्ट को मानकर 10 प्रतिशत स्टूडेण्ट्स को और 15 प्रतिशत टीचर्स को प्रतिनिधित्व दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय में प्रो. केदार ने भी कुछ उपयुक्त सुझाव दिये हैं। उन्होंने यह भी बताया है प्रो. केदार ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि एफीलियेटेड यूनीवर्सिटी के बारे में हम सोच रहे हैं। राजस्थान यूनीवर्सिटी केवल टीचिंग यूनीवर्सिटी रखी जाये। इस चीज को साथ में करके यह सोचा गया कि एक समूचा बिल क्यों नहीं लाया जाये। जिसमें कि एफिलियेटेड यूनीवर्सिटी अलग हो जाये। मैं दोनों को ही महत्व देता हूं। यूनिवर्सिटी बिल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जायें। जैसा कि माननीय सुरेन्द्र व्यास ने कहा था कि उनको प्रतिनिधित्व दिया जाये। जिनके कई प्रकार के मसले रह जाते हैं। बकाया रह जाते हैं। प्रमोशन्स के मसले बकाया रह जाते हैं। स्टूडेन्ट्स के एग्जामिनेशन्स के मामले बकाया रह जाते हैं। हम उनको मानते हैं। मैं इस बात को भी मानता हूं कि एफीलियेटिंग यूनीवर्सिटी तुरन्त अलग होनी चाहिए। इसलिए मैं जल्दी ही कोठारी जी से मिलूंगा और इस विषय में उनसे वार्तालाप करके जिस प्रकार की वह कमेटी बतायेंगे एफीलियेटेड बिल शीघ्रातिशीघ्र लाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो यूनीवर्सिटी में समुचित परिवर्तन होना चाहिए, वह भी प्रयत्न किया जायेगा। मगर स्टूडेण्ट्स और टीचर्स को एक बार मौका दे देना है। इस बात की आवश्यकता के विषय में हम निवेदन कर चुके हैं। इस प्रकार का यह भारतवर्ष में पहला कदम है। प्रो केदार ने कहा था कि स्टूडेण्ट्स को सिण्डिकेट में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाये। इस बात का जिक्र कुछ और माननीय सदस्यों ने भी किया है। मैं मानता हूं कि जो रिप्रेजेण्टेशन किया गया है, वह रिप्रेजेण्टेशन अपर्याप्त है। परन्तु मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां तक स्टूडेण्ट्स के रिप्रेजेण्टेशन का सिण्डीकेट एक्ट की संख्या 26 में यह किया गया है। 10 'ए' में प्रतिनिधित्व दिया गया है। उदयपुर में 11 'ए' जो नया प्रपोज किया गया है। मैं उनकी शब्दावली पृथक्-पृथक् पढ़ कर सुनाता हूं।

Two members of the Board being non teachers elected by the Board, one of them shall be a registered graduate.

यह इसमें कहा गया है। इसके अलावा उदयपुर और दूसरा जो जोधपुर का भी है, उसमें (विराम) 16 प्रपोज की गई है। सिण्डीकेट के बारे में मैं यह पहले निवेदन

(श्री नारायणसिंह)

कर दूं जोधपुर के बारे में लिखा गया था जोधपुर में जो सीनेट बनेगी, उसमें रखा जायेगा। अब उनमें यह भी लिख दिया गया है —

Two members of the Senate being non teachers elected by the Senate one of whom shall be a registered graduate····

वह इस प्रकार से इसमें भी आ जाता है। उदयपुर की यूनिवर्सिटी के अन्दर भी इसी प्रकार (विराम) इस प्रकार से जो सेक्शन 11 प्रपोज की गई है। 11 'ए' में लिखा गया है —

Two members of the Board being non teachers elected by the Board one of them shall be a registered graduate.

इसी प्रकार से टीचर्स को रिप्रेजेन्टेशन इन तीनों में बराबर दिया गया है। जैसा कि टीचर्स का उदयपुर यूनिवर्सिटी के अन्दर भी है। जैसा कि आप क्लाज बाई क्लाज पढ़ेंगे तो ये सारी बातें आपके सामने आयेंगी।

Two persons elected by the Board from amongst persons who are elected as 'Representative members' of the Board under clause (vi) of sub-division III of sub section (1) of Section 19.

इसी प्रकार से दूसरे टीचर्स का रिप्रेजेन्टेशन देने की बात कही गई है जिसकी विगत में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं निवेदन करूंगा जो रिप्रेजेण्टेशन इस वक्त दिया है। वह सीनेट के अन्दर बहुत सोच विचार कर दिया है। गजेन्द्र गडकर की रिपोर्ट के अनुसार दिया है। लांग पालिसी के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया है। सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट के अन्दर जो यूनिवर्सिटी हैं, उनके अन्दर भी नहीं है। निवेदन यह है कि हम जो भी कदम उठायें उसमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। देखना यह है कि वर्कबिल कितना होता है। इसके बारे में मैं गजेन्द्र गडकर रिपोर्ट के ये अंश आपके सामने रखूंगा।

It would not be desirable to give students any representation on the executive council. We also feel that at the present moment, no useful purpose will be served by giving representation on the council······

दूसरी बात—

Philip Altbach. Edward Shils Joseph Usheld, Robert Shaw ने कही है—

यह जो भी मैं निवेदन कर रहा हूं। तो जो आज के एजूकेशनिस्ट हैं, उन्होंने जो राय व्यक्त की है। अभी-अभी टाइम्स आफ इण्डिया में एक आर्टिकल स्टूडेण्ट्स के बारे में आया है। उसमें भी कहा गया है, जो वहां के बड़े-बड़े विद्वान है—

'This edifice of student participation may seem imposing. But it rests on a foundation

(श्री नारायणसिंह)

which is most unlikely to be able to support it, and that is the poor quality of student leadership in India····'

यह उन्होंने कहा है। हमें इस समय विना किसी अहंकार के यह मानना होगा। अभी आजादी प्राप्त किये हुये हमें थोड़ा समय हुआ है। हम हमारे अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं। अपनी दबी हुई चीजों को ऊपर उभार कर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी पर्सनलिटी बना रहे हैं। इस समय साधारण नागरिक इस प्रयास में है कि अपनी पर्सनलिटी बनायें। वैसे इस समय यंग लोडरशिप और जो नौजवान हैं उनका एकदम रुतबा इतना बढ़ जाय–यह एक्सपेक्ट करना एक गलती की बात होगी। हमारे देश में जितनी यूनीवर्सिटी आजादी के पहले की थीं, उनसे कई गुना अब तक बढ़ी हैं, समस्यायें भी बढ़ी हैं, सब चीजें बढ़ी हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा है–

"Studies by experts like philip Altbach Edward Shils Joseph Usheld, Rober Shaw and others have shown convincingly that for all the lack of ideological motivation. Indian Campus affairsmeven when ostensibly cultural, tend to be pretext for narrow, factional politicking. Student leaders are politicians on the make anxious to wield power rather than promote the interests......

वह तो है ही परन्तु आज आप इससे इन्कार नहीं कर सकते कि हमारी सोसाइटी कास्टिज्म से ओवर-रिडन है। हम ऐसा समझते हैं कि कास्टिज्म से हम दूर चले जा रहे हैं परन्तु ज्यों ज्यों चुनाव आते हैं, ज्यों ज्यों इस प्रकार की परिस्थिति बनती है, हम देखते हैं कास्टिज्म की दीवारें ऊंची चली जा रही हैं। कहीं कहीं थोड़े आदमी कास्टिज्म से ऊपर उठे हैं, लेकिन यह कास्टिज्म से दूर जाना नहीं है, आज अग्रवाल की अग्रवाल में शादी करना चाहेंगे और इस ढंग की चीज भी मिलेगी। आज स्टूडेंट में फस्ट्रेशन है, मैं नहीं कहना चाहता हूं, यह एजूकेशनल सिस्टम की वजह से है. अनएम्प्लायमेंट की वजह से है, समाज की गलत परिपाटी की वजह से है टीचर्स के रवैये की वजह से है जिससे एक्जामिनेशन और दूसरे तौर तरीकों पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसके साथ इसलिए भी है कि कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलोजी से सामना करना पड़ता है समाज में जहां कहा जाता है, भारतीय हो, एक हो, समाजवादी हो, आगे बढ़ना है, और राष्ट्रीयता की बात भी कही जाती है। जिस समय समाज में जाकर वह बात करता है, चाहे वह गर्ल स्टूडेंट हो, चाहे बायज स्टूडेंट तो सारी चीजें वहां समाप्त हो जाती हैं, उनके मां बाप अग्रवाल की अग्रवाल में शादी कर देते हैं किसी की किसी के साथ शादी कर देते हैं। शादी नहीं हुई तो इलेक्शन में यह चीज जरूर आ जाती है कि इस प्रकार के कस्टम में चले जायं। जब इस प्रकार की स्थिति मौजूद है तो स्वाभाविक है कि यह चीजें अपना प्रभाव यूनीवर्सिटी में भी लावें। आज इन प्रभावों को न्यून करना है। मैं स्टूडेंट की गल्ती नहीं कहता, यंग

(श्री नारायणसिंह)

जनरेशन की गल्ती नहीं कहता। मैं यह कहता कि हूँ यह ग्राब्सेशन उन्हें उनके अभिभावकों द्वारा दिया हुआ है, जिन्होंने स्लोगन्स को लेकर, रूढ़ियों को लेकर उनको इस प्रकार से सिखला दिया है जिससे न केवल समाज में, इकानामिक कन्डीशन्स में विरोधाभास है, परन्तु एजूकेशन के बाद जाते हैं तो सामाजिक परिस्थितियों में भी बड़ा भारी विरोधाभास मिलता है और उनको दूसरा जीवन ग्रहण करना पड़ता है बाध्य होकर। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, बहुत कम ऐसे होंगे, जो समाज के नियमों को तोड़कर आगे चले जायं। यहां एक बात और आ जाती है, इसके साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जो इसमें साइट किया है इस आर्टिकल में "A survey of student politics and leadership in Osmania University......" जो हैदराबाद में है "made in 1966-67 revealed' for instance, that six of the nine leaders were planning a career in politics, seven admitted that there academic performance was poor, three were in college for long periods, one for eight years and the other two for 10 and 12 years, respectively."

तो हम जो प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, बड़े कासमली····

श्री गुमानमल लोढा : इसमें जनरेलाईज नहीं कर सकते।

श्री नारायणसिंह : जनरैलाइज नहीं कर रहा हूं।

श्री गुमानमल लोढा : You should not generalise it.

श्री नारायण सिंह : जनरैलाइज नहीं कर रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। आज भी स्टूडेंट को प्रतिनिधित्व हम दे रहे हैं स्टूडेंट के लिए हमारे खास तौर पर बिल में है, एकेडेमिक एक्सीलेंस जिन स्टूडेंट्स ने कायम किया है उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व देने का भी प्रयत्न किया है और दूसरे प्रकार के स्टूडेंट्स को भी प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्न किया है परन्तु इसमें जागरूक रहना पड़ेगा, जैसा अभी सुझाव आया है, मुझे याद नहीं, किसने कहा था, स्टूडेंट्स का एक जनरल इलेक्ट्रोरल कालेज बना दिया जाय जिसमें से कोई स्टूडेंट्स ऊपर आ जाय, यह बड़ी खतरनाक बात है, इसलिए सोच विचार कर कालेज को बनाना पड़ेगा। जो कालेज अभी बनाया गया है वह इस बात को मद्देनजर रखते हुए, कुछ स्टूडेंट के लीडर रखे गये हैं, कुछ स्टूडेंट का प्रतिनिधत्व रखते हे कालेज में और इस प्रकार इलेक्शन कराये गये हैं। आगे जाकर एकेडेमिक एक्सीलेंस वाले स्टूडेंट होंगे उनके बारे में अलग चुनाव कराने की विधियां सोची गई हैं। मैं इस बारे में निवेदन करूं कि जहां सक्श. 18 आफ राजस्थान यूनीवर्सिटी के अन्दर इन्टरनल स्टूडेंट तीन, इन्टर एफीलियेटिंग कालेज के तीन, और जो बाकी के एकेडेमिक एक्सीलेंस के स्टूडेंट होंगे वह चार–इस प्रकार सात रखे गये हैं। उसी प्रकार से जोधपुर यूनीवर्सिटी सीनेट में स्टूडेंट चार और दो उसी प्रकार से रखे गये हैं और कन्ट्रोल बोर्ड जो सीनेट की जगह पर है उदयपुर में सात और चार रखे गये

(श्री नारायणसिंह)

हैं। टीचर्स का भी इसी प्रकार से अनुपात रखा गया है, टीचर··

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह बिल पर फर्मावें तो ज्यादा अच्छा होगा। Why to waste time.

श्री नारायणसिंह : वह उस वक्त निवेदन कर दूंगा, इस वक्त छोड़ता हूं।

मैं निवेदन करूंगा, इन बातों का प्रावधान इसलिए रखा गया है कि सलेक्टेड स्टाफ हमारे सामने आवे जो वाकई एकेडेमिक सुधार होना चाहिये–इसमें दिलचस्पी रखते हों। एक स्टूडेंट वह हैं जो लेबोरेट्री में खपते हैं और अपने डिवीजन और उसका ख्याल रखते हैं। रिसर्च का पूरा तन देह से काम करते हैं। एक स्टूडेंट वह हैं जो केवल नेतागिरी करते हैं। इस प्रकार के सारे समाज में आदमी हो सकते हैं। तो हमें एकेडेमिक एक्सीलेंस वाले स्टूडेंट को पहले लेने की आवश्यकता है ऐसे रिप्रेजेंटेशन के अन्दर बजाय किसी दूसरे के। इसमें मैं यह भी निवेदन करूं, खैर जिस वक्त बिल आयेगा उस वक्त कहना ठीक होगा जो फेल्योर्स हैं जैसे हायर सैकेन्डरी एक्जामिनेशन देने के बाद से जो आठ साल लगातार रह गये, सात साल रह गये, इस प्रकार के स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड किया गया है, जिनका यह रवैया रह गया है कि वह यूनीवर्सिटी में बैठे रहें, उनसे बचा जाय। मैं निवेदन करूं, यह बात सही है, आज स्टूडेंट्स में फ्रस्ट्रेशन है, मैं अपने पूर्व भाषण में निवेदन कर चुका हूं, वह हमारे सोशल स्ट्रक्चर के कारण से है। जो सोशल स्ट्रक्चर है उसे एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स में और हर जगह घुसेड़ना चाहते हैं, सोशल स्ट्रक्चर जो हायर सैकेण्ड्री पास करने के बाद एम्पलायमेंट अपार्चुनिटी एकदम नहीं देना चाहता है, उसके बाद में बी. ए., बी. ए. के बाद एम.ए. और एम.ए. के बाद में पी-एच. डी. तक चला जाय उसके बाद भी जब तक यह आंख मिचौनी खेलता है, तो पहली वास्तविकता है, वह वास्तविकता है, उसको एम्पलायमेंट क्या मिलेगा, जीवन का भविष्य क्या होगा। यह वास्तविकता से जब तक आंख मिचौनी खेलता है उस वक्त यूनीवर्सिटी में इस प्रकार से बढ़ता चला जाता है–यह फ्रस्ट्रेशन जरूर है, यह फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए, जो सामाजिक फ्रस्ट्रेशन है इकानामिक फ्रस्ट्रेशन है, इकानामिक स्ट्रक्चर के कारण, सामाजिक स्ट्रक्चर के कारण, दूसरे स्ट्रक्चर के कारण, पालिटिकल वातावरण के कारण वह केवल स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंटेशन देने से हल हो जायगा–यह कहना अतिशयोक्ति होगा यद्यपि इस बात से इन्कार नहीं करता हूं कि स्टूडेंट पार्टिसिपेशन अवश्यमेव होना चाहिए, सेंस आफ रेस्पान्सिबिलिटी और यूनियनशिप विद टीचर–इन रिपोर्ट्स में भी कहा गया है, यह एकेडेमिक एक जोइन्ट वेन्चर है टीचर और स्टूडेंट्स का जिसमें शामिल होकर काम करें, इस तकाजे को मानते हुए, एक प्रकार से इस बिल को प्रयोगात्मक कह दीजिये, यह लाये हैं ताकि सीनेट से प्रारम्भ होकर सिण्डीकेट में इलेक्ट हो सकेंगे–ऐसी बात नहीं है लेकिन इस अनुभव के बाद में हम देखेंगे कि उनको और आगे सिंडीकेट में एकेडेमिक कौंसिलस के अन्दर और दूसरी जो फैकल्टीज हैं, उनमें

(श्री नारायण सिंह)

कितना बढ़ता हुआ भाग दिया जाए। एकदम काम नहीं होगा। इस विषय में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज के अलावा सारी यूनिवर्सिटीज के स्ट्रक्चर में कुछ आमूलचूल परिवर्तन लाए जायं। विश्वविद्यालय की ऑटोनोमी का कन्सेप्ट भी एक प्रकार का कन्सेप्ट है जो एक प्रकार सोसाइटी के अंदर मान्य होता है। अभी कहा गया था कि कुछ नोमीनेटेड सदस्य चांसलर के होते हैं और वह शायद आचार्य जी ने कहा हो कि वह अंग्रेजों के समय की पद्धति है। मैं मानता हूं, ऐसी चीजें मौजूद हो सकती हैं। हमारे पास में जिस प्रकार के विश्वविद्यालय के कानून सामने आए राजस्थान में उनसे प्रेरणा लेकर हमने काम किया। परन्तु ऐसे नोमीनेटेड सदस्य लिए जाते हैं जैसे कौंसिल ऑफ स्टेट्स में है, जो एकेडेमीशन्स और प्रकार से नहीं आ सकते, उनको लाने की आवश्यकता पड़ रही है। किस जगह अधिकार का दुरुपयोग हो सकता है या नहीं, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता लेकिन इस नामीनेटेड मेम्बरशिप को भी कहां तक हल किया जा सके और क्या किया जाए, यह आगे विचारने की बात होगी और इस विषय में जो एडवाइजरी कमेटी बनाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं उन बातों में संशोधन सारे विश्वविद्यालयों के लिए चाहे यूनीफार्मली, चाहे अलग-अलग विश्वविद्यालयों से अलग-अलग लिए जाने का प्रयत्न किया जाएगा लेकिन वह चीज आज नहीं हो सकती। आज सवाल विद्यार्थियों को पार्टीसिपेशन देने का है जिसके लिए हम कमिटेड हैं, उसमें हम विलंब नहीं करना चाहते। इसलिए छोटा सा संशोधन इस दृष्टि से लाया गया है जो मैंने प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र इस आवश्यकता की पूर्ति इन बिलों से होगी ताकि अगले सत्र तक हम स्टूडेंट्स और टीचर्स को बराबर रिप्रेजेन्टेशन किन्हीं अंशों में दे सकें।

राजस्थान अभिधृति (टेनेन्सी) विधेयक, 1972 पर प्रवर समिति के सदस्यों की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन की अनुमति से कुछ आवश्यक सूचनायें देना उचित समझता हूं। मैं राजस्थान अभिधृति (टेनेन्सी) विधेयक, 1972 के लिए गठित प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा करता हूं जो इस प्रकार हैं:—

(1) श्री रामचंद्र चौधरी, राजस्व मंत्री
(2) श्री शिवचरण माथुर
(3) श्री पूनमचंद विश्नोई
(4) श्री बद्री प्रसाद गुप्ता
(5) श्री पी. के. चौधरी
(6) श्री सहदेव शर्मा
(7) श्री घासीराम यादव
(8) श्री वृद्धिचंद्र जैन
(9) श्री भुवनेश चतुर्वेदी
(10) श्री रामचरण
(11) श्री जयनारायण भील
(12) श्री महेन्द्र कुमार
(13) श्री राजेन्द्रसिंह
(14) श्री शांति लाल कोठारी
(15) श्री सज्जनसिंह
(16) श्री शंकरसिंह रावत
(17) श्री भरतलाल

(श्री उपाध्यक्ष)

(18) श्री भंवरसिंह
(19) श्री विजयसिंह
(20) श्री रावतराम
(21) हाजी जान मोहम्मद खां
(22) श्री गिर्राज प्रसाद
(23) श्री नारायणसिंह चौधरी
(24) श्री दीपंकर
(25) श्री हरिश्चंद्र पल्लीवाल
(26) श्री शिवनारायण
(27) श्री रामानंद अग्रवाल
(28) प्रो. केदार नाथ
(29) श्री गुमानमल लोढा
(30) श्री मीठालाल मीणा
(31) श्री झाबरमल सूंडा

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 183 के अन्तर्गत श्री रामचन्द्र चौधरी, राजस्व मंत्री को प्रवर समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेगी।

द्वितीय घोषणा

सदन की समितियों का मनोनयन

1. याचिका समिति

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 227 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष ने निम्नांकित सदस्यों को याचिका समिति का सदस्य मनोनीत किया है:-

1. श्री गंगाराम चौधरी
2. श्री राम प्रसाद बोहरा
3. श्री भगराज चौधरी
4. श्री रामसिंह विश्नोई (विभाजन संख्या 137)।
5. श्री ज्ञानसिंह चौधरी
6. श्री हुकमसिंह
7. श्री सांवरमल मोर
8. श्री देवीलाल
9. श्री जेठमल आर्य
10. श्री रामसिंह कुड़ी (विभाजन संख्या 135)।

उक्त नियमों के नियम 183 के अन्तर्गत श्री गंगाराम चौधरी को समिति का सभापति नियुक्त किया गया है।

विशेषाधिकार समिति

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 234 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष ने निम्नांकित सदस्यों को विशेषाधिकार समिति का सदस्य मनोनीत किया है:-

1. श्री यशवन्तसिंह नाहर
2. श्रीमती नगेन्द्रबाला
3. श्री दलपतसिंह
4. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव
5. श्री अब्दुल हादी
6. श्री कालूराम आर्य
7. श्री रामसिंह सादुलपुर (विभाजन संख्या 188)
8. श्री शीशराम ओला
9. श्री मुन्शीलाल
10. श्री गुरदयालसिंह सन्धु

उक्त नियमों के नियम 183 के अन्तर्गत श्री यशवन्तसिंह नाहर को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया है।

(श्री उपाध्यक्ष)

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 239 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष ने निम्नांकित सदस्यों को अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सदस्य मनोनीत किया है:—

1. श्री निरंजन नाथ आचार्य
2. श्री मोहरसिंह
3. श्री गोपालसिंह
4. श्री जगमोहनसिंह
5. श्री मनोहर कोठारी
6. श्री भंवरलाल भदादा
7. श्री रामरघुनाथ चौधरी
8. श्री जय किशन
9. श्री रामगोपाल मीणा
10. श्री हरी किशन

उक्त नियमों के नियम 183 के अन्तर्गत श्री निरंजननाथ आचार्य को समिति का सभापति नियुक्त किया गया है।

सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 245 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष ने निम्नांकित सदस्यों को आश्वासन समिति का सदस्य मनोनीत किया है:—

1. श्री रघुनाथ विश्नोई
2. श्री प्रद्युम्नसिंह
3. श्री श्रीराम गोटेवाला
4. श्री रणजीत सिंह
5. श्री शंकरलाल जाट
6. श्री नन्दलाल बैरवा
7. श्री हनुमान सहाय

उक्त नियमों के नियम 183 के अन्तर्गत श्री रघुनाथ विश्नोई को समिति का सभापति नियुक्त किया गया है।

नियम समिति

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 246 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष ने निम्नांकित सदस्यों को नियम समिति का सदस्य मनोनीत किया है:—

1. श्री अध्यक्ष
2. श्री पूनमचन्द विश्नोई
3. श्री रामनारायण चौधरी
4. श्री पुखराज कालानी
5. श्री माणकचन्द सोगानी
6. श्री सहदेव शर्मा
7. श्री लक्ष्मणसिंह
8. श्री गुमानमल लोढ़ा
9. श्री प्रोफेसर केदारनाथ
10. श्री खेतसिंह

उक्त नियमों के नियम 247 के अन्तर्गत श्री अध्यक्ष इस समिति के सभापति होंगे।

समिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति

गृह समिति

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि गृह समिति की सदस्यता से श्री गोकुलचन्द और श्री मनोहर कोठारी ने त्याग-पत्र दे दिया है। अतः इन दो रिक्त स्थानों पर श्री चिम्मनसिंह भाटी और श्री हरलाल मीणा को गृह समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है।

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री केदारनाथ : मुझे अपना प्रस्ताव जनमत जानने हेतु जो दिया था, उसके वापस लेने की आज्ञा दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय श्री केदारनाथ को अपना प्रस्ताव वापस लेने की आज्ञा दी जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री केदारनाथ : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल भार्गव (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार एवं उसका पारण

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 विचारार्थ लिया गया।

खंडशः विचार। खंड दो में कोई संशोधन नहीं है।

श्री केदारनाथ : खंड दो, पार्ट 1 में कान्सटीट्यूएन्ट कॉलेजेज लिखा है। यहां तो ऐसा कोई कॉलेज नहीं है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : कान्सीट्यूएन्ट कालेज तो कोई शब्द ही नहीं है। होना चाहिए —

Colleges run by the University.

श्री नारायण सिंह : यह चलित शब्द है कान्सटीटूएन्ट कॉलेजेज और यहां पर भी कई जगह विश्वविद्यालय और दूसरी जगह जो जयपुर में कालेजेज विश्वविद्यालय के हैं महाराजा कालेज, महारानी कालेज, राजस्थान कॉलेज व कामर्स कालेज इनको कान्सटीट्यूएंट कालेज कहा जाता है, प्रयोग में यही शब्द आता है। इसलिये इनको एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटीज से डिफरेन्शीएट करने के लिये····

श्री केदारनाथ : कालेज एक सेपरेट एन्टिटी बन जाता है।

श्री नारायण सिंह : अलग नहीं कहेंगे तो कन्फ्यूजन हो जायगा।

श्री केदारनाथ : कैम्पस में जगह नहीं है इसलिये अलग किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खंड 2 स्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 3 पर संशोधन प्रस्ताव। श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवंतसिंह नाहर : इस पर वैसे तो बहुत ही लम्बे समय तक बहस हो चुकी है। इसलिये मैं ज्यादा नहीं कह कर इतना ही निवेदन करूंगा कि मैंने जो संशोधन प्रस्ताव दिये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

श्री नारायण सिंह : खण्ड तीन में जो लास्ट में है हू मेम्बर्स वह··

श्री यशवंतसिंह नाहर : खण्ड 3 में एमेन्डमेंट आफ सैक्शन 21 आफ राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट में, यह जो प्रिन्सीपल एक्ट में है–

'After the proposed new clause (ix) the following new clauses (x), (xi) and (xii) shall be added, namely :—

(x) one person elected by the Senate from amongst the internal students of University teaching Departments and Constituent Colleges who are elected as other members of the Senate under clause (xxviii) (a) (1) of sub-section (1) of section 18.

(xi) one person elected by the senate from amongst the internal students of the affiliated colleges who are elected as 'other members' of the senate under clause (xxviii) (a) (2) of sub- section (1) of section 18.

(xii) two members of the State Legislature to be nominated by the Speaker.

Do you agree or not ? If you don't agree I should withdraw.

श्री नारायण सिंह : यह जो आपके एमेन्डमेंट 10, 11 और 12 हैं उसमें मैं 10 और 11 संशोधन हैं-उन्हें एग्री नहीं करता हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: 12th amendment is "two members of the State Legislature to be nominated by the Speaker."

श्री नारायण सिंह : Yes, This twelfth may be renumbered as Ten. "Two members of the State Legislature to be nominated by the Speaker."

मैं आपका यह अन्तिम संशोधन जो है उसे स्वीकार करने को तैयार हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : तो मैं 10 और 11 संशोधन हैं उन्हें वापिस विथड्रा कर लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ये आपने तीन एमेन्डमेंट दिये हैं उनमें से आपने 10 और 11 को विथड्रा कर लिया है और 12 वां जो अमेन्डमेंट रखा है उसे आप स्वीकार करते हैं।

श्री नारायण सिंह : हां, 12 वें संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान विश्वविद्यालय एक्ट में 8 और 9 सेक्शन्स तो हैं और यह फिर 10 क्लाज होगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरे 10 और 11वां संशोधन तो यह मानते नहीं हैं। और 12 वें को मानते हैं तो वह अपने आप दसवां क्लाज बन गया।

Page No. 126

श्री नारायण सिंह : This may be renumbered as ten.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : That may be renumbered as ten and the rest, I withdraw.

श्री नारायणसिंह : मैं आपका 12 वां संशोधन है उसको मानने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री यशवन्तसिंह नाहर को आंशिक रूप से उनके संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृति)

संशोधन आंशिक रूप से वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं मेरे संशोधन आंशिक रूप से विथड्रा करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड तीन में जो संशोधन किया गया है उसके साथ उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड तीन, संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि सूत्र खंड 1, अधिनियमन सूत्र आदि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खंड 1, अधिनियमन सूत्र आदि स्वीकार किये गये।

श्री नारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय एमेन्डमेन्ट बिल, 1972 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (एमेन्डमेन्ट) बिल, 1972 को संशोधित रूप में पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अभी हाउस में बिल पास हो चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार कुछ ऐसी बातों की आदी हो गई है शायद कि अगर आप कोई काम करना चाहें तो पहले आन्दोलन कीजिए। हमारी सरकार स्वयं ही आन्दोलन करने के लिये जनता को प्रेरित करती है। ऐसी स्थितियां पैदा करती है कि जिससे जन आक्रोश बढ़ता रहे। आज आपने यह राजस्थान विश्वविद्यालय एमेन्डमेन्ट बिल पास कर दिया है इससे भी मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जन आक्रोश बढ़ेगा। इससे विद्यार्थी लोगों में आक्रोश बढ़ेगा। क्योंकि आज आपने जो विधेयक स्वीकृत किया है उससे विद्यार्थियों को कुछ भी रिप्रेजेन्टेशन नहीं दिया गया है। और जब उनको सही रिप्रेजेन्टेशन नहीं मिलेगा तो आक्रोश बढ़ेगा और फिर हड़तालें होंगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थितियां पैदा नहीं की जायं जिससे कि आक्रोश बढ़े। आपको मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

कि हमारे उदयपुर में 23-12-68 को डाक्टर मोहनसिंह की अध्यक्षता में राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में और राजस्थान के दूसरे विश्वविद्यालय के बारे में और उसमें विद्यार्थियों के बारे में एक सेमीनार हुई थी। उसमें विचार विमर्श हुआ। मैं समझता हूं राज्य सरकार के शिक्षा मन्त्री उस विषय में जो वहां पर सजेशन्स दिये गये थे उनका इसमें समावेश करलें तो उचित रहेगा। उससे विद्यार्थियों की स्थिति में काफी सुधार होगा। उसमें यह भी विचार हुआ कि विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को उनके एम्स और आब्जेक्ट्स प्राप्त कराने में कहां तक सफल हो सकते हैं। माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसको ध्यान में रखकर अगर आप इस विधेयक मे संशोधन करते तो यह विधेयक काफी परिपक्व होता। वरना तो आपका जो यह विधेयक है यह विद्यार्थियों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेगा। मेरा निवेदन है कि ऐसे अपरिपक्व विधेयक पास करने से कोई फायदा नहीं। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा सिन्डीकेट में स्थान प्रदान करने की व्यवस्था करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन्होंने जो यह निर्णय लिया है उस पर वापिस विचार करें। क्योंकि आज जो यूनिवर्सिटीज के बारे में बिल पास हुआ है इससे विद्यार्थियों की प्रोबलम्स वहीं की वहीं रहेंगी और इससे तो आन्दोलन होगा। आज आप कालेजों को एफिलियेटड यूनिवर्सिटी बना रहे हैं उससे लोगों को सन्तोष नहीं होगा। आपको इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। आपने जो निर्णय ले लिया है और उसकी घोषणा भी मुख्य मन्त्रीजी कर चुके हैं कि एफिलियेटड यूनिवर्सिटी कायम कर दी जायेगी। मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर फिर गम्भीरता से विचार किया जाय। आपको चाहिये कि इसे सरक्यूलेशन में भेजें। वह भी स्वीकार आपको नहीं हो तो आप इसे सलेक्ट कमेटी में भेजें। इस सदन में काफी योग्य सदस्य आये हैं वो इन तीनों यूनिवर्सिटीज के बारे में अध्ययन करके नया रास्ता निकालेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह बिल का थर्ड स्टेज भी पार कर चुका है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मंत्री महोदय मान लें जिससे कि विद्यार्थियों को न्याय मिल सके। मंत्री महोदय इस बारे में कोई निर्णय ले लें। मैंने तो सुझाव दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढा।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस वाले अपने प्रचण्ड बहुमत के आधार पर विरोधी पक्ष को महत्व नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपको इतना निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज सदन में विद्यार्थियों के बारे में जो बिल पास किया

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

गया है उसके लिये मेरा निवेदन है कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये था। आपने जो विधेयक पास किया है उसे विद्यार्थी और जनता दोनों ही ठुकरा देगी। मेरा निवेदन है कि इसमें जो सिन्डीकेट में आपने सदस्य रखे हैं वे कम हैं। स्टूडेन्ट्स को जो आपने रिप्रेजेन्टेशन दिये हैं वह कम है। मैं शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इन छात्रों की समस्याओं की ओर जागरूक हों। ये छात्र हमारे देश के आने वाले कल के लिये राष्ट्र के कर्णधार हैं। आज आपने जो विधेयक पास कि ा है उसमें आपने जो व्यवस्था की है उसमें प्रोफेशनल और केरियर सीकर्स विद्यार्थी ही सीनेट में जा सकेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन्हें सीनेट में, सिन्डीकेट में और एकेडेमिक कौन्सिल सभी जगह रिप्रेजेन्टेशन दीजिये। आप इनको सीनेट में जगह देते हैं वह क्या काम की है। क्योंकि सीनेट तो राज्य सभा की तरह है सीनेट तो हाउस ऑफ लार्ड्स की तरह है। आप इन्हें सिन्डीकेट में जगह दें जो कि डेमोक्रेटिक पीस है। आज वह अधिकार शून्य, कर्त्तव्यहीन है जिनके पास में किसी प्रकार का कर्तव्य-पालन करने का अधिकार न हो उसमें उनको लेकर आपने आंसू पोंछने का प्रयास किया है। शिक्षा मंत्रीजी यह मत भूलिये कि आज विद्यार्थियों का मानस, उनका हृदय झकझोर उठा है। प्रातःकाल ही विद्यार्थी नेता मुझसे मिले थे और उन्होंने कहा था कि हमें दुःख है कि जिस बिल को यहां रखा गया और उस पर विद्यार्थी नेता शान्ति से विचार कर सकें उससे पहले ही विधान सभा में इसको पारित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी इतनी तमन्ना थी इतने आंदोलन और सत्याग्रहों के पश्चात् यह मौका आया और इसको जल्दबाजी में पास करने का प्रयास किया जा रहा है. उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं चेतावनी का शब्द काम में नहीं लेता, लेकिन राजस्थान के लक्ष लक्ष विद्यार्थी इसके विरुद्ध उठ कर आयेंगे, संघर्ष का बिगुल बजेगा और इसके विरुद्ध सारे राजस्थान के विद्यार्थी खड़े होंगे, आप हमारी वाणी को बन्द कर सकते हैं, आप अपने प्रचन्ड बहुमत के बल पर इसको पास करा सकते हैं, लेकिन सारे विद्यार्थी बिगुल बजाकर खड़े होंगे, समय की गति को देखें, दीवार पर क्या लिखा है इसको पढ़ें और इस पर पुनः विचार करें। सीनेट के बजाय विद्यार्थियों को सिन्डीकेट में स्थान दें। आप समझते हैं कि सिन्डीकेट में उनको रिप्रेजेन्टेशन देने से भूचाल आ जावेगा पेपर्स आउट हो जावेंगे, यह समझना हमारी भावी पीढ़ी के प्रति अविश्वास प्रकट करना है। विद्यार्थियों ने महात्मा गांधी और पं. जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में सन् 1942 का क्विट इन्डिया आन्दोलन चलाया था और कन्धे से कन्धा भिड़ा कर एक झण्डे के नीचे खड़े होकर गोलियां खायीं और आन्दोलन को सफल बनाया। आज विद्यार्थियों को सिन्डीकेट में आने के लिये इसलिये ठुकराया कि अगर वे सिन्डीकेट में आ जावेंगे तो एक भूचाल आ जावेगा। आपके द्वारा इस प्रकार की कन्जरवेटिव ओपिनियन विद्यार्थियों के प्रति प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं थी। आपका तो ब्राड आउट लुक होना चाहिये था। आप विद्यार्थियों पर विश्वास कीजिये। आप हम कुछ समय के लिए हैं,

(श्री गुमान मल लोढा)

लेकिन भावी पीढ़ी विद्यार्थियों की ही है और ये राष्ट्र के भावी कर्णधार हैं। इसलिये इनको आप प्रतिनिधित्व मत दीजिये सीनेट राज्य सभा में, इनको प्रतिनिधित्व दीजिये, सिन्डीकेट लोक सभा में इनको प्रतिनिधित्व दीजिये, इनको हाउस आफ लार्ड्स में ही प्रतिनिधित्व मत दीजिये किन्तु इनको हाउस ऑफ कोमन्स में भी प्रतिनिधित्व दीजिये। जो युवा पीढ़ी को रास्ता दिखा सके और आने वाली युवा पीढ़ियों को रास्ता दिखा कर उनका मार्गदर्शन कर सके, उनको शक्तिशाली संस्था सिन्डीकेट में भेजिये। मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूं। जिस डिटरमिनेशन से आये हैं, इस बिल को आज पास करवाना चाहते हैं, वर समिति में और जनमत के लिये भी नहीं भेजना चाहते लेकिन आप इसमें बहुमत के आधार पर अवश्य सफल होंगे। लेकिन माननीय मंत्री महोदय, मैं वल इतना ही कहूंगा कि केवल कागज पर इसको पास करवा लेंगे लेकिन इससे राजस्थान के लक्ष लक्ष विद्यार्थियों में भूचाल आ जावेगा, आप हमारी वाणी को अवरुद्ध कर सकते हैं लेकिन उनकी वाणी को नहीं कर सकेंगे, एक भूचाल आ जावेगा विद्यार्थियों में, एक चिनगारी छूटेगी और सारे विद्यार्थियों को लपेटती हुई आंदोलन का रूप ले लेगी। आप जानते हैं आन्ध्र बना, पंजाब का विभाजन हुआ, सब पर बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी है और खून बहाना पड़ा है। आप चाहते हैं कि विद्यार्थियों का खून बहे, यदि आप चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी लाठियों और गोलियों के शिकार हों तभी उस भाषा में समझेंगे जिस प्रकार उस भाषा को पहले समझ कर इस प्रकार प्रान्तों का विभाजन हुआ था। आप उनसे टकरायेंगे या शान्ति से अंगीकार करना चाहते हैं?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : बोले बड़े ठाट से। सिन्डीकेट में रिप्रेजेन्टेशन का संशोधन ही रख देते। बोले इतना जोर से कि हमारे कान फट गये। आग लग जायगी राजस्थान में। एक अमेन्डमेन्ट ही मूव कर देते। वह तो नहीं हुआ।

श्री मानकुमार शास्त्री : अमेन्डमेन्ट के लिये समय चाहिये, अवसर चाहिये। इतनी जल्दी करने की क्या आवश्यकता थी।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जब तक ये विधेयक और बिल पारित न हो जायं तब तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन को अनुमति है कि तीनों बिल जब तक पारित न हों जायं सदन का समय बढ़ाया जाय?

श्री गुमानमल लोढा : पारित शब्द ठीक नहीं है। शायद पारित न हो।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : पारित करवायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : पारित करने के लिये निर्णय न हो जाय तब तक के लिये सदन का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय विधेयक को पारित करने के निर्णय तक के लिये बढ़ाया गया।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्षजी, जो बातें मैंने पहले कही हैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, उसमानिया युनिवर्सिटी में फोरिन कन्ट्री से आकर किसी एक्सपर्ट ने ओब्जर्वेशन कर दिये स्टूडेन्ट्स लीडरशिप के लिये वे अगर सब पर लागू कर दें यह उचित नहीं होगा। एक एजुकेशनिस्ट ओब्जर्वेशन दे देता है जिसका पेशन हो स्टूडेन्ट्स के बारे में उसको जनरेलाइज कर दें और सारे स्टूडेन्ट्स कम्युनिटी के लिये अपने एप्रोच को बदल दें, जिसके लिए हम कमिटेड हैं, यह गलत है। जो सीनेट में स्टूडेन्ट्स को भेजा, कैम्पस में चुनाव होते हैं वे डाइरेक्ट होते हैं। एक्स ओफिशियो बन जाने चाहिये। इस साल रिप्रेजेन्टेशन सात आठ हजार का है। उनको देखते हुए एक्स ओफिशियो मैम्बर बना दीजिये। फैकल्टीज में नुमाइन्दगी देने में क्या एतराज है? हमें मालूम हो जाय कि यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रोड-बेस करना चाहते हैं, फैकल्टीज बहुत हैं उनमें रिप्रेजेन्टेशन देने में दिक्कत क्या है? हमें मालूम पड़े कि वाइड स्फीयर करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री नारायण सिंह (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हांडाजी, माननीय लोढाजी और माननीय प्रो. केदार जी ने इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी स्टूडेन्ट्स को रिप्रेजेन्टेशन दिया है वे पर्याप्त नहीं हैं। मैंने यह नहीं कहा था कि पर्याप्त हैं। मैंने यह निवेदन किया था कि इस अमेन्डमेन्ट को लेकर हम एक प्रयोग भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जिस प्रकार से एक आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये सारे युनिवर्सिटी हैड में–उस पर विचार किया जा रहा है। एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी को अलग करने का निवेदन कर चुका हूं। माननीय लोढाजी ने एक बात कही। स्टूडेन्ट्स केरियर सीकर्स हैं ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कोटेशन्स पढ़े, वे न जनरेलाइज हो सकते हैं और न लागू हो सकते हैं। जो मैंने अहम बातें कहीं वे कुछ इकोनोमिक फैक्ट्स हैं जिससे हम प्रभावित हैं और हमारे अभिभावक प्रभावित हैं, स्वाभाविक रूप से युवा समाज भी उससे प्रभावित है।

जिस प्रकार से जातिवाद और दूसरी चीजें बीच में आ जाती हैं इनको भी ध्यान में रखना पड़ता है।

श्री गुमानमल लोढा : यह तो विधान सभा में भी आते हैं और लोक सभा में भी आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी को उत्तर देने दीजिये।

श्री नारायण सिंह : इन सब बातों को देखते हुए अगर हम शनैः शनैः कदम उठायेंगे तो उसमें सफलता भी प्राप्त होगी और केवल यही नहीं मानना चाहिये कि यह अमेन्डमेन्ट हो गया यह आखिरी हो गया। यह आखिरी नहीं है। यह तो विधान सभा होती रहेगी।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : माननीय मंत्री महोदय मैं अर्ज करूं कि आप मेरे और माननीय लोढा जी के प्रस्ताव को नहीं मानें लेकिन जो केदारजी ने कहा है कि फैकल्टी में उनको लेने में क्या दिक्कत है। कम से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कम थोड़ा आप उनको आगे तो लाइये। एकेडेमिक कौंसिल में क्या है। आपका एप्रीहैन्शन तो यही है कि पेपर्स आउट हो जायेंगे लेकिन फैकल्टीज का तो कोई पेपर्स से ताल्लुक नहीं है, एकेडेमिक कौंसिल का तो कोई ताल्लुक नहीं पेपर्स का। मेरा कहना है कि इसमें आप थोड़ा रिप्रेजेन्टेशन दीजिये।

श्री नारायण सिंह : इस समय मैं निवेदन करूं कि फैकल्टीज के अन्दर और एकेडेमिक कौंसिल के अन्दर भी कई इस प्रकार के मसले आते हैं कि जिसके लिए हमारा आज का स्टूडेन्ट पूरी तरह से तैयार है या नहीं इसमें अभी सन्देह है और इसलिए पहले यह जो कुछ लाया गया है इसको प्रयोगात्मक रूप से होने दीजिये और इसके बाद में आप फैकल्टी का कहते हैं तो इसको भी जरूर करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अगर आप फैकल्टी में नहीं करते तो मेजोरिटी में नहीं होंगे। माइनोरिटी में होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य उत्तर आ गया है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को संशोधित रूप में स्वीकार किया गया

जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार एवं उसका पारण

जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972–माननीय केदार....

क्या माननीय सदस्य अपने मोशन को वापिस लेना चाहते हैं?

श्री केदारनाथ : जी हां।

श्री गुमानमल लोढा सब के लिए एक ही प्रक्रिया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने/जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये

श्री नारायण सिंह : क्लाज 2 पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो विधेयक को विचारार्थ लेना है।

प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया

श्री नारायण सिंह : क्लाज 2 में कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आपने (श्री केदार नाथ) खण्ड 2 में अमेन्डमेन्ट दिया है।

श्री केदारनाथ : जी हां, आज सुबह ही दिया है। मेरा खयाल है कि पारित होने के पहले वैसे भी बोल सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्लौज 2 पर मैं आपको अमेन्डमेन्ट मूव करने की अनुमति देता हूं।

श्री केदारनाथ : मेरा संशोधन इस प्रकार है :-

1. In clause (XXVIII) (a) of sub-division iii of sub-section (2) of section 15 of this Act, as proposed in clause (2) of the Bill, the word 'six' shall be substituted by the word 'four';

2. In clause (XXVIII) (a) (I) of sub-division (iii) of sub-section (2) of section 15 of the Act, as proposed in clause (2) of the Bill, the word 'four' shall be substituted by the word 'two'; and

3. After sub-clause (b) of clause (XXVIII) of sub-division (iii) of sub-section (2) of section 15 of the Act, as proposed in clause (2) of the Bill the following new sub-clause (bb) shall be inserted:

"(bb) President and senior Vice-President of the Central Students Union shall be ex-officio other members".

इसमें मेरा निवेदन है कि 4 में से 2 एक्स-आफिशियो मेम्बर्स जो कि प्रेसिडेन्ट और सीनियर वाइस-प्रेसीडेन्ट हैं वह होने चाहियें क्योंकि वह रेजिडेन्शल हैं और एफीलियेटेड कॉलेज हैं नहीं।

श्री नारायणसिंह : क्या है?

श्री केदारनाथ :— 'Six persons shall be elected as follows.

(i) four students shall be elected by the Presidents of the Students' unions of University Departments; constituent colleges and recognised colleges and institutions.......'

इसमें यह निवेदन है कि वहां प्रेसीडेन्ट और सीनियर वाइस-प्रेसीडेन्ट डाइरेक्ट वोट से होते हैं और सीक्रेट बेलट बाक्स में डाइरेक्ट चुनाव होता है। इसलिए वह दुबारा री-इलेक्ट हों, स्टूडेन्ट्स यूनियन की बॉडी फिर इलेक्ट करे सीनेट के लिये तो यह गलत चीज है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वह एक्स-आफिशियो मेम्बर्स होने चाहिएं।

श्री गुमानमल लोढा : मैं समर्थन में दो शब्द कहना चाहता हूं। जो माननीय सदस्य श्री केदारजी ने संशोधन दिया है, मैं समझता हूं कि शिक्षा मन्त्रीजी को इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रश्न यह है कि सारे विद्यार्थी जिनकी संख्या

(श्री गुमानमल लोढा)

8-10 हजार के करीब होगी वह सब मत देकर प्रेसीडेन्ट और सीनियर वाइस-प्रेसीडेन्ट को चुनते हैं और आप जानते ही हैं कि चुनाव के समय में बहुतसा समय भी जाता है विद्यार्थियों का, टेन्शन भी होता है, छोटी मोटी घटनायें भी होती हैं। अब उसी प्रोसेस को और उसी प्रक्रिया को फिर से रिपीट करवाना सीनेट के लिए मैं समझता हूँ कि जिस भावना से उनको आपने फिलहाल सीनेट में या एकेडेमिक कौंसिल में नहीं लिया है कि ग्रुपिज्म अधिक बढ़ता है, टेन्शन बढ़ता है और घटनायें होती हैं तो वास्तव में इस प्रावधान के कारण से वही दुर्घटनायें जिनको लक्ष्य करके दूसरी बॉडी में उनको नहीं लिया है वह रिपीट होंगी। अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि जो इलेक्टेड प्रेसीडेन्ट और सीनियर वाइसप्रेसीडेन्ट हैं जोधपुर विश्वविद्यालय के उनको एक्स-ऑफिशियो मेम्बर सीनेट में ले लिया जाये और दुबारा चुनाव की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को न डाला जाय। उनको टेन्शन के लिए बाध्य नहीं किया जाये, उनको छोटे मोटे झगड़ों के लिये बाध्य नहीं किया जाये। मैं समझता हूं यह बहुत ही कन्स्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के हित में भी है और प्रशासन के भी हित में है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप यह जो संशोधन माननीय केदारजी ने प्रस्तुत किया है, इसे स्वीकार करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि सारे राजस्थान में प्रेसीडेन्ट, वाइस-प्रेसीडेन्ट और एग्जीक्यूटिव कमेटीज हैं उनके चुनाव एक ही पैटर्न पर नहीं होते है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के चुनाव के अलग अलग प्रॉसेस हैं। कहीं तो डाइरेक्ट इलेक्शन है, कहीं इनडाइरेक्ट इलेक्शन्स। जोधपुर विश्वविद्यालय में आपने डायरेक्ट इलेक्शन रखे हैं। प्रेसीडेन्ट और वाइस प्रेसीडेन्ट को डाइरेक्टली सारे स्टूडेन्ट्स यूनिवर्सिटी के चुनते हैं जो कि अपने आप में एक बड़ा इलेक्शन है, म्युनिसिपेलिटी से भी ज्यादा बड़ा इलेक्शन है। आठ, दस हजार के करीब इलेक्टोरल होते हैं और वह इनको इलेक्ट करते हैं। तो उस स्थिति में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए प्रॉवीजन है वह जोधपुर के लिए नहीं चलने वाला है और ज्यादा एनर्जी वेस्ट न हो, आपने डाइरेक्ट इलेक्शन पहले ही करा लिए इसीलिए माननीय केदारजी का जो अमेन्डमेन्ट है वह परफेक्ट अमेंडमेंट है। आप उनको एक्स-आफिशियो मेम्बर्स ले लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री नारायणसिंह : मैं केवल स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। इस समय जो लिखा हुआ है वह निम्न प्रकार से है :—

"छः व्यक्ति निम्न प्रकार से निर्वाचित होंगे:—

(1) चार छात्र विश्वविद्यालय, विभागों संघटक महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों और संस्थाओं के छात्र संघों के अध्यक्षों द्वारा, तथा केन्द्रीय छात्र संघ की कार्यकारिणी द्वारा निर्वाचित केन्द्रीय छात्र संघ अध्यक्ष सहित दस प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किए जावेंगे,"

(श्री नारायणसिंह)
यही प्रतिनिधित्व राजस्थान यूनिवर्सिटी में रखा गया था। यह आपने जो इस समय संशोधन दिया है उसके अनुसार ये छः व्यक्ति हैं। चार व्यक्ति तो ये हैं। दो व्यक्ति आगे आते हैं जो एकेडेमिक एक्सीलेंस के ऊपर हैं।

अब इन छः के अन्दर आपने कहा है कि जोधपुर विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदेन सदस्य होंगे और दो छात्र विश्वविद्यालय की संकायों एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों और संस्थाओं से निर्वाचित जोधपुर विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ की कार्यकारिणी द्वारा निर्वाचित होंगे। मेरी यह मान्यता है कि इसका जो इलेक्टोरेट कालेज है वह बड़ा व्यापक है। इसके उपरान्त भी अगर आप रखना चाहें तो मुझे मान्य करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री केदारनाथ की ओर मुखापेक्ष): आप वापिस लेना चाहेंगे ?

श्री केदारनाथ : मान लिया है साहब।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (2) मय संशोधन के स्वीकार किया जाय।

श्री केदारनाथ : अमेंडमेंट मान लिया है, पहले उसे वोट करावें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (2) में जो संशोधन पेश किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (2) स्वीकार किया जाय मय संशोधन के।

(स्वीकृत)

खण्ड (2) संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड (3)

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 3।

श्री केदारनाथ : मेरा संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है :—

"16. (1) सिन्डीकेट विश्वविद्यालय का कार्यपालिका निकाय होगा और इसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्–

(1) अध्यक्ष, जोधपुर विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघ,

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसमें मेरा अमेंडमेंट है जो इस प्रकार है :—

In sub-section (1) of new section 16 sought to be substituted after clause (viii) add the following clause (ix) :—

"(ix) two members of the State Legislature nominated by the Speaker.

इसमें आफ शब्द रह गया है। उसको करेक्ट कर लीजिए।

Two members of the State Legislature.

श्री केदारनाथ : सिण्डीकेट के अन्दर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हूं।

(विराम)

सेम है जैसा राजस्थान विश्वविद्यालय में था।

(विराम)

क्या आप (शिक्षा मंत्रीजी) मंजूर कर रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हम इसका समर्थन करते हैं ?

(विराम)

जैसा राजस्थान में मान लिया है वैसा ही उदयपुर में मांग रहे हैं।

श्री नारायण सिंह : अभी तो जोधपुर का चल रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में टू लेजिस्लेटर्स को सिन्डीकेट में स्वीकार कर लिया है, उसी प्रकार जोधपुर यूनिवर्सिटी के लिये भी लेजिस्लेटर्स को सिण्डीकेट में भिजवाने की मांग स्वीकार कर लें।

श्री नारायण सिंह : वह मैं प्रोविजन बताता हूँ, उसको आप देख लें।

यह धारा 16 की क्लॉज (7) में जो संशोधन किया गया है उसमें साथ में यह कहा है :

"सीनेट द्वारा निर्वाचित सीनेट के दो सदस्य, जो शिक्षक न हों व उसमें से एक रजिस्ट्रीकृत स्नातक होगा"

ये दो उसमें हो जायेंगे। इसमें संशोधन आपका है।

Clause 16 (vii)-two members of the Senate being non-teachers, elected by the Senate, one of whom shall be a registered graduate.... This will cover.

श्री केदारनाथ : जब आप सिण्डोकेट में स्टूडेन्ट्स को नुमायन्दगी नहीं दे रहे हैं और इन्हें प्रिंसिपल जब नहीं मानते हैं तो फिर मैं इसको क्यों प्रेस करूं।

श्री नारायण सिंह : (7) में यह मकसद हल हो जाता है। सीनेट द्वारा निर्वाचित सीनेट के दो सदस्य जो शिक्षक न हों, यानि विद्यार्थी होंगे।

श्री केदारनाथ : खैर नहीं मानते हैं तो मैं प्रेस नहीं करूंगा।

श्री नारायण सिंह : सीनेट के अन्दर दो का रिप्रेजेण्टेशन रखा है। (7) के अन्दर सीनेट द्वारा निर्वाचित सीनेट के दो सदस्य, जो शिक्षक न हों व उसमें से एक रजिस्ट्रीकृत स्नातक होगा तो यह उसमें आ जाएगा।

श्री केदारनाथ : ग्रेज्यूएट बनने के बाद स्टूडेन्ट्स रेगुलर नहीं रहता है, इधर-उधर बंट जाता है। इसलिए अगर स्टूडेन्ट्स को रिप्रेजेन्टेशन देना है तो जो स्टूडेन्ट्स का प्रेसीडेन्ट है वही एक्स-ओफिशियो मेम्बर बन जाय सिण्डीकेट का। अगर इस प्रिंसिपल को मान लें तो में प्रेस करूं; नहीं माने तो नहीं करूं।

Page No. 136

श्री नारायणसिंह : मेरे खयाल से ठीक नहीं है।

श्री केदारनाथ : मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री केदारनाथ : मैं वापिस लेता हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा अमेन्डमेन्ट है क्लाज (3) में इसकी क्लाज 2(5) 'Two members of the State Legislature shall be nominated by Speaker'.

श्री नारायण सिंह : Accepted.

श्री केदारनाथ : इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (3) में जो संशोधन माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (3) मय संशोधन के स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड (3) मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड (4) में कोई संशोधन नहीं है ?

प्रश्न यह है कि खण्ड (4) स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (4) स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड (1), अधिनियमन सूत्र और नाम स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (1) अधिनियमन सूत्र और नामादि स्वीकार किया गया।

श्री नारायण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जोधपुर यूनिवर्सिटी (अमेन्डमेन्ट) बिल, 1972 स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जोधपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक मय संशोधनों के पारित किया गया।

उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 पर विचार एवं उसका पारण

श्री उपाध्यक्ष : उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने हेतु प्रोफेसर केदार का संशोधन।

श्री केदारनाथ : मुझे वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रो० केदार ने जो विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है उस को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री केदारनाथ : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री नारायण सिंह : क्लाज दो में कोई संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र प्रसाद।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : क्लाज 2 सिक्सटीन मे बी एडेड। इसमें एक और आफ शब्द रह गया है।

श्री नारायण सिंह : सिन्डीकेट में या सीनेट में ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सिन्डीकेट में।

श्री गुमानमल लोढा : सिन्डीकेट का विरोध तो बाहर है, यहां तो मेम्बर जाना चाहते हैं।

श्री नारायण सिंह : यह जो आपका अमेन्डमेन्ट है एम. एल. एज. के लेने का....

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड दो।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : In sub-clause (a) of new sub-section(II) of section 19 add the following part (xvi) after part (xv) :

"Two members of the State Legislature nominated by the Speaker."

यहां आॅफ शब्द रह गया है इसको जोड़ लें। इसको आप मन्जूर कर लें।

श्री नारायण सिंह : यह है आपका एक्जीक्यूटिव बोर्ड के अन्दर, 11-ए से शुरू होता है, बी, सी, डी है...

श्री यशवन्तसिंह नाहर : नया क्लाज है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उदयपुर यूनिवर्सिटी में नया क्लाज इन्सर्ट करना पड़े।। इस सम्बन्ध में।

श्री गुमानमल लोढा : यह कौनसा बिल है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसमें 15 आलरेडी हैं इसमें 16 को और जोड़ दीजिये।

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
आप जोधपुर का मुलाहिजा कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय को अर्ज कर रहा हूं।

श्री नारायणसिंह : स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड दो में जो संशोधन प्रस्तावित किया गया है उसको स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत).

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो मय संशोधन के स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड दो मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

खण्ड (3) कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड (3) स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड तीन स्वीकार किया गया।

श्री गुमानमल लोढा : क्या शिक्षा मंत्रीजी इन्डीकेट से सिन्डीकेट में जाना पसन्द करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड (3) अधिनियमन सूत्र संक्षिप्त नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड (1) अधिनियमन सूत्र संक्षिप्त नामादि स्वीकार किया गया।

मंत्री महोदय।

श्री नारायणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मय संशोधन के उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : यह कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1972 को मय संशोधन के पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक मय संशोधन के पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 25 मई, 1972 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5 बजकर 26 मिनट पर बृहस्पतिवार, दिनांक 25 मई, 1972 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट–1

(ता. प्र. सं. 754 की सूची)

Copy of letter No. F. 29 (18) MPH/70/Gr. II dated 11-1-71 from Govt. of Rajasthan, Medical & Pub. Health Deptt. to the Chief Engr. P. W. D., B&R, Rajasthan, Jaipur copy endorsed to the Director, Medical and Health Services, Rajasthan, Jaipur.

Sub:—Upgradation of District Hospitals.

In pursuance of the decision taken by the State Govt., that all headquarters of Districts with a population of 8 lacs or above on the basis of 1961 Census should have a well equipped hospital with 150 beds while other Districts Headquarters should have a Distt. Hospital with 100 beds by Oct., 1971 the number of beds proposed to be added in these hospitals have been indicated in Col. No. 4 of the statement.

To have adequate accommodation for these additional beds total amount of Rs. 48.94 lacs (Forty eight lacs and ninety four thousand) will be needed for const. work, out of this a minimum of 50% will be collected by Distt. Hospital Committees as public participation. Details of public participation required for each hospital have been mentioned in Col. No. 7.

I am accordingly directed to convey administrative and financial sanction of the Governor for incurring of expenditure not exceeding Rs. 7.64 lacs (Rupees seven lacs and sixty four thousand) only for taking up of const. work at some of these hospitals where people's participation is available during the current financial year. Details for this purpose have been shown in Col. 8. It has specifically to be noted by the P. W. D. that actual construction work will be started only at those places where people's participation to the extent shown in Col. No. 9 is received for an intimation to this effect is given by the concerned Collector/D.M. & H.O. to the P.W.D.

The spillover of the entire const. programme has also been phased out as per details mentioned in Col. No. 10.

Govt. share for const. in all these hospitals will be restricted to the extent of the amount shown in Col. Nos. 8 and 10. The Govt. contribution will stand proportionately reduced to the extent there a short fall in public contribution unless the Govt. by special order in any case relaxes the condition in any particular case.

The const. cost for each addl. bed has been worked out @ Rs. 5150/- per bed which is the ceiling of financial assistance given by the Govt. of India for const. of additional beds in hospital. P. W. D. will have to restrict the const. cost to this extent and before actual construction is started a revised plan for each hospital will be prepared and got approved by the Collector of the District and Director of Medical & Health Services.

It is also stated that P. W. D. will start work only on those portions which can be completed by Oct., 71 within the amount of estimated cost shown in Col. 6 of the enclosed statement. In case the full public contribution is not available the construction of only that portion be started which can be completed by October, 1971 within the available resources. The construction cost shown in Col. No. 6 is inclusive of prorata charges electric and sanitary fittings and development of the site wherever necessary which may be taken in account while incurring expenditure in each hospital.

The expr. on this account will be charged to the budget head 103-Capital outlay on Public Works-a-Original Works-IX-Medical (Plan) wherein funds to the extent of the amount shown in Cols. 8 & 10 will be provided by the Deptt. by re-appropriation or supplementary grant as the case may be in due course and the amount in 9 and 11 will be deposited with the P. W. D. by the Distt. Hospital Committees.

This issues with the concurrence of Planning & Finance Deptts. vide their Nos. 1018 & 3756 dt. 16-12-70 respectively.

STATEMENT OF BEDS STRENGTH AND FINANCIAL IMPLICATION FOR UPGRADING OF DISTRICT HOSPITALS

S. No.	Name of the Hospital	Existing bed strength	No. of beds proposed to be increased	Total beds strength for which accommodation is required	Total estimated cost including pro rata charges const. work for increased bed strength (Amt. in lacs)	Element of public contribution out of Col.(6) (Amt. in lacs)	State share during 70-71 (in lacs)	Public contribution during 70-71 (in lacs)	State share during 71-72 (In lacs)	Public contribution during 71-72 (in lacs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Distt. Hospital, Barmer	50	50	100	2.59	1.20	0.40	0.40	0.89	0.89
2.	—do— Chittorgarh	40	60	100	3.09	1.54	0.75	0.75	0.80	0.79
3.	—do— Bhilwara	100	50	150	2.58	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00
4.	—do— Jalore	50	50	100	2.58	1.20(9)	.00	.00	1.29	1.29
5.	—do— Jhunjhunu	50	50	100	2.59	1.20(9)	.00	.00	1.29	1.29
6.	—do— Nagore	50	100	150	5.15	2.58	.00	.00	2.57	2.58
7.	—do— Pali	52	108	160	5.15	2.58	0.50	0.50	2.07	2.08
8.	—do— Tonk	70	30	100	1.54	0.77	0.20	0.20	0.57	0.57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Distt.Hosp. S.Madhopur	50	50	100	2.58	1.29	1.00	1.00	0.20	0.29
10.	—do— Sirohi	55	45	100	2.32	1.18	0.30	0.30	0.86	0.86
11.	—do— Jaisalmer	25	75	100	3.86	1.93	0.10	0.10	1.83	1.83
12.	—do— Ganganagar	111	39	150	2.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50
13.	—do— Churu	50	50	100	2.58	1.29	0.00	0.00	1.29	1.29
14.	—do— Dungarpur	124	26	150	1.34	0.67	0.00	0.00	0.67	0.67
15.	—do— Sikar	98	52	150	2.68	1.34	0.00	0.00	1.34	1.34
16.	—do— Shahpura (Bhilwara)	20	30	50	1.54 1.29	0.77	0.10	0.10	0.67	0.67
17.	—do— Baran (Kota)	25	25	50		0.65	0.00	0.00	0.64	0.65
18.	—do— Banswara	120	30	150	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
19.	—do— Kota	—	—	—	0.75 0.50	—	0.75	(to complete cottage wards donated by Umaid Smarak Samitee)		
20.	—do— Bundi	—	—	—	—	—	0.50	(Improvement of Bundi Hospital).		
21.	—do— Alwar	—	—	—	0.25	—	0.25	(to provide lavatory and bath room facility and repairs in sewage system etc.)		
			930		48.94		7.64	6.14	17.57	17.59

परिशिष्ट-2

(ता. प्र. सं. 757 की सूची)

रेट्स की तालिका

क्र. सं.	भूमि वर्ग	भूमि दर प्रति बीघा	वि. वि.
1	2	3	4
1.	चाही उत्तम	12.00	
2.	चाही प्रथम	9.00	
3.	चाही द्वितीय	6.00	
4.	चाही तृतीय	5.00	
5.	चाही जाव उत्तम	6.00	
6.	चाही जाव प्रथम	4.50	
7.	चाही जाव द्वितीय	3.00	
8.	चाही जाव तृतीय	2.50	
9.	डहरी प्रथम	3.30	
10.	डहरी द्वितीय	2.50	
11.	बारानी उत्तम	2.60	
12.	बारानी प्रथम	1.80	
13.	बारानी द्वितीय	1.50	
14.	बारानी तृतीय	1.10	
15.	बंजड़	0.40	

परिशिष्ट-3

(ता. प्र. सं. 761 की सूची)

सूची नम्बरान कमाण्ड क्षेत्र एवं उस क्षेत्र में सिंचित होने वाला सालवार रकबा

सूची 'अ'

क्र.सं.	नाम बांध	नाम तहसील	ग्राम	कमाण्ड में आने वाले खसरा नम्बरान	कमाण्ड में आने वाले नं. का सी. सी. ए.	58-59 में सिंचित क्षेत्र एकड़ों में	59-60	60-61	61-62	62-63	63-64	64-65	65-66	66-67	67-68	68-69	69-70	70-74
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	बूंदी का गोठडा	बूंदी का गोठडा	हिण्डोली	811, 812, 826 से 923 942 से 944, 961, 973 से 986, 1054 से 1726, 1753 से 1787, 1803 से 1819, 1881, 1882, 1885, 1899 से 1927, 2569 से 1601, 2610 से 2695	520 एकड़	115	164	255	235	259	288	124	330	358	268	368	232	258
2.	पेचकी बावडी	उमर	,,	1345 से $\frac{1351}{4}$ तक, 1361	53 एकड़	16	5	31	25	30	27	42	36	33	आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके।			

सूची अन-कमाण्ड नम्बरान जिनकी घोषणा राजस्थान राज-पत्र में हो चुकी है और जो नहीं हुए हैं जिनकी सूची वास्ते प्रकाशन प्रस्तुत की जा चुकी है

सूची 'ब'

क्र.सं.	नाम बांध	नाम ग्राम	तहसील	खसरा नम्बरान	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	बूंदी का गोठडा	बूंदी का गोठडा	हिण्डोली	302, 356, $\frac{1859}{2}$, 1860 से 1866, 1019, 1043, 824	प्रकाशन हो चुका है जिसका उल्लेख अनुपूरक सूचना में दिया जा चुका है।
2.	पेच की बावडी	उमर	,,	1 से 1344, 1346 से 1360, 1361	सूचियां अन-कमाण्ड घोषित किए जाने हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

परिशिष्ट- 4

(ता. प्र. सं. 730 की सूची)

AGREEMENT BETWEEN RAJASTHAN AND GUJARAT GOVERNMENT FOR THE EXPLORATION OF MAHI RIVER (MARCH, 1966)

KADANA DAM

1. Kadana dam should be built to FRL 419.00 : The entire cost and benefits of this project will be borne by Gujarat. At a later date when Mahi areas are taken over by Narmada and a part of the Kadana waters are released for use in Rajasthan. Rajasthan should pay to Gujarat an appropriate cost of the dam for such use. The exact proportions will be fixed at the time when such releases become available.

BANSWARA DAM

2. Banswara dam across Mahi, located in Rajasthan will be built to FRL 921.00 out of the total cost of the Dam a portion will be allocated for power which Rajasthan will develop from the waters of this reservoir. This will be at the rate of Rs. 1.250 per KW firm power. If the total cost of the dam increase beyond Rs. 14 crores, the allocated cost per KW taken above will also be increased proportionately.

3. The cost of the dam for FRL 915.00 should be shared between Gujarat and Rajasthan in the ratio of 40:9 as the utilisation of the waters for irrigation inclusive of evaporation losses are 40 TMC in Gujarat and 9 TMC in Rajasthan.

4. Building the dam upto FRL 921.00 will give an additional storage of 7 TMC which will be useful in loan years for ensuring firming of power generation. In view of this, Rajasthan has agreed to bear the difference in cost for building dam between FRL 921.00 and FRL 915.00.

5. At a later date when Narmada Development takes place and when Mahi areas are fed by the waters of Narmada and Mahi waters at Banswara are released for use in Rajasthan. Rajasthan should re-imburse the cost of the Banswara Project paid by Gujarat.

Sd/-
Nathu Ram Mirdha,
Minister for Agriculture,
Food and Agriculture,
Rajasthan, Jaipur.

Sd/-
Vijay Kumar Trivedi,
Minister for Public Works,
Ports and Civil Supplies.

परिशिष्ट–5

(ता. प्र. संख्या 742 की सूची)

सूची (अ)

वार्षिक योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971–73 में सड़कों पर व्यय होने वाली धनराशि का विवरण

क्रम सं. 1	नाम सड़क 2	धनराशि 3	नाम ग्राम 4
1	करेरा से गंगापुर	50,000/–	करेरा, गंगापुर
2.	भीलवाड़ा से मंगरूप वाया हरनिया महोदव	30,000/–	राजपुरा, दैलाना, कोसीथाल, सावलपुर, देवली, टवलिसरस।
3.	माण्डलगढ़ से जहाजपुर	71,00,000/–	मालपुरा, धामनिला, कोचोला, अमरगढ़, खाजूरी, पीपलून्द, उलाला, जहाजपुर।
4	पुलीया कानोछण रोड	30,000/–	काछोना तथा पुलिया।
5.	पन्डार से खिवार	40,000/–	पन्डार, गन्धार, मानपुरा।
6.	भीलवाड़ा से दन्ताल रूपाहेली	5,000/–	रूपाहेली, दन्ताल–हरैल, भीलवाडा।
7.	सागरिया गुलाबपुरा रोड	5,000/–	सागरिया, शाहपुरा,
8.	गंगापुर, लाकोला	5,000/–	लाकोला, गंगापुर।
9.	कोथीना अट्टन, शाहपुरा गुलाबपुरा रोड	5,000/–	अट्टन, कोथीना, गुलाबपुरा।
10.	हमीरगढ़ मंगरूप	5,000/–	हमीरगढ, मंगरूप
11.	उरदा, अगूछा	5,000/–	उरदा, अगूछा।
12.	माण्डल से भादो	5,000/–	माण्डल, भादो।
13.	नंदराय से बीगोद	5,000/–	नंदराय, बीगोद।
14.	काजवे, वरलयास, वरदनी	5,000/–	वरल्यास, सिंगोली, माण्डलगढ़।
15.	क्रोस ड्रिनेज कार्य शाहबागढ आरसिन्द, खारी नदी	5,000/–	
16.	कोटा से भीलवाड़ा	5,000/–	गुढ़ा, वनियाका, तालाब।
17.	कारोरा से शानगढ़	5,000/–	

1	2	3	4
18.	पन्डार से पारोली	5,000/-	पन्डार, पारोली, कोटरी।
19.	काजवे माशो नदी, काजवे आरी नदी पुलिया से जिला सीमा तक सड़क।	5,000/-	
20.	माण्डल से भगवानपुरा	5,000/-	
21.	काजवे बनास नदी निकट धूलखेडा।	5,000/-	
22.	आसीन्द से भीम रोड वाया सूरज	5,000/-	आसीन्द, सूरज, भीम रोड।
23.	मालपुरा से जालिन्दरा	5,000/-	जालिन्दरा, मालपुरा।
24.	माण्डलगढ से वाया सिंगोली	5,000/	माण्डलगढ, बरुदी, सिंगोली
25.	आसीन्द कारीरा रोड वाया दौलतगढ	5,000/-	आसीन्द, कारीरा, दौलतगढ।
26.	कोस डिनेज कार्य माशी नदी निकट भगवानपुरा	5,000/-	
27.	बगर से भीमाला से करेरा रोड	5,000/	बगर, भीमाला, करेरा रोड।
28.	देवरिया से शाहपुरा गुलाबपुरा रोड	5,000/-	देवरीया
29.	आमली से शाहपुरा, जहाजपुर रोड	5 000/-	आमली।
30.	अटून से नसीराबाद निम्बाहेडा रोड	5,000/-	अटून।
31	कोशीथल से देवलिया	5,000/-	कोशीथल, देवलिया।
32.	कोजवे अजोवा	5,000/-	
33.	हमीरगढ से ओझना रोड	5,000/-	
34.	इन्तालिया देवली रोड	5,000/-	इन्तालिया
35.	पोटला से जिलून्ड	5,000/-	पोटला, जिलून्ड।
36	मनीया से रेलमगरा	5,000/-	मनीया, रेलमगरा।

(नोट) सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ही कालम संख्या 4 में वर्णित ग्राम सड़कों के निकट आ जावेंगे।

परिशिष्ट-6

(ता प्र. सं. 747 की सूची)

सवाई माधोपुर तहसील में योजना में स्वीकृत सड़कों की सूची निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	नाम सड़क	ग्रामों की संख्या	ग्राम जिनको सुविधा होगी
1.	सवाई माधोपुर से रणथम्भोर रोड	3	शेरपुर, खिचीपुर, रणथम्भोर,
2.	सवाई माधोपुर से टोंक रोड	3	गम्भीरा, जीनापुर, कुस्ताला
3.	सवाई माधोपुर से इन्द्रगढ़ रोड	6	मुई, कुस्ताला खाजनावोड, खाजना डूंगर, कोटरी, वालो

गैर योजना सड़क क्रेस प्रोग्राम

4.	चोय का बरवाडा से टोंक सवाईमाधोपुर	कार्य प्रगति पर है।

सूची (ब)

क्रमांक	मार्ग का नाम		वर्षा से पृथक होने वाले गांवों के नाम
1.	मांडलगढ़ जहाजपुर	–	मागुनगर, काछोला, धामनिया
2.	कनेछण–फुलिया	–	फुलिया
3.	पन्डेर–साबर	–	गम्धेर
4.	जहाजपुर से शंकरगढ़	–	शंकरगढ
5.	जहाजपुर से बून्दी वाया नेनवा सरसिया मेरिया	–	मेरिया सरसिया
6.	भीलवाड़ा में दान्तल रूपाहेल	–	रूपाहेली दांतहरेल
7.	सागरिया अप्रोच (शाहपुरा, गुलाबपुरा)	–	सागरिया
8.	देवरिया अप्रोच (,,)	–	देवरिया,
9	आमेलो अप्रोच (शाहपुरा, जहाजपुर)	–	आमली
10.	गंगापुर से लाखोला	–	लाखोला
11.	आदुण अप्रोच (नसीराबाद, निम्हेडा)	–	अदूण
12.	कोशिथल–देवरिया	–	देवरिया
13.	नन्दराय–बिगोद	–	नन्दराय
14.	बडैच नदी पर पुल	–	बडलियास, बंटानी, मिगोली, मांडलगढ़,
15.	बकाया सड़क कोटा से	–	गूडा,
16.	पन्डेर से पारोली	–	पारोली, रोय,

परिशिष्ट-7

(ता. प्र. सं. 760 की सूची)

सूची जिन 25 गाड़िया लुहार परिवारों को आवास हेतु भूमि आवंटित की गई

क्र. सं.	नाम व्यक्ति मय पिता के
1.	श्री गोविन्द राम पिता सादिया
2.	,, राजाराम पिता सवराम
3.	,, अम्बूजी पिता राजाराम
4.	,, किशनराम पिता गोविन्दा
5.	,, रामचन्द्र पिता विथेवा
6.	,, सदाशिव पिता रमबाजी
7.	,, सीताबाई स्त्री कानुजो
8.	,, जयराम पिता रूपा
9.	,, विथेवा पिता अमरथा
10.	,, शान्तिबाई स्त्री नारायणदेव
11.	,, लक्ष्मण पिता वालीराम
12.	,, रघुनाथ पिता वलीराम
13.	,, टिम्बकराव पिता पाण्डूराम
14.	,, अर्जुनराव पिता अम्बरता
15.	,, नारायणराव पिता अम्बूजी
16.	,, नाथु पिता कण्डीराम
17.	,, गोविन्दा पिता कोडीराम
18.	,, नाथुसिंह पिता अर्जुनराव
19.	,, रम्बाजी पिता शिवराव
20.	,, साहिबराव पिता अर्जुनराव
21.	,, शिवराम पिता रम्बा
22	,, पाण्डूराव पिता गोविन्दा
23.	,, पृथ्वीराज पिता घोलाजी
24.	,, शंकरलाल पिता कानूजी पंवार
25.	,, रामा पिता कन्नीराम

परिशिष्ट–8

(अ. प्र. सं. 2187 की सूची)

सरपंच दांता, पंचायत समिति दांतारामगढ़ को दिये गये अनुदान को राशि का विवरण

क्र. सं.	नाम कार्य	अनुदान में दी गई राशि	कार्य की स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	अध्यापक गृह, अमरपुरा	2,500)	कार्य पूर्ण हो चुका है।	
2.	कूप मरम्मत, बगडियों की ढानी	1,000)	,, ,,	
3.	जयपाल गिरी कूप, दांता	2,400)	,, ,,	
4.	मीना कौलोनी, दांता	11,250)	सरपंच द्वारा 15 व्यक्तियों को 750) रु. प्रति व्यक्ति के हिसाब से मकानात बनाने हेतु दिये गये। सभी ने मकानात बना लिये हैं, परन्तु 2 व्यक्तियों के मकानात का कार्य पूर्ण नहीं माना गया है।	
5.	रेगरान कूप मरम्मत, दांता	900)	सभी कुओं पर कार्य हुआ है, परन्तु जन सहयोग प्राप्त न होने के कारण कार्य अधूरे माने गये हैं। राशि के उपभोगिता के प्रमाण-पत्र नहीं दिये गये।	
6.	अमरपुरा कूप मरम्मत	450)		
7.	सार्वजनिक कूप मंडीवाल की ढाणी मरम्मत	900)		
8.	कूप मरम्मत बागवाला, दांता	900)		
9.	पुस्तकालय, दांता	375)	सरपंच द्वारा हिसाब पेश नहीं किया गया है।	
10.	हरिजन खुर्रा नाठियों का, दांता	315)	कार्य हुआ है, परन्तु हिसाब पेश नहीं किया गया है।	
11.	हरिजन कूप निर्माण, दांता	1,800)	कार्य हो चुका है, परन्तु सरपंच द्वारा हिसाब पेश नहीं किया गया है।	

Page No. 153

1	2	3	4	5
12. मस्जिद कूप मरम्मत, दांता	500)		कार्य हो चुका है परन्तु उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है।	
13. पंचायतघर निर्माण, दांता	2,700)		राशि का उपयोग किया गया है परन्तु अभी कार्य अधूरा है।	
14. प्राथमिक शाला भवन, चारनवास	900)		राशि का उपयोग किया गया है परन्तु अभी तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र न दिये जाने के कारण कार्य को अधूरा माना है।	
15. सांड शाला, दांता	250)		राशि का उपयोग न किये जाने के कारण राशि वसूल करने की कार्यवाही चालू है।	
16. खुर्रा नायकों का मोहल्ला, दांता	1,000)		राशि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण राशि वसूल करने की कार्यवाही चालू है।	
17. सार्वजनिक कूप मरम्मत, चारनवास	900)		कार्य पर राशि पूरी व्यय हो चुकी है, परन्तु उपयोगिता प्रमाण-पत्र न दिये जाने के कारण कार्य को अधूरा माना है।	
18. पंचायत के कर्मचारियों को वेतन वितरण।	2,500)		ऋण राशि का उपयोग पंचायत के कर्मचारियों को वेतन वितरण में किया जाना बताया गया है।	

परिशिष्ट--9

(अ. प्र. सं. 293 की सूची)

सीकर जिले के औषधालयों को औषधि सप्लाई वर्ष 1971–72

क. स.	नाम औषधालय	स्वीकृत बजट	औषधि सप्लाई
1	2	3	4
1.	राणोली	2400	1454–60
2.	लोहरवाडा	2400	1260–00
3.	लोसल	2400	1547–70 (औषधालय अक्टूबर, 71 में क्रमोन्नत)
4.	मुंडवाडा	2400	961–00
5.	फतेहपुर	2400	704–10
6.	समरतपुरा	1200	555–10
7.	काडली	1200	598–70
8.	आमावास	1200	741–60
9.	नृसिंहपुरी	1200	54[illegible]–70
10.	खटुम्दरा	1200	716–80
11.	डाढण	1200	529–50
12.	धींगपुर	1200	776–30
13.	गावडी	1200	719–60
14.	पीथमपुरी	1200	728–10
15.	रायपुर पाटन	1200	731–00
16.	नागवा	1200	798–60
17.	रायपुर बागीर	1200	529–00
18.	मूंदोली	1200	633–10
19.	शाहपुरा	1200	1056–35
20.	बेसवा	1200	842–10
21.	गोडी	1200	873–90
22.	भजनगढ़बैरी	1200	929–80

1	2	3	4
23.	घाय	1200	609-30
24.	मावन्डा-खुर्द	1200	583-50
25.	छोखीसर	1200	828-50
26.	मलिकपुर	1200	735-80
27.	मावन्डा कलां	1200	667-70
28.	दौलतपुरा	1200	756-10
29.	कांकरा	1200	641-10
30.	वाटड़ानाऊ	1200	720-70
31.	लूंड	1200	562-70
32.	पाटोदा	1200	784-70
33.	रघुनाथगढ	1200	814-00
34.	सिंडोटवंडी	1200	837-10
35.	रूपगढ़	1200	640-50
36.	चौसा का वास	1200	843-00
37.	कटराथल	1200	810-20
38.	डाबावाली	1200	553-10
39.	गणेश्वर	1200	626-90
40.	बीबीपुर	1200	764-90
41.	फतेहपुरा	1200	619-30
42.	चुवास	12 0	833-50
43.	छाणा की नांगल	1200	659-00
44.	आसपुरा	1200	559-40
45.	करड	1200	714-45
46.	खोटिया	1200	798-20
47.	आजोद	1200	803-60
48.	नेहुवा	1200	858-20
49.	टोडा	1200	620-50
50	चानूडा	1200	968-60
51	बोसाना	1200	696-00
52.	भदमोपडा	1200	671-40
53.	मऊ	1200	564-00
54.	मंगलूना	1200	685-50
55.	लामिया	1200	321-50

Page No. 156

1	2	3	4
56.	सोमलियां	1200	993-45
57.	श्यामगढ़	1200	832-60
58.	खातीदेहे	1200	552-60
59.	दूधिया	1200	800-30
60.	सांवलोदापुरा	1200	837-50
61.	भठोठ	1200	932-75
62.	बली नवीन	1200	733-60
63.	दादीया	1200	618-30
64.	हर्ष	1200	885-75
65.	सिहूरांवट	1200	976-60
66.	चीपलोटा	1200	666-10

परिशिष्ट--10

(अ. प्र. सं. 296 की सूची)

जालोर जिले में म्यूटेशन के विचाराधीन मामलों की सूची

1.	जालोर	307
2.	आहोर	924
3.	भीनमाल	471
4.	साचोर	10
	कुल	1712

परिशिष्ट-11

(प्र. प्र. सं 298 की सूची)

राजस्थान में गंग केनाल, भाखरा एवं चम्बल नहरों में सिंचित क्षेत्र एवं कर निर्धारण का विवरण

क. सं.	साल व नहर का नाम	रकबा (एकड़ों में)									कर निर्धारण (रुपयों में)			विशेष विवरण
		सिंचित			छूट			जिसका कर निर्धारण किया						
		खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	गंग केनाल													
1.	1967-68	339878	295918	635796	1773	9892	11665	338105	286026	624131	3146915	2159135	5306050	
2.	1968-69	330449	280106	610555	3959	7688	11647	326490	272418	598908	3295238	1914579	5209817	
3.	1969-70	329775	292388	622163	3262	2179	5441	326513	290209	616722	3184633	1851422	5036055	
4.	1970-71	323439	307931	631370	1381	1984	3365	322058	805947	628005	3148517	+2604411	5752928	
5.	1971-72	312134	259461	571595	2008	2085	4093	310126	257376	567502	3145068	3330288	6475356	
	भाखरा													
1.	1967-68	265780	379114	644894	703	111	841	265050	379003	644053	2311385	2442923	4754308	
2.	1968-69	278218	333116	611334	2012	1370	3382	276206	331746	607952	2478362	1818863	4297225	
3.	1969-70	286768	358810	645578	952	4159	5111	285816	354651	640467	2418529	2181522	4600051	
4.	1970-71	291216	355757	646973	910	1374	2284	290306	354383	644689	2301770	+2385556	4687326	
5.	1971-72	251835	340365	592200	1050	522	1572	250785	339843	590628	2348637	3365786	5714423	
	चम्बल													
1.	1967-68	16759	252859	269609	—	—	—	16759	252850	269609	185240	2634141	2819381	
2.	1968-69	49897	316973	366870	—	—	—	49897	316973	366870	506291	3314454	3820745	
3.	1969-70	31356	309130	340486	—	—	—	31356	309130	340486	402861	3270649	3673510	
4.	1970-71	32866	321337	354203	—	—	—	32866	321337	354203	416028	3359122	3775150	
5.	1971-72	32597	346707	379304	—	—	—	32597	346707	379304	373440	4050846	4429286	

+ राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 13(3) सी।70 दिनांक 7-1-71 से कपास खरीफ 1969 की जिन्स में 50 प्रतिशत की छूट देने के कारण 814317 रु. गंग केनाल एवं 608169 रु. की भाखरा केनाल की रबी खतौनियों 70-71 में से कम किये गये परन्तु यह राशि उक्त राशि में सम्मिलित है।

परिशिष्ट–12

(अ. प्र. सं. 302 की सूची)

साधारण आवंटन नियमों के अन्तर्गत जो भूमि सवाई माधोपुर जिले में आवंटन की गई है, उसका विवरण निम्न है :—

अनुसूचित जाति

	संख्या	क्षेत्रफल एकड़ों में
टोडा भीम	129	136
नादोती	1	1
अनुसूचित जन जाति		
टोडा भीम	44	112
नादोती	12	29

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 24 मई, 1972)

क्र.सं.	स्तम्भ संख्या	लाईन संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5
1	3	नीचे से 10	तिगम	निगम
2	4	,, 16	रिकायत	शिकायत
3	6	ऊपर से 7	गु।ता	गुप्ता
4	6	,, 14	की	कि
5	9	नीचे से 9	कौ	को
6	10	,, 3	गुनारा	गुजारा
7	11	,, 9	श्री निरंजन चाथ	श्री निरंजननाथ
8	13	,, 9	सरमपुरा	सरमथुरा
9	16	,, 13	६ी रनेश्वरलाल	श्री रामेश्वर लाल
10	23	ऊपर से 12	विचार।धीण	विचाराधीन
11	24	नीचे से 1	नाप	नाम
12	26	,, 1	देखों	देखग
13	27	ऊपर से 2	क्षिल	मिल
14	27	नीचे से 4	वंरोजगार	बेरोजगार
15	37	ऊपर से 5	सदरय	सदस्य
16	41	नीचे से 1	पल्लिवाल	पालीवाल
17	42	,, 3	,,	,,
18	50	,, 7	परमाया	फरमाया
19	51	,, 9	कसी	ऐसी
20	55	,, 4	सरकार···हं	सरकार में हैं
21	64	,, 7	वादजूव	बावजूद
22	74 से 80 तक	ऊपर का शीर्षक	अनु. स. ता. प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
23	88	ऊपर से 5	पियत	पिद्दत
24	95	,, 10	स्थान	स्थगन
25	110	,, 17	व्यवस्था	व्यवस्था
26	116	नीचे से 2	सपाल	सवाल
27	117	,, 1	जिससे	जिसमें

1	2	3		4	5
28	118	नीचे से	3	चमीन	जमीन
29	136	ऊपर से	4	लाले	वाले
30	141	नीचे से	6	ज्सादा	ज्यादा
31	150	,,	10	समस्थ	सदस्य
32	157	,,	19	कनूनी	कानूनी
33	159	,,	15	·मर्के	सकें
34	179	,,	5	· · · रली	करली
35	188	,,	16	श्री गुमाम मल	श्री गुमान मल
36	208	,,	11	··· धिक	अधिक
37	230	,,	12	टीवर्स	टीचर्स
38	243	,,	8	भोतियों	समितियों
39	261	ऊपर से	4	विवेयक	विधेयक
40	263	,,	4	खपाल	खयाल
41	271	,,	8	रई	गई
42	290	,,	2	2187	287